सामाजिक विज्ञान

इतिहास और राजनीति विज्ञान

आठवीं कक्षा

शिक्षक शिक्षा निदेशालय एवं
राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद्
ओड़िशा, भुवनेश्वर

ओड़िशा विद्यालय शिक्षा
कार्यक्रम प्राधिकरण,
भुवनेश्वर

इतिहास और राजनीति विज्ञान

आठवीं कक्षा

लेखक और समीक्षक मंडल
प्रो. (डॉ.) अशोक नाथ परिड़ा (समीक्षक)
मेजर (डॉ.) ब्रजेंद्र नारायण पट्टनायक (स्वतंत्र समीक्षक)
प्रो. बैष्णव चरण दास (सह-समीक्षक)
(डॉ.) भगवार कर
श्री प्रफुल्ल कुमार जेना
श्री दैतारी साहु

अनुवादक मंडली :
प्रो. राधाकान्त मिश्र
प्रो. स्मरप्रिया मिश्र
डॉ. स्नेहलता दास
डॉ. लक्ष्मीधर दाश
डॉ. अजित प्रसाद महापात्र - पुनरीक्षण
डॉ. अमूल्य रत्न महांति - अनुवाद

संयोजक :
डॉ. सविता साहु

समीक्षक मंडल

इतिहास:
डॉ. कार्तिक चंद्र राउत
श्री सत्यजित महापात्र

राजनीति विज्ञान :
प्रो. वैष्णव चरण दास
श्रीमती काननलक्ष्मी पट्टनायक

संयोजक : डॉ. तिलोत्तमा सेनापति
डॉ. सविता साहु

प्रकाशक : विद्यालय और गणशिक्षा विभाग, ओड़िशा, सरकार
मुद्रण वर्ष : २०२३
प्रस्तुति : शिक्षक शिक्षा निदेशालय एवं राज्य शैक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, ओड़िशा, भुवनेश्वर
और
ओड़िशा राज्य पाठ्यपुस्तक प्रणयन और प्रकाशन संस्था, भुवनेश्वर।
मुद्रण : पाठ्य पुस्तक उत्पादन और विक्रय, भुवनेश्वर।

भूमिका

प्रथम संस्करण

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । समाज में वह पैदा होता है, पलता है, बड़ा होता है और अंत में समाज में रहकर ही उसकी मृत्यु होती है । इसलिए समाज के बारे में जो विशेष ज्ञान वह अर्जन करता है, उसे 'सामाजिक विज्ञान' कहा जाता है । आठवीं कक्षा के लिए तैयार किया गया यह 'सामाजिक विज्ञान' असल में इतिहास, राजनीतिविज्ञान औ भूगोल की संयुक्त पाठ्य पुस्तक है । यह पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली और हमारे राज्य के SCF-2007 पाठ्यक्रम के आधार पर बनकर तैयार हुई है ।

विद्यार्थियों को अपने क्षेत्रीय दायरे से लेकर विस्व के भूत, वर्तमान की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, शासन व्यवस्था आदि हर क्षेत्र के क्रमिक विकास की जानकारी दिलाता 'इतिहास' शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है । ठीक उसी प्रकार 'राजनीति विक्षान' का अध्ययन कर विद्यार्थी अपने समाज, उसकी स्थिति, शासन, अनुशासन, न्याय, अपने कर्तव्य और अधिकार के बारे में जानकारी हासिल करता है । इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए इस पुस्तक को पहले से अधिक व्यवस्थित और अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया गया है । इसमें पहली बार ''आपके लिए काम'', और ''जानने की बातें'' को जोड़ने का प्रयास किया गया है । अगर कोई विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस पुस्तक के सभी विभागों का अध्ययन करता है तो निश्चित रूप से वह 'सामाजिक विज्ञान' खासकर इतिहास और राजनीति विज्ञान के वास्तविक मूल्यबोध को समझ जाएगा, हमें ऐसी आशा और विश्वास है ।

राज्य के कोने-कोने से आये विषय विशेषज्ञों और अभिन्न शिक्षक-शिक्षिकाओं को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था । इसमें पुस्तक की पांडुलिपि पर चर्चाई हुई, उसकी कई तरह की समीक्षा की गयी । फिर विशेषज्ञों की ओर से आये सुझावों को स्वीकार किया गया । अंत में हम इस श्रमसाध्य संपादन काम से जुड़े शिक्षक, शिक्षिका, कर्मचारी, अधिकारी, लेखक मंडल, समीक्षक, संयोजक और मुद्रक पुस्तक सभी को परिषद की ओर से आंतरिक धन्यवाद देते हैं । त्रुटिमुक्त के लिए संपादन कोशिश की गयी है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि पुस्तक में कोई त्रुटियाँ नहीं हैं । हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद अगर कोई त्रुटि रह गयी हो तो कृपया उसे आप हमारी दृष्टि में लाएँ, जिससे पुस्तक के अगले संस्करण में उसे सुधारा जा सके । हमें पूर्ण विश्वास है कि इसमें आप अवश्य हमारी सहायता करेंगे ।

अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद, ओड़िशा

भूमिका
परिवर्धित संस्करण

विद्यालय और गणशिक्षा विभाग, ओड़िशा सरकार के आदेश पर शिक्षक शिक्षा निदेशालय एवं राज्य अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ओड़िशा ने मूल सामाजिक विज्ञान पुस्तक का एक नया परिवर्धित संस्करण तैयार किया है । इसमें जहाँ कहीं भी भाषाई, तथ्यात्मक और प्रश्न संबंधी सुधारों की आवश्यकता हुई है, वहाँ उन्हें सुधारा गया है । पुस्तक को समय उपयोगी बनाने के लिए समीक्षक मंडल ने बहुत सी कोशीशें की हैं । बहुत ही कम समय में पुस्तक का यह परिवर्धित संस्करण तैयार किया गया है ।

विद्यर्थियों की आवश्यकता को देखते हुए पुस्तक को त्रुटिरहित और आकर्षक बनाने की कोशिश की गयी है । पाठ्य पुस्तक का यह परिवर्धित संस्करण विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बनेगा और समीक्षक मंडल तथा संयोजक के श्रम को सार्थकता प्रदान करेगा ।

समीक्षक मंडल

भारत का संविधान

प्राक् कथन

हम भारत के लोग, भारत को एक डसंपूर्ण प्रभूत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य.बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

- सामाजिक, आर्थिक और राजेनैतिक न्याय,
- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
- प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा
- उन सब में व्यक्ति की गरिमा और डराष्ट्र की एकता और अखंडता.
- सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस विधान सभा में आज तारीख २६ नवंबर, १९४९ ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

चतुर्थ अध्याय - (क)

अनुच्छेद ५१ (क) : हमारा मौलिक कर्त्तब्य

भारत के हर नागरिक के ये कर्त्तब्य होने चाहिए :

(क) भारत के संबिधान को मानना, सांबिधानिक संस्था, उसके आदर्श, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय संगीत के प्रति सम्मान जताना;

(ख) जिन महान आदर्शों ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभाबित किया था, उन्हें स्मरण करना और उसका अनुसरण करना;

(ग) भारत के सार्वभौम, एकता और अखंडता की सुरक्षा करना;

(घ) देश की सुरक्षा करना और जरुरत होने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना;

(ङ) धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या बर्गभेद से परे जाकर भारतीय जनता के मन में एकता और भाईचारा जगाना और महिलाओं की मर्यादा की रक्षा करना। उनके प्रति हो रहे नकारात्म रवैये को परित्याग करना;

(च) हमारी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति सम्मान जताना और उसकी हिफाजत करना;

(छ) नदी, झील, जंगल और जंगली जानवरों के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। उनके बिकास के लिए ठोस कदमं उठाना। जीवजगत के प्रति सहानुभूति रखना;

(ज) बैज्ञानिक, खोजी और संस्कारजन्य सोच के साथ-साथ मानववाद को बढ़ावा देना;

भारतीय सेना

जीवन और जीविका बनाने का उपक्रम

क्रमांक	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम के लिए रिक्त सीटें	योग्यता का मानदंड		वैवाहिक स्थिति	प्रमुख अखबारों में विज्ञापन का प्रकाशन	नौकरी चयन परिषद (एस्.एस्.वि) बैठने की अनुमानिक तारिख	प्रशिक्षण अकादमी का नाम	प्रशिक्षण की अवधि
			उम्र	अहर्ताएँ					
1	एन.डी.ए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी	सेना के लिए 300, वायुसेना के लिए 66, नौसेना के लिए 39 (हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में)	16 साल 6 महीने से लेकर 19 साल तक	10+2 उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण केवर सेना के लिए और वायुसेना एवं नौ सेना के लिए गणित और भौतिक शास्त्र के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है	अविवाहित	संघ लोकसेवा आयोग की ओर से मार्च और अक्तूबर महीने में विज्ञापन दिया जाता है ।	सितंबर से अप्रैल और जनवरी से अप्रैल माह के बीच	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन.डी.ए) खड़ग, भाँसला, पुणे	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन.डी.ए) से ३ साल और राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी (आइ.एम.ए) में १ साल
2	10+2 स्तर पर तकनीकी क्षेत्र में दाखिला	सीटें - 85 हर साल जनवरी और जुलाई माह में	16 साल 6 महीने से लेकर 19 साल 6 महीने तक	भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान गणित के साथ 10+2 उत्तीर्ण (70% नंबर रखने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं ।	अविवाहित	अप्रैल और सितंबर माह	अगस्त से अक्तूबर और फरवरी से अप्रैल माह तक	राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी डेराडून	५ साल (राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी में १ साल और इंजिनीयरिंग में ४ साल, ४ साल के बाद स्थायी रूप से कमिशन में)
3	आइ.एम्.ए. (डी.ई) राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी (शिक्षादान)	सीटें - 250 (हर साल जनवरी और जुलाई माह में)	19 साल से 24 साल तक	स्वीकृत विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण	अविवाहित	मार्च/अप्रैल और सितंबर/अक्तूबर माह में	सितंबर/अक्तूबर और मार्च/अप्रैल माह में	राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी	१ साल ६ माह
4	एस्.एस्.सी (एन्.टी) अस्थायी सेवा मिशन गैर तकनीक पुरुष	सीटें - 175 हर साल अप्रैल एवं अक्तूबर में	19 साल से 25 साल तक	स्वीकृत विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण	अविवाहित/ विवाहित	मार्च/अप्रैल और सितंबर/अक्तूबर माह में	अक्तूबर /नवंबर और जुलाई/अगस्त माह में	(ओ.टी.ए, चेन्नै) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नै	४९ हफ्ते

5	एस्.एस्.सी (एन्.टी) अस्थायी सेवा कमिशन (गैर तकनिक महिला) गैर तकनीक सहित के.ए.जि दाखिले के लिए)	हर साल अप्रैल और अक्तूबर माह में जितनी जगहों के लिए विज्ञापन निकलेगा	स्नातक के लिए 19 साल से 25 साल और स्नातकोत्तर/ विशेषज्ञ के.ए.जी. के लिए 21 से 27 साल	स्वीकृत विश्वविद्यालय से डिप्लोमा के साथ स्नातक/ स्नातकोत्तर/कानून में स्नातक	अविवाहित	अप्रैल और अक्तूबर माह में	नवंबर से जनवरी और मई से जुलाई माह तक	अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, (ओ.टी.ए), चेन्नै)	४९ हफ्ते
6	एन. सी.सी (समग्र शिक्षार्थी वाहिनी) (स्वतंत्र) पुरुषों के लिए	सीटें-50 हर साल अप्रैल और अक्तूबर माह में	19 साल से 25 साल तक	स्नातक में 50% से अधिक नंबर रखकर उत्तीर्ण साथ ही समर शिक्षार्थी वाहिनी (स्थल वाहिनी में) 2 साल की सेवा सहित 'सी' सार्टिफिकेट परीक्षा में 'बी' श्रेणी में उत्तीर्ण	अविवाहित	विज्ञापन निकलेगा	जनवरी और अगस्त के माह में केवल महिलाओं के लिए नवंबर से जनवरी और मई से जुलाई माह तक (पुरुषों के लिए)	अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नै	४९ हफ्ते
	एन.सी.सी (समग्र शिक्षार्थी वाहिनी) (स्वतंत्र) महलिाओं के लिए	जितनी सीटों के लिए विज्ञापन निकलेगा							
7	के.जी. (विचारक महा अधिवक्ता) (पुरुष)	जितनी सीटों के लिए अप्रैल/ अक्तूबर माह में विज्ञापन निकलेगा	21 साल से 27 साल तक	कानून स्नातक में 55% नंबर के साथ उत्तीर्ण । इसके अलावा भारत के किसी भी बार काउनसिल में उन्होंने अपना नाम पंजीकृत किया होगा	अविवाहित/ विवाहित	मई	जनवरी और अगस्त माह में	अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नै	४९ हफ्ते
8	यू.ई.एस (अवट इंजीनियरिंग सेवा)	सीटें - 60 हर साल जुलाई माह में	अंतिम वर्ष के लिए 19 से 25 साल प्राक अंतिम वर्ष के लिए 18 से 24 साल	इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम का अंतिम वर्ष या प्राक् अंतिम वर्ष का छात्र होना जरुरी है ।	अविवाहित	अप्रैल से अक्तूबर तक	अंतिम वर्ष के लिए जनवरी से मार्च माह तक और प्राक् अंतिम वर्ष के लिए अगस्त से अक्तूबर माह तक	राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी	१ साल

9	टी.की.सी (इंजीनियरिंग) तलीम प्राप्त स्नातक (इंजीनियरिंग)	हर साल जनवरी और जुलाई माह में जितनी सीटें खाली होंगी, उसके लिए विज्ञापन निकलेगा	20 से 27 साल	इंजीनियरिंग के किसी भी विषय में बी.इ/बी.टेक/ इंजीनियरिंग तकनीक स्नातक	अविवाहित/ विवाहित	पुरुषोंके लिए अप्रैल एवं अक्तूबर माह में और महिलाओं के लिए जून-जुलाई, सितंबर-जवरी	मार्च/अप्रैल माह और सितंबर/ अक्तूबर माह	राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी	१ साल
10	टी.की.सी (शिक्षा) ए.इ.सी तलीम प्राप्त स्नातक वाहिनी (शिक्षा) सेना शिक्षा वाहिनी	हर साल जनवरी और जुलाई माह में जितनी सीटों के लिए विज्ञापन निकलेगा	23 से 27 साल	स्वीकृत विश्वविद्यालय से दिये गये विषयों में कला/विज्ञान में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण	अविवाहित	मार्च और अगस्त माह में	मार्च/अप्रैल और सितंबर/अक्तूबर माह	राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी	१ साल
11	एस.एस.सी (टी) अस्थायी सेवा कमिशन (तकनीकी) (पुरुष)	सीटें-50 हर साल अप्रैल और अक्तूवर माह में	20 से 27 साल	विज्ञापन में दिये विषयों में इंजीनियरिंग की उपाधि हासिल	अविवाहित/ विवाहित	अप्रैल और जुलाई माह	दिसंबर-जनवरी और जून-जुलाई माह में	अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी	४९ हफ्ते
12	एस.एस.सी (टी) अस्थायी सेवा कमिशन (तकनीकी) (महिला)	हर साल अप्रैल और अक्तूवर माह में जितनी सीटों के लिए विज्ञापन निकलेगा	20 से 27 साल	विज्ञापन में दिये विषयों में इंजीनियरिंग उपाधि प्राप्त	अविवाहित	जनवरी और जुलाई माह	अप्रैल पाठ्यक्रम के लिए नवंबर से, जनवरी और अक्तूबर पाठ्यक्रम के लिए मई से जुलाई के बीच	अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी	४९ हफ्ते

जीवन और जीविका बनाने का उपक्रम

क्रम संख्या	वर्ष	शैक्षिक अहर्ताएँ	उम्र
1	2	3	4
1	सैनिक (आय फर्ज) सेना के सभी विभागों के लिए	प्रत्येक विषय में 32% या उससे अधिक नंबर के साथ कुल 45% से अधिक नंबर रखकर एस.एस.एल. सी/मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण या उससे अधिक की पढ़ाई	17 साल 6 महीने से 21 साल तक
2	सैनिक (तकनीक) तकनीकी सेना गोलंदाज सेना)	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के साथ 10+2 विज्ञान में उत्तीर्ण	17 साल 6 महीने से 23 साल तक
3	सैनिक लिपिज/ भंडार रक्षक (सेना के सभी विभाग के लिए)	हर विषय में कम से कम 40% नंबर के साथ कुल 50% नंबर रखकर (कला, वाणिज्य, विज्ञान) में से किसी एक संकाय में 10+2 की परीक्षा में उत्तीर्ण । अधिकतम पढ़ाई की कोई सीमा नहीं ।	17 साल 6 महीने से 23 साल तक
4	सैनिक, सेवा कर्म सहायक (सेना की चिकित्सा वाहिनी)	हर विषय में कम से कम 40% नंबर के साथ कुल 50% नंबर रखकर भौदितक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ 10+2 की परीक्षा में उत्तीर्ण ।	17 साल 6 महीने से 23 साल तक
5	सैनिक कारीगर (सेना के सभी विभाग के लिए)	अंडर मैट्रिकुलेशन	17 साल 6 महीने से 23 साल तक
6	सैनिक (आय फर्ज) (सेना के सभी विभाग के लिए)	अंडर मैट्रिकुलेशन	17 साल 6 महीने से 23 साल तक
7	सर्वेयर ऑटो कार्ड़ियोग्राफर स्वयं दिल के दौरे का सर्वेक्षण) (अभियंता)	मैट्रिक और बारहवीं (10+2) में गणित और विज्ञान के साथ कला/विज्ञान में गणित विषय के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण	20 साल से 25 साल तक
8	के.सी.ओ (धार्मिक शिक्षक)/कनिष्ठ कमिशनर अधिकारी (धार्मिक शिक्षक) (सेना के सभी विभाग के लिए)	किसी भी संकाय में स्नातक, साथ ही अपने धर्म/ संप्रदाय पर कोई विशेष योग्यता	27 साल से 34 साल तक
9	के.सी.ओ (कैटरिंग) कनिष्ठ कमिशनर अधिकारी (भोजन सरवराह) (सेना के लिए)	10+2 के साथ किसी भी स्वीकृत विश्वविद्यालय से पाककला, होटल प्रबंधन और भोजन आवंटन पर एक साल या उससे अधिक के पाठ्यक्रम में डिप्लोमा इसके लिए ए.आई.टी.ई की स्वीकृत जरुरी नही ।	21 से 27 साल तक
10	हाबिलदार शिक्षक	जी.पी.एक्स (आम पदवी एक्स)कला/विज्ञान में स्नातकोत्तर या शिक्षक प्रशिक्षण के साथ कला/विज्ञान में स्नातक जी.पी-वाई'' (आम पदवी 'वाई') शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अलावा कला/विज्ञान में स्नातक	अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद 20 से 25 वर्ष

विशेष : अध्यापन के लिए सैनिक (आम फर्ज) में भर्ती हेतु सरकार के द्वारा चूने हुए कुछ राज्य/धर्म/जाति और संप्रदाय के लिए यह लागू है । अधिक जानकारी आप अपने नजदीक के सेना नियुक्ति कार्यालय/क्षेत्रीय नियुक्ति कार्यालय से हासिल कर सकते हैं । ये तथ्य सिर्फ सूचना भर के लिए है और इसमें बदलाव भी हो सकता है । अधिक जानकारी के लिए नियुक्ति से जुड़े कर्मचारियों से आप संपर्क करें । www.joinindianing.nic.in – e.mail : recruitingdirecolorade@vsna.net देखें ।

सूची

इतिहास

अध्याय	प्रसङ्ग	पृष्ठा
प्रथम	**भारत में कंपनी शासन की स्थापना**	१-१३
	◆ ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले भारत की राजनीतिक स्थिति	
	◆ व्यापारवाद और व्यापारिक संघर्ष	
	◆ भारतीय शासकों के साथ साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्ष	
	◆ शासन व्यवस्था	
द्वितीय	**भारत में अंग्रेज शासन का प्रभाव**	१४-२२
	◆ शिक्षा : नयी शिक्षा नीति (विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तकनीक शिक्षा)देशीय व्यवस्था में परिवर्तन और राष्ट्रीय शिक्षा का विकास	
	◆ नारी और सुधारात्मक आंदोलन : सतीप्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह और सुधारात्मक आंदोलन	
	◆ भारतीय नव जागरण : सामाजिक और धार्मिक सुधारात्मक आन्दोलन	
तृतीय	**अंग्रेज शासन का प्रतिरोध**	२३-३५
	◆ जयी राजगुरु	

अध्याय	प्रसङ्ग	पृष्ठा
	◆ ओड़िशा में पाइक विद्रोह (1817) और बक्सि जगबंधु की भूमिका	
	◆ ओड़िशा में आदिवासी विद्रोह : कंध, भूयाँ, कोल्ह और संताल	
	◆ 1857 की महान क्रांति के कारण और परिणाम।	
	◆ ओड़िशा की भूमिका - वीर सुरेन्द्र साय	
चतुर्थ	**ब्रिटिश आर्थिक नीति और भारत पर उसका प्रभाव**	३६-४०
	◆ कृषि और उद्योग पर प्रभाब	
	◆ घरेलू उद्योग की अधोगति	
	◆ बीसवीं सदी में भारत में आधुनिक उद्योग का विकाश	
पंचम	**भारत में राष्ट्रीयतावादी आंदोलन**	४१-४८
	◆ भारत में राष्ट्रीयतावाद के विकास के कारण	
	◆ भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस	
	◆ बंग भंग, स्वदेशी आन्दोलन	
षष्ठ	**अमेरिका और युरोप में राष्ट्रियतावादी आंदोलन और विद्रोह**	४९-६०
	◆ अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम	
	◆ फ्रांस की राष्ट्र क्रांति (1789)	
	◆ जर्मानी का एकीकरण और इटली का एककिरण	

राजनिती बिज्ञान

अध्याय	प्रसङ्ग	पृष्ठा
प्रथम	**केन्द्र सरकार**	६२-८५
	◆ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री लोकसभा, राज्यसभा, सर्बोच्च न्यायलय	
द्वितीय	**राज्य सरकार**	८६-१०३
	◆ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री विधान सभा और विधान परिषद, उच्च न्यायलय और निचली अदालतें	
	◆ केंन्द्र-राज्य का संबंध : व्यवस्थापिका, प्रशासनिक और वित्तीय संपर्क	
तृतीय	**जिला प्रशासन**	१०४-१०९
	◆ जिलाधीश की भूमिका, जिला ग्रामीण विकाश अधिकरण के भूमिका	
चतुर्थ	**भारत में राजनैतिक दल और प्रभावक समूह**	११०-११६
	◆ राष्ट्रिय और क्षेत्रीय राजनैतिक दल प्रभावक समूह : अर्थ और प्रकार	

❖❖❖

इतिहास

प्रथम अध्याय

भारत में कंपनी शासन की स्थापना

ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले भारत की राजनीतिक स्थिति :

भारत के राजनीतिक इतिहास में परिवर्त्तन एक निरंतर प्रक्रिया है । मध्ययुगीन राजनीतिक परिदृश्य में बाबर का आविर्भाव मुगल साम्राज्य के प्रतिष्ठापक के रूप में हुआ । औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी यह साम्राज्य लगभग डेढ़ सौ सालों तक टिका रहा । फिर राजनीतिक उथल - पुथल के चलते विशाल मुगल साम्राज्य टुकड़े - टुकड़े हो गये । अठारहवीं सदी के पूर्वाद्ध में मुगल साम्राज्य का पतन और विखंडन तथा उत्तरार्ध में पाश्चात्य शक्तियों का अभ्युदय हुआ । इसके साथ ही भारत में आधुनिक युग का उन्मेष होने लगा ।

मुगल सम्राट औरंगजेव के समय मरहट्ठा , सिक्ख और जाटों ने बगावत की थी । बगावत की आग को बुझाने और सान्ति कायम करने में असफल होकर औरंगजेब ने अपनी अंतिम सांस ली । उनके वारिस बड़े ही कमजोर और नालायक थे । उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर अमीरवर्ग अपनी -अपनी स्वार्थ - पूर्ति में जुट गये । आगे ये अमीर लोग दुरानी , ईरानी और हिन्दुस्तानी आदि गुट में बँट गये । इससे मुगल दरबार और कमजोर हो गया । इसीका उन्होंने खूब राजनीतिक फायदा उठाया । परिणाम यह हुआ कि केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गयी । प्रांतीय शासक खुद को आजाद घोषित करने के लिए तत्पर हो उठे ।

निजाम - उल - मुल्क की कोशिश से दक्षिण का सूबा आजाद हुआ । वे मुगल सेना में उच्चाधिकारी थे । उन्हें " कुली खां " की उपाधि मिली थी । मुगल बादशाहों द्वारा उनकी नियुक्ति दक्षिण में गवर्नर के रूप में हुई थी । गवर्नर बनने के बाद दक्षिण पर उन्होंने अपना दबदबा कायम किया । उनकी इस हरकत से मुगल सम्राट नाखुश हुए और हैदराबाद के शासक मुवारिज खां को दक्षिण भेजा । निजाम - उल - मुल्क ने मुवारिज खां की हत्या की । स्वयं ने " असफ जाह " की उपाधि ग्रहण की और स्वतंत्र होकर दक्षिणात्य पर शासन किया । उनकी मृत्यु के बाद यूरोपीय कंपनियाँ इस सूबे की राजनीति में अपना दखल देने लगीं ।

अयोध्या का सूबा अयोध्या , बनारस , इलाहाबाद और कानपुर को लेकर बना था , सादत खां इसके सूबेदार थे । उनके बाद सफदरजंग अयोध्या के शासक बने । आगे चलकर वे दिल्ली के वजीर (प्रधानमंत्री) हुए । उनके बाद उनका बेटा शुजाउदौला अयोध्या के नवाब बने । उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का गठन कर उत्तर भारत की राजनीति में अपनी साख बनायी ।

क्या आपको पता है ?

मुगल बादशाहों ने शासन क्षेत्र में कई पदवियाँ बनवाई थीं । वजीर , प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे । वित्त और राजस्व उनके हाथ में था । बादशाह की अनुपस्थिति में वे राजकाज सँभालते थे । बाकी मंत्रियों की नियुक्ति और उन्हें बरख्वास्त करने की क्षमता भी उनके पास सुरक्षित थी ।

आमतौर पर मुगल बादशाह प्रांतीय शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी दो तरह के कर्मचारियों के हाथों सौंपते थे । वे थे सूबेदार और दीवान । सुरक्षा , पुलिस और आपराधिक मामले की देखभाल सूबेदार करते थे और राजस्व संबंधी मामले दीवान की देखरेख में पूरे होते थे ।

दिल्ली के उत्तर में लाहौर और मुल्तान मुगलें के अधीन था । मुगल साम्राज्य में हमेशा अंदरूनी कलह लगा रहता था । इसी मौके का फायदा उठाकर पारस के राजा नादिर शाह ने 1739 ई. में भारत पर आक्रमण किया । लाहौर पर कब्जा करने के बाद वे दिल्ली की ओर बढ़ने लगे । पानीपथ से थोड़े दूर पर कर्नाल में मुगल सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की ।

पर नादिर शाह ने मुगल सेना को हराया और हारे हुए मुगल बादशाह मुहम्मद शाह को साथ ले दिल्ली जा पहुँचे । दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया । बड़े दिनों तक दिल्ली में लूटपाट की, कत्लयाम किये । फिर दिल्ली मरघट जैसे लगने लगी। आखिरकार दिल्ली की लूट करते हुए वे शाहजहाँ द्वारा बनवाये मयूर सिंहासन , कोहिनूर हीरा , हाथी और घोड़े आदि लेकर पारस वापस लौट गये।

(नादिर शाह)

क्या आपको पता है ?

शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन बनवाया था । हीरे, नीले , मोती , माणिक आदि से जड़े इस सिंहासन को बनवाने में एक लाख करोड़ रुपये खर्च हुए थे और इसे पूरा करने में सात साल लगे थे ।

अकबर के समय से राजपूत मुगल बादशाहों के बड़े समर्थक थे । पर औरंगजेब की धर्मविद्वेषनीति के चलते राजपूत मुगलों के दुश्मन बन गये। औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूतों ने मेवाड़ (उदयपुर), मारवाड़ (जोधपुर) और अंबर (जयपुर) नाम से अलग - अलग स्वतंत्र राज्य बनबाये । मारवाड़ के राजा अजित सिंह गुजरात और अजमेर के शासक बने । साथ ही आगरा की राजगद्दी भी सँभाली । उन्होंने दिल्ली, जयपुर, बनारस , मथुरा और उज्जैन में ज्योतिर्विज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण किया। राजपूतों ने मरहठों और जाटों से संपर्क बनाये रखा । इसके चलते उनके आगे की प्रगति रुक - सी गयी।

आपके लिए काम :

नादिर शाह किस रास्ते से होकर दिल्ली आ पहुँचे, उसका एक रेखांकित मानचित्र तैयार कीजिए ।

गुरु गोविन्द सिंह ने सिक्खों को इकट्ठा कर एक जुझारू दल बनाया । उनके बाद बांदा बहादुर ने सिक्खों का नेतृत्व किया । उनकी अगवाई में सिक्खों ने लाहौर को अपने अधिकार में कर लिया । झेलम से ले शतलेज तक फैले भूखंड पर अपना कब्जा किया ; पर कोई राज्य बनाने में समर्थ न हुए , सिक्खों के बारह संघ थे । हरेक संघ को " मिसल " कहा जाता था । अफगान के राजा अहम्मदशाह अब्दली ने इन मिसलों को नष्ट करने की कोशिश की पर नाकाम होकर अपने देश वापस लौट गये । अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में महाराज रणजित सिंह ने इन मिसलों को इकट्ठा कर एक शक्तिशाली साम्राज्य का गठन किया ।

क्या आपको पता है ?

सिक्ख सरदारों ने झेलम से ले शतलेज तक फैले भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित किया था। पर कोई राज्य बनाने में सक्षम नहीं हुए । सिक्खों के बारह संघ थे । प्रत्येक संघ " मिसल " के नाम से जाना जाता था ।

औरंगजेब के समय शिवाजी ने मरहठे ताकतों को इकट्ठे कर मरहठा साम्राज्य की नींव डाली । उनके बाद उनके बेटे शंभूजी की मुगलों ने हत्या की और शंभूजी के बेटे शाहूजी को बंदी बनाया । औरंगजेब के बाद मरहठे फिर एक बार ताकतबर हो उठे और शाहूजी को कैदखाने से छुड़ा लाने में सफल रहे । इसके बाद शिवाजी के दूसरे बेटे राजाराम को राजा बनाया गया । आगे राजगद्दी को लेकर राजाराम और शाहूजी के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया । पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से शाहूजी सिंहासन पर काबिज हुए । राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी बिधवा पत्नी ताराबाई ने अपने नाबालक पुत्र शिवाजी तृतीय को कोल्हापुर की राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं राज - प्रतिनिधि बनकर शासन करती रहीं। उनके नेतृत्व में मरहठा सेना ने बड़ी उमंग और उत्साह के साथ मुगल सेना के खिलाफ युद्ध किया था।

मरहठा राज्य की राजगद्दी के लिए ताराबाई और शाहूजी के बीच गृहयुद्ध जारी रहा । शाहूजी अपने भरोसेमंद पेशवा (प्रधानमंत्री) बालाजी विश्वनाथ की मदद से सिंहासन हासिल करने में समर्थ हुए । शाहूजी को नाम मात्र राजा बनाकर बालाजी खुद शासन करते रहे ।

उसी दिन से पेशवा का यह पद वंशानुगत हो गया । बालाजी के बाद बाजीराव प्रथम मरहठाओं के शासक बने । उनके बाद मरहठा ताकतें कमजोर पड़ने लगीं । अफगान के राजा अहम्मद शाह अब्दाली ने मरहठे राज्य पर चढ़ाई कर दी। आखिरकार 1761 ई. में तृतीय पानीपथ युद्ध में मरहठाओं की पराजय हुई। फिर मरहठा साम्राज्य - गठन की उम्मीदों पर पानी फिर गया ।

क्या आपको पता है ?

मरहठा शासक अपने राज्य शासन के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते थे । उन्हें पेशवा कहा जाता है । शासन और लोक - कल्याण कार्य की देखरेख उनकी जिम्मेदारी थी । प्रजाओं के लिए कोई निदेशनामा उनके दस्तखत से ही जारी किया जाता था ।

व्यापारवाद और व्यापारिक संघर्ष :

प्राचीन काल से भारत के साथ यूरोपीय देशों का ब्यापारिक कारोबार सड़कपथ और जलपथ के जरिए होता आ रहा था । अरब के व्यापारी भारत से सामान खरीद कर रोम के व्यापारियों को बेचते थे । रोम के व्यापारी उन्हें ऊँची दर पर पश्चिम यूरोप में बेचा करते थे । कांस्टैंटिनोपाल से होकर यूरोप के साथ हमारा व्यापारिक कारोबार था । तुर्कों ने 1453 ई. में कांस्टैंटिनोपाल पर अधिकार किया । इससे भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक कारोबार में बाधा आयी । परिणामस्वरूप यूरोप के देशों ने सीधा भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिश की । इससे पहले पुर्तगाली भारत में पहुँच चुके थे । पुर्तगालियों के आगमन से यूरोपीय जनता का यह उद्देश्य कुछ हद तक सफल हुआ था ।

क्या आपको पता है ?

कांस्टैंटिनोपाल (आधुनिक इस्तांबुल) तुर्की राज्य की प्राचीन शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का केंद्र था । मुसलमानों द्वारा स्थापित अटोयन साम्राज्य के सुल्तान मुहम्मद द्वितीय ने 1453 ई. में कांस्टैंटिनोपाल पर अधिकार किया। यूरोप में नवजागरण लाने में कांस्टैंटिनोपाल का पतन बहुत ही सहायक बना ।

पुर्तगाली - वास्को - द - गामा ने 1498 ई. में उत्तमाशा अंतरीप को पार करते हुए भारत के पश्चिम तट पर बसे कालीकट में आ पहुँचे। जमोरिन नाम से एक हिंदू राजा वहाँ शासन करते थे । वास्को - द - गामा जमोरिन के दरबार में पहुँचे । उन्होंने जमोरिन से पुर्तगालियों को व्यापार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया । उनके अनुरोध पर राजा ने पुर्तगालियों को व्यापार करने की अनुमति दी। इससे पुर्तगालियों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की । भारत के गोवा, दमन , दीयू, साल्सेट , बेसिन , बंबई (मुंबाई) और बंगाल के हुगली आदि स्थानों पर व्यापारिक कोठी का निर्माण कर पुर्तगालियों

(वास्को-द-गामा)

ने भारत में अपना उपनिवेश स्थापित किया । भारत में पुर्तगाली अधिकृत इलाके के गवर्नर के रूप में अलबुकर्स नियुक्त हुए । उन्होंने एक बडी नौ सेना का गठन कर पुर्तगालियों की शक्ति-सामर्थ्य का अहसास सबको कराया था।

सत्रहवीं सदी के पूर्वार्ध में पर्तुगालियों ने जलदस्यु बनकर दूसरे देश के व्यापारिक जलयानों की लूट की और अपने व्यापार का व्यापक प्रचार-प्रसार किया। भारतीयों को ईसाई धर्म में दीक्षित कर उसे देश भर में बढ़ावा दिया। इससे मुगल बादशाहों के साथ उनकी टकराहट हुई । अंग्रेज और डच या ओलंदाजों की ओर से उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा । इसके चलते उनकी सारी व्यापारिक कोठियाँ उनके हाथ से निकल गयीं । सन् 1961 तक गोवा, दमन, दीयू उनके कब्जे में था । उसी साल भारत सरकार ने उन्हीं इलाकों पर अपना कब्जा बना लिया , जिससे पुर्तगालियों का उपनिवेश सदा के लिए भारत से लोप हो गया ।

क्या आपको पता है ?

उपनिवेश स्थापन से तात्पर्य दूसरे देश में निवास बनाना। व्यापार के प्रसार के लिए व्यापार कोठी का निर्माण करना । साथ ही साथ साम्राज्य को बढ़ाते रहना ।

ओलंदाज : सोलहवीं सदी के उत्तरार्ध में हॉलैंड (अभी का नीदरलैंड) के निवासी डच या ओलंदाजों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास किया । इस सिलसिले में उन्होंने अपने देश से नौयात्रा प्रारंभ की । 1602 ई. में उन्होंने डच ईस्टइंडिया कंपनी की स्थापना की । भारत में आने के बाद उन्हें पुर्तगालियों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा । उन्होंने पुर्तगालियों के साथ युद्ध किया और उनकी कई व्यापारिक कोठियाँ अपने अख्तियार में ले लीं । फिर उन्होंने गुजरात, करमंडल के तटीयक्षेत्र, बंग देश, बालेश्वर और कोचिन आदि स्थानों पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कीं । भारत में अपने मनमाने ढ़ंग से व्यापार कर साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश में लगे ही थे कि अंग्रेजों से उनकी ठन गयी । अंत में अंग्रेजों से हार कर भारत को सदा के लिए अलविदा कह दिया और व्यापार करने इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा में जा बसे।

दिनामार : ओड़िआ में डेनमार्क के निवासी डैनिशों को "दिनामार" कहा जाता है । एक कंपनी बनाकर वे भारत में व्यापार करने आये थे । बंगाल के श्रीरामपुर में उन्होंने व्यापार - कोठी की स्थापना की थी । कालांतर में अंग्रेजों को उनकी वह कोठी बेचकर वे भारत से चले गये ।

ब्रिटिश ईस्टइंडिया कंपनी : - इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के राजत्व काल के अंतिम चरण में इंग्लैंड के कुछ व्यापारी और नाविकों ने प्राच्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए रानी से अनुमति माँगी । रानी ने 1600 ई. में उनके इस प्रार्थना - पत्र को मंजूरी दी । साथ ही प्राच्य देशों के साथ व्यापार करने एक सनंद भी प्रदान किया । रानी से सनंद हासिल करनेवाली कंपनी आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से परिचित हुई । इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने 1609 ई. में कैप्टन हॉकिन्स को जहांगीर के दरबार में भेजा था । हॉकिन्स के अनुरोध पर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी बस्ती बनाने का हुकमनामा दिया । इसके कुछ दिन बाद इंग्लैंड के राजदूत सर टॉयस रो 1615 ई. में जहांगीर के दरबार में आये । उन्होंने जहांगीर के साथ बहुत ही करीब रिश्ता बना लिया । नतीजा व्यापार की सुविधा के लिए कोठी निर्माण का अधिकार बड़ी आसानी से प्राप्त किया । इससे अंग्रेजी कंपनी ने भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर और देश के दूर दराज इलाकों में अपनी व्यवसायिक कोठियाँ बनबायीं। इनमें मछलीपटनम्, महानदी के मुहाने पर बसा हरिपुर, बालेश्वर, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि प्रमुख हैं । मद्रास (चेन्नई), बंबई (मुंबई) और कलकत्ता (कोलकाता) अंग्रेजों का प्रमुख व्यापार केंद्र था । अंग्रेजों ने 1639 ई. में मद्रास में **फोर्टसेंटजॉर्ज** का निर्माण किया।

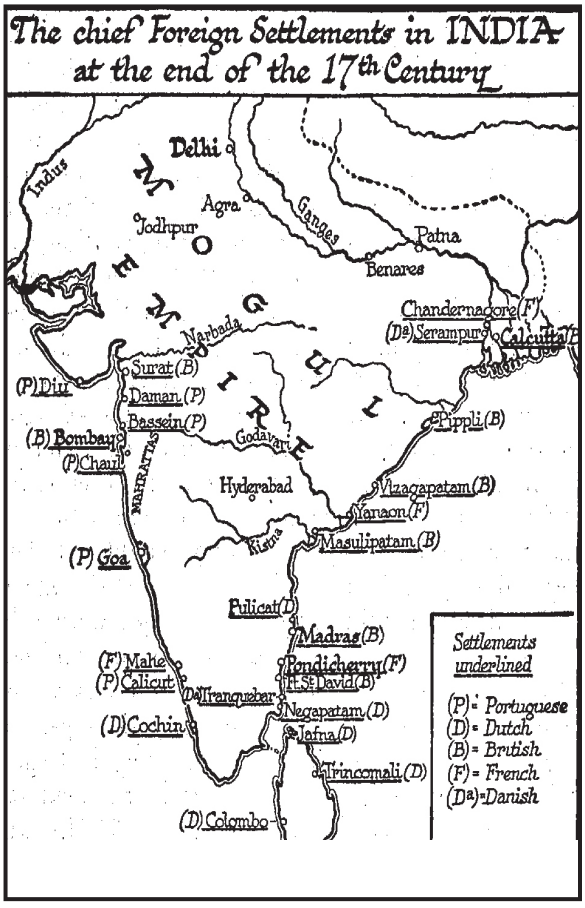

जो अब तमिलनाडु के चैन्नई में है । बंबई पहले पुर्तगालियों के अधीन था । उसे पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया । राजा चार्ल्स द्वितीय ने आगे चलकर इसे ईस्टइंडिया कंपनी को सौंपा । फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ई. में यहाँ एक व्यापार की कोठी बनवायी । 1690 ई. में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की हुगली नदी के किनारे "फोर्ट बिलियम किला" का निर्माण किया । कंपनी ने मुगल बादशाहों को प्रभावित कर, अंग्रेज कर्मचारियों को रिश्वत देकर सूतानटी, कोलकता और गोविन्दपुर आदि गाँव की जमींदारी हासिल की ।

आपके लिए काम :
यूरोप मानचित्र में इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और डेनमार्क आदि देशों और उनकी राजधानी पर निशान लगाइए ।

फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी : फ्रांस के सम्राट लूई चौदहवें के मंत्री कोलबर्ट के संरक्षण में 1664 ई. में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ । मुगल बादशाह औरंगजेब से अनुमति लेकर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में वाणिज्य कोठी का निर्माण किया । फ्रांकोएमार्टिन नामक फ्रांसीसी आदमी ने बीजीपुर के राजा से पांडिचेरी (पुदुचेरी) हासिल की । उन्होंने वहाँ यूरोपीय सैन्य तथा पाँच सौ भारतीयों को पाश्चात्य ढंग से युद्ध - कौशल सिखाया। पंडिचेरी (पुदुचेरी) का उपयोग आगे चलकर फ्रांसीसियों के द्वारा सामरिक शिविर के रूप में होने लगा । उसके बाद फ्रांस के प्रवीण राजनीतिज्ञ डूप्ले चंदननगर के शासक नियुक्त हुए । उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों को हराने से ही भारत में साम्राज्य स्थापित करना संभव होगा । इसके चलते अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गयी ।

(डूप्ले)

व्यापारी गुटों में लड़ाई : भारत में व्यापार करना और साम्राज्य बढ़ना, इन्हीं बातों को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों में लड़ाई का सूत्रपात हुआ। यह लड़ाई कर्नाटक से शुरू हुई थी । तमिलनाडु के मद्रास (चेन्नई) में अंग्रेजों का और पंडिचेरी (पुदुचेरी) में फ्रांसीसियों का वाणिज्य किला था। दक्षिण में दोनों अपने - अपने प्रभाव जताने की कोशिश में लगे रहे, और अंत में दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया।

प्रथम कर्नाटक युद्ध (1740-1748) - ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में युद्ध हुआ था । इस युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक - दूसरे के खिलाफ लड़े थे । उसका प्रभाव भारत में देखने को मिला ।

सबसे पहले अंग्रेजो ने फ्रांसीसियों के पंडिचेरी (पुदुचेरी) किले पर आक्रमण किया । इसके जवाब में डूप्ले ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लेकर अंग्रेजों को खदेड़ दिया । उनके मद्रास (चैन्नई) किले पर अपना कब्जा कर लिया । ठीक इसी समय यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच शांति समझौता हुआ। इसी समझौते के चलते भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों का युद्ध समाप्त हुआ । मजबूर होकर डूप्ले ने अंग्रेजों का उनका मद्रास (चेन्नई) वापस कर दिया ।

द्वितीय कर्नाटक युद्ध (1750 -1754) - शांति समझौते के अनुसार भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच दुश्मनी खत्म हो चुकी थी । पर हैदराबाद और कर्नाटक के नावाब पद को लेकर दोनों में एक बार फिर ठन गयी। कर्नाटक के नवाब के लिए अंग्रेज अनवर का समर्थन कर रहे थे और फ्रांसीसी चंदा साहब का। इस बात को लेकर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में अनवरउद्दीन परास्त होकर निहत हुए । चंदासाहब कर्नाटक के नवाब बने । इधर हैदराबाद की गद्दी को लेकर निजाय के बेटे नासिरजंग और नाती मुजाफरजंग के बीच झगड़ा चल रहा था । अंग्रेज जासिरजंग का और फ्रांसीसी मुजाफरजंग का समर्थन कर एक - दूसरे के खिलाफ युद्ध में कूद पड़े । फ्रांसीसी गवर्नर डूप्ले की साजिश से नासिरजंग परास्त हुए और निहत भी । मुजाफरजंग हैदराबाद के निजाम बने ।

इससे भारत में फ्रांसीसियों की ताकत बढ़ने लगी । अंग्रेजों की ताकत घटती गयी । इसी समय एक चतुर , बुद्धिमान अंग्रेज युवक क्लाइव ने अंग्रेज सेना का नेतृत्व लिया । क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने कर्नाटक की राजधानी आर्कट को अपने अधिकार में ले लिया । अनवरउद्दीन के बेटे मुहम्मद अल्ली को कर्नाटक का नवाब बनाया । क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों का प्रभाव फिर से बढ़ने लगा । इसी समय फ्रांस की सरकार ने डूप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया । भारत से डूप्ले के जाने के बाद फ्रांसीसी ताकतें दिनोंदिन निरंतर घटती चली गयीं ।

(क्लाइव)

तृतीय कर्नाटक युद्ध (1758) :- सन् 1756 में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ । इसकी प्रतिक्रिया भारत में दिखाई पड़ी । अंग्रेज सेनाध्यक्ष क्लाइव ने 1757 ई. में फ्रांसीसी वाणिज्य - कोठी चंदन नगर पर अधिकार किया । फ्रांस सरकार ने युद्ध को सही गति देने काउंट डी लाली को भारत भेजा । काउंट डी लाली ने 1758 ई. में सेंट डेविड किले को अपने अधिकार में ले लिया । 1760 ई. में हुए युद्ध में अंग्रेज सेनापति अयार कूट वैंडिवास ने डी लाली को हराया । उसके बाद पांडिचेरी और माहे पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया । दक्षिण में अंग्रेजों की ताकत बढ़ते लगी । 1763 ई. में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई । उसके बाद फ्रांसीसियों को संधि के मुताबिक उनका उपनिवेश वापस मिला । इस कर्नाटक युद्ध के बाद अंग्रेज अधिक ताकतवर हो उठे । फिर बंगाल में अपनी साख बनाने की कोशिश की ।

साम्राज्य विस्तार के लिए भारतीय शासकों से युद्ध : - अलीवर्दी खां ने 1740 ई. में स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया । 1740 ई. से 1756 ई. तक वे बंगाल , बिहार और ओड़िशा के शासक रहे । यूरोपीय व्यापारियों को अपने कब्जे में रखने में वे सफल हुए । अपने राज्य में शांति बहाल करने की कोशिश में लगे ही थे कि अप्रैल 1756 को उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके नाती सिराजउदौला बंगाल के नवाब बने । नवाब होने के बाद उनके सगेसंबंधियों ने उनसे दुश्मनी निभायी । सिराज ने अपनी बुद्धि से उन्हें परास्त कर अपने वश में कर लिया। पर अंग्रेजों की उदंडता उनके लिए असह्य थी । अंग्रेज उनकी अनुमति के बिना कोलकते में किला बनवाने और बढ़ाने का काम करते रहे। अपनी व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया । सिराज ने किला न बनाने का आदेश दिया । पर अंग्रेजों ने उनके इस आदेश को नजरअंदाज कर दिया, जिससे 1757 ई. में सिराज ने कलकते (कोलकाता) पर आक्रमण किया । सिराज के इस आक्रमण के डर से अंग्रेज गवर्नर ड्रेक -व - ड्रेक तथा उनके अनुयायी नदी पार कर भाग खड़े हुए । ड्रेक - व ड्रेक के बदले हल्वेल और उनके साथियों को बंदी बनाकर एक कोठरी में रखा। उस कोठरी में दम घुटने के कारण कई बंदियों की मौत हुई । इसी का नाम ही काल कोठरी घटना है ।

(सिराजउदौला)

क्या आपको पता है ?

25 जून 1756 को सिराजउदौला ने फोर्टबिलियम किले के अंदर 18 फीट लंबाई और 14 फीट 10 इंच चौड़ाई वाली एक अंधेरी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर रखा । तेज गरमी और प्यास के मारे दम घुटने के कारण उनमें से 123 लोगों की मृत्यु हुई । इसे अंग्रेजों ने "काल कोठरी घटना" का नाम दे डाला ।

सिराज ने कलकते पर अधिकार कर लिया। यह खबर मिलते ही क्वाइव और अंग्रेज सेनापति वाचसन मद्रास से कलकत्ता (कोलकाता) आ पहुँचे। कलकता (कोलकाता) पहुँच कर क्लाइव ने चंदन नगर को अपने कब्जे में ले लिया। सिराज के साथ समझौता किया । इस समझौते के चलते अंग्रेजों को कलकते में किला बनवाने की अनुमति मिली । सिराजउदौला के सेनापति मीरजाफर और राय दुर्लभ ने सिराज को सिंहासन से हटाने की साजिश रची । इस साजिश में क्लाइव भी शामिल हुए । क्लाइव ने सिराज को हटाकर मीरजाफर को नवाब बनाने का वादया किया।

प्लासी का युद्ध :- अंग्रेज और सिराजउदौला के बीच हुए समझौते का सिराज नजरअंदाज कर रहे हैं । क्लाइव ने सिराज पर ऐसा आरोप लगाया । फिर उनके खिलाफ युद्ध का एलान किया । भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर 23 जून 1757 को सिराज और क्लाइव के बीच युद्ध शुरू हुआ । युद्ध भूमि में मीरजाफर और रायदुर्लभ ने सिराज को धोखा दिया । वे युद्ध न करके चुपचाप दर्शक बने रहे । इस युद्ध में सिराज हार गये । अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर मुर्शिदाबाद में रखा । मीरजाफर के बेटे मीरन ने बंदी गृह में सिराज की हत्या की । यह युद्ध प्लासी में हुआ था, इसलिए इसका नाम प्लासी का युद्ध पड़ा । इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीरजाफर को बंगाल का नवाब बनाया ।

मीरजाफर :- नवाब बनने के बाद मीरजाफर ने

(मीरजाफर)

क्लाइव और अन्य अंग्रेज कर्मचारियों को ढ़ेर सारे रुपये दिये। चौबीस प्रगणा इलाके की जमीदारी अंग्रेजों को दी। कंपनी के कर्मचारियों को खुश रखने उन्हें बार बार पैसा देना पड़ता था। इससे इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। नौबत यहाँ तक आयी कि सैनिकों को वेतन देने में वे असमर्थ हुए । इसी समय क्लाइव इंग्लैंड वापस चले गये । उनके जाने के बाद अंग्रेज कर्मचारी और अधिक अनुशासनहीन हो उठे । अधिक पैसे कमाने की लालच में उन्होंने मीरजाफर को सिंहासन से हटाकर मीरकासिम को नवाब बनाया।

मीरकासिम : - नवाब बनने के बाद मीरकासिम स्वतंत्र रूप से शासन करने का निर्णय लिया । इसीलिए अंग्रेजों से दूर रहकर शासन करने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले लिया । शासन कार्य से कुछ कर्मचारियों की छँटनी की । उस समय तक केवल भारतीय व्यापारी व्यापार शुल्क दे रहे थे, पर कंपनी के व्यापारियों को इस शुल्क से छूट मिलती थी । मीरकासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी यह छूट दी । इससे अंग्रेजों के व्यापार में बाधा आयी । इसलिए अंग्रेजों ने मीरकासिम को नवाब पद से बरख्वास्त करने उनके साथ युद्ध किया । युद्ध में मीरकासिम परास्त हुए और अयोध्या के नवाब की शरण में चले गये ।

अयोध्या के नवाब शुजाउदौला ने मीरकासिम की मदद करने का वचन दिया । मुगल बादशाह शाहअलाम भी मीरकासिम की मदद करने आगे आये । फलस्वरूप मुगल बादशाह शाहअलाम, अयोध्या के नवाब शुजाउदौला और मीरकासिम तीनों मिल कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हुए ।

बक्सर का युद्ध :- बंगाल के नवाब मीरकासिम, अयोध्या के नवाब शुजाउदौला और मुगल बादशाह शाहअलम ने मिलकर 1764 ई. में अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर में युद्ध किया । यह युद्ध बक्सर युद्ध के नाम से जाना जाता है । इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। शुजाउदौला ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिये । अंग्रेजों ने उन्हें बाइज्जत अयोध्या का नवाब बनाया । भारतीय शासकों की सम्मिलित त्रिशक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की सामरिक शक्ति के हाथों पराजित हुई । इससे भारत में कंपनी का शासन और सुदृढ़ होता गया ।

इधर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन कार्य में अनुशासनहीनता दिखाई दी । कंपनी को अनुशासित करने फिर एक बार क्लाइव को बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति दी गयी। 1765 ई. में क्लाइव ने गवर्नर का कार्यभार संभाला। पहले उन्हें बाहरी और भीतरी समस्याओं का सामना करना पड़ा । क्लाइव ने सबसे पहले काउंसिल की सदस्यों की एजेंसी - प्रथा रद्द की । काउंसिल के सदस्य या कर्मचारी किसी तरह की कोई सुविधा या उपहार ग्रहण नहीं कर सकते - ऐसा कानून बनाया । कर्मचारियों के अवैध कारोबार को बंद करवा दिया। जिस प्रथा के अनुसार सेना के कर्मचारियों को भत्ता मिलता था, उसमें संशोधन किया गया ।

बक्सर - युद्ध के बाद 1765 ई. में क्लाइव ने शुजाउदौला के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए । इस समझौते के अनुसार अयोध्या के नवाब ने कोटा तथा इलाहाबाद को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों सौंप दिया । युद्ध की क्षतिपूर्त्ति के बाबत पचास लाख रुपये देने को राजी हुए । अपनी सुरक्षा के लिए अपने खरचे से नवाब को अपने राज्य में अंग्रेज सेना को रखना पड़ा । इससे अयोध्या में अंग्रेजों का बर्चस्व बढ़ने लगा । समझौते के मुताबिक क्लाइव ने मुगल बादशाह शाहअलाम से बंगाल , बिहार और ओड़िशा की दिवानी हासिल की। इससे इन इलाकों की राजस्व - वसूली की जिम्मेदारी कंपनी ने अपने हाथ में ले ली ।

द्वैध शासन :- बक्सर - युद्ध के बाद अंग्रेज वास्तव में बंगाल के शासक बने । क्लाइव ने बंगाल की शासन - व्यवस्था को दो भाग में बाँट दिया। बंगाल के नवाब के पास शासन और न्याय की क्षमता रही । कंपनी को सेना तथा राजस्व वसूली की जिम्मेदारी सौंप दी गयी। इसी शासन व्यवस्था का नाम द्वैध शासन है । इस द्वैध शासन से शासन में अव्यवस्था दिखाई देने लगी । प्रजाओं की पीड़ा और अधिक हुई । इसके साथ बंगाल में अकाल पड़ा । इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई । इसके चलते 1771 ई. में द्वैध शासन पद्धति को वापस ले लिया गया ।

प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की ताकत बढ़ने लगी । वे भारत के दूसरे इलाको में अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए तत्पर हो उठे । उन्होंने दक्षिण में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की ।

प्रथम मैसूर युद्ध :- दक्षिण में मैसूर एक स्वाधीन राज्य था । 1761 ई. में हैदरअल्ली इसके शासक थे । उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों पर अधिकार करने की कोशिश की । इससे मराठा और हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों के साथ मिलकर 1767 ई. में हैदरअल्ली के खिलाफ युद्ध का एलान किया । इस युद्ध में हैदरअल्ली ने सम्मिलित सेना को परास्त किया । इससे मजबूर होकर अंग्रेजों ने 1769 ई. में हैदरअल्ली के साथ समझौता किया। इस समझौते में युद्ध के समय एक - दूसरे की सहायता की बात कही गयी ।

(हैदरअल्ली)

द्वितीय मैसूर युद्ध - समझौते की शर्तों को ताक पर रखकर अंग्रेजों ने हैदरअल्ली की कोई मदद नहीं की । लेकिन जब हैदरअल्ली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया तब उस वक्त इंग्लैंड के कर्नल बेरिं ने अंग्रेज सेना को लेकर उनका प्रतिरोध किया ।

हैदर के बेटे टीपू सुल्तान ने कर्नल बेरिं को परास्त किया । फिर आर्कट को अपने कब्जे में ले लिया। हैदरअल्ली के राज्य में स्थित फ्रांसीसियों की वाणिज्य कोठी को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में लिया। इससे हैदरअल्ली और अंग्रेजों के बीच युद्ध का सूत्रपात्र हुआ । युद्ध चल ही रहा था कि 1782 ई. में

(टीपू सुल्तान)

हैदरअल्ली की मृत्यु हुई । लेकिन उनके बाद उनके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा । टीपू ने अंग्रेज सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूस और उनके सैनिकों को बंदी बना लिया । उसके बाद अंग्रेज और टीपू के बीच शांति समझौता हुआ । इस समझौते के अनुसार दोनों को युद्ध में खोये हुए अपने - अपने राज्य वापस मिले।

तृतीय मैसूर युद्ध :- टीपू सुल्तान की बढ़ती ताकत को देख निजाम और मराठाओं ने डर के मारे अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया । 1790 ई. में टीपू ने अंग्रेजों के मित्र राज्य त्रिवांगुड पर आक्रमण किया। इससे अंग्रेजों ने टीपू के खिलाफ युद्ध का एलान किया । कार्नवालिस ने सेना की टुकड़ी लेकर टीपू की राजधानी श्रीरंगा पट्टनम् पर कब्जा कर लिया । फिर मजबूरन टीपू को अंग्रेजों के साथ समझौता करना पड़ा । इसी समझौते को श्रीरंगा पट्टनम् समझौता कहा गया । इस समझौते के मुताबिक टीपू ने अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेज , निजाम और मराठाओं को छोड़ दिया ।

चतुर्थ मैसूर युद्ध : - अपनी पराजय का बदला लेने टीपू ने अपनी सेना को फ्रांसीसियों द्वारा तालिम दिलवाकर और अधिक ताकतवर बनाया। अंग्रेज गवर्नर वेलजली ने 1799 ई. में मराठा और निजाम से मिलकर फिर एक बार टीपू के राज्य पर चढ़ाई कर दी । टीपू ने हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी । पर 1799 ई. में टीपू युद्ध में मारे गये । उसके बाद मैसूर राज्य तीन टुकड़े में बँट गया । दक्षिण और पश्चिम जिलों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। उत्तर-पूर्व के कुछ जिले निजाम के राज्य के हिस्से बने । उत्तर-पश्चिम भू-भाग के कुछ हिस्से मराठाओं को मिले । इसके बाद अंग्रेजों ने भारत के दूसरे हिस्से को जीत कर साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास किया ।

क्या आपको पता है ?

टीपू सुल्तान एक स्वतंत्र - चेता वीरपुरुष थे । इसके साथ सुशासक और प्रखर राजनीतिज्ञ भी । उनकी अनन्य वीरता और साहसिकता के लिए उन्हें "मैसूर का शेर" कहा जाता है ।

अंग्रेजों ने मराठाओं की ताकत देखी । फिर उनके अंत: कलह का फायदा उठाया । मराठा गायकवाड़, भौंसला, सिंधिया और होलकार आदि वंश के नाम पर आपस में झगड़ रहे थे । अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाकर मराठाओं से युद्ध किया और मराठा ताकतों को नष्ट कर दिया।

सहायक संधि :- भारतीय राज्यों पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ाने से वेलजली ने एक नियम बनाया । उसे "सहायक संधि" या "अधीनतामूलक मित्रता" कहते हैं । इस संधि की शर्तों के मुताबिक जिन रियासतों के राजा इसे स्वीकार करेंगे, वे अंग्रेजों के मित्र बनकर उनकी अधीनता स्वीकार करेंगे । अंग्रेजों की अनुमति के बिना वे किसी देशी या विदेशी ताकतों के साथ अपना संबंध नहीं बना सकते । सहायक संधि स्वीकार करनेवाले राज्य अपने खरचे से अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी अपने राज्य में रखेंगे । यदि वे सेना का खरचा उठाने में असमर्थ बनेंगे तो अपने राज्य का एक हिस्सा अंग्रेजों को देंगे ।

आपके लिए काम : टीपू सुल्तान की वीरता और हिम्मत के बारे में अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ कर जानकारी हासिल करो ।

सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने इस संधि को स्वीकार किया । उसके बाद अयोध्या के नवाब ने इस संधि को स्वीकार कर अपने राज्य का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को दिया । फिर भौंसला और सिंधिया ने इसे स्वीकार किया और अपने राज्य का एक - एक हिस्सा अंग्रेजों के हवाले किया । उसके बाद तांजोर, सूरत और राजपूतना के जोधपुर, जयपुर और उदयपुर

आदि राज्यों के राजाओं ने सहायक संधि स्वीकार की । इससे उन्होंने अपनी - अपनी स्वतंत्रता खोयी ।

व्यपगत का सिद्धांत :- भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक विस्तारवादी शासक थे । भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य बढ़ाने उन्होंने एक नयी नीति अपनायी । यह व्यपगत का सिद्धांत कहलाता है । पहले यदि किसी रियासत के राजा नि:संतान थे तो वे "दत्तक पुत्र" ग्रहण करते थे । राजा की मृत्यु के बाद यही दत्तक पुत्र उनका उत्तराधिकारी बनता था । किंतु इस नयी नीति में कोई भी नि:संतान राजा दत्तक पुत्र न ग्रहण कर सके, ऐसी व्यवस्था की गयी । इस नीति के अनुसार उनकी मृत्यु के बाद उनका राज्य अंग्रेज साम्राज्य में मिल जाएगा । इस नीति के कारण सतरा, झाँसी, नागपुर, संबलपुर, जैतपुर आदि रियासतें अंग्रेज साम्राज्य में विलीन हुईं।

शासन व्यवस्था :-

रेग्युलेटिंग एक्ट (1773) अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करने के साथ - साथ भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाया । फिर अपने मनमाने ढंग से शासन करती रही । यह बात ब्रिटिश पार्लियामेंट के गले नहीं उतरी । 1773 ई. में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लार्ड नार्थ ने भारत में चल रहे कंपनी - शासन पर नियंत्रण बनाये रखने पार्लियामेंट में एक कानून पारित किया । इसे रेग्यूलेटिंग एक्ट या नियामक कानून कहते हैं। इस कानून में यह प्रावधान रहा कि बंगाल के गवर्नर सभी अंग्रेज शासित प्रदेशों के गवर्नर जनरल होंगे । बंबई और मद्रास के गवर्नर उनके अधीन काम करेंगे । शासन कार्य में गवर्नर जनरल की सहायता करने चार सदस्यों की एक परिषद या काउंसिल बनेगी । प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल पाँच साल का होगा । इस कानून के मुताबिक अंग्रेज कर्मचारियों की गलती पर विचार करने कलकते (कोलकत्ते) में सुप्रिम कोर्ट की स्थापना की गयी । साथ ही भारत शासन की सारी जानकरी ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताने के लिए कंपनी को बाध्य किया गया ।

क्या आपको पता है ?

प्राचीन नाम	परिवर्तित नाम
पूना	पुणे
त्रिवेंद्रम	तिरुअनंतपुरम
कोचीन	कोची
बांगालोर	बेंगलुरु

पिट का भारत अधिनियम (1784) :- रेग्युलेटिंग एक्ट में कुछ कमियाँ रह गयी थीं । उसका फायदा उठाकर वारेन हेस्टिंग्स ने मनमाने ढ़ंग से भारत में शासन किया । बहुत से गैर कानूनी काम करते रहे। रेग्युलेटिंग एक्ट में रही कमियों को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री विलियम पिट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नया कानून पारित किया । उसे पिट का भारत अधिनियम कहा जाता है । इस कानून के अनुसार विलायत में "बोर्ड ऑफ कंट्रेल" या नियंत्रण परिषद का गठन हुआ । बिलायत की मंत्री परिषद से किसी मंत्री को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया । इस बोर्ड के पास सारी क्षमता केंद्रीभूत रही । गवर्नर जनरल की क्षमता बढ़ा दी गयी । शासन कार्य में उन्हें सलाह देने के लिए एक सभा का गठन हुआ । बंबई और मद्रास के गवर्नर पर गवर्नर जनरल का पूर्ण नियंत्रण रहा । सुप्रिमकोर्ट की क्षमता स्पष्ट कर दी गई । इस कानून से अंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में रख सकी ।

इस तरह एक ही सदी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था से भारत के शासक बनने में सफल हुई।

आपके लिए काम :-

ब्रिटिश राज में अभी के पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश आदि किस नाम से परिचित थे, उसकी जानकारी प्राप्त करो।

हमने क्या सीखा ?

- मुगल साम्राज्य के पतन से पाश्चात्य शक्तियों का अभ्युत्थान ।
- नादिरशाह का भारत पर आक्रमण और लूट ।
- तृतीय पानीपत युद्ध में मराठाओं की हार और साम्राज्य गठन की उम्मीदों पर पानी फिरा ।
- भारत में कंपनी शासन की नींव पड़ी ।
- वास्को - द - गामा द्वारा जलपथ की खोज और इससे नौवाणिज्य का मार्ग खुला ।
- धीरे - धीरे पुर्तगाली , ओलंदाज (डच) , डैनिश , अंग्रेज और फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना ।
- फ्रांस के फ्रांको ए मार्टिन और डूप्ले द्वारा क्रमश: पांडिचेरी और चंदन नगर पर अधिकार ।
- सिराजउदौला की रणनीति और काल कोठरी की घटना।
- सेनाध्यक्ष मीरजाफर और राय दुर्लभ का सिराजउदौला से विश्वासघात ।
- टीपू सुलतान की असाधारण वीरता और साहसिकता ।

प्रश्नावली

1. सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग पचहत्तर शब्दों में लिखिए ।

(क) नादिरशाह ने कब और क्यों भारत पर आक्रमण किया था ? उनके आक्रमण से भारत में कैसी परिस्थिति बनी ? वे भारत से अपने साथ क्या - क्या ले गये ?

(ख) पुर्तगालियों के भारत आगमन और वाणिज्य - कोठी की स्थापना पर अपने विचार रखें ।

(ग) फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर सकी ?

(घ) द्वितीय कर्नाटक युद्ध पर टिप्पणी लिखो ।

(ङ) मीरकासिम कैसे बंगाल के नवाब बने और किन कारणों से अंग्रेजों ने उन्हें नवाब पद से बरख्वास्त करना चाहा ?

(च) सहायक संधि क्यों लागू की गयी थी ? इसकी शर्तें क्या थीं और किन्होंने इस संधि को स्वीकार किया था ?

(छ) किसने व्यपगत का सिद्धांत लागू किया था ? इसमें क्या व्यवस्था थी और किन राज्यों को इससे नुकसान भुगतना पड़ा ?

(ज) " पिट का भारत अधिनियम " के बारे में टिप्पणी लिखो ।

2. सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग बीस शब्दों में लिखिए ।

(क) अमीर किन - किन गुटों में बँटे हुए थे ? वे क्या - क्या फायदा हासिल कर रहे थे ?

(ख) जोधपुर के राजा अजित सिंह किन - किन राज्य के शासक थे ? उन्होंने किस इलाके का शासन भार सँभाला था ?

(ग) पुर्तगालियों की वाणिज्य - कोठियाँ कहाँ -कहाँ थीं ? 1961 ई. तक किन - किन कोठियों पर उनका अधिकार था ?

(घ) अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने कहाँ - कहाँ व्यापार किले का निर्माण करवाया था ?

(ङ) अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई ? उनके बाद कौन बंगाल के शासक बने ?

(च) कौन प्लासी के युद्ध में हारे ? उन्हें कहाँ बंदी बनाकर रखा गया ?

(छ) किस कानून से ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में रख सका ? किस कानून की कमियों को दूर करने इसे लागू किया गया था ?

(ज) किस युद्ध में टीपू सुल्तान निहत हुए ? उनके बाद मैसूर राज्य की क्या स्थिति हुई ?

3. रिक्त स्थान भरिए ।

(क) निजाम - उल- मुल्क ने _____ के गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए थे ?

(ख) _____ ने मयूर सिंहासन बनवाये थे ।

(ग) शाहूजी को _____ ने बंदी बनवाये थे ।

(घ) 1615 ई. में _____ इंग्लैंड के राजदूत बनकर भारत आये थे ।

(ङ) _____ ने पांडिचेरी में सामरिक शिविर की स्थापना की थी ।

(च) अंग्रेज सेनाध्यक्ष _____ ने फ्रांसीसियों की व्यापार कोठी चंदननगर पर अधिकार किया था ।

(छ) "काल कोठरी घटना " _____ द्वारा हुई थी ।

(ज) बक्सर के युद्ध के बाद शुजाउदौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी को _____ और _____ सौंपा ।

(झ) हैदरअल्ली _____ ई में मैसूर के शासक बने ।

(ञ) वेलजली ने _____ नीति को लागू किया था ।

4. रेखांकित शब्दों को बिना परिवर्तन किये त्रुटियाँ सुधारो ।

(क) टीपू सुल्तान ने कर्नल बेरिं को परास्त कर श्रीरंगापटनम् पर अधिकार किया था ।

(ख) रेग्युलेटिंग एक्ट भारत पार्लियामेंट में पारित हुआ था ।

(ग) नादिरशाह को मुगल सेना ने लाहौर में प्रतिरोध किया था ।

(घ) फोर्ट सेंट जॉर्ज कलकते में है ।

(ङ) मुगल शासन काल में वजीर पद राजस्व असूली करनेवालों के लिए था ।

5. " क " स्तंभ के साथ " ख " स्तंभ का मिलान कीजिए :

" क "	" ख "
ताराबाई	पारस के शासक
एलिजाबेथ	सेनापति
डूप्ले	कोल्हापुर की रानी
नादिरशाह	इंग्लैंड की रानी

6. निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनकर लिखिए ।

(क) "कुलि खां" की उपाधि किसे मिली थी ?

(i) नादिर शाह (ii) निजाम - उल - मुल्क

(iii)सादत खां (iv) चैगिंज खां

(ख) सिक्खों के कितने संघ थे ?

(i)11 (ii) 12

(iii)13 (iv) 14

(ग) प्रथम कर्नाटक युद्ध की समयावधि कब से कब तक की है ?

(i)1740 - 1748 (ii) 1750 - 1754

(iii)1758 - 1760 (iv) 1757 - 1760

(घ) "मैसूर का शेर" नाम से कौन परिचित है ?

(i) रॉवट क्लाइव (ii) हैदरअल्ली

(iii) टीपू सुल्तान (iv) कर्नवालिस

7. कोष्ठक में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए ।

(क) भारत की खोज _____ ने की थी ।

(वास्को - द - गामा , आल बुकार्क , कोलंबस , कैप्टेन कूक)

(ख) प्लासी के युद्ध में _____ के विश्वासघात से सिराजउदौला हारे ।

(मीर कासिम , मीरजाफर , शुजाउदौला , शाह अलाम)

(ग) टीपू सुल्तान _____ ई. में मारे गये ।

(1790 , 1761 , 1799, 1800)

•

द्वितीय अध्याय

भारत में अंग्रेज शासन का प्रभाव

बंगाल के नवाब सिराजउदौला 1757 ई. में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से प्लासी में हुए युद्ध में हारे । यह प्लासी का युद्ध कहलाता है। युद्ध में विजयी बने अंग्रेजों ने पहले बंगाल में शासन करना शुरू किया । फिर धीरे - धीरे पूरे देश को अपने कब्जे में कर लिया । पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने भारत आयी थी । पर देश की राजनीतिक कमजोरियों का फायदा उठाकर हमारे देश पर राज करने लगी । प्लासी के युद्ध के सौ सालों बाद अर्थात् 1857 ई. में विद्रोह शुरू हुआ । लेकिन तब तक पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था ।

अंग्रेजों से पहले भारत पर तुर्क और मुगल शासन कर रहे थे । किंतु अंग्रेजों का शासन उनसे एकदम अलग था । भारत से अधिक से अधिक धन - दौलत इंग्लैंड ले जाना अंग्रेज शासकों का प्रमुख उद्देश्य था । उस समय इंग्लैंड में

क्या आपको पता है ?

उद्योग जगत में युगांतकारी आमूलचूल परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं । अठारवीं सदी में उद्योग जगत में बहुत से उद्भावन व आविष्कार हुए, जिससे मानव की जीवनचर्या पूरी तरह बदल गयी । औद्योगिक क्रांति से पहले लोग अपने हाथों से दैनंदिन जीवन की आवश्यक सामग्रियाँ तैयार करते थे । 1764 ई. में जेम्स हारग्रिवस की स्पीनिंजेनी, 1779 ई. में सैमूअल क्रंपटन के स्पीनिं म्यूल, 1785 ई. में एडमंड कार्टराइट के पावारलूम, न्यूमैन के स्टीम इंजन और जेम्स वाट की वाष्पीय शक्ति आदि ने नये यांत्रिक युग का सूत्रपात किया ।

औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो रही थी । नये -नये कारखाने बिठाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी । उसका संग्रह भारत से होने लगा । फिर कारखाने से उत्पादित सामग्रियों की बिक्री के लिए बाजार बनाया गया । बड़ी भारी मात्रा से आवश्यक कच्चामाल और अनाज भारत से निर्यात हुए। अंग्रेजों के हाथों देश - शासन की बागडोर थी, इसलिए बड़ी सहजता से वे भारत से धन - संपदा लूट कर ले गये । तुर्क और मुगल भारत को अपना घर मानकर यहाँ शासन करते थे। लेकिन अंग्रेज राज में भारत उपनिवेश बना । इंग्लैंड के स्वार्थ को दृष्टि में रखकर भारत की शिक्षा, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था में बदलाव किया गया । समाज के हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के बिना अंग्रेजों का भारत शासन, उनके लिए फायदामंद नहीं होगा, इस बात की जानकारी अंग्रेज सरकार को भली भाँति थी ।

शिक्षा :

अंग्रेज शासन से पहले भारत की शिक्षा : मुसलमानों के लिए मद्रासा और मकतब तथा हिंदुओं के लिए मठ, शालाएँ तथा टोल हमारे पारंपरिक शिक्षा केंद्र थे । मद्रासा और मकतब में खास कर अरबी और फारसी तथा मठ एवं टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी । शालाओं में ओड़िशा की शिक्षा दी जाती थी । धर्मशास्त्र के अलावा गणित और तर्कशास्त्र इसके प्रमुख विषय थे ।

आपके लिए काम :
आपके इलाके में स्थापित किसी भी उद्योग द्वारा उसकी चारों ओर क्या - क्या बदलाव हो रहा है उसकी खोज करें ।

नयी शिक्षा नीति : अंग्रेज शासन का गहरा प्रभाव शिक्षा पर देखने को मिला । उस समय हमारे देश में पारंपरिक ढंग से शिक्षा दी जाती थी । शालाएँ , मद्रासा, मकतब , मठ और टोल आदि की स्थापना गाँव - गाँव में हुई थी । उनमें खास कर वर्णमाला, गणित, साहित्य और

दर्शनशास्त्र की पढ़ाई होती थी । अंग्रेज शासन के प्रारंभ की आधी शती तक सरकार ने पारंपरिक शिक्षा के बदले आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की किसी तरह की कोशिश नहीं की थी । उस समय तक शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी मुनाफेखोर व्यापारिक संस्था के हाथों थी। आधुनिक शिक्षा के प्रचार - प्रसार से कंपानी का कोई फायदा होगा, सरकार ऐसा सोच नहीं रही थी । दूसरी तरफ, देश में प्रचलित सामाजिक रीति - रिवाज के बारे में जानना सरकारी अधिकारियों के लिए नितांत आवश्यक था; नहीं तो जरूरत पड़ने पर शासन करना मुश्किल होता। इसलिए प्रारंभिक दौर में शिक्षा के प्रचार - प्रसार के लिए देश की पारंपरिक शिक्षा को थोड़ी - बहुत मदद दी जाती थी । गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ई. में कलकते में एक मद्रासा की स्थापना की । इसके दस वर्ष के बाद जनाथन डनकान ने बनारस में हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र की शिक्षा के लिए एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की । पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देने उन्हें उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं ।

इंग्लैंड में आधुनिक शिक्षा का व्यापक प्रचार - प्रसार हो रहा था । इधर भारत में सरकार पारंपरिक शिक्षा को मदद कर रही थी । इसका बड़ा विरोध ईसाई मिशनरियों ने किया । देश में संस्कृत कॉलेज और मद्रासा शिक्षा के प्रचलन से भारतीय जनता पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित नहीं होगी, ऐसा उन्हें लगने लगा । सरकार आधुनिक शिक्षा दें, इन्होंने इसकी माँग की । उनका मानना था कि इससे शिक्षित वर्ग पाश्चात्य धर्म, संस्कृति तथा चाल - ढाल को अपनाने में अपनी रुचि लेंगे ।

1813 ई. में "चार्टर कानून" इंग्लैंड में पारित हुआ। औद्योगिक क्रांति की जरूरतों को पूरा करने भारत जैसे बहुत बड़े उपनिवेश की शिक्षा, संस्कृति आदि में बदलाव लाना आवश्यक बना । चार्टर कानून के मुताबिक पहली बार कंपनी सरकार ने आधुनिक विज्ञान - शिक्षा के प्रचार - प्रसार के लिए एक लाख रुपये खरच करने का निर्णय लिया । यह रकम भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर थी । पर ध्यान देने की बात यहै है कि दस वर्ष लंबी अवधि में भी इतनी छोटी - सी रकम खरच न हो सकी।

चार्टर कानून :

ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में करने ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा समय - समय पर कई कानून पारित किये गये। चार्टर कानून उनमें से एक है । 1793 ई. में प्रथम चार्टर कानून पारित हुआ । उसके बाद हर बीस साल के अंतराल में 1813, 1833, 1853 ई. में यह कानून पारित हुआ । अंतिम बार कंपनी विलय से पहले 1853 ई. में पारित चार्टर कानून के अनुसार कंपनी को भारत में धर्म और संस्कृति के प्रचार - प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों को अनुमति देनी पड़ी।

पश्चिमी शिक्षा का उदय :

उन्नीसवीं सदी के तीसरे और चौथे दशक तक आते आते भारत में कौन - सी शिक्षा नीति लागू होगी, इसे लेकर इंग्लैंड के बुद्धिजीवियों में बहस शुरू हो गयी । एक वर्ग का तर्क था कि भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हो । इससे आधुनिक विज्ञान और समाज - शास्त्र संबंधी ज्ञान हासिल करना आसान होगा । इस शिक्षा के जरिए भारतीय अंग्रेजी संस्कृति के प्रति आकर्षित होंगे । इससे आधुनिक शिक्षित वर्ग की सहायता से भारत में अंग्रेज साम्राज्य सशक्त बनेगा। दूसरी तरफ एक दूसरा वर्ग भारत में पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था को बनाये रखने पर जोर दे रहा था । उनका मानना था कि आधुनिक शिक्षा के संपर्क में आने पर भारतीयों का स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति रुझान बढ़ेगा । वे अंग्रेज सरकार का विरोध करेंगे । दूसरी बात है कि यदि आधुनिक शिक्षा के नाम पर सरकार लोगों की परंपरा से छेड़छाड़ करें तो वे कतई इसे बरदास्त नहीं करेंगे । कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही बुद्धिजीवी वर्गों ने अंग्रेज साम्राज्य के स्वार्थ को दृष्टि में रखकर अपने - अपने तर्क प्रस्तुत किये । दोनों ने शिक्षा में मातृभाषा के महत्त्व को नजरअंदाज कर दिया । यदि आधुनिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी के बदले मातृभाषा शिक्षा की माध्यम बनेगी तो शिक्षा प्राप्त करना आसान होगा । यह बात उनकी समझ से परे थी ।

लार्ड मैकाले की नीति :

कंपनी की कार्यकारी परिषद के कानूनी सदस्य लार्ड मैकाले ने 1835 ई. में सरकार का फैसला सुनाया। जिसमें यह कहा गया कि भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का प्रचलन अंग्रेजी माध्यम से होगा। मैकाले का मानना था कि भारत की प्राचीन शिक्षा भारतीयों के लिए काफी नहीं है । दूसरी बात है पूरे देश की जनता को आधुनिक शिक्षा देने का इतना सारा खर्चा उठाने के लिए सरकार तैयार न थी । इसलिए चंद लोगों को अंग्रेजी माध्यम से आधुनिक शिक्षा देने पर उनके जरिए शिक्षा और ज्ञान की रोशनी दूसरों तक पहुँचेगी, यही सरकार का असली मकसद था । इसके अलावा कुछ लोग शिक्षित होने से लिपिक तथा अन्य छोटी नौकरियों के लिए कुछ लोग बड़ी आसानी से मिल जाएँगे । इंग्लैंड से लिपिकों को यहाँ लाकर भारत में शासन करना बहुत ही व्ययसाध्य होगा, मैकाले इस बात से भलीभाँति परिचित थे । मातृभाषा के माध्यम से आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा देने तथा अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ने पर भारत में औपनिवेशिक स्वार्थ में बाधा आएगी, इससे अंग्रेज सरकार बखूबी परिचित थी । इसीलिए मातृभाषा शिक्षा की माध्यम बने, इसी ओर सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया ।

(लार्ड मैकाले)

मैकाले द्वारा जो शिक्षा नीति अपनाई गयी थी उसे अंग्रेज सरकार ने अंत तक बनाये रखा । भारत के आधुनिक शिक्षित बुद्धिजीवियों ने उसका विरोध किया । अनेक अंग्रेज बुद्धिजीवियों ने भी इस नीति का समर्थन किया । उनका कहना था कि भारत के हर नागरिक को शिक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है । खुद औपनिवेशक अंग्रेज सरकार भी अपनी नीति को सही नहीं बता पा रही थी । परिणाम स्वरूप सरकार ने 1854 ई. में वुड का घोषणापत्र के नाम से शिक्षा संबंधी दस्तावेज तैयार किया । कंपनी नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष चार्ल्स वुड इस दस्तावेज के प्रणेता थे। इसके अनुसार सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा को महत्त्व देने का आश्वासन दिया । लेकिन उच्च वर्ग के चंद लोगों को शिक्षा दिलाये, वे सामाजिक शिक्षा की जिम्मेदारी उठाएँगे, ऐसा कहकर सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया । इससे हर प्रदेश में स्वतंत्र शिक्षा विभाग का गठन हुआ । 1857 ई. में कलकते, बंबई और मद्रास में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई । बंगला के प्रसिद्ध उपन्यास "आनन्द मठ" के लेखक बंकिमचंद्र चटर्जी पहले भारतीय हैं जिन्हें 1868 ई. में विश्वविद्यालय की उपाधि मिली थी । इसके बाद देश में अनेक प्राथमिक विद्यालय खुले गये। ओड़िशा के कटक में सबसे पहले 1868 ई. में एक कॉलेज की स्थापना हुई । लेकिन वहाँ कालेज शिक्षा की सिर्फ दो साल की पढ़ाई हो पाती थी । यहाँ से उत्तीर्ण छात्र बी.ए. की पढ़ाई के लिए कलकते के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लेते थे । आगे चलकर कटक का यह कॉलेज मशहूर अंग्रेज प्रशासक टी.ई. रेवेंशॉ के नाम पर रेवेंशॉ कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

वुड का घोषणा पत्र : (वुडस डिस्पैच) :

वुड का घोषणा - पत्र कंपनी नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में प्रस्तुत शिक्षा संबंधी एक जाँच रिपोर्ट है । ब्रिटिश पार्लियामेंट के आदेश पर यह जाँच 1853 ई. में शुरू हुई थी और 1854 ई. में रिपोर्ट पेश की गई । पहले निजी प्रयासों से चलने वाली शिक्षा व्यवस्था को सरकारी नियंत्रण में लाने के लिए इस रिपोर्ट में प्रावधान बना। इसके बाद भारत में अधिक से अधिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए सरकार ने अनुमति दी । 1857 ई. में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । फिर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी । उसके बाद औपचारिक रूप से भारतीय भाषा - शिक्षा को थोड़ा - बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा ।

पारंपरिक शिक्षा की अद्योगति :

आधुनिक पाश्चात्य - शिक्षा व्यवस्था लागू होने पर शालाओं, मकतब, मद्रासा और टोल आदि पारंपरिक शिक्षा केंद्रों की अनदेखी की गयी ।

इन शैक्षिक संस्थाओं को राजा और जमींदारों से मदद मिलती थी । लेकिन अंग्रेज सरकार से ऐसी कोई मदद नहीं मिली । आधुनिक विज्ञान और साहित्य आदि की शिक्षा के लिए सरकार ने इनका उपयोग भी नहीं किया । फिर ऊपर से 1844 ई. में यह नियम लागू हुआ कि सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी का ज्ञान निहायत जरूरी है यानी पारंपरिक शैक्षिक संस्थाओं से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य साबित हुए। आगे चलकर धीरे - धीरे ये शैक्षिक संस्थाएँ लुप्त हो गयीं।

आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों ने अनेक स्कूल - कॉलेजों की स्थापना की । देश के शिक्षित वर्ग भी इस बात से परिचित थे कि आधुनिक शिक्षा के प्रसार से ही समाज से कुसंस्कार दूर होंगे और राष्ट्र का विकास होगा । दूसरी तरफ सरकार अधिक से अधिक स्कूल - कॉलेजों की स्थापना कर उच्च शिक्षितों की संख्या में इजाफा करना नहीं चाहती थी । सिर्फ लिपिक तैयार कर शासन को सहज व सरल बनाना उनका उद्देश्य था । पश्चिमी शिक्षा पाकर शिक्षित भारतीय विदेशी संस्कृति और विदेशी वस्तुओं का आदर करेंगे ; अंग्रेज सरकार असल में यही चाहती थी । इससे भारत में विदेशी वस्तुओं की माँग बढ़ेगी । इसके अलावा शिक्षा के जरिए अंग्रेजी की महिमा का प्रचार करना भी सहज होगा , ऐसा सरकार सोच रही थी ।

नयी शिक्षा व्यवस्था लागू होने पर कम खर्चे मं चलनेवाली पारंपरिक शिक्षा संस्थाएँ विलुप्त हो गयीं । दूसरी तरफ बिना सरकारी सहायता के इतने सारे पैसे खर्च कर नये स्कूल - कॉलेजों की स्थापना करना भी संभव न था । शिक्षा के प्रसार में आवश्यकता के अनुसार पैसा खर्च करने के लिए सरकार तैयार नहीं हुई । 1886 ई. में हुई 47 करोड़ की कुल आमदनी में से सरकार ने सिर्फ 1करोड़ रुपये शिक्षा के लिए खर्च किये ।

नारी शिक्षा की उपेक्षा : नयी शिक्षा व्यवस्था में नारी शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया गया । नारी शिक्षित होने पर भी घर की चारदीवारी के अंदर रहेगी । ऑफिस में जाकर लिपिक की नौकरी नहीं करेगी । इसी शंका से सरकार ने नारी शिक्षा की अनदेखी की । नतीजा 1921 ई. तक पूरे देश में सिर्फ 22 फीसदी महिलाओं को शिक्षा मिल पायी थी । नारी शिक्षा के लिए ओड़िशा में पहली बार 1873 ई. में कटक में रेवेंशॉ हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना हुई ।

तकनीकी शिक्षा : अंग्रेज सरकार ने विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया । पहली बार 1899 ई. में बंबई विश्वविद्यालय में विज्ञान का स्नातकोत्तर विभाग खुला। स्कूल की भाँति उस समय कॉलेज में भी एक ही विज्ञान अध्यापक को भौतिक विज्ञान , रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि विज्ञान के सभी विषयों को पढ़ाना पड़ता था । 1875 ई. तक पूरे देश में सिर्फ बंबई , मद्रास और कलकत्ते में तीन मेडिकल कॉलेज थे । 1876 ई. में ओड़िशा में पहली बार कटक में एक मेडिकल स्कूल की स्थापना हुई ।

अंग्रेज राज में तकनीकी शिक्षा का खास विकास नहीं हुआ । सबसे पहले सरकार ने उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश) की रूड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की । लेकिन उसमें केवल यूरोपीय छात्रों को दाखिला मिलता था । 1930 ई. तक पूरे देश में केवल 10 इंजिनीयरिंग कॉलेज थे । किंतु दूसरे विश्वयुद्ध के समय इंजीनियरिंग शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गयी । इसके चलते सरकार ने मजबूरन अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज खोले । ओड़िशा में पहली बार बालेश्वर के पास एक उद्योग तालिम स्कूल की स्थापना हुई । उसके बाद कटक में सर्वे स्कूल खुला । आगे चलकर सर्वे स्कूल इंजीनियरिंग स्कूल बना । फिलहाल इसका नाम भुवनानंद ओड़िशा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है ।

देशीय व्यवस्था में परिवर्तन और राष्ट्रीय शिक्षा का विकास :

मोटे तौर पर देखें तो देश के सामाजिक स्तर पर औपनिवेशिक परिवर्तन लाने सरकार ने नयी शिक्षा व्यवस्था लागू की । अंग्रेज उपनिवेशवाद की स्वार्थ - पूर्ति इसका प्रमुख उद्देश्य था । इसलिए पारंपरिक शिक्षा का पतन हुआ । सरकार शिक्षा के लिए आवश्यक खरचा नहीं कर रही थी जिससे निरक्षरता बढ़ती गयी । नारी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर भी जोर नहीं दिया गया ।

मातृभाषा आधुनिक शिक्षा की माध्यम नहीं बनी । इससे यथार्थ ज्ञान का विकाश कुंद हो गया । इतनी सारी कमियों के बावजूद नयी शिक्षा से देश की बहुत - सी भलाई हुई । शिक्षितों में से कई बुद्धिजीवियों ने एक विशेष वर्ग के रूप में उभर कर जनमानस का प्रतिनिधित्व किया और साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा दी । पाश्चात्य और आधुनिक विचारबोध को समेटे उन्होंने देश के स्वाभिमान के लिए आवाज बुलंद की। इससे अंग्रेज शासन के सही विकल्प के रूप में बुद्धिजीवी वर्ग को जनता का समर्थन मिला । इसका परिणाम यह हुआ कि आजादी के बाद देश-शासन की बागडोर सामंतवादी ताकतों के हाथों नहीं पहुँची, अपितु इन्हीं राष्ट्रीयवादी बुद्धिजीवी वर्ग ने देश का नेतृत्व किया । आगे चलकर यही नयी शिक्षा देश के विकास के लिए नींव बनी । औपनिवेशिक स्वार्थ पूर्ति हेतु अंग्रेज सरकार ने यह शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की थी । किंतु इसके कुछ अच्छे परिणाम भारत में दिखाई देने लगे । इस शिक्षा व्यवस्था के चलते नये स्कूल और कॉलेजों ने आगे जाकर देश के विकास के लिए मार्ग प्रस्तुत किया ।

आपके लिए काम : पारंपरिक शिक्षा के बदले पाश्चात्य शिक्षा के प्रचलन के पक्ष और विपक्ष में एक तर्क सभा का आयोजन करो ।

नारी और सुधार : कई दिनों से भारतीय समाज में जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और नर बलि जैसे बहुत से कुसंस्कार प्रचलित थे। अंग्रेजों ने अपने देश में ऐसी प्रथाएँ नहीं देखी थीं । देश के पिछड़ेपन के लिए उन्होंने इन प्रथाओं को जिम्मेदार ठहराया । उनका कहना था कि इनके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं है । पर शासन के प्रारंभिक दौर में कहीं कोई विरोध हो, इसी डर से सरकार ने इनमें कोई दखलअंदाजी नहीं की । किंतु जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तब भारत जैसे विशाल उपनिवेश पर पाश्चात्य संस्कृति का रंग चढ़ाना, यहाँ की सामाजिक परंपरा से छेड़छाड़ करना समय की आवश्यकता बनी । इसलिए जिन सामाजिक रीति - रिवाजों में दखलअंदाजी करने से अंग्रेजों की स्वार्थ - पूर्ति हो सके , उन्हीं पर सरकार ने अपनी दृष्टि बनायी रखी । जाति - पाँति जैसे कुसंस्कार पर सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया । इसका कारण साफ है , क्योंकि जाति - पाँति के चलते लोग बटे हुए थे । अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे नहीं हो पाते थे । जाहिर है जाति - पाँति की महजूदगी से औपनिवेशिक स्वार्थ बरकरार रहने की संभावना सदैव बनी हुई थी ।

उत्तर भारत और बंगाल में खासकर कुलीन और ऊँच जाति के लोगों में सती प्रथा जैसे कुसंस्कार प्रचलित था। इस प्रथा में मृत पति की चिता में पत्नी को आत्मदाह करना पड़ता था । इसी तरह आत्मदाह करनेवाली पत्नी ही सती कहलाती थी । 1815 से 1818 ई. के बीच केवल बंगाल में 800 महिलाएँ सती प्रथा की शिकार बनी थीं । समाज के परंपरावादी वर्ग इस प्रथा के बड़े समर्थक थे । इसलिए मुगल सम्राट अकबर, औरंगजेब, मराठे के पेशवा और जयपुर के राजा जयसिंह भी इस प्रथा को बंद करने की कोशिश करके असफल रहे ।

उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों ने इस अमानवीय प्रथा को बंद करवाने का दृढ़ निर्णय लिया । 1829 ई. में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक ने सती प्रथा को कानूनन अपराध घोषित किया । सरकारी निर्देशनामा के विरुद्ध सती प्रथा के समर्थकों ने तरह - तरह के विरोध जताये । लेकिन बैंटिक अपने निर्णय पर अडिग रहे ।

लॉर्ड विलियम बैंटिक

कन्या हत्या उस समय की एक और नृशंस प्रथा थी । खासकर राजपूतों तथा कुछ दूसरी जातियों में कन्या संतान को सहजता से स्वीकार नहीं किया जाता था । युद्ध में बड़ी तादात में पुरुष मारे जाते थे । इसलिए कन्या का विवाह एक समस्या बन कर सामने आता था । दूसरी बात यह थी कि विवाह के समय दहेज देना पड़ता था । कन्या-विवाह में यह भी बहुत बड़ी बाधा थी । खेती के काम के लिए कडी मेहनत की जरूरत पड़ती है और ऐसा माना जाता था कि कन्या सन्तान इसके लिए बिलकुल भी उपयुक्त नहीं है । इन्हीं सभी कारणों से बचपन में ही कन्या संतान की हत्या करना एक परंपरा बन चुकी थी ।

सबसे पहले 1795 ई. में और पिर 1804 ई. में सरकार ने कन्या हत्या पर पाबंदी लगायी । बैंटिक और हार्डिंज के समय इसे बड़े कड़े ढंग से लागू किया गया । इसके अलावा उस समय कुछ आदिवासी इलाके में नरबलि की प्रथा भी जारी थी , इसे सरकार ने बंद करवा दिया । 1856 ई. में एक कानून लाया गया । इस कानून की तहद विधवा - विवाह को कानूनी स्वीकृति मिली ।

बाल विवाह को रोकने के लिए 1872 ई. में " देशीय विवाह कानून " और 1891 ई. में " सहमति उम्र कानून " लागू किया गया । फिर 1930 ई.में बने सारदा कानून में विवाह के लिए पुरुषों की उम्र कम से कम 21 और महिलाओं की 18 कर दी गयी ।

अंग्रेजों द्वारा किये गये सामाजिक कुसंस्कारों के उन्मूलन के पीछे भी उनका औपनिवेशिक स्वार्थ छिपा हुआ था । इसलिए जाति - पाँति जैसे कुसंस्कार पर सरकार ने कोई पहल नहीं की, क्योंकि सरकार अच्छी तरह जानती थी कि इससे उसकी कोई स्वार्थ - पूर्ति नहीं होगी । दूसरी बात है , समाज सुधार से भारत को पश्चिम का अनुगामी बनना आसान होगा । तीसरी बात है कि इससे भारत के शिक्षित बुद्धिजीवी और ईसाई मिशनरी भी सरकार को समर्थन करेंगे। राजा राममोहन राय और ईश्वर चन्द्र विद्यासागर आदि चिंतकों ने इन कुसंस्कारों के उन्मूलन के लिए समाज सुधार आंदोलन शुरू किया । सरकार के रवैये को देखकर इस कार्य में उन्होंने सरकार की भरपूर सहायता की । यह नि:सन्देह कहा जा सकता है कि बिना इनके सहयोग के सरकार को समाज - सुधार की दिशा में कोई विशेष सफलता हासिल नहीं होती । यह गौर करने की बात है कि बाल - विवाह जैसे सामाजिक कुसंस्कार को रोकने सरकारी कानून लागू किया गया, लेकिन समाज सुधारकों के आंदोलन ने इन दिशाओं में अधिक जन-जागृति पैदा की ।

भारतीय नव जागरण - सामाजिक और धार्मिक सुधारात्मक आन्दोलन :

नयी शिक्षा शिक्षा व्यवस्था लागू होने से उन्नीसवीं सदी में देश के भीतर एक आधुनिक शिक्षित बौद्धिक वर्ग का अभ्युदय हुआ । इनकी संख्या अधिक न थी । किंतु पाश्चात्य और आधुनिक विचारबोध संपन्न इसी वर्ग ने देश की सामाजिक तथा सामूहिक प्रगति को लेकर चिंतन - मनन किया । उस पर विशेष जोर दिया । उनका मानना था कि सामाजिक कुसंस्कार ही देश की अधोगति के प्रमुख कारण है । देश को एक आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा के प्रचार - प्रसार के साथ - साथ कुसंस्कारों को दूर करना होगा - ऐसा बौद्धिक वर्ग को लगने लगा । इसीलिए उन्होंने सुधारक के रूप में जन - जागृति पैदा की और कुसंस्कारों को दूर भगाने में अंग्रेज सरकार की सहायता की ।

राजा राममोहन राय और ब्राह्म समाज :

उन्नीसवीं सदी में जो समाज - सुधार आंदोलन शुरू हुआ था उसके पुरोधा थे राजा राममोहन राय। धर्म में रूढ़ियों का अनुप्रवेश भारतीय समाज के पतन का कारण है , इससे वे भलीभाँति परिचित थे । इसलिए समाज सुधार के लिए 1828 ई. उन्होंने कलकते (कोलकाता) में ब्राह्म सभा की स्थापना की थी । यह आगे चलकर 1830 ई. में ब्राह्म समाज के नाम से परिचित हुई । ब्राह्म समाज मूर्त्ति पूजा , सती प्रथा , बहु विवाह प्रथा , जाति - पाँति तथा पर्दा प्रथा आदि का विरोध करता था । नारी शिक्षा के प्रचार - प्रसार और सती प्रथा के विलोप में सरकार की मदद करता था । केशव चन्द्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ब्राह्म समाज के दो अन्य प्रमुख सुधारक थे। समाज सुधार आंदोलन को व्यापक बनाने के उद्देश्य से मद्रास (चेन्नई) और बंबई (मुंबाई) में इसकी शाखाएँ खुलीं।

(राजा राममोहन राय)

राजा राममोहन राय संस्कृत, पारसी, आरवी, हिंदी, अंग्रेजी, लैटिन, फेंच और बल्ला भाषा के ज्ञाता थे । उनका कहना था प्राच्य और पाश्चात्य दर्शन के समन्वित अध्ययन के बिना वास्तविक ज्ञानार्जन संभव नहीं है ।

स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण मिशन :

(रामकृष्ण परमहंस)

स्वामी विवेकानन्द ने 1897 ई. में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से समाज सुधार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विवेकानन्द मानवतावादी थे । उनका मानना था मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उनका कहना था कि यदि समाज में समानता, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्त्व देना है तो हमें जाति-पाँति, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध करना पड़ेगा । वे जनता की सेवा को धर्म संस्कार का मूलाधार मानते थे । अपने इस सिद्धांत के आधार पर रामकृष्ण मिशन के जरिए उन्होंने बड़ी तादात में विद्यालय, अस्पताल, ग्रंथालय और अनाथाश्रमों की स्थापना की।

(स्वामी विवेकानन्द)

महादेव गोविन्द रानडे और प्रार्थना समाज :

(महादेव गोविन्द रानडे)

धर्म और समाज को अंध विश्वास, कुसंस्कार और रूढ़ियों से मुक्त करने की विचारधारा बंगाल से शुरू हुई थी, जो धीरे - धीरे देश के दूसरे इलाके तक पहुँच गयी । महादेव गोविंद रानडे ने 1867 ई. में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी । रामकृष्ण भंडारकार उनके प्रमुख सहयोगी थे । प्रार्थना समाज जाति- पाँति और छुआछूत का घोर विरोधी था और विधवा विवाह , नारी शिक्षा तथा हिंदू - मुस्लिम एकता पर बल देता था। रानडे अक्सर यह कहा करते थे कि हिंदू - मुस्लिम, एकता के बिना भारत जैसे विशाल राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं है। लोकहितकारी ज्योतिवा राव फूले और गोपालहरि देशमुख

आपके लिए काम :

आपके इलाके में किस तरह के कुसंस्कार देखने को मिलते हैं ? उनके निदान के लिए अखबारों के जरिए जन - जागृति पैदा कीजिए ।

महाराष्ट्र के दो अन्य प्रमुख समाज सुधारक थे ।

स्वामी दयानंद सरस्वती (1824 - 1883) और आर्य समाज :

(स्वामी दयानंद सरस्वती)

पश्चिम और उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन को व्यापक बनाया था । इसलिए उन्होंने 1875 ई. में आर्य समाज की स्थापना की थी । दयानंद का मानना था कि वेद ही सभी ज्ञान के मूल स्रोत हैं । उनमें कुसंस्कार और अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है । वेद का प्रचारक बनकर वे जाति - पाँति, बाल - विवाह तथा सामाजिक विद्वैष का विरोध करते थे और विधवा विवाह का दृढ़ समर्थन ।

ओड़िशा में समाज - सुधार आंदोलन :

क्या आपको पता है ?

बंगाल के ईश्वरचन्द्र विद्यासागर , केरल के नारायण गुरु आदि कई सुधारकों ने इस समय समाज सुधार आंदोलन को व्यापक बनाया था।

(फकीर मोहन सेनापति)

ओड़िशा में फकीर मोहन सेनापति, मधुसूदन राव और प्यारी मोहन आचार्य आदि समाज सुधारकों ने अपनी-अपना– रचनाओं के माध्यम से बाल विवाह का तीव्र विरोध किया, विधवा विवाह तथा नारी शिक्षा का समर्थन किया। और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही । उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में हरिहर शर्मा नाम से एक पंडित हुए । उन्होंने संस्कृत के साथ अंग्रेजी, ग्रीक

और लैटिन आदि की पढ़ाई के लिए पुरी में एक नये ढ़ंग के संस्कृत विद्यालय की स्थापना की । उस समय परंपरावादी हिंदुओं में यह अंधविश्वास घर कर गया था कि कागज - कलम से अध्ययन करने पर जाति नष्ट हो जाएगी । हरिहर ने इसके खिलाफ कागज - कलम का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया।

सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की एक कमी थी । यह आंदोलन समाज के मध्यवर्ग और उच्चवर्ग तक ही सीमित था। समाज की आम जनता पर इसका कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ा । दूसरी बात यह थी कि इस सामाजिक आंदोलन के पीछे समाज सुधारकों का जो उद्देश्य था वह अंग्रेज सरकार के उद्देश्य से बिलकुल ही अलग था । कुछ चुने हुए कुसंस्कार , अंधविश्वास आदि को दूर करने कानून लागू किया गया। इसमें औपनिवेशक फायदा उठाना सरकार का एक मात्र उद्देश्य रहा । किंतु समाज सुधारक राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र की प्रगति चाहते थे । इसके चलते सरकार से उन्हें समुचित सहयोग नहीं मिला । उदाहरण के तौर पर देखें तो बात स्पष्ट हो जाएगी । समाज सुधारक चाहते थे कि मातृभाषा के माध्यम से आधुनिक शिक्षा और नारी शिक्षा का प्रचार - प्रसार हो । लेकिन इस दिशा में सरकार से उन्हें कोई मदद नहीं मिली । लोगों के मन में अपनी संस्कृति और सामाजिक परंपरा को लेकर जो हीनग्रंथि थी , उन्नीसवीं सदी के इस समाज सुधार आंदोलन ने उसे दूर किया । स्वतंत्रता आंदोलन को सुदृढ़ पृष्ठभूमि प्रदान की ।

हमने क्या सीखा ?

- सती प्रथा का विलोप
- ब्राह्म समाज , प्रार्थना समाज और आर्य समाज का महत्त्व
- समाज - सुधार आंदोलन का प्रभाव
- चार्टर कानून का लागू होना
- भारत में नयी शिक्षा व्यवस्था
- नारी शिक्षा का महत्त्व

प्रश्नावली

1. लगभग 75 शब्दों में उत्तर दीजिए ।

(क) समाज सुधार आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था ?

(ख) ओड़िशा के समाज सुधार आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए ।

(ग) विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के प्रति अंग्रेजों का क्या रवैया था , बताइए ।

(घ) अंग्रेज शासन काल में शिक्षा को लेकर अंग्रेजों में जो बहस हुई थी , उसकी जानकारी दीजिए ।

(ङ) स्वामी विवेकानन्द की विचारधारा की समीक्षा कीजिए ।

2. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए ।

(क) सती प्रथा क्या है ?

(ख) कन्या हत्या के प्रमुख कारण बताइए ।

(ग) ब्राह्म समाज की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था ?

(घ) प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और क्यों की थी ?

(ङ) रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है ?

3. रिक्त स्थान भरिए ।

(क) बुडस डिस्पैच को _____ ई. में मंजूरी मिली थी ।

(ख) 1868 ई. में ओड़िशा के _____ में पहले कॉलेज की स्थापना हुई थी ।

(ग) कलकत्ते में _____ ई. में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी ।

(घ) _____ ई. में ओड़िशा में पहले मेडिकल स्कूल की स्थापना हुई ।

(ङ) आर्य समाज की स्थापना _____ ई. में हुई थी ।

4. " क " स्तंभ के साथ " ख " स्तंभ का मिलान कीजिए ।

" क "	**" ख "**
विवेकानन्द	अहम्मदिया आंदोलन
महादेव गोविंद रानडे	आर्य समाज
राजा राममोहन राय	रामकृष्ण मिशन
दयानंद सरस्वती	ब्राह्म समाज
मिरजा गुलाम अहम्मद	प्रार्थना समाज

5. भारतीय नवजागरण के धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन में जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी , उनकी तस्वीरें एकट्ठी करें और एक आलबम बनाइए ।

•

तृतीय अध्याय

अंग्रेज शासन का प्रतिरोध

जयी राजगुरु :

अंग्रेज भारत को व्यापार करने आये थे । लेकिन धीरे - धीरे उन्होंने भारत के राजनीतिक मामले में दखलअंदाजी की। एक के बाद दूसरा राज्य वे अपने साम्राज्य में मिलाते रहे। 1803 ई. में उन्होंने ओड़िशा को अपने अधिकार में ले लिया । इसका विरोध हुआ । इसे लेकर 1804 ई. में खुरधा में विद्रोह हुआ । जयी राजगुरु ने इस विद्रोह का नेतृत्व लिया ।

बाल्यावस्था :

शहीद जयी राजगुरु का जन्म 29 अक्तूबर 1739 को पुरी के वीर हरेकृष्णपुर गाँव में हुआ था । तिथि के अनुसार देखें तो उनका जन्म कार्त्तिक माह की सुदी नवमी के दिन हुआ । उनके पिता का नाम चाँद राजगुरु और माता का नाम हारामणि था । उनके पूर्वज खुरधा राजा के सलाहकार और आध्यात्मिक गुरु थे । इसलिए परंपरा के अनुसार उन्हें राजगुरु कहा जाता था ।

(जयी राजगुरु)

बचपन में जयी राजगुरु ने संस्कृत में असाधारण पांडित्य हासिल कर लिया था । वेद , पुराण और धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन कर उन्होंने हजारों की संख्या में श्लोकों की रचना की थी । इसलिए पंडितों में उन्हें विद्वान कहा जाता था ।

राज दरबार में आविर्भाव :

राजा दिव्यसिंह देव के राज दरबार में जयी राजगुरु पहले एक पंडित के रूप में नियुक्त हुए । फिर उनके पिता चाँद राजगुरु की मृत्यु के बाद वे मंत्री तथा राजगुरु बने । उनकी विद्वता और बुद्धिमता से प्रसन्न होकर आठगढ़ के राजा धनंजय हरिचंदन ने उन्हें अपने राजदरबार में ले जाना चाहा । पर वे नहीं गये । राजा दिव्यसिंह देव की मृत्यु के बाद उनके नाबालिक पुत्र मुकुंददेव द्वितीय राजा बने । जयी राजगुरु ने उनका अभिभावक बनकर कार्य किया । 1798 ई. में शासन - सत्ता की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले ली । राजा दिव्यसिंह देव की मृत्यु के बाद छोटे - छोटे रजवाड़ों में गृहकलह होने लगा । राज्य में अकाल पड़ा । ऐसे संकट की घड़ी में जयी राजगुरु की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण थी ।

आपके लिए काम :

जयी राजगुरु की तरह ओड़िशा के दूसरे क्रांतिकारियों की सूची तैयार करो ।

प्रशासनिक और सामरिक प्रबंधन :

इस संकट की घड़ी में खुरधा में पाइक इकट्ठे हुए । जयी राजगुरु ने पाइकों को युद्ध कौशल का समुचित प्रशिक्षण दिलाते हुए अलग - अलग स्थानों पर अखाड़ों की स्थापना की। पाइक राष्ट्रप्रेम की भावना से उद्‌बुद्ध हुए । उधर अंग्रेज खुरधा पर अधिकार करने का उपाय सोचने लगे। अंग्रेज प्रशासक कर्नल हारकोर्ट ने खुरधा राजा को अपने वश में करने के लिए कूटनीति का सहारा लिया । उन्हें कई तरह की लालच दिखाई। एक लाख रुपये का पुरस्कार और उसके साथ - साथ उनके खोये राहांग , सराई , चौबीसकूद और लेंबाई जैसे चार मराठे परगने उन्हें वापस दिलवाने का प्रलोभन दिखाया।

(पाइक अखाड़े)

क्या आपको पता है ?

जहाँ युद्ध नृत्य आदि का अभ्यास किया जाता है उसे अखाड़ा कहते हैं। अखाड़े में पाइक युद्धाभ्यास करते हैं ।

राजा मुकुंद देव लालच में आ गये । उन्होंने अंग्रेजों की मदद की । जयी राजगुरु ने अंग्रेजों पर भरोसा न करने की सलाह दी । लेकिन राजा ने नहीं माना । अंग्रेजों ने धोखा दिया । मुकुंददेव को एक भी परगना नहीं मिला ।

प्रतिक्रिया और युद्ध :

जयी राजगुरु ने मुकुंद देव को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की सलाह दी । राजा मुकुंद देव ने अंग्रेजों का एक भी आदेश नहीं माना। उन्होंने मराठाओं की सहायता से खुरधा से अंग्रेजों को खदड़ने का निर्णय लिया । पाइक सेना की मदद से 1804 अक्टूबर महीने में उन्होंने पिपिलि में अंग्रेजों पर हमला किया । कर्नल हारकोर्ट ने मेजर फ्लेचर को मद्रास से सेना का नेतृत्व लेकर आने का निर्देश दिया । मेजर फ्लेचर सेना लेकर आ पहुँचे । लगभग तीन हफ्ते तक घमासान लड़ाई हुई । पाइकों ने बढ़ चढ़कर लड़ाई लड़ी । लेकिन अंग्रेजों के आधुनिक रण कौशल और अस्त्र - शस्त्र के सामने उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ी । 4 दिसंबर 1804 को अंग्रेजों ने खुरधा पर कब्जा कर लिया । फिर बरुणेइ किले को अपने अधिकार में ले लिया । राजा मुकुंद देव द्वितीय और जयी राजगुरु किला छोड़कर भाग निकले । 5 दिसंबर को राजा मुकुंददेव द्वितीय को अंग्रेजों ने भगोड़ा घोषित किया । बहुत कोशिशों के बाद जयी राजगुरु को पकड़ा गया । मुकुंददेव को बारवाटी किले में बंदी बनाकर रखा गया । उनकी रिहाई के बाद उन्हें जगन्नाथ मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी गयी और पुरी में ठहराया गया ।

जयी राजगुरु शहीद हुए :

अंग्रेजों ने जयी राजगुरु को दोषी ठहराया और दंडित भी किया । दंड के रूप में उन्हें मेदिनीपुर के पास एक बरगद की डाली के सहारे फाँसी पर लटका दिया गया । उन्हें बड़ी क्रूरता से यह सजा दी गयी । शहीद क्रांतिकारी जयी राजगुरु का देशप्रेम, राष्ट्रभक्ति और त्याग सचमुच अतुलनीय है ।

ओड़िशा में पाइक विद्रोह (1817) और बक्सि जगबंधु की भूमिका :

आपके लिए काम :

अपने कक्षा शिक्षक की सहायता से जयी राजगुरु नाटिका की तैयार कीजिए ।

अंग्रेजों ने 1803 ई. में ओड़िशा के तटीय इलाके को अपने अधिकार में ले लिया । इससे ओड़िशा शासन की बागडोर मराठाओं के हाथ से खिसक कर अंग्रेजों के हाथ में जा पहुँची । जयी राजगुरु अंग्रेजों का विरोध करते हुए शहीद हुए । इसके बाद राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति धीरे - धीरे बिगड़ती चली गयी । इसके चलते खुरधा में पाइक विद्रोह शुरू हो गया।

मुगल और मराठाओं के शासन काल में ओड़िशा में पदातिक सेना थी । पदातिक सेना के ये सैनिक युद्ध के समय

(पाइक विद्रोह)

युद्ध करते थे और बाकी समय में खेती का काम किया करते थे । इसलिए इन्हें पाइक कहा जाता है। निम्नलिखित कारणों से पाइकों ने अंग्रेजों के किलाफ बगावत की।

राजनीतिक कारण :

अंग्रेज सरकार ने खुरधा के राजा को बंदी बनाया और उनके प्रधानमंत्री को फाँसी की सजा दी । इससे आम जनता आग बबूला हो उठी।

सामाजिक और आर्थिक कारण :

अंग्रेज प्रशासकों ने ओड़िशा की जनता के प्रति अन्याय किया । इससे जनता नाराज हो गयी । आम जनता को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा । खेती पाइकों की आजीविका की साधन थी । युद्ध के समय युद्ध में भाग लेने के कारण उन्हें इस जमीन के लिए कर देना नहीं पड़ता था । पर अंग्रेजों ने जब ओड़िशा को अपने अधिकार में ले लिया तब उस जमीन के लिए उनसे लगान वसूल किया गया।

लगान वसूली के समय सरकारी कर्मचारियों ने पाइकों के ऊपर जुल्म ढाये । लगान की दर बढ़ा दी गयी । फसल की बर्बादी की स्थिति में भी अधिक दर पर लगान वसूल किया गया । आम प्रजाओं के प्रति शासक संवेदनशील नहीं बने । राजा के शासन काल में कौड़ी लेन देन की माध्यम थी । लेकिन अंग्रेजों ने लगान में रुपये देना अनिवार्य कर दिया। इसके लिए लोगों को मजबूर भी किया । रुपये का भुगतान न करने पर उन्हें अपनी जमीन से बेदखल कर दिया गया ।

आपके लिए काम :
पाइकों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले अस्त्रशस्त्र , पोषाकें और उनकी युद्धशैली के बारे में जानकारी हासिल करो ।

ओड़िया भाषा में सरकारी नियम - कानून का अनुवाद नहीं हुआ । बंगला और फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया । इससे प्रजा सरकारी नियम - कानून समझ नहीं पायी । इस मौके का फायदा उठाकर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों ने ओड़िआओं के ऊपर अत्याचार किया ।

अल्पकालिक भू - राजस्व नीति प्रचलित हुई । ओड़िआ जमींदार सही समय पर राजस्व जमा नहीं कर पाये । इससे उन्हें अपनी जमींदारी गवानी पड़ी । बंगाल के अमीरों ने यह जमींदारी खरीदी । उन्होंने आम जनता से अधिक दर पर लगान वसूल किया । इस तरह के आर्थिक अत्याचार से लोग तिलमिला उठे । नमक - नीति में भी सरकार ने अपनी मनमानी की । पहले से लोग स्वतंत्र रूप से नमक उत्पादन किया करते थे। अंग्रेज राज में लोगों को नमक उत्पादन और उसके इस्तेमाल से वंचित किया गया । नमक की कीमत पहले से छह गुना ज्यादा बढ़ा दी गयी । इससे नमक की भाँति रोजमर्रा की जिंदगी में काम आनेवाली अत्यावश्यक सामग्री को लोग खरीद न सके । सरकार की नमक तथा आर्थिक नीति को लेकर जन मानस में नाराजगी बढ़ने लगी ।

आपके लिए काम :
ग्राम सभा बुलवाकर नमक की समस्या पर चर्चा कीजिए ।

प्रत्यक्ष कारण :

अंग्रेज सरकार के भाई - भतीजावाद , अन्याय , अत्याचार , लिपिकों के भ्रष्टाचार , ओड़िआओं के प्रति बंगाली अफसरों के दुर्व्यवहार आदि से पाइक विद्रोह का सूत्रपात हुआ। इसके अलावा सरवराकारों की साजिश से खुरधा राजा के सेनापति जगबंधु से उनकी जमींदारी छीन ली गयी । इस घटना ने भी खुरधा में पाइक विद्रोह को जन्म दिया ।

क्या आपको पता है ?
लगान वसूल कर जमींदार या सरकार के पास जमा करनेवाले कर्मचारियों को सरवराकार कहते हैं ।

बक्सि जगबंधु की भूमिका :

(बक्सि जगबंधु)

बक्सि जगबंधु का पूरा नाम बक्सि जगबंधु विद्याधर भ्रमरवर राय महापात्र था । बक्सि का अर्थ है सेनापति । अंग्रेज सरकार की साजिश के चलते राजा से मिली चोड़ंगमंडल की जागीर उन्हें खोनी पड़ी । इसलिए वे अंग्रेजों पर खफा हो गये । पहले से आम जनता और पाइक अंग्रेजों से नाराज थे । मौके का फायदा उठाकर बक्शि जगबंधु ने नाराज पाइकों का नेतृत्व किया। जगबंधु के प्रति अन्याय हुआ है, इसका अहसास विद्रोही जनता करने लगी । इसलिए बक्ति की अगवाई में पाइक एकत्र हुए।

क्या आपको पता है ?
सैनिक बनने पर अथवा किसी दूसरे काम के लिए पुरस्कार के रूप में दी जानेवाली कर मुक्त जमीन जागीर कहलाती है ।

विद्रोही पाइकों ने बाणपुर थाने पर आक्रमण किया । अनेक पाइक और आम जनता भी विद्रोह में शामिल हुए । विद्रोहियों ने तिजोरी की लूट की । सरकारी कर्मचारी जगह छोड़कर भाग खड़े हुए । जंगल में छिपकर विद्रोहियों ने अंग्रेज कर्मचारियों पर हमला किया । पुरी पहुँच कर इन्होंने राजा मुकुंद देव द्वितीय को खुरधा का राजा घोषित किया ।

जब उन्हें खुरधा ले चलने की सारी तैयारी की गयी तब अंग्रेज सरकार ने उन्हें बंदी बनाकर बारवाटी किले में रखा ।

आपके लिए काम :
बक्सि जगबंधु के नाम से बनी ओड़िशा की शैक्षिक संस्थाओं के नाम लिखिए और बताइ, ये कहाँ-कहाँ हैं ?

यह विद्रोह पुरी जिले के बाणपुर , पिपिलि और गोप आदि इलाके तक फैल गया । कटक जिले के झंकड़ और कुजंग में भी बगावत की चिंगारी भड़क उठी । विद्रोह दमन के लिए अंग्रेजों ने पुरजोर कोशिश की । कई बागियों ने आत्मसमर्पण किया । पर बक्सि जगबंधु ने आत्म समर्पण नहीं किया । 1823 ई. में उनकी जमीन जायदाद जब्त कर ली गयी । अंग्रेज सरकार ने उन्हें सम्मान के साथ वृत्ति प्रदान करने की घोषणा की। उसके बाद बड़े दिनों से भूमिगत बक्सि जगबंधु ने मई 1825 ई. में कटक में आत्मसमर्पण किया । उन्हें कटक में नजरबंदी बनाकर रखा गया। 24 जनवरी 1829 ई. में उनकी मृत्यु हुई ।

ओड़िशा में आदिवासी विद्रोह :

घुमुसर का कंध विद्रोह :

अंग्रेज सरकार ने 1835 ई. में दक्षिण ओड़िशा के घुमुसर पर कब्जा किया । साथ ही वहाँ के कंधों पर अपनी हुकूमत जाहीर की । कंधों ने इसका प्रतिरोध किया । इसका नाम ही " घुमुसर विद्रोह " है । दोरा बिशोइ और चकरा बिशोई ने इस विद्रोह का नेतृत्व लिया ।

घुमुसर के राजा धनंजय भंज सही वक्त पर अंग्रेज सरकार के पास निर्धारित कर जमा करने में असमर्थ रहे । इसलिए अंग्रेज सरकार ने 1835 ई. में उन्हें सत्ता से बरखास्त किया । दोरा बिशोई कंधों के सरदार थे । वे राजा धनंजय भंज के बेहद करीबी थे । उन पर राजा का अटूट भरोसा था । उन्होंने कंधों को इकट्ठा कर विद्रोह शुरू कर दिया । कंधों ने अंग्रेज सेना पर आक्रमण करके उनका काफी कुछ नुकसान किया । कंधों के इस विद्रोह को दबाने मद्रास से सेना बुलवायी गयी ।

दोरा बिशोई के नेतृत्व में कंधों ने अंग्रेज सेना पर हमला किया । उसमें 13 सैनिक और 2 सेनापति मारे गये । अंग्रेजों ने युद्ध बंद कर दिया । कंधों को आगे कर देना नहीं पड़ेगा , इसकी घोषणा की । फिर भी कंधों ने विद्रोह जारी रखा । अंग्रेज सरकार ने दोरा बिशोइ को पकड़ा देने वाले को पाँच हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की । आखिरकार अनुगोल में दोरा बिशोई पकड़ लिये गये । उन्हें मद्रास भेज दिया गया । मद्रास में ही उनकी मृत्यु हुई ।

आपके लिए काम :
ओड़िशा में रहनेवाले विभिन्न आदिवासी संप्रदायों की वेशभूषा , चाल - ढ़ाल आदि के बारे में जानकारी हासिल कीजिए ।

चकरा बिशोइ दोरा बिशोइ के भतीजे थे । अंग्रेज सरकार कंधों की आर्थिक स्थिति के प्रति बिलकुल ही ध्यान नहीं दे रही थी । इसलिए 1846 ई. में कंधों ने फिर एक बार विद्रोह किया । जंगल में छिपकर चकरा और उनके साथियों ने अंग्रेज सेना पर आक्रमण किया । अंग्रेज सेना उनके आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकी । उस समय के गवर्नर जनरल डलहौजी ने चकरा बिशोइ को पकड़ा देने वाले को तीन हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की । अंग्रेजों को इस बात की जानकारी मिली कि चकरा बिशोइ सोनपुर राजा के आश्रय में हैं। उन्होंने चकरा बिशोइ को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। अंग्रेजों के मन में यह संदेह होने लगा कि बौद के राजा चकरा की मदद कर रहे हैं । इसलिए अंग्रेजों ने उनकी जमीन - जायदाद जब्त कर लेने की चेताबनी दी ।

चकरा बिशोइ ने युवा कंधों को लेकर विद्रोंह जारी रखा । अंग्रेज हुकूमत ने विद्रोह दमन करने सीधे ही सत्ता अपने हाथ में ले ली । चकरा बिशोइ घुमूसर पहुँचे । घुमूसर के राज परिवार को उनका यहाँ रहना रास नहीं आया । इसलिए वे कलाहांडि के मदनपुर और फिर बाद में बलांगीर के पाटणा चले गये । उन्हें पकड़ने के लिए चारों तरफ परवाना भेजा गया; लेकिन सबकुछ नाकाम रहा । वे पकड़ में नहीं आये ।

क्या आपको पता है ?
सरकारी हूक्मनामा या आदेश को परवाना कहते हैं ।

1856 ई. तक उनकी कोई खबर नहीं मिली । वे लापता रहे । बहुत सारी अड़चनों के चलते अंग्रेज सरकार के खिलाफ उन्होंने मृत्यु तक अपना संग्राम जारी रखा ।

आपके लिए काम :
अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसमें दोरा बिशोइ और चकरा बिशोइ की क्या भूमिका थी, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए ।

केंदुझर का भूयां विद्रोह :

ओड़िशा में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ कई जगहों पर आदिवासियों ने विद्रोह किया । उनमें से केंदुझर की भूयां जनजाति का विद्रोह एक है । 1868 ई. में रत्ना नायक ने इस विद्रोह का नेतृत्व लिया था। इसलिए इस विद्रोह को "रत्न जमात" भी कहते हैं ।

गदाधर भंज केंदुझर के राजा थे । उनके बाद उनके दत्तक पुत्र वृन्दावन भंज को सत्ता पर काबिज होने नहीं दिया गया । उस समय रेवेंशा साहप ओड़िशा के कमिश्नर थे । उन्होंने वृन्दावन भंज को शासन - सत्ता से बाहर रखा और धनुर्जय भंज को कैसे राजगद्दी मिले, इसके लिए उनकी सहायता की । गदाधर भंज की पत्नी रानी विष्णुप्रिया धनुर्जय भंज को नहीं चाहती थीं । भूयां जनजाति के लोग भी धनुर्जय भंज का समर्थन नहीं करते थे । भूयां जनजाति के लोगों ने कोल और जुआंग आदि आदिवासी संप्रदाओं के समर्थन और सहायता से अंग्रेजों सरकार की मनमानी का विरोध किया । रत्ना नायक ने इस जमात का नेतृत्व लिया । रत्ना नायक के साथ नंद नायक, नंद प्रधान, बाबू नायक और पदु नायक आदि भी इस विद्रोह में शामिल हुए। उन लोगों ने 1868 ई. में राजा धनुर्जय के खिलाफ विद्रोह किया। हाथ में तलवार, कुल्हाड़ी, धनुष, बाण आदि अश्त्र-शस्त्र लेकर उन्होंने केंदुझर गढ़ को अपने कब्जे में ले लिया । दिवान और पुलिसों को भी बंधक बना लिया गया। अंग्रेजों का सेना - शिविर ध्वंस कर दिया गया । अंग्रेज सरकार को लगने लगा कि स्थिति खराब होती जा रही है । दूसरी तरफ बणाइ, पाललहड़ा, ढेंकानाल और मयूरभंज के राजाओं ने अग्रेजों की मदद की । विद्रोह का दमन किया गया । भूयांओं ने आत्म समर्पण किया । रत्ना नायक और नंद नायक दोनों को फाँसी दी गयी ।

आपके लिए काम :
भूयां जनजाति के लोगों के रहन - सहन और चाल - ढाल की जानकारी प्राप्त कीजिए ।

भूयां जनजाति के धरणी भूयां ने 1898 ई. में अंग्रेजों के विरुद्ध एक दूसरी जमात का नेतृत्व लिया । यह जमात "धरणी जमात" के नाम से जाना जाता है । राजा धनुर्जय भंज के राज में प्रजा शोषित और पीड़ित थी । प्रजाओं को कई तरह के शुल्क देने पड़ते थे । उनसे बेगारी की जाती थी । इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गयी । 1891 ई. में राजा ने बेगारी करते हुए एक बांध बांधने का आदेश दिया । सारी प्रजाओं ने मिलकर इसका विरोध किया ।

क्या आपको पता है ?
बिना मजुरी के जोर जबरन ली जाने वाली सेवा को बेगारी कहते हैं।

धरणीधर ने इसका नेतृत्व किया। तिजोरी और जेल पर हमला किया गया। धरणीधर केंदुझर गढ़ को अपने कब्जे में लेने में असमर्थ रहे । आखिरकार उन्हें बंदी बना लिया गया । इसी के साथ धरणी जमात भी टूट कर बिखर गयी । विद्रोह को कुचल दिया गया। लेकिन साथ ही अंग्रेज सरकार की आँखें भी खुल गयीं ।

कोल विद्रोह

अंग्रेजों के साथ मयूरभंज की जनता का अच्छा संबंध था । 1810 ई. में अंग्रेज सरकार ने त्रिविक्रम भंज को मयूरभंज का राजा माना । उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र यदुनाथ भंज को राजा की मान्यता मिली । मयूरभंज की जनजातियों में कोल, संधाल और भूमिज आदि प्रमुख थे।

किसी घटना के चलते कोल जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया ।

सिंहभूम के राजा ने कोल अधिकृत इलाके को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की । इसके चलते 1820 ई. में कोलों ने सिंहभूम के राजा घनश्याम सिंह के खिलाफ विद्रोह किया । विद्रोह के दमन में राजा स्वयं असमर्थ रहे । उन्होंने इसके लिए अंग्रेजों की सहायता ली । विद्रोह का दमन हुआ । वामनघाटी के जमींदार ने मयूरभंज के राजा के नियंत्रण से मुक्त रहना चाहा । दूसरी तरफ राजा ने जमींदार से सारी क्षमता और उनका हक वापस ले लिया । इस विवाद में कोलों ने जमींदार का पक्ष लिया ।

1831 ई. में अंग्रेज कमीश्नर स्टॉकवेल ने मयूरभंज के राजा और वामनघाटी के जमींदार दोनों को समस्या के समाधान के लिए बालेश्वर बुलाया । आपसी चर्चा की गयी, पर वह विफल रही । कोलों ने फिर एक बार विद्रोह किया। स्टाकवेल ने जबरदस्ती उस विद्रोह को कुचलने का आदेश दिया । बंगाल की सरकार ने थोमस विलकिंसन को विद्रोह दमन करने की सलाह दी । सरकार के दखल देने पर माधवदास महापात्र वामनघाटी के जमीदार बने । सरकार की यह नीति स्टाकवेल को रास नहीं आयी । इसके चलते 1832 ई. में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ।

कोल फिर से लूट - पाट और मार काट करने लगे। बार-बार विद्रोह करने से उनकी बड़ी दुर्गति हुई । नाराज कोलों ने जमींदार माधवदास महापात्र को हत्या की धमकी दी । माधवदास नरसिंहगढ़ भाग गये । इस मौके का फायदा उठाकर मयूरभंज के राजा ने अपनी सेना की सहायता से वामनघाटी से कोलों को भगाया । उसे अपने अख्तियार में ले लिया । पर कालों का विद्रोह जारी रहा । विलकिंसन ने बंगाल की सरकार को इस घटना में दखल देने की सिफारिश की । कटक के कमीश्नर हेनरी रिकेट ने भी बंगाल की सरकार को सैन्य कार्यवाही के लिए सलाह दी । इससे विद्रोह - दमन के लिए सेना भेजी गयी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया । इसी तरह कोल विद्रोह का अंत हुआ ।

आपके लिए काम :
कोलों की सामाजिक जीवन शैली के बारे में जानने की कोशिश कीजिए ।

संथाल विद्रोह :

22 फरवरी 1912 ई. को मयूरभंज के राजा श्रीरामचंद्र भंजदेव की मृत्यु हुई । उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज सरकार की ओर से तीन प्रशासनिक अधिकारियों को मयूरभंज के शासन की बागडोर सौंपी गयी । वे सारे विदेशी थे । इसलिए शासन के समुचित प्रबंधन के लिए उन्हें स्थानीय सरदार, प्रधान और लिपिकों पर भरोसा करना पड़ा । इसके चलते शासक और शासित के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा । उन्होंने अपने राज्य में विदेशी मुखियाओं का स्वागत नहीं किया । वे इस मौके के इंतजार में रहे कि कब विद्रोह करें। संथाल नेता कंका माझी और कालिआ महंत ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था । इसलिए इसे " संथाल विद्रोह " कहा जाता है । निम्नलिखित कारणों के चलते संथाल विद्रोह हुआ था ।

राजस्व वसूली :

भंज शासन में सरदार, प्रधान, मुखिया और छाटिआ आदि राजस्व वसूलते थे। उनमें से कुछ हिस्सा वे अपने लिए रखते थे और बाकी जमा कर देते थे। फसल उजड़ जाने पर भी लगान वसूल किया जाता था । लगान का भुगतान न कर पाने की स्थिति में लगान वसूलनेवाले उनकी गाय - भैंस आदि बेच दिया करते थे। उनके घर पर ताला लगा देते थे।

आपके लिए काम :
संचालों की भाष के बारे में तथ्य इकट्ठा करो।

लिपिकों की मनमानी :

राजा के शासन काल में सारे लिपिक बाहर के थे । राजा के बाद अंग्रेज राज में उन्होंने अपने कर्त्तव्यों की अवहेलना की । गरीब आदिवासियों का शोषण किया । इसलिए आप जनता नाराज हो गयी ।

सामाजिक वर्गभेद :

1917 ई. के संथाल विद्रोह से पहले आमतौर पर समाज में दो वर्ग के लोग रहते थे । वे थे " शोषक " और " शोषित " वर्ग । संभ्रात और अमीर लोग शोषक वर्ग के थे । किसान, कारीगर और गरीब संथाल आदि शोषित कहलाते थे । समाज में रही इस असमानता की खाई ने उनमें असंतोष की भावना पैदा की ।

प्रत्यक्ष कारण:

प्रथम विश्वयुद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने चाहा कि आदिवासियों को फ्रांस में काम करने के लिए भेजा जाए । मयूरभंज के युवराज पूर्णचन्द्र भंजदेव ने सरकार की इस नीति का समर्थन किया । आदिवासी युवाओं का चयन करने सरदारों को आदेश दिया गया । इससे आदिवासी युवक क्षुब्ध हो उठे।

विद्रोह की तैयारी :

आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की तैयारी की । सांस्कृतिक कार्यक्रम की आड़ में वे इकट्ठे होने लगे । गाँव के मुखियाओं ने इसका नेतृत्व किया । घर-घर जाकर युवक विद्रोह का बीज बोने लगे । अंग्रेजों के विरुद्ध आम जनता भी इस विद्रोह में शामिल हुई । रेणु गाँ के कालिआ महांत , बेतनटी के कंका माझी , चित्रड़ा के नयन सिंह और भीम महांत आदि ने इसका नेतृत्व लिया ।

विद्रोह की गति :

विद्रोहियों ने 1917 ई. में अंग्रेज विरोधी अभियान प्रारंभ किया । पहले बेतनटी हाट में अंग्रेज शासन और जमींदार के शोषण का विरोध हुआ । दूकानें लूट ली गयीं । ब्रिटिश कार्यालय जला दिये गये । डर के मार ब्रिटिश अधिकारी भाग खड़े हुए । अंग्रेज सरकार भी डर गयी । विद्रोहियों ने पुल तोड़ दिये । इससे आवाजाही रूक गयी । विद्रोहियों ने सर्वसम्मति से कंका माझी को राजा, कालिआ महांत को प्रधानमंत्री और नयन सिंह को सेनापति के रूप में चुना । फिर कंका-कालिआ सरकार बनी ।

विद्रोह का दमन :

विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेज सरकार ने मयूरभंज राजपरिवार की सहायता ली । राजा और अंग्रेज सरकार की सम्मिलित सेना पर भी विद्रोहियों ने बाण चलाये । उन पर आक्रमण किया । लेकिन अंग्रेज सेना की बंदूक हमले का सामना न कर सके । आम जनता के साथ सभी नेता गिरफ्तार कर लिये गये । लगभग पाँच हजार विद्रोही बंदी बना लिये गये। इसी तरह विद्रोह का अंत हुआ ।

1857 की महान क्रांति :

अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से दो बातों पर जोर देती थी । पहली है व्यापार के क्षेत्र में अपनी मनमानी और दूसरी है भारतीय व्यापारी कैसे कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा न करें उस पर ध्यान देना । अंग्रेजों ने अपना सामान ऊँची दर पर बेचा । कंपनी ने कलकत्ते (अधुना कोलकाता), बंबई (अधुना मुंबई) और मद्रास (अधुना चेन्नई) में वाणिज्यकोठी और किलों की सुरक्षा को पुख्ता करने तथा साम्राज्य के विस्तार हेतु कंपनी ने सेना का गठन किया। उस सेना में जो भारतीय शामिल हुए उन्हें सिपाही कहा जाने लगा । 1857 ई. में इन सिपाहियों ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह के लिए निम्नलिखित कारण बताये जाते हैं ।

राजनीतिक कारण :

व्यापार करने आये अंग्रेजों ने अपने हाथ सत्ता की बागडोर पकड़ने कोशिश की । इन्होंने एक के बाद एक राजवाड़े पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया । इसी तरह वे अपने साम्राज्य बढ़ाते रहे । इसके अलावा वेलजली की सहायक संधि तथा डेलहौजी के "व्यपगत का सिद्धांत" से बहुत सारे रजवाड़े अंग्रेज साम्राज्य में जा मिले।

मुगल बादशाह बहादुर शाह को लालकिले से कुतब भेज दिया गया। अयोध्या को अंग्रेज साम्राज्य से मिला लिया गया । पेशबा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र नाना साहब की भत्ता बंद कर दी गयी।

सामाजिक कारण :

अंग्रेज शासन से पहले भारत में कई तरह के कुसंस्कार , अंधविश्वास फैले हुए थे । अंग्रेज राज में सती प्रथा का विलोप हुआ । विधवा विवाह का प्रचलन किया गया । दूसरा धर्म ग्रहण करने पर कोई व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होगा , इसके लिए कानून बनाया गया। रेल, डाक तथा तार के जरिए अंग्रेज हमारी प्राचीन संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं , ऐसी धारणा भारतीयों के मन में पैठ गयी । इसके चलते भारतीयों में अंग्रेज विरोधी भावना पैदा हुई ।

क्या आपको पता है ?

पति की चिता में पत्नी को कूद कर मरने के लिए मजबूर करना सती प्रथा है।

धार्मिक कारण :

अंग्रेज राज में मिशनरियों ने लोगों के बीच ईसाई धर्म के प्रति आग्रह पैदा किया । धर्मांतरित होने की स्थिति में उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित होना नहीं पड़ेगा , इसके लिए कानून लाया गया । हिंदुओं को लगने लगा कि ये सब करके अंग्रेज उनके धर्म के साथ छेड़खानी कर रहे हैं । इसलिए वे नाराज हुए ।

सामरिक कारण :

अंग्रेज शासन काल में सिपाहियों को घृणा की दृष्टि में देखा जाता था । उनके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता था । दूर स्थान पर युद्ध करने के लिए जाने से उन्हें किसी तरह की विशेष आर्थिक सुविधा नहीं दी जाती थी । उन्हें कम वेतन मिलता था । भारतीय सैनिकों की तुलना में गोरे सैनिकों को अधिक सुविधा दी जाती थी । सिपाहियों को यह अहसास होने लगा कि सरकार उनकी धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ कर रही है । जो सिपाही अपने माथे पर तिलक लगाते थे, उसे निषिद्ध किया गया । स्थानीय टोपी या पगड़ी पहनने पर पाबंदी लगा दी गयी । सामरिक टोपी पहनने को अनिवार्य कर दिया गया । समुद्र पार होने पर जाति नष्ट हो जाएगी, ऐसी धारणा भारतीयों में थी । किंतु समुद्र पार होकर विदेश में जाकर युद्ध करने के लिए सिपाहियों को मजबूर किया गया । इसके लिए कानून भी बनाया गया । इस कानून से सिपाही नाराज हो गये ।

आर्थिक कारण :

लॉर्ड कॉर्नवॉलिस ने स्थायी बंदोवस्त का प्रचलन किया। जमींदारों ने अपने मनमाने ढंग से लगान वसूल किया । इससे किसान गरीब होता गया और नाराज भी । रजवाड़ों ने अपने राज्य गवाये । इसके चलते उनके पास काम करनेवाले कर्मचारी बेरोजगार हो गये । कई जमींदारों से जमींदारी छीन ली गयी । डेलहौजी के समय बहुत से भू-स्वामियों ने अपनी जमीन गवायी। लगान वसूल करनेवाले कर्मचारियों ने किसानों का शोषण किया। रूई का निर्यात भारत से ईग्लैंड में हुआ करता था। वहाँ के कारखानों में वस्त्र बनते थे। उन्हें भारत लाकर यहाँ बेचा जाता था। ब्रिटिश उद्योग नीति के कारण देश के घरेलू उद्योग का सर्वनाश हुआ। लोग बेरोजगार हो गये। उनके मन में विद्रोह की भावना पैदा हुई।

आपके लिए काम :

अधिक से अधिक कारखाने बनने से घरेलू उद्योग पर उसका क्या असर होगा, कक्षा में उसकी चर्चा करें ।

प्रत्यक्ष कारण :

1857 ई. में सिपाहियों को एक अलग किस्म की बंदूक इस्तेमाल करने के लिए दी गयी । इसे एनफिल्ड बंदूक कहा जाता है । इसमें इस्तेमाल की जाने वाली गोली एक खोल (कारतूस) में रहती थी । उस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है , ऐसी बातें चारों ओर फैल गयीं । गोली को बंदूक में इस्तेमाल करने से पहले उस कारतूस को दाँत से काटना पड़ता था ।

दोनों हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के सिपाहियों ने यह महसूस किया कि ऐसा करके अंग्रेज उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं । इसलिए उन्होंने एकफिल्ड बंदूक के इस्तेमाल का विरोध किया।

(मंगल पांडे)

29 मार्च 1857 को सिपाही मंगल पांडे ने बंगाल के बाराकपुर में एनफिल्ड बंदूक का इस्तेमाल करने से सीधा - सीधा मना कर दिया। अंग्रेज अफसर ने जब उन्हें इसे इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया तब उन्होंने गुस्से में आकर उस बंदूक से उसकी हत्या कर दी । हत्या करने के आरोप में मंगल पांडे को मृत्यु की सजा हुई । उसी साल मई को मेरठ के सिपाहियों ने भी इस बंदूक का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 1857 की यह घटना अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिनगारी बनी । देखते ही देखते विद्रोह की आग देश के कई भागों में फैल गयी ।

विद्रोह की गति :

विद्रोहियों ने अंग्रेजों की हत्या की। उनका घर-बार जला डाला। बुद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। यह विद्रोह महाराष्ट्र, मध्यभारत, राजपूतना और बिहार तक फैल गया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली और झांसी में यह विद्रोह और व्यापक बना। कानुपर के नाना साहब और उनके मंत्री तात्या टोपे ने संग्राम का नेतृत्व लिया । झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोह का नेतृत्व लिया। ओड़िशा के संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय भी इस विद्रो में शामिल हुए।

(नाना साहब)

(झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई)

आपके लिए काम :

(क) विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को क्यों भारत का सम्राट घोषित किया , दूसरों के साथ इसकी चर्चा कीजिए ।

(ख) झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश कीजिए ।

(ग) आजादी की लड़ाई में शामिल होनेवाली ओड़िशा की महिलाओं की एक सूची तैयार कीजिए ।

1857 के सिपाही विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे । विद्रोह दमन के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी । इसलिए पंजाब, नेपाल, हैदराबाद आदि के शासकों ने उनकी सहायता के लिए सेना भेजी थी । दिल्ली में विद्रोह का दमन किया गया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को बंदी बनाया गया । उन्हें म्यामार के रेंगुन स्थित मांडाला जेल में बंदी बनाकर रखा गया। वे भारत के आखिर मुगल बादशाह थे ।

(तात्या टोपे)

कानुपर में नाना साहब परास्त होकर नेपाल के जंगल में भाग गये। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्धभूमि में वीरगति पायी । तात्या टोपे परास्त होकर बंदी बना लिये गये । जगदीशपुर के कनवर सिंह मारे गये । इसी तरह विद्रोह असफल रहा । इस महान क्रांति को भारत की आजादी की पहली लड़ाई कहा जाता है ।

(कनवर सिंह)

परिणाम :

विलायत में बैठी अंग्रेज सरकार को यह भनक लग गयी कि भारतीय जनता अब विद्रोह करने उतर आयी है । सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की त्रुटियों और कमजोरियों को महसूस किया । इसलिए 1858 ई. में कंपनी के हाथ से शासन की बागडोर अंग्रेज सरकार के हाथ में आयी, इसके लिए कानून बनाया गया । इस कानून के चलते भारत शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से खिसक कर अंग्रेज सरकार के हाथ में आ गयी । अंग्रेज सरकार के एक मंत्री को भारत शासन की जिम्मेदारी सौंपी गयी । भारत में नियुक्त गवर्नर जनरल इंग्लैंड की रानी के प्रतिनिधि बनकर कार्य करते रटे । उन्हें वायसराय कहा जाने लगा । ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन में भारत शासित होने लगा ।

1 नवंबर 1858 ई. को इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने इलाहाबाद में एक घोषणापत्र पढ़ा, जिसमें यह कहा गया कि अब भारत की सारी शासन क्षमता अंग्रेज सरकार ने अपने हाथ में ले ली है । इस घोषणापत्र में कुछ बातों का उल्लेख किया गया था, जो इस प्रकार हैं -

(क) कंपनी शासन काल में रजवाड़ों के साथ हुए समझौते ज्यों के त्यों बने रहेंगे ।

(ख) रजवाड़ों की क्षमता, पद-मर्यादा और सम्मान अक्षुण्ण बना रहेगा ।

(ग) भारतीयों की धार्मिक आस्था पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा ।

(घ) भारतीयों की परंपरा, सामाजिक रीति - नीति में भी कोई दखलअंदाजी नहीं की जाएगी ।

(ङ) जाति, धर्म और वर्ण के ऊपर उठकर सभी भारतीयों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी।

सेना के लिए एक नयी रेजिमेंट का गठन हुआ । विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए विद्रोह को और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है, भारतीयों का ऐसा अनुभव होने लगा ।

1857 की क्रांति में ओड़िशा की भूमिका :

(वीर सुरेंद्र साय)

1857 ई. की राष्ट्रीय क्रांति के समय भारत के दूसरे इलाकों की भाँति ओड़िशा में भी उल्लेखनीय ऐतिहासिक घटना घटित होने लगी । इस समय वीर सुरेंद्र साय की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही ।

संबलपुर के खिंडा गाँव में 1809 ई. में वीर सुरेंद्र साय का जन्म चौहान राजपूत परिवार में हुआ था । उनके पिता का नाम था धरम सिंह । वे चौहान राजवंश के बलियार सिंह के उत्तराधिकारी थे । 1827 ई. में राजा महाराज साय की मृत्यु हुई । उसके बाद उनकी विधवा पत्नी रानी मोहन कुमारी को अंग्रेज सरकार के प्रशासनिक अधिकारी शासन सत्ता सौंप दी। इससे सुरेन्द्र साय अपने हक से वंचित रहे और नाराज भी हुए। गंड और बिंझाल आदिवासियों ने सुरेंद्र साय के इस दावे के प्रति अपना समर्थन जताया । विद्रोह हुआ । रानी विद्रोह दमन करने में असफल रही । अंग्रेज सरकार ने 1837 ई. रानी की जगह नारायण सिंह को गद्दी सौंपी । इससे सुरेंद्र साय और भड़क उड़े । आम जनता ने सुरेंद्र साय का समर्थन किया। अंग्रेज सरकार ने विद्रोह का दमन किया । सुरेंद्र साय को 1840 ई. में बंदी बनाकर हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। वीर सुरेंद्र साय ने संबलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लिया था । वे तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और नाना साहब जैसे क्रांतिकारी ही थे ।

आपके लिए काम :
वीर सुरेन्द्र साय का प्रमुख चरित्र उजागर करते हुए एक नाटक तैयार कीजिए ।

31 जुलाई 1857 को विद्रोहियों ने हजारीबाग जेल को तोड़कर कैदियों को मुक्त कर दिया । मुक्त किये गये कैदियों में सुरेंद्र साय और उनके छोटे भाई उदंत साय भी थे । उन्होंने संबलपुर आकर अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया ।

जमींदार, गौंतिया और प्रभावशाली व्यक्तियों ने उनका स्वागत - सत्कार किया । सुरेंद्र साय के सशस्त्र आविर्भाव से अंग्रेज सेनापति ली भयभीत हो गये । सुरेंद्र साय के आवेदन - पत्र को उच्च पदाधिकारियों के पास भेजने का उन्होंने आश्वासन दिया । उनकी सलाह पर कुछ दिन तक वे संबलपुर में इंतजार करते रहे । उसके बाद जब कुछ फैसला नहीं आया तो वे अपने को नजरबंदी जैसा महसूस करने लगे । फिर बिना देर किये पुलिस की आँखों में धूल झोंककर वे अपनी जन्मभूमि खिंडा लौट आये । उनके बुलावे पर संबलपुर के जमींदार, गौंतिया, आदिवासी और आम जनता विद्रोह में शामिल हुए।

क्या आपको पता है ?

गाँव के मुखिया के रूप में जमींदार की तरफ से लगान वसूल करने और मामलों का विचार करने वाले को गौंतिया कहते हैं ।

वीर सुरेन्द्र साय ने अपने समर्थकों को चार दल में बाँटा। एक दल का नेतृत्व उनके छोटे भाई उदंत साय ने लिया। दूसरा दल झारसुगुड़ा की घाटी में उनके साथ तैनात रहा । इसने हजारीबाग और रांची के साथ संबलपुर का संपर्क काट दिया । तीसरा दल लोइसिंहा के जमींदार की अगवाई में कटक - संबलपुर के राजमार्ग पर वट घाटी में तैनात रहा । चौथे दल का नेतृत्व घेंस के जमींदार माधो सिंह ने लिया । उनके इस दल ने संबलपुर - नागपुर राजमार्ग की सिंगोड़ा घाटी में रहकर इस रास्ते पर अपना कब्जा कर लिया । युद्ध करते हुए माधो सिंह बंदी बना लिये गये। उन्हें मृत्यु दंड मिला ।

सुरेन्द्र साय ने अधिक से अधिक पाइकों को इकट्ठा किया । विद्रोहियों का मुकाबला करने नागपुर से कप्तान इ. जी उड कुछ घुड़सवार सैनिकों को साथ लेकर संबलपुर आ पहुँचे । कुड़ोपल्ली के पास विद्रोहियों ने उन पर हमला किया । इस हमले में 53 विद्रोहियों के साथ सुरेंद्र साय के भाई छबिल साय भी मारे गये। विद्रोहियों ने कप्तान उड की हत्या की ।

29 मार्च 1958 ई. को कर्नल फोरेस्टर अपने साथ सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी लेकर संबलपुर आ पहुँचे । उन्होंने बहुत अत्याचार किये। विद्रोही जमींदारों को बंदी बनाया और फाँसी की सजा दी । बड़ी निर्ममता से विद्रोह को कुचलने की कोशिश होती रही । 24 सितंबर 1861 ई. को कमीश्नर मेजर इंफे ने यह घोषणा की कि सुरेन्द्र साय, उनके भाई उदंत साय और बेटे मित्रभानु के अलावा अन्य सभी विद्रोहियों को माफ कर दिया जाएगा । इससे कई सारे विद्रोहियों ने जंगल से वापस आकर सरकार के पास आत्म समर्पण किया । सुरेंद्र साय की राजगद्दी के सवाल को ठुकरा दिया गया ।

संबलपुर के डिप्टी कमीश्नर क्युंबर लेज ने 1863 ई. में सुरेंद्र साय और उनके साथियों को बंदी बनाने का आदेश दिया । 23 जनवरी 1864 ई. को सुरेंद्र साय बंदी बना लिये गये। असीरगढ़ किले में वे आजीवन बंदी बनकर रहे । 28 फरवरी 1884 ई. को उनकी मृत्यु हुई ।

●

हमने क्या सीखा ?

- जयी राजगुरु और बक्सि जगबंधु जैसे महान योद्धाओं की कर्म निष्ठा, त्याग और देशप्रेम ।
- स्वतंत्रता आंदोलन पर खुरधा के पाइक विद्रोह , घुमुसर के कंध विद्रोह , केंदुझर के भूयां विद्रोह और मयूरभंज के कोल तथा संथाल विद्रोह का प्रभाव।
- 1857 के सिपाही विद्रोह के विविध कारण और परिणाम।
- मंगल पांडे , नाना साहब , तात्या टोपे , झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई , वीर सुरेंद्र साय जैसे क्रांतिकारियों का योगदान ।

प्रश्नावली

1. सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग पचहत्तर शब्दों में लिखिए ।

(क) राजा मुकुंद देव द्वितीय के शासन - काल के प्रारंभिक दिनों में क्या-क्या समस्याएँ दिखाई पड़ीं ?

(ख) खुरधा राजा के साथ अंग्रेजों का क्यों युद्ध हुआ ?

(ग) विप्लवी जयी राजगुरु को क्यों फाँसी की सजा दी गयी ?

(घ) पाइक विद्रोह के प्रमुख कारण क्या - क्या हैं ?

(ङ) कंध विद्रोह में दोरा और चकरा बिशोइ की क्या भूमिका रही , उसका वर्णन कीजिए।

(च) भूयांओं ने अंग्रेजों के खिलाफ क्यों विद्रोह किया ?

(छ) " धरणी जमात " क्या है ? क्यों इसका जन्म हुआ ?

(ज) कोलों ने क्यों विद्रोह किया ?

(झ) संथाल विद्रोह कैसे आगे बढ़ता चला ?

(ञ) सिपाही विद्रोह के प्रमुख कारण क्या - क्या हैं ?

(ट) सिपाही विद्रोह का परिणाम क्या हुआ ?

(ठ) सुरेंद्र साय ने क्यों विद्रोह किया ?

2. सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग बीस शब्दों में लिखिए ।

(क) शहीद जयी राजगुरु का जन्म कब और कहाँ हुआ था ?

(ख) राजा मुकुंद देव को कहाँ बंदी बनाया गया और बंदी मुक्त कराके उन्हें कहाँ ठहराया गया ?

(ग) जगबंधु का पूरा नाम क्या है ? वे क्या थे ?

(घ) पाइक विद्रोह कहाँ - कहाँ तक फैल गया था ?

(ङ) किन - किन लोगों ने कंध विद्रोह का नेतृत्व लिया था ?

(च) भूयां विद्रोह कब हुआ और किसने इसका नेतृत्व लिया ?

(छ) किन - किन लोगों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व लिया था ?

(ज) किसने " व्यपगत का सिद्धांत " का प्रवर्तन किया था ?

(झ) हिंदू और मुसलमान दोनों ने क्यों एनफिल्ड बंदूक के इस्तेमाल का विरोध किया था ?

(ञ) मंगल पांडे को क्यों मृत्यु दंड मिला ?

(ट) रानी विक्टोरिया ने कहाँ पर घोषणा पत्र का पाठ किया था ?

(ठ) सुरेंद्र साय ने ली से कब मुलाकात की थी ?

3. कोष्ठक में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए ।

(क) जयी राजगुरु ने _____ ई. में शासन - सत्ता की बागड़ोर अपने हाथ में ले ली ।

(1857 , 1804 , 1798 , 1803)

(ख) विद्रोहियों ने हजारीबाग जेल को तोड़ दिया जिससे _____ मुक्त हो गये ।

(चकरा बिशोइ , बक्सि जगबंधु , जयी राजगुरु , सुरेंद्र साय)

(ग) 1817 ई. में _____ विद्रोह हुआ था ।

(पाइक , संथाल , सिपाही , कोल)

(घ) _____ ने चकरा बिशोइ को पकड़ा देने पर तीन हजार रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की थी ।

(कैनिंग , डेलहौजी , वेलजली , कर्नवालिस)

4. रेखांकित भाग को बिना बदले त्रुटियों को सुधारो ।

(क) राजा मुकुंद देव द्वितीय को पुरी का राजा घोषित किया गया ।

(ख) 1898 ई. में भूयां संप्रदाय के रतना ने एक जमात का नेतृत्व लिया ।

(ग) संथाल विद्रोह 1817 ई. में हुआ था ।

(घ) कनवर सिंह नाना साहब के मंत्री थे ।

5. " क " स्तंभ के साथ " ख " स्तंभ का मिलान करें ।

" क "	" ख"
1804	कृषिकार्य और युद्ध
पाइक	एनफिल्ड बंदूक
घुमुसर	खुरधा अधिकृत
कंकामाझी	धनंजय भंज
मंगल पांडे	कालिआ महांत

•

आपके लिए काम :

शिक्षकों की सहायता से उन्नीसवीं सदी में ओड़िशा में हुए अलग - अलग विद्रोह में भाग लेने वाले इन विद्रोहियों की जीवनी और उनके योगदान के बारे में संक्षेप में लिखिए ।

जयी राजगुरु , बक्सि जगबंधु , दोरा बिशोइ ,चकरा बिशोइ , सुरेंद्र साय , रत्ना नायक

चतुर्थ अध्याय

ब्रिटिश आर्थिक नीति और भारत पर उसका प्रभाव

कृषि और उद्योग पर प्रभाव :

भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के साथ - साथ आर्थिक स्थिति पर भी अंग्रेज शासन का व्यापक प्रभाव पड़ा । पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था में लगभग सारे गाँव स्वावलंबी थे । अपनी आवश्यकता को देखते हुए लोग भोजन तथा दूसरी सामग्रियों का उत्पादन करते थे। अधिकतर वे बाजार पर निर्भर नहीं करते थे। ग्रामीण जनता के इस आर्थिक स्वावलंबन से देश को एक तरह की आर्थिक स्वतंत्रता मिलती थी । लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक व्यापारिक संस्था द्वारा चलने वाली अंग्रेज सरकार ने भारत के आर्थिक स्वावलंबन को विध्वंस कर डाला । इसके चलते भारत साम्राज्यवादी तथा औपनिवेशिक आर्थिक नीति की जकड़ में आ गया । इससे लोगों का नुकसान हुआ ।

भारत में पहले राज करने वाले तुर्क और मुगलों से अंग्रेज बिलकुल ही अलग थे । उन्होंने कभी भी भारत को अपना निवास नहीं माना । भारत से निरंतर धन - संपदा का दोहन कर वे हमेशा अपने देश इंग्लैंड के औपनिवेशिक आर्थिक विकास की बात सोचते रहे । उन्हें मिलने वाली मोटी रकम की तंख्वा विदेश चली जाती थी । लगान भी भारत से जाता था । साम्राज्य के विस्तार तथा उसकी सुरक्षा के लिए भारत में उन्हें एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी । उसका सारा खरचा भारत पर ही था । इसके अलावा जब उद्योग क्रांति शुरू हुई तब कम कीमत पर भारत से कच्चा माल और खाद्यान्न निर्यात होने लगे । इसके बदले खूब मुनाफे से भारत में विदेशी सामग्रियाँ बेची जाने लगीं । भारत की स्वावलंबन पारंपरिक आर्थिक नीति इन सारी आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए समर्थ न थी । इससे आर्थिक नीति में आमूलचूल परिवर्त्तन की आवश्यकता बन पड़ी ।

कृषि व्यवस्था में परिवर्तन :

अंग्रेजी शासन काल में सरकारी खरचा बढ़ने लगा । उसकी भरपाई के लिए भू - राजस्व की वसूली भी बढ़ा दी गयी । फिर सही समय पर सही लगान की वसूली जरूरी हो गयी । नहीं तो, योजना के अनुरून पहले ही व्यय की अटकलें लगाना संभव नहीं था । औपनिवेशिक आवश्यकता को दृष्टि में रखकर सरकार ने जमीन संबंधी के नयी बंदोवस्त नीति अपनायी। नतीजा, किसान और खेत का संबंध बदल गया ।

स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था :

भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 ई. में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रचलन किया । इस बंदोबस्त के अनुसार जमीन पर स्थायी रूप से लगान लागू किया गया । सरकार की ओर से जमींदार वह लगान वसूल करेंगे ऐसा निर्णय लिया गया । एक निश्चित अवधि या उससे पहले यदि स्थिरीकृत लगान जमींदार सरकार की तिजोरी में जमा नहीं करते थे, तो सूर्यास्त कानून के बल पर उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी ।

बड़ी कठोरता से यह नियम लागू होने के कारण अनेक जमींदारों की जमींदारी चली गयी । उनकी जगह नये जमींदार नियुक्त हुए । कई जमींदार अपनी जमींदारी चले जाने के डर से नियत समय से पहले प्रजाओं से लगान वसूलने लगे । लगान चुकाने के लिए प्रजाओं ने महाजनों से ब्याज पर पैसा लिया । लगान न चुका पाने के कारण कइयों की जमींन चली गयी । कई बार तो ऐसी नौबत भी आयी कि ऋण और सुद बहुत अधिक हो गये, जिससे उनकी जमींन जब्त कर ली गयी । यानी इसके बाद जमींन बेची - खरीदी जाने लगी और असली प्रजा भूमिहीन बनने के लिए मजबूर हो गयी ।

रैयतबाड़ी या अस्थायी बंदोबस्त :

मद्रास और बंबई में सरकार ने थॉमस मुनरो द्वारा तैयार किया गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया । इसमें रैयत या प्रजा खुद सरकारी तिजोरी में लगान जमा करने लगी। इस बंदोवस्त में हर 20 या 30 वर्ष अंतराल में लगान निश्चित करने का कानून बनाया गया । इस बंदोवस्त में जमींदार नहीं थे फिर भी सरकार जमींदार की भाँति बड़ी कठोरता से निश्चित अवधि से पहले लगान वसूल करती रही । इसलिए बंगाल की तरह यहाँ भी प्रजा अधिक ब्याज देकर कर्ज करने के लिए मजबूर हुई और महाजन के चंगुल में फँसी । इस प्रक्रिया में नौबत यहाँ तक आती थी कि उन्हें अपनी जमींन खो देनी पड़ती थी ।

क्या आपको पता है ?

सर थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोवस्त के प्रवर्त्तक थे । 1820 ई. में वे मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे । उनका मानना था कि अगर सरकार प्रजाओं के साथ जमींन का बंदोबस्त करेगी, तो सरकार अधिक लगान वसूल कर सकती है।

महालवाड़ी बंदोबस्त :

पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में प्रजाओं को अपने -अपने महाल या गाँव के जरिए लगान जमा करना पड़ता था। सरकार महाल के साथ जमींन संबंधी बंदोबस्त का अनुबंध करती थी , इसलिए इसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं । यह बंदोबस्त एक तरह का अस्थायी बंदोबस्त था । ग्राम - समाज लगान वसूल करने प्रजाओं पर दबाव डालता था। इसी वजह से लगान जमा करने के लिए प्रजाओं को कर्ज लेना पड़ता था ।

कुल मिलाकर देखें तो इन नये बंदोवस्तों से जमींन अब बेची-खरीदी जानेवाली वस्तु हो गयी । लगान का भुगतान न कर पाने से अथवा लगान चुकाने के लिए किये कर्ज तथा सुद का भुगतान करने में असमर्थ प्रजाओं की जमींद छीन ली गयी । वे भूमिहीन हो गये । दूसरी तरफ साहूकार और महाजनों ने जमींन का सत्व अपने - अपने नाम कर लिया । जमींन के ये नये मालिक प्रत्यक्ष रूप से खेती का काम नहीं करते थे। दूसरी तरफ बटाई खेती करनेवाले भूमिहीन किसान अपनी गरीबी के चलते कृषि की उन्नति न कर सके । इसी तरह कृषि और कृषक की आर्थिक स्थिति दिन - प्रतिदिन खराब होती चली गयी ।

घरेलू उद्योग की अद्योगति:

अठारहवीं सदी तक हस्तशिल्प और कारीगरी के लिए भारत की ख्याति विश्व भर में थी । हस्तशिल्प से तैयार गहने , रेशमी वस्त्र आदि शौकिन तथा विलासपूर्ण सामग्रियाँ विदेश को निर्यात की जाती थीं । लाखों की तादात में कारीगरों को इसमें नियुक्ति मिलती थी । ये सभी कारीगर नाम मात्र किसान थे । कृषि और कारीगरी के सहारे वे स्वावलंबी थे । गोवा, सूरत, ढाका, वाराणसी, चित्तागंज, लाहौर आदि शहर हस्तशिल्प उद्योग के प्रमुख केन्द्र थे ।

उन्नीसवीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई । उसके बाद मशीन से बनाये गये कपड़े तथा दूसरी विदेशी सामग्रियाँ भारत में आ गयीं, जो सस्ती भी थीं । अपने उद्योग के विकास के लिए अंग्रेज सरकार ने आयत की गयी सामग्री पर वाणिज्य कर भी छूट दी । दूसरी तरफ पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से पारिवारिक हस्तशिल्प से तैयार स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लोगों की रुचि घटने लगी । हस्तशिल्प उद्योग के पतन से कारीगरों को खेती पर निर्भर करना पड़ा । उस समय खेती भी बदहाल थी । इससे बहुत सारे कारीगर मजदूर बन गये । इसी वजह से देश में गरीबी बढ़ती चली और देश का आर्थिक स्थिति नाजुक हो गयी । अकाल के कारण लाखों की संख्या में लोग कीड़े - मकोड़े की भाँति भूखे मर गये । गरीबी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी ।

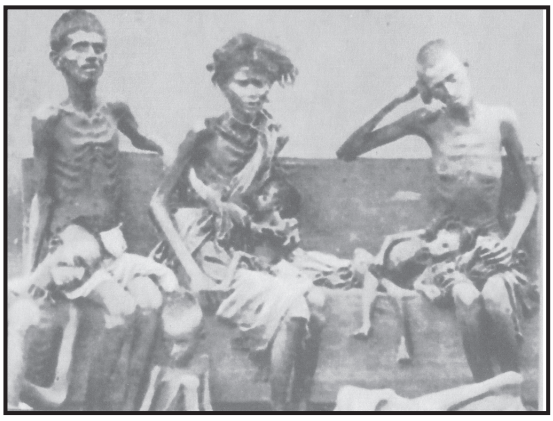

(नौअंक अकाल)

1866 ई. में ओड़िशा में भयंकर अकाल पड़ा , जिसे नौअंक अकाल कहा जाता है । इस अकाल में दस लाख से अधिक लोगों के मरने का अनुमान है ।

क्या आपको पता है ?

पुरी राजा दिव्य सिंह देव के राजत्व के नौवें वर्ष अर्थात 1866 ई. में ओड़िशा में जो अकाल पड़ा था उसे "नौअंक अकाल" कहा जाता है ।

बीसवीं सदी में आधुनिक उद्योग का विकास :

उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई । उस समय तक अंग्रेज भारत को कच्चामाल के उत्स तथा शिल्प सामग्री का बाजार मानते थे । लेकिन 1850 ई. के बाद भारत में कपास, जूट तथा कोयला आदि के क्षेत्र में आधुनिक उद्योग की स्थापना हुई । इन कारखानों में हजार - हजार मजदूर नियुक्त हुए । पर गरीबी में छटपटाते बेरोजगारों की संख्या इससे कई गुना अधिक थी ।

भारत में पहली कपड़ा मिल की स्थापना 1853 ई . में बंबई में हुई । उसके दो साल बाद 1855 ई. में बंगाल के रिश्रा में पहला जूट कारखाना बना । इस तरह दिन प्रतिदिन कपड़ा मिल और जूट कारखानों की संख्या बढ़ने लगी । जूट कारखाने मुख्यत: बंगाल में और कपड़ा मिल महाराष्ट्र तथा गुजराज में स्थापित होने लगी । 1915 ई. तक आते आते देश भर में कुल 206 कपड़ामिलें स्थापित हो चुकी थीं । उनमें लगभग दो लाख के करीब मजदूर काम करते थे । उसी तरह 1901 ई. तक देश में 36 कुल जूट कारखाने बन चुके थे । उनमें एक लाख से ऊपर मजदूरों को नियुक्ति मिली थी । इस समय कोयले की खान में भी करीब - करीब एक लाख मजदूर काम करते थे । इसके अलावा चीनी , चमड़ा, लोहा व इस्पात और सिमेंट आदि के नये कारखानों की स्थापना भी की गयी ।

भारी कारखानों के अलावा इस समय चाय ,कॉफी और नील की खेती का उद्योग भी शरू हुआ । चाय की बगीचे

(असम चाय की बगीचे)

मुख्यत: असम और बंगाल के दार्जिलीं में थे और कॉफी के बगीचे दक्षिण भारत में । नील की खेती बिहार और बंगाल में शुरू हो गयी । यूरोप के बाजार में चाय, कॉफी और नील की बहुत अधिक माँग थी । इन उद्योगों का सत्व यूरोपीयों के पास था । नील की खेती करनेवाले किसानों पर बड़े जुल्म ढाये जाते थे। चाय तथा कॉफी के बगीचे में काम करने वाले कुलियों को बहुत ही कम मजदूरी मिलती थी । उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और शारीरिक अत्याचार भी होते थे। अंग्रेजों की सरकार थी इसलिए अत्याचार करनेवाले बगीचे के मालिक या साहेबों के खिलाफ कहीं एकाध कार्रवाई हो जाए तो बहुत बड़ी बात थी ।

द्वितीय विश्वयुद्ध (1939-1945) के दौरान इंग्लैंड में उत्पादित सामग्रियाँ पर्याप्त नहीं हुईं। इसलिए भारत में कई नये कारखाने स्थापित हुए । फिर भी आवश्यकता के अनुरूप देश में उद्योग का विकास नहीं हो पाया ।

आपके लिए काम :

आपके ग्रामीण इलाके के गरीब लोगों के आर्थिक विकास के लिए एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करो ।

पारंपरिक हस्तशिल्प के पतन के बाद जितने लोग बेरोजगार हुए, अपनी आजीविका खोयी; उसकी तुलना में नियुक्ति पाने वाले मजदूरो की संख्या बहुत थोड़ी ही थी । ऊपर से अधिकतर कारखानों का सत्व यूरोपीयों के पास था । इसलिए मजदूरों को कम मजदूरी मिलती थी और उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता था । इसी बात से मजदूरों में एकता की भावना पैदा हुई ; जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में मददगार साबित हुई । इधर कुछ भारतीय उद्योगपतियों का भी आविर्भाव हुआ , जो अंग्रेज उद्योगपतियों द्वारा बराबर उपेक्षित होते रहे । नतीजा, राष्ट्रीय आंदोलन को इनसे बल मिला।

कुल मिलाकर कहें तो अंग्रेज शासन काल में भारत के आर्थिक ढाँचे में आमूलचूल परिवर्त्तन हुआ । पारंपरिक आर्थिक ढाँचे के बदले एक नया आर्थिक ढाँचा शुरू हुआ । पारंपरिक उद्योग और करीगरी का पतन हुआ । नये उद्योग स्थापित हुए । किंतु इससे जितनी भारी मात्रा में कारीगर बेरोजगार हुए उसकी तुलना में बहुत ही कम लोगों को नये उद्योग में मजदूर के रूप में नियुक्ति मिली। बंदोबस्त के चलते किसानी का काम करनेवाली बहुत सी प्रजाएँ भूमिहीन हो गयीं । जमींन के नये मालिकों ने कृषि के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये । इस दृष्टि से देखें तो अंग्रेज शासन काल में भारत की आर्थिक स्थिति औपनिवेशिक थी; जो विशेष रूप से आधुनिक तथा समुन्नत नहीं हो सकी।

●

हमने क्या सीखा ?

- विविध बंदोबस्त का प्रचलन।
- 1866 ई. के नौअंक अकाल की भयावहता।
- भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ।
- हस्तशिल्प और कारीगरी के विलय के कारण।

प्रश्नावली

1. सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग पचहत्तर शब्दों में लिखिए ।

(क) नये कारखानों की स्थापना के बाद भी भारत में क्यों बेरोजगारों की संख्या बढ़ती गयी ?

(ख) बंगाल में ही क्यों अधिकतर जूट कारखानों की स्थापना की गयी ?

(ग) उन्नीसवीं सदी में भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प का पतन क्यों हुआ ?

(घ) अंग्रेज भारत से कैसे धन - संपदा लूटकर ले जाते थे ?

(ङ) किन आर्थिक कारणों से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ होगा, इस संबंध में आपका क्या अनुमान है ?

(च) अंग्रेज राज में शुरू हुए नये आर्थिक ढाँचों का उल्लेख कीजिए ।

(छ) बगीचा उद्योग की स्थापना भारत में कैसे हुई, उसका वर्णन कीजिए ।

(ज) अंग्रेज शासन काल में हस्तशिल्प की क्या स्थिति थी, वर्णन कीजिए ।

2. सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग बीस शब्दों में लिखिए ।

(क) बंगाल में अधिकतर जूट कारखानों की स्थापना के पीछे क्या वजह रही होगी ?

(ख) असम के चाय बगीचे में काम करने वाले कुलियों की दयनीय स्थिति का क्या कारण है ?

(ग) भारत के किस इलाके में नील की खेती की शुरूआत हुई थी ?

(घ) मजदूरों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होने के पीछे क्या वजह हो सकती है ?

3. रिक्त स्थान भरिए :

(क) इंग्लैंड से भारत में बड़ी भारी मात्रा से _____ आयात होता था ।

(ख) _____ ई. में ओड़िशा में नौअंक अकाल पड़ा था ।

(ग) भारत में पहली कपड़ामिल की स्थापना _____ ई. में हुई थी ।

(घ) _____ में भारत का पहला जूट कारखाना स्थापित हुआ था ।

4. "क" स्तंभ के साथ "ख" स्तंभ का मिलान करो ।

"क"	"ख"
1793 ई.	इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति
1855 ई.	स्थायी बंदोबस्त
1939 ई.	नौअंक अकाल
1866 ई.	द्वितीय विश्वयुद्ध का आरंभ

•

पंचम अध्याय

भारत में राष्ट्रीयतावादी आंदोलन

भारत में राष्ट्रीयतावाद के विकास के कारण :

उन्नीसवीं सदी के आरंभ से ही समय - समय पर अंग्रेज शासन का विरोध करनेवाले संगठनों का आविर्भाव हुआ। क्षेत्रीय विद्रोह से लेकर राष्ट्रीय विद्रोह तक कई विद्रोहों का संचालन इनके द्वारा हुआ । किसान और आदिवासी समय - समय पर क्षेत्रीय विद्रोही बनकर उभरे । उन्होंने कई स्थानों पर विद्रोह किया । उनमें से ओड़िशा का पाइक विद्रोह , संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह आदि उल्लेखनीय हैं । 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह का एक जीता जागता नमूना है । भारत की जनता ने कभी भी विदेशी शासन का स्वागत नहीं किया है । हमेशा से वे राष्ट्रीयतावादी भावधारा की कायल रही हैं । वक्त - वेवक्त में "यह मेरा देश है " इसी भावना से देशप्रेमी जनता आत्मविभोर हो उठी है । भारत में राष्ट्रीयतावाद के विकास के निम्नलिखित कारण गिनाये जाते हैं

क्या आपको पता है ?
एकता की भावना संजोये अपने देश तथा मातृभूमि से प्रेम करना ही "राष्ट्रीयतावाद" है ।

सामाजिक और सांस्कृति एकता :

प्राचीन काल में मुनि - ऋषियों ने हिमालय से लेकर कुमारीका तक के भू - भाग को भारतवर्ष का नाम दिया था । यहाँ के सभी अधिवासी भारतीय कहलाते थे । भारतवर्ष में हिमालय पर्वत तथा गंगा - यमुना जैसी नदियों को सभी पवित्र मानते हैं । भारत के विभिन्न स्थानों पर सभी धर्म के तीर्थस्थल हैं। जाति, धर्म, वर्ण से ऊपर सभी भारतीय जो पर्व - त्योहार मनाते हैं, जिन रीति - नीति, प्रथा - परंपरा आदि का पालन करते हैं उनमें भी समानता दिखलायी पड़ती है । खान - पान , रहन - सहन तथा पोशाकें अलग - अलग हैं । उनमें क्षत्रीयता की छाप स्पष्ट झलकती है, फिर भी देश के सभी इलाकों में इनके प्रति आदर का भाव है । यही सामाजिक और सांस्कृतिक एकता ही भारतीयों के मन में राष्ट्रीय चेतना का भाव जगाने में सहायक हुई ।

राजनीतिक एकता :

इतिहास के विभिन्न काल खंडों में एक शासन - सूत्र में बंधे रहने के कारण भारतीयों में एकता की भावना पैदा हो गयी थी । अंग्रेज शासन काल में भारत के सभी इलाकों में राजनीतिक एकता सुदृढ़ होने लगी । पूरा देश अंग्रेजों के साम्राज्य के रूप में परिचित हुआ । भारत की सभी देशीय रियासतों पर ब्रिटिश सरकार ने अपना कब्जा बना लिया । ये सारी बातें भारतीयों के मन में परोक्ष रूप से राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देने में सहायक हुईं । अंग्रेजों ने शायद यह कल्पना भी नहीं की थी कि उनके द्वारा पनप रही यह राजनीतिक एकता एक दिन भारतीयों में राष्ट्रीयतावाद को जन्म देगी ।

अंग्रेजी भाषा का प्रचलन :

क्षेत्रीयता के आधार पर भारत में अनेक भाषाभाषी के लोग रहते हैं । ब्रिटिश शासन के दौरान विलियम बैंटिक ने भारत में अंग्रेजी भाषा तथा शिक्षा का प्रचलन किया । अंग्रेजी भाषा के प्रचलन से भारत की शिक्षित जनता आपस में उसी भाषा में भाव संप्रेषण करने में सक्षम हुई । यह भी भारतीयों में एकता की भावना पैदा करने में सहायक हुआ । इससे राष्ट्रीयतावाद का उन्मेष होने लगा । अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेजी

शिक्षित बौद्धिक वर्ग ने अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूस क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड क्रांति, इटली और जर्मनी एकीकरण आदि विद्रोह के बारे में ज्ञान हासिल किया, रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू आदि पाश्चात्य दार्शनिकों के राष्ट्रवादी चिंतन से प्रभावित हुए । भारतीयों को पाश्चात्य के लोकतत्र, स्वतंत्रता, साहित्य, दर्शन, राजनीति और इतिहास आदि के बारे में जानने का मौका मिला । उन्होंने इन सबका प्रयोग भारत में करना चाहा और विदेशी शासन सत्ता के चंगुल से स्वतंत्र होने का भरसक प्रयास किया ।

आपके लिए काम :
भारत में अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष और विपक्ष में एक तर्क सभा का आयोजन कीजिए ।

नवजागरण :

भारत में बौद्धिक और आध्यात्मिक जागरण पैदा करने में राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानन्द आदि समाज सुधारकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही । उन्होंने समाज में प्रचलित कुसंस्कार, अंधविश्वास आदि का विरोध किया । पीड़ित जनता की सेवा के संदर्भ में पाश्चात्य चिंतन का पक्ष लिया । वेद की महानता के बारे में आम जनता को अवगत कराया । उनके इन्हीं प्रयासों को ही नवजागरर कहा जाता है । उन्होंने भारत में पुनर्जागरण लाने की कोशिश की । स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आम जनता को प्रेरणा दी । सर सैयद अहम्मद खान ने मुसलमानों में नवजागरण पैदा किया ।

ब्रिटिश शासन का अवदान :

बैंटिक के द्वारा अनेक सामाजिक कुसंस्कार के उन्मूलन तथा अंग्रेजी भाषा के प्रचलन ने भारतीयों में राष्ट्रीयतावादी भावधारा को जन्म दिया । भारत में ब्रिटिश शासन के प्रचलन से भी भारतीयों में राष्ट्रीयतावादी चिंतन का उद्रेक हुआ । गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल और डाक सेवा का प्रचलन किया । इस व्यवस्था ने देश के प्रबुद्ध लोगों के बीच संपर्क बनाने में खूब मदद दी । इससे भारतीय एकता के सूत्र में बंधे । लॉर्ड रिपन द्वारा लागू की गयी स्वायत्त शासन व्यवस्था ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना पैदा की ।

आपके लिए काम :
१. भारत में अंग्रेज शासन आशीर्वाद था या अभिशाप ? इसके बारे में बाद - विवाद - संवाद का आयोजन कीजिए ।
२. "भारतीय प्रशासनिक सेवा" (IAS) बनने के लिए आपको क्या करना होगा , इसके बारे में किसी से पूछकर लिखिए ।

ब्रिटिशों की दोषपूर्ण शासन नीति :

अंग्रेज शासन में शासन क्षेत्र में भारतीयों को हिस्सेदारी का मौका मिले, इसके लिए कोई गुजांइश नहीं थी । भारत में अंग्रेज शासन के प्रमुख गवर्नर जनरल ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून के अनुसार यहाँ शासन किया करते थे। बड़े लाट उनकी कार्यकारी तथा व्यवस्थापक परिषद की मदद से शासन व्यवस्था का प्रबंधन करते थे । इन परिषदों के अधिकांश सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों के मन में नाराजगी जगी।

दूसरी तरफ ब्रिटिश सत्ता भारतीयों का दमन तथा शोषण करने में लगी रही । उच्च शिक्षित भारतीयों को प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देने के लिए बहुत अधिक खरचा उठाना पड़ता था, क्योंकि यह परीक्षा भारत में नहीं, इंग्लैंड में होती थी । इससे गरीब मेधाबी भारतीय इस परीक्षा में बैठ नहीं पाते । इस तरह के अन्याय का विरोध करने भारतीय एकजुट हुए । उनमें राष्ट्रवाद की चेतना जगी । ब्रिटिश शासन के समय भारतीय अपनी दु:ख - दुर्दशा के प्रति विशेष यत्नवान बने। ब्रिटिश शासन की नीतियाँ हर वर्ग का स्वार्थ विरोधी थीं ।

ब्रिटिशों का आर्थिक शोषण :

ब्रिटिश राज में उनकी आर्थिक शोषण नीति जन विरोधी थी । शुल्क, राजस्व और व्यापार के जरिए भारत से बहुत सारे पैसे इंग्लैंड चले जाते थे । भारत में उपजा कपास इंग्लैंड चला जाता था । वहाँ के कारकानों में इससे कपड़े बनते थे । फिर उन्हें भारत में लाकर बेचा जाता था। इससे भारतीय उद्योग को नुकसान उठाना पड़ा । ब्रिटिश सरकार की अर्थनीति और उद्योग नीति के चलते भारत के घरेलू उद्योग का पतन हुआ। जमींन संबंधी कानून किसान का स्वार्थ विरोधी था । जमींदारों ने गरीब किसान का शोषण किया । इससे किसान नाराज हुए । इसके खिलाफ भारतीयों ने एकजुट होकर आवाज उठायी ।

रंगभेद नीति :

अंग्रेज अपने को गोरी और भारतीयों काली नस्लों के मानते थे । इस रवैये से वे भारतीयों को घृणा की नजर से देखते थे । वे स्वतंत्र रूप से बने रेल डिब्बे , होटल , अस्पताल और क्लॉब आदि का इस्तेमाल करते थे । उच्चशिक्षित भारतीय भी अंग्रेजों के लिए आरक्षित रेलडिब्बे आदि का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज अपराधियों के मुकद्दमे की सुनवाई करने की क्षमता नहीं दी गयी थी । काबिल होने पर भी शिक्षित भारतीयों को उच्च पद - पदवियों से वंचित होना पड़ता था ।

क्या आपको पता है ?

काले - गोरे के निराधार भेद का नाम ही " रंगभेद नीति " है । इस भावधारा के गोरे अंग्रेज काले व्यक्तियों को नफरत की दृष्टि से देखते थे ।

इन्हीं सभी कारणों से भारतीयों के मन में अंग्रेज सरकार के प्रति नाराजगी पैदा हुई । वे देशप्रेम की भावना से सराबोर हुए । उनके मन में राष्ट्रप्रेम की भावना जगने लगी । इससे वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में जुटे । इसी राष्ट्रवादी चिंतन ने स्वतंत्रता आंदोलन को हवा दी ।

साहित्य और अखबारों की भूमिका :

राष्ट्रीय चेतना विकसित करने में अखबारों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही । अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित बहुत से अखबारों में भारतीय जन नायकों के राष्ट्रवादी चिंतन, अंग्रेज शासन की आलोचना, उनके अत्याचार आदि के बारे में लेख प्रकाशित होते थे। कुछ प्रमुख अखबारों में मरहठा, केशरी , द इंडियन मीरर, संवाद कौमुदी मीरिट अल् अखबार, अमृत बजार पत्रिका, द हिंदू आदि विशेष रूप से भारतीय जनमत को प्रभावित करते थे ।

क्या आपको पता है ?

राष्ट्रगान "वंदे मातरम्" बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा रचित "आनंदमठ" उपन्यास का एक गीत है । स्वदेशी आंदोलन के समय इसी गीत ने लोगों में उत्साह और उमंग भर दी थी ।

अनेक भारतीय लेखकों ने साहित्य के जरिए राष्ट्रीय चेतना को वाणी दी । उनमें बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, रवीन्द्र नाथ टैगोर, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, सुब्रमण्यम् भारती, भारतेंदु हरिचंद्र और अलताफ हुसैन आदि प्रमुख हैं ।

भारत की अतीत गौरव गाथा की पुनः खोज :

सर विलियम जोन्स, प्रोफेसर माक्समूलर, मोनियर विलियम्स, राजेंद्रलाल मित्र, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और हरप्रसाद शास्त्री आदि मनीषियों ने भारत के इतिहास पर गवेषणा की । अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत की अतीत - गौरव गाथा को उजागर किया । उन्होंने वेद तथा उपनिषदों की उत्कर्षता प्रतिपादित की । इससे भारतीयों में राष्ट्रीय - एकता संपुष्ट बनी ।

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस :

राष्ट्रीयतावादी चिंतन से प्रभावित और उत्प्रेरित होकर भारतीय राजनीति के क्षितिज में कुछ महामनिषियों का आविर्भाव हुआ । उनके अखिल भारतीय बौद्धिक समावेश को राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया ।

(एलन आक्टोवियन ह्यूम)

अंग्रेज शासक हमारे राष्ट्रीय स्वार्थ के विरोधी थे । लेकिन उनमें कुछ ऐसे महान तथा उदार व्यक्ति भी हुए जो भारतीय संगठन को निरंतर सहायता तथा समर्थन किया करते थे । ऐसे ही एक सेवामुक्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे एलन आक्टोवियन ह्यूम । वे भारतीय सांगठनिक समावेश का दिशा - निर्देशन कर रहे थे ।

राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म :

एलन आक्टोवियन ह्यूम ने 1885 ई. में शिमला में गवर्नर जनरल डफरिन से मुलाकात की । भारतीयों के लिए एक संगठन की आवश्यकता है, यह बात उन्होंने डफरिन से कही । ह्यूम की सलाह के अनुसार यह संगठन सरकार के पास देश की जनता के दु:ख, दर्द, असुविधा आदि की शिकायतें देगा, ऐसी सूचना उन्होंने डफरिन को दी । इस संगठन के जरिए भारतीयों को निश्चित बगवत से दूर रखना ह्यूम का मूल उद्देश्य था । बड़े लाट डफरिन ने भी यह महसूस किया कि इंग्लैंड की सरकार की कार्यशैली की आलोचना कर उसकी कमी के बारे में सावधान कर देने वाला विपक्षी दल भारत में नहीं है । वे इस बात को भली भाँति समझते थे । इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए ह्यूम को उत्साहित किया । इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ । एलन आक्टोवियन ह्यूम इसके संस्थापक बने ।

आपके लिए काम :
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भाँति भारत में जो अन्य संगठन हैं उनके बारे में जानकारी एकट्ठी कीजिए ।

प्रथम अधिवेशन :

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 और 29 दिसंबर 1885 ई. को बंबई (अब मुंबई) के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कलकत्ते (अब के कोलकाता) के जानेमाने अधिवक्ता उपेश चन्द्र बनर्जी ने इसमें अध्यक्षता की थी । इस अधिवेशन में देश के अलग - अलग भागों में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे ।

राष्ट्रीय कांग्रेस का प्राथमिक लक्ष्य :

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेज सरकार के पास भारतीय जनता की ओर से उनके दु:ख-दर्द, तकलीफ आदि की शिकायत करेगा । इसे ही कांग्रेस का प्राथमिक लक्ष्य मान लिया गया । आंदोलन या विद्रोह करना कांग्रेस का मूल अभिप्राय नहीं था । सरकार का विरोध न करके पूरी सहभागीता के साथ न्यायोचित माँगे रखना और से हासिल करना कांग्रेस का उद्देश्य था ।

कांग्रेस के कार्य :

राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्वों ने, देश के अलग - अलग भागों में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराया । उन अधिवेशनों में जो प्रस्ताव पारित हुए उन्हें सरकार के पास उपस्थापित किया गया । कांग्रेस ने सरकार को देश की समस्याएँ बतायीं साथ ही साथ इंग्लैंड में भारत के पक्ष में लोकमत जगाने का प्रयास किया । इसके अलावा सहृदय अंग्रेज नेतृत्वों से भेंट की । उन्हें भारत की न्यायोचित माँगों के बारे में अवगत कराया।

नरम दल :

प्रारंभिक दौर में अर्थात् 1885 ई. से 1905 ई. तक कांग्रेस की माँगें अत्यंत सामान्य थीं । सरकार के पास सविनय आवेदन निवेदन करके कांग्रेस के नेतृत्व अपनी माँग हासिल करते थे । इस तरह के नेतृत्व करने वाले लोगों की मंडली को नरम दल का नाम दिया गया । सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपालकृष्ण गोखले और महादेव गोविंद रानड़े आदि नरम दल का नेतृत्व ले रहे थे।

नरम दल का नेतृत्व करने वालों ने सरकार के सामने निम्नलिखित माँगे रखीं ।

(१) प्रांतीय और केंद्रीय कानून परिषद में भारतीयों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था हो ।

(२) इंग्लैंड के बदले भारतीय प्रशासनिक परीक्षा का आयोजन भारत में हो ।

(३) भारतीय प्रशासनिक परीक्षा के लिए भारतीय अभ्यार्थियों की उम्र बढ़ायी जाए ।

(४) सामरिक खरचा घटे तथा शिक्षा, कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए ।

(५) अस्त्रशस्त्र कानून में सुधार लाया जाए ।

राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास :

वक्त के साथ धीरे - धीरे शिक्षित और मध्यमवर्ग के लोग कांग्रेस में शामिल होते गये । बुद्धि-जीवियों में वकील, डॉक्टर, लेखक और पत्रकार भी इसमें शामिल हुए । यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों ने भी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । वे सरकार के खिलाफ बगावत करना नहीं चाहते थे। प्रारंभिक दौर में राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमदल की यह धारणा थी कि अंग्रेजों के द्वारा ही भारत का विकास संभव है ।

गरम दल :

स्वतंत्रता संग्राम की पूर्वपीठिका में 1906 ई. में राष्ट्रीय कांग्रेस में एक और संग्रामी गुट का उदय हुआ । उन्होंने नरमदल के अनुनय, विनय और प्रार्थना की कड़ी भत्सना की । उनका मानना था स्वतंत्रता भारतीयों का हक है । जिस किसी तरह इसे हासिल करना आवश्यक है । किसी के सामने हाथ फैलाये माँग कर इसे हासिल नहीं किया जा सकता । इस तरह के तर्क देने वाले लोगों को "गरम दल" कहा गया । महाराष्ट्र के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पंजाब के लाला लजपत राय, पश्चिमबंगाल के विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष आदि गरम दल के चमकीले व्यक्तित्व थे । उन्होंने लोगों में राष्ट्रीयता का भावबोध उद्रेक किया । लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल "लाल-बाल-पाल" के नाम से जाने पहचाने गये । बंकिम चंद्र चटर्जी ने "वंदे मातरम्" कविता

(लाला लजपत राय)

(बाल गंगाधर तिलक)

(विपिन चंद्र पाल)

लिखकर भारतीयों को राष्ट्रप्रेम से उदबुद्ध किया। बाल गंगाधर ने कहा "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ।"

आपके लिए काम:
नरम दल अपनी माँग हासिल करने जो-जो उपाय अपनाते थे, उस पर आप अपना विचार प्रस्तुत कीजिए ।

राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक दौर के कुछ दूसरे अधिवेशन :

राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 28 दिसंबर 1886 को कलकत्ते में हुआ । इसमें 436 प्रतिनिधि शामिल हुए थे । दादाभाई नारोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी ।

राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 ई. में मद्रास (अब की चेन्नई) में संपन्न हुआ । इसमें 607 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बदरुद्दीनत्याब्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी ।

दिसंबर 1888 ई. में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ । जॉर्ज यू ल ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए 1428 प्रतिनिधि आ पहुँचे थे ।

दिसंबर 1889 ई. में कांग्रेस का पाँचवाँ अधिवेशन बंबई में हुआ । इस अधिवेशन में 1889 प्रतनिधि आये थे । विलियम वैतेर कर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी ।

कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 ई. में कलकत्ते में हुआ । फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की ।

1891 ई. में कांग्रेस सातवाँ अधिवेशन नागपुर में हुआ। इसमें 812 प्रतिनिधि शामिल थे। आनंद चारलू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग - अलग अधिवेशन भिन्न - भिन्न स्थानों पर होने लगे ।

बंग भंग :

लॉर्ड नथानिएल कर्जन 1899 ई. में गवर्नर जनरल बनकर भारत आये । वे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रबल विरोधी थे । राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरी तरह समाप्त कर देना उनकी दिली इच्छा थी ।

बंगाल , बिहार और ओड़िशा को लेकर एक विशाल प्रदेश बना था , जिसका नाम था बंगाल । इतने बड़े प्रदेश में हो रही प्रशासनिक असुविधाओं को महसूस करते हुए उन्होंने बंग भंग की बात सोची । बंगाल के पूर्व हिस्से को असम के साथ मिला दिया गया । ढाका इसकी राजधानी बनी । बंगाल के पश्चिम हिस्से बिहार तथा ओड़िशा को लेकर पश्चिम बंगाल का गठन हुआ । कलकत्ते या अधुना कोलकाता को इसकी राजधानी बनाया गया । इससे बांग्लाभाषी जनता दो हिस्सों में बंट गयी । आम जनता में आक्रोश पैदा हुआ । राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। विरोध को नजर अंदाज करते हुए अंग्रेज सरकार ने 16 अक्टूबर 1905 ई. को " बंग भंग " की घोषणा की । बंगाल में उभर रहे कट्टर राष्ट्रवाद का प्रतिहत करना तथा भारतीयों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना बंग भंग का असली उद्देश्य था ।

स्वदेशी आंदोलन :

लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग की घोषणा की । जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी । पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया । नरम दल ने खुल्लमखुल्ला आंदोलन करने की बात कही। गरम दल ने जोरजबरदस्त अपना न्यायोचित अधिकार प्राप्त करने का मसला उठाया। इससे 1905 ई. में "स्वदेशी आंदोलन" शुरू हो गया ।

पहले से अमेरिका, अयारलैंड और चीन की जनता ने यही नीति अपनायी थी । भारतीय उद्योग के विकास के लिए "स्वदेशी आंदोलन" एक महत्त्वपूर्ण और ठोस आर्थिक कदम था।

आंदोलन के लक्ष्य :

(१) विदेशी तथा विलायती सामानों का बहिष्कार करना।

(२) अपने देश यानी भारत में उत्पादित वस्तुओं का आदर करना तथा इनका इस्तेमाल करना ।

(३) स्वदेश प्रेम की भावना उद्रेक करना

आंदोलन की प्रगति :

स्वदेशी आंदोलन में भारतीय स्वराजमंत्र में दीक्षित हुए। उनमें नया उत्साह, नयी उमंग और प्रेरणा जाग उठी । हर जगह सभाएँ हुईं। जुलूस निकाले गये । अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गयी । विलायती कपड़ों में आग लगा दी गयी । आंदोलन व्यापक हुआ । 7 अगस्त 1905 ई. को कोलकाता के टाउन हॉल में एक सभा हुई । इसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार करने की राष्ट्रीय नीति अपनायी गयी । बड़ी तादाद में छात्रों ने उत्साहित होकर उस आंदोलन में बढ़ - चढ़कर भाग लिया। उन्होंने विदेशी नमक और चीनी खरीद कर उसे नष्ट कर दिया ।

आपके लिए काम :
स्वदेशी आंदोलन के समय हमारे देश में बनाये गये सामानों की एक सूची तैयार करो ।

आंदोलन का परिणाम :

स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें कुछ राजनैतिक अधिकार देने की बात सोची । स्वदेशी आंदोलन भारतीयों में आत्मबोध, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास कर सका ।

हमने क्या सीखा ?

- भारत में राष्ट्रीयतावाद के विकास के कारण
- ब्रिटिशों की दोषपूर्ण शासन पद्धति
- राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, कार्य और लक्ष्य
- स्वदेशी आंदोलन और उसका प्रभाव

प्रश्नावली

1. सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग पचहत्तर शब्दों में लिखिए ।

(क) भारत में राष्ट्रीयतावाद के विकास के लिए सामाजिक , सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता कैसे जिम्मेदार थी ?

(ख) भारत में राष्ट्रीयतावादी आंदोलन के लिए अंग्रेजी भाषा और शासन कैसे सहायक बने ?

(ग) अंग्रेजों की दमनमूलक शासन पद्धति पर एक टिप्पणी लिखिए ।

(घ) भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय और विकास कैसे हुआ ?

(ङ) राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमदल ने क्या - क्या माँगें रखी थीं ?

(च) बंगाल का विभाजन कैसे हुआ ?

(छ) स्वदेशी आंदोनल क्या है ? इसके लक्ष्य और प्रगति के बारे में एक टिप्पणी लिखिए ।

2. निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए ।

(क) " लाल -बाल - पाल" से क्या तात्पर्य है ?

(ख) किन विदेशी लेखकों से भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन प्रभावित हुआ था ?

(ग) राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ?

(घ) राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था ?

(ङ) गवर्नर जनरल किन परिषदों की मदद से शासन का प्रबंधन किया करते थे ?

3. कोष्ठक में से सही उत्तर छाँट कर रिक्त स्थान भरिए ।

(क) भारत में एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है, यह बात एलन ऑक्टोवियन ह्यूम ने _____ से कही थी ।

(डफरिन, एनिवेशंत, कैनिं, विलियम बैंटिक)

(ख) इनमें से _____ डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुआ था ।

(सिपाही विद्रोह, राष्ट्रीय कांग्रेस, रेल यातायत, अंग्रेजी शिक्षा)

(ग) लॉर्ड कर्जन _____ ई. में गवर्नर जनरल बनकर भारत में आये ।

(1905, 1914, 1885, 1899)

(घ) गोपालहरि देशमुख _____ पर अधिक जोर देते थे ।

(राष्ट्रीय कांग्रेस , स्वदेशी वस्तुओं की आवश्यकता , देशात्मवोध , स्वतंत्रता आंदोलन)

4. रेखांकित भाग को बिना बदले त्रुटियों को सुधारो ।

(क)कैनिं के समय भारत में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन हुआ था ।

(ख) अंग्रेज शासन काल में भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा भारत में होती थी ।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1857 ई. में हुई थी ।

(घ) 1942 ई. में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था ।

5. " क " स्तंभ के साथ " ख " स्तंभ का मिलान करें ।

" क "	**" ख"**
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है	रेल यातायत
लॉर्ड डलहौजी	1905
राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन	1886
लॉर्ड कर्जन का शासन	1899
	बाल गंगाधर तिलक

•

षष्ठ अध्याय

अमेरिका और यूरोप में राष्ट्रीयतावादी आंदोलन और विद्रोह

अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम

कोलंबस ने अमेरिका की खोज की । उसके बाद यूरोप के लोग उस नये भूखंड में आकर बसने की कोशिश में जुटे । 1620 ई. में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम प्रोटेस्टैंड अनुयायियों को उपेक्षाभारी दृष्टि से देखते थे । कुछ प्रोटेस्टैंड अनुयायी इसका विरोध कर "में फ्लावर" नामक जहाज से अमेरिका चले आये। वे अमेरिका के मैसाचुसेट्स में उतरे और वहीं रहने लगे। उन्हें "पिलग्रीमफादर" कहा गया ।

आपके लिए काम :
कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज करने के पीछे जो - जो कारण थे, उन्हें जानने की कोशिश करें।

अमेरिका की उपजाऊ भूमि, अकूत खनिज संपदा और शुष्क जलवायु ने उन्हें भारी मात्रा में प्रलोभित किया । उन्होंने वहाँ तंबाकू, कपास और जूट की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया । उसके बाद बड़ी तादाद में अंग्रेज अमेरिका पहुँचे । उन्होंने अमेरिका में रूई, रेशम, चीनी, जूट और तंबाकू आदि लाभदायी व्यापार को अपनाया। धीरे - धीरे अंग्रेज अमेरिका में स्थायी रूप से बस गये। उत्तर अमेरिका के अटलांटिक महासागर के तट पर अंग्रेजों ने तेरह उपनिवेशों की स्थापना की। इन्हीं उपनिवेशों में यूरोप के दूसरे देशों के नागरिक भी रहते थे, लेकिन इनमें अंग्रेजों की संख्या सबसे अधिक थी। उन्होंने उपनिवेशों पर अपना दबदबा बनाया। इंग्लैंड सरकार की अनुमति लेकर अंग्रेजों ने वहाँ उपनिवेशों की स्थापना की थी । वे इंग्लैंड को मातृभूमि और उपनिवेशों को उसकी बेटियों के रूप में स्वीकार करते थे। उपनिवेशों का प्रबंधन इंग्लैंड के संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार होता रहता था। इंग्लैंड इन्हीं उपनिवेशों का सार्वभौम शासक था।

इंग्लैंड और अमेरिका के बीच आटलांटिक महासागर था । इसलिए दोनों देशों में आवाजाही और संचार की व्यवस्था बहुत कठिन थी। इसी वजह से अंग्रेज सरकार उपनिवेशों की समस्याओं का हल करने में असमर्थ होती थी । पर अपने आर्थिक फायदे के लिए उपनिवेशों का इस्तेमाल किया करती थी और उपनिवेशों के स्वार्थ के प्रति आँख मूँद लेती थी । इससे उपनिवेश के अधिवासियों के मन में विद्रोह का सूत्रपात हुआ । फिर भी वे इंग्लैंड का प्रभुत्व स्वीकार करते थे । लेकिन निम्नलिखित कारणों के चलते अमेरिका का स्वतंत्रता - संग्राम शुरू हुआ।

उपनिवेशों में दोषपूर्ण शासन नीतियाँ :

अमेरिका के उपनिवेशों में अंग्रेजों ने शासन की जो नीतियाँ लागू की थीं वे बहुत ही दोषपूर्ण थीं । उन नीतियों की तहद प्रत्येक उपनिवेश में एक - एक शासन मुख्य या गवर्नर नियुक्त थे । प्रतिनिधिमूलक शासन संस्था द्वारा उपनिवेश पर शासन किया जाता था । गवर्नर इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे । उन्हें उपनिवेश के राजकोष से वेतन दिया जाता था । उपनिवेश की प्रतिनिधि सभा इसकी मंजूरी देती थी । प्रतिनिधि सभा के सदस्य उपनिवेश की जनता द्वारा चुने जाते थे । यह प्रतिनिधि सभा कर वसूल करती थी , कानून लागू करती थी और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी निभाती थी । इसके बावजूद इसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी । स्वतंत्र रूप से किसी कानून को पारित कर लागू करने की क्षमता उसके पास नहीं थी । उपनिवेश के गवर्नर इंग्लैंड के स्वार्थ का ख्याल रखते थे और उपनिवेशों की उपेक्षा करते थे । इसी बात को लेकर गवर्नर और प्रतिनिधि संस्था के बीच खूब गरमागरमी हुई । उपनिवेश की जनता इंग्लैंड के खिलाफ संग्राम करने के लिए आगे आयी ।

मनमानी व्यापर नीति :

उपनिवेशों के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने व्यापार नीति बनायी और उसे लागू किया । यही व्यापार नीति ही स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण बनी । इस प्रचलित नीति में यह तय हुआ कि इंग्लैंड में जो - जो द्रव्य उत्पादित नहीं हो रहे हैं वे सारे द्रव्य अमेरिका से इंग्लैंड में जाएँगे। इंग्लैंड के जहाज के अलावा दूसरे देशों के जहाज से सामान नहीं ढोये जा सकते । उपनिवेश की जनता तंबाकू, कपास और चीनी आदि सामग्रियाँ इंग्लैंड के अलावा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं कर सकती । इंग्लैंड के लोहे और कपड़े उद्योग के अलावा दूसरे देशों के उद्योग की स्थापना उपनिवेश में नहीं हो सकती । उपनिवेश के आर्थिक विकास को ध्यान में न रखकर अपना मुनाफा कमाने के लिए कानून लागू किये गये । इससे उपनिवेश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी ।

स्टैंप कानून :

अमेरिका के उपनिवेशों को फ्रांस के चंगुल से बचाने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था । इस युद्ध में हुए खरचे की भरपाई के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1765 ई. में स्टैंप कानून लागू किया । इस कानून के अनुसार जमींन के बेचने और खरीदने के साथ जो दलीलें, दस्ताबेज व दानपत्र बनेंगे उसके लिए सही कीमत पर स्टैंप लगाना पड़ेगा । उपनिवेश की जनता को इसके लिए मजबूर किया जाता था । उस कानून के मुताबिक उस स्टैंप से जो अमदनी होगी वह अंग्रेज सरकार की तिजोरी में जाएगी । उपनिवेश की जनता ने इस कानून का विरोध किया क्योंकि जब यह कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ तब उपनिवेश का कोई भी व्यक्ति वहाँ सदस्य नहीं था । उनका कहना था कि बिना प्रतिनिधित्व के शुल्क लगा देना मनमानी है, अन्याय है । इस कानून का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू हुआ ।

शुल्क लगाना :

इंग्लैंड की मंत्री परिषद ने स्टैंप कानून के बदले अलग - अलग सामान पर शुल्क लगाने का निर्णय किया । इस निर्णय के मुताबिक काँच, कागज, रंग और चाय आदि अत्यावश्यक सामग्री पर आयात शुल्क लगाया गया । इससे उपनिवेश में फिर एक बार तनाव पैदा हुआ । इसे दृष्टि में रखकर अंग्रेज सरकार ने चाय के अलावा बाकी सामग्रियों से शुल्क हटा लिया । चूँकि चाय पर शुल्क बरकरार रहा , इसलिए उपनिवेश की जनता ने चाय का बहिष्कार किया ।

बॉस्टन चाय पार्टी :

चाय पर शुल्क नहीं हटा । इससे जनता नाराज हुई । 1773 ई. में चाय से भरा एक जहाज इंग्लैंड से आकर मैसाचुसेट्स बंदरगाह में पहुँचा । आंदोलनकारी आंग्लो भारतीयों का वेश बनाकर जहाज के अंदर घुस गये । सैकड़ों चाय की पेटियों को समंदर में बहा दिया । इस घटना का जिक्र अमेरिका की जनता "बॉस्टन चाय पार्टी" के नाम से करती है। इस घटना

(बॉस्टन चाय पार्टी)

को संज्ञान में लेकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने कानून पारित करते हुए बॉस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया । साधारण सभा पर पाबंदी लगा दी गयी ।

विद्रोह का आरंभ :

1774 ई. में मैसाचुसेट्स की अगवाई में तरह उपनिवेशों में केवल जर्जिया के अलावा बाकी सभी उपनिवेश के प्रतिनिधि फिलोडेल्फिया में सम्मिलित हुए । थामस जेफरसन, बेंजामिन फैंकलिन और जॉर्ज वाशिंगटन आदि ने इस सम्मेलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी । वहाँ उन्होंने उपनिवेशीय अधिकार के नाम से एक दलील तैयार की । 4 जुलाई 1776 ई. को फिलोडेल्फिया में एक और सम्मेलन हुआ, जिसमें तेरह उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने सम्मिलित रूप से उनके उपनिवेशों को "मुक्त और स्वतंत्र" घोषित किया ।

यही घटना "स्वतंत्रता की घोषणा " के नाम से प्रसिद्ध है । इसी घटना ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को जन्म दिया । सभी उपनिवेश के प्रतिनिधियों ने थामस जेफरसन लिखित "स्वतंत्रता का घोषणानामा" पर हस्ताक्षर किये । इस घोषणानामा का मूलमंत्र था "स्वतंत्र रूप से सुखमय जीवन बीताना सभी मनुष्यों का जन्मसिद्ध अधिकार है । किसी भी वजह से इस अधिकार से मनुष्य को वंचित नहीं किया जा सकता ।" इस घोषणानामा में यह भी उल्लेख था कि शासितों की सम्मति से ही शासक सत्ता पर काबिज होता है । और तानाशाही के खिलाफ विद्रोह करना हर नागरिक का अधिकार है।

जॉर्ज वाशिंगटन

वहीं इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गयी । उस समय जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड के राजा थे । उनके आदेश से इंग्लैंड की नौ-सेना अमेरिका भेज दी गयी । लॉर्ड कर्नवालिस और वरगैयन ने इस नौ सेना का नेतृत्व लिया। उपनिवेश की जनता की ओर से जॉर्ज वाशिंगटन उनके सेनापति थे । 1777 ई. में इंग्लैंड के सेनाध्यक्ष वरगैयन को अमेरिकीयों से करारी शिकस्त मिली । अंत में 1781 ई. में अंग्रेज सेनाध्यक्ष लॉर्ड कर्नवालिस को वर्जिनिया के यार्कटाउन में पराजय का मुँह देखना पड़ा । फिर उन्होंने अमेरिकीयों के सामने आत्मसमर्पण किया । 1783 ई. में पेरिस में एक शांति समझौता हुआ । उसके बाद इंग्लैंड ने अमेरिका के तेरह उपनिवेशों की स्वतंत्रता को स्वीकृति प्रदान की ।

क्या आपको पता है ?

4 जुलाई 1776 ई. को अमेरिकी उपनिवेश की जनता ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी । इसलिए हर साल इसी दिन को अमेरिका के लोग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं । थामस जेफरसन का "स्वतंत्र का घोषणानामा" आधुनिक लोकतंत्र के विकास में मील का पत्थर है।

स्वाधीनता संग्राम का परिणाम :

स्वतंत्रता के बाद तेरह उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेफ्लिया में एक सम्मेलन का आयोजन किया । उसी सम्मेलन में सम्मिलित होकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का गठन किया । आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में इसे पहचाना गया । इसका एक लिखित संविधान बनाया गया । यह लोकतांत्रिक शासन की रूपरेखा था । जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गये । संविधान में हर नागरिक को स्वाधीनता और न्याय पाने का हक दिया गया । इसी स्वतंत्रता संग्राम ने उपनिवेशवाद का विलोप करने में बड़ी मदद की । इससे दूसरे देश अपनी - अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उत्साहित हुए । इस स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस के सामंतवादीवर्ग और तानाशाही शासक के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फ्रांस की जनता को प्रेरणा दी थी ।

आपके लिए काम :

इंग्लैंड की शक्तिशाली सेना क्यों अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में पराजित हुई, इसके कारणों पर चिंतन करो ।

फ्रांस की राष्ट्र क्रांति (1789):

फ्रांस की राजनीति में 1789 ई. में एक युगांतकारी घटना घटित हुई । इसने विश्व की जनता को आश्चर्य में डाल दिया । फ्रांस की जनता ने तानाशाही राजतंत्र के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई की और फ्रांस के इतिहास को बदल डाला । बहुत दिनों की नाराजगी का अंत हुआ । निम्नलिखित कारणों के चलते फ्रांस की राष्ट्र क्रांति हुई ।

तानाशाही राजतंत्र :

सतरहवीं सदी से अठारहवीं सदी के अंतिम दशक तक फ्रास में बुर्बों राजवंश के शासक शासन किया करते थे । वे सबके सब तानाशाही थे। बुर्बों वंश के लूई चौदहवाँ 1643 ई. से 1715 ई. तक फ्रांस के राजा थे ।

वे यह कहा करते थे कि " मैं ही राष्ट्र हूँ । देश में कानून नामक कोई चीज नहीं थी । वे जो कहते थे वही कानून था । वे विलासितातापूर्ण जीवन जी रहे थे। उनके बाद लूई पंद्रवाँ भी भोगविलास में डूबे रहे । राज्य शासन की ओर ध्यान नहीं दिया । युद्ध करके उन्होंने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। इससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी । फ्रांस के इस आर्थिक दिवालियेपन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है।

उनके बाद लूई सोहलवां जिद्दी स्वभाव के थे और शासन के प्रति पूरी तरह उदासीन । राजा और रानी मेरी एंतोइनेट ऐश - आराम में डूबे रहते थे। राजमहल में नियुक्त कर्मचारी कुल राजस्व के नौ प्रतिशत खरचा करते थे। प्रजाओं के लिए विकास का कोई भी काम नहीं हुआ ।

(लूई सोहलवां)

क्या आपको पता है ?

फ्रांस के राजा लूई चौदहवाँ एक तानाशाही शासक थे । वे कहा करते थे कि मेरे कथन ही शासन के नियम हैं । मुझमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं है । मैं ही भगवान हूँ और प्रजाएँ मेरे सेवक हैं ।

सामाजिक विभाजन :

जन्म, पद पदवी और धन दौलत ही फ्रांस के सामाजिक वर्ग का आधार रहा । पूरा समाज दो वर्ग में बंटा हुआ था । एक था उच्च वर्ग जो तमाम सुख - सुविधाओं का उपभोग करता था और दूसरा सबसे वंचित, पीड़ित और शोषित वर्ग था । इसे निम्न वर्ग कहा जाता था । धर्मयाजक और संभ्रांत लोग सुविधाभोगी वर्ग के अंतर्गत आते थे । इनकी संख्या कुल आबादी की पाँच फीसदी थी । वे जमींन - जायदाद के मालिक थे । योग्यता न होने पर भी इन्हें बड़ी - बड़ी सरकारी पद - पदवी में नियुक्ति दी जाती थी । धर्मयाजक आम जनता का शोषण कर उनसे धर्मकर वसूल करते थे । अपने ऐश - आराम के लिए उसे खरच करते थे । किसान, कारीगर और आम नागरिक आदि सुविधा से वंचित वर्ग के अंतर्गत आते थे । इनमें से अधिकांश बटाईदार किसान और मजदूर थे । वे सामंतों की खेती में बेगारी करते थे । आम किसान अपनी कुल उत्पादित फसलों के चार भागों में से तीन भाग लगान के रूप में देते थे । जंगल से लकड़ी काटने तथा चारण - भूमि में जानवर चराने का अधिकार भी उनका नहीं था ।

समाज के वकील, डॉक्टर, लेखक, शिक्षक, व्यापारी और उद्योगपति भी सुविधा वंचित वर्ग के अंतर्गत आते थे । सारी योग्यताओं के बाबजूद उन्हें सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता था । व्यापारी तथा उद्योगपतियों को व्यापार एवं उद्योग की स्थापना के लिए अनुमति नहीं मिलती थी । इसलिए वे लड़ाई लड़ने आगे आये ।

आर्थिक विषमता :

शासक ऐश - आराम की जिंदगी बीताते रहे । इसके साथ फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ । इस युद्ध में बहुत खरच हुआ। इससे फ्रांस का राजकोष खाली हो गया । इसके अलावा बुर्बो शासकों ने दूसरे देशों से कर्ज भी लिया था । इसकी भरपाई के लिए किसानों से कर वसूला गया । उन्हें नमक कर, पथ कर, जल कर आदि देने को मजबूर किया गया। इससे किसान, कारीगर और दूसरे सुविधावंचित वर्ग की जनता में नाराजगी बढ़ने लगी ।

क्या आपको पता है ?

अमेरिका के उपनिवेशों को फ्रांस से बचाने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस वी बीच 1756 ई. से 1763 ई. तक युद्ध हुआ था । यह युद्ध सात साल तक चलता रहा । इसलिए इसे "सप्तवर्षीय युद्ध " कहते हैं ।

दार्शनिकों की भूमिका :

(बाल्टेयर)

उसी समय प्रसिद्ध दर्शनिक बाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने प्रचलित सामाजिक व्यवस्था में जो त्रुटियाँ थीं उनके खिलाफ जनता के मन में विद्रोह का भाव जगाया । मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांस के तानाशाही शासन और सामाजिक विषमता की आलोचना कर "स्पीरिट ऑफ द ल" या कानून का मतलब नाम से एक पुस्तक लिखी ।

फ्रांस के धर्मयाजकों द्वारा गीर्जाओं में हो रहे भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों के प्रति वाल्टेयर ने लोगों का ध्यान आकर्षण किया । उन्होंने अनेक विज्ञापन - पत्र के जरिए सरकार तथा सुविधाभोगी वर्ग की कटु आलोचना की थी । 1761 ई. में रूसो ने अपनी पुस्तक " सोशियल कंट्राक्ट " के माध्यम से विद्रोह को हवा दी । वे कहते थे "मनुष्य स्वतंत्र होकर पैदा हुआ है, पर, हर क्षेत्र में उसे कड़ियों से बाँध लिया गया है ।" रूसो अपनी रचना के माध्यम से स्वतंत्रता, समता, भाईचारे और सार्वभौमत्व पर जोर देकर विद्रोह को उकसाने का काम करते थे । इन दार्शनिकों के अलावा फ्रांस के प्रसिद्ध चिंतकों ने भी अपनी - अपनी रचनाओं के माध्यम से विद्रोह को प्रेरित किया। जनता में विद्रोह के बीज बोये ।

(मॉन्टेस्क्यू)

(रूसो)

विद्रोह की घटनाएँ :

फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दिन व दिन बेकाबू होती गयी । इससे लूई सोहलवें ने 5 मई 1789 को फ्रांस की प्रतिनिधि सभा की एक बैठक बुलायी । इसमें सामंत, पुरोहित और आम जनता को एक साथ नहीं बिठाया गया बल्कि उन्हें अलग - अलग कमरे में बिठाया गया। जिससे आम जनता खुद को अपमानित महसूस करने लगी और वहाँ से निकल जाकर नजदीक के टेनिस कोर्ट में सम्मिलित हुई । टेनिस कोर्ट में सम्मिलित होकर उन्होंने शपथ ली कि जब तक फ्रांस के लिए कोई संविधान लागू नहीं होता तब तक वे साथ ही रहेंगे । इसे "टेनिस कोर्ट शपथ" के नाम से जाना जाता है । विद्रोह का बिगुल बजाते हुए उन्होंने अत्याचार का प्रतीक बास्तील दुर्ग पर नजर दौड़ायी । 14 जुलाई 1789 ई. को विद्रोहियों ने बास्तील दुर्ग पर आक्रमण कर कारागृह को तोड़ डाला और कैदियों को मुक्त कर दिया । बास्तील दुर्ग के गवर्नर और सुरक्षाकर्मियों की हत्या की । बास्तील दुर्ग के पतन के बाद लूई सोलहवां केवल नाम के वास्ते शासक रहे ।

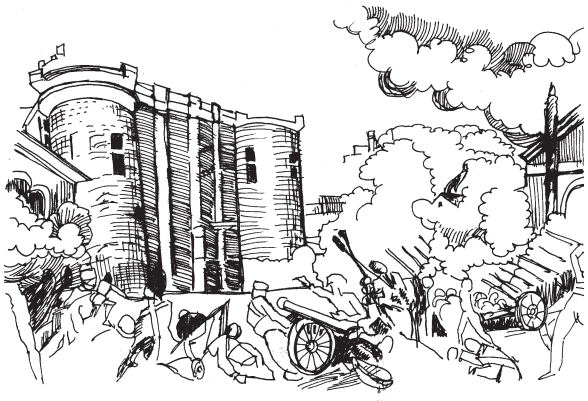

(बास्तील दुर्ग)

विद्रोहियों ने प्रतिनिधि सभा की जगह राष्ट्रीय सभा के नाम से एक परिषद बनायी । आगे चलकर इस सभा का नाम राष्ट्रीय संविधान सभा रखा गया । इस सभा के जरिए देश में एक संविधान लागू किया गया । नये संविधान में सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रता दी गयी । योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी मिलने की व्यवस्था की गयी। सभी वर्ग की जनता पर समान रूप से कर लागू किया गया । विचार किये बिना नागरिक को बंदी बनाने का जो अधिकार था उसे गैर कानूनी बताया गया ।

इस घटना के बाद फ्रांस के बहुत सारे सामंत और धर्मयाजक देश छोड़कर दूसरे देश में चले गये । वहाँ जाकर उन्होंने उन देशों की सरकारों की फ्रांसीसी क्रांति के खिलाफ उकसाया । इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और प्रुशिया आदि ने बुर्बों शासकों प्रति अपना समर्थन जताया । दूसरी तरह फ्रांस की जनता ने क्रांति के विरोधियों की हत्या की और शत्रु देशों के साथ युद्ध किया । नेपोलियन बोनापार्ट नाम से एक सेनाध्यक्ष ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया । उन्होंने युद्धभूमि में दुश्मन के दाँत खट्टे कर दिये । 20 सितंबर 1792 ई. को दुश्मनी सेना पराजित हुई । उसके बाद उसी दिन विद्रोहियों ने एक राष्ट्रीय कन्वेंशन बुलवाया । इसी कन्वेंशन के बाद राजतंत्र का विलोप हुआ । फ्रांस में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा हुई । फ्रांस को एक लोकतांत्रिक राष्ट्री की पहचान मिली ।

देश में पुराने संविधान के बदले लोकतंत्र पर आधारित नया संविधान लागू किया गया । विद्रोहियों के डर से फ्रांस के राजा - रानी वेश बदल कर रात में भागे जा रहे थे कि विद्रोहियों के हाथ पकड़े गये । विद्रोहियों ने 1793 ई. में " गीलोटिन " नामक यंत्र से राजा लूई सोहलवां और रानी दोनों के सिर झड़ से अलग कर दिये ।

(गीलोटिन यंत्र)

फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव :

फ्रांस की राष्ट्र क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया । इसने राजतंत्र का विलोप कर लोकतंत्र की प्रतिष्ठा की । सामंतवाद के विलोप में इस क्रांति की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही । गीर्जाओं के अधीन जो जमीन - जायदाद थी उसे जब्त कर लिया गया । मध्यवर्गीय जनता तथा किसानों के बीच उसे बाँट दिया गया । धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी । आधुनिक युग में जन आंदोलन की परंपरा शुरू हुई । इसने तानाशाही राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह करने की प्रेरणा दी ।

जर्मनी का एकीकरण :

सतरहवीं सदी के अंतिक भाग में जर्मनी में ईसाई धर्म के विभेद को लेकर गृहयुद्ध शुरू हो गया । इससे जर्मनी छोटे - छोटे राज्य में बंट गया । नेपोलियन ने इन राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें लेकर " राईन संघ " का गठन किया । यही " राईन संघ " आगे चलकर जर्मनी एकीकरण में सहायक सिद्ध हुआ । नेपोलियन के पतन के बाद ऑस्ट्रिया के वियना कांग्रेस के प्रमुख मेटरनीक ने जर्मनियों के राष्ट्रवादी चिंतन का विलोप किया । साथ ही जर्मनी को फिर से टुकड़े में बांट दिया। जर्मन राष्ट्र गठन के लिए प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के बीच होड़ शुरू हो गयी । प्रुशिया की जनता जाति में जर्मन थी और दोनों की भाषा भी एक थी । ऑस्ट्रिया में भिन्न भाषाभाषी के लोग रहते थे । लेकिन वह एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसी कारण वह हमेशा जर्मनी पर हावी रहता था ।

1861 ई. में प्रुशिया के राजा विलियक प्रथम ने राजगद्दी सँभाली । वे एक सहासी और यथार्थवादी शासक थे । किसे किस पद पर बिठाये काम हासिल किया जा सकता है, इसे वे भलीभाँति जानते थे । प्रुशिया को ताकतवर बनाने के लिए वे सामरिक नीतियों में कुछ बदलाव लाना चाहते थे । प्रुशिया की प्रतिनिधि सभा या " डायट " ने उनकी इन नीतियों का विरोध किया । इससे सांविधानिक संकट का सूत्रपात हुआ । ऐसी एक संकट की घड़ी में प्रुशिया के राजा विलियम प्रथम ने एक चतुर, विलक्षण कूटनीतिज्ञ ऑटोमन बिस्मार्क को अपने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। बिस्मार्क अच्छी तरह जानते थे कि ऑस्ट्रिया प्रुशिया के नेतृत्व में जर्मनी राष्ट्र निर्माण के लिए होने वाली कोशिश का विरोध करेगा । उसी तरह फ्रांस और डेनमार्क भी जर्मनी के एकीकरण में बाधक बनेंगे । इसलिए युद्ध के बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है । ऐसी स्थिति में बिस्मार्क ने विलियम प्रथम के सामरिक संस्कार संबंधी प्रस्तावों का दृढ़ समर्थन किया । उनका मानना था समस्याओं का समाधान केवल भाषण या प्रस्ताव के द्वारा संभव नहीं है । इसके लिए प्रुशिया के पास एक शक्तिशाली सेना होनी चाहिए । प्रुशिया को इसकी बड़ी आवश्यकता है । प्रुशिया में सामरिक तालीम के साथ साथ कम से कम तीन साल तक सेना में कामकरना अनिवार्य कर दिया गया । सामरिक तालीम देकर बिस्मार्क ने एक मजबूत सेना का गठन किया ।

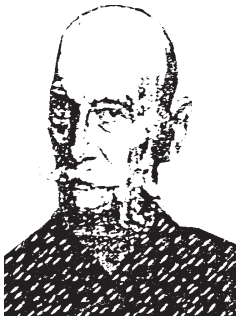

(विलियम प्रथम)

ऑटोमन बिस्मार्क

आपके लिए काम :

हमारे देश की सेना में भर्ती होने के लिए क्या - क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, उसके बारे में पता लगाइए ।

डेनमार्क के अधीन श्लेसविग और हॉलस्टीन नाम से दो इलाके थे , जहाँ जर्मनी के लोग रहते थे । इन दोनों इलाकों को अपने अधिकार में लाने के लिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से मदद माँगी । 1864 ई. में ऑस्ट्रिया और प्रुशिया की सम्मिलित सेना ने डेनमार्क पर चढ़ाई कर दी । युद्ध में डेनमार्क परास्त हुआ । उसके बाद श्लेसविग और हॉलस्टीन क्रमश: प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के अधिकार में चला गया । जब प्रुशिया के साथ एक इलाके का मिश्रण हुआ तब उसकी अगवाई में जर्मनी के एकीकरण की उम्मीद दिखाई दी । उसके बाद ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने के उद्देश्य से बिस्मार्क ने यूरोपीय राष्ट्रों के साथ अच्छा संबंध बनाया । अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र प्रुशिया को मदद करने का भरोसा दिया । बिस्मार्क की कोशिश से रूस और फ्रांस युद्ध के समय तटस्थ रहने को राजी हुए । जून 1866 ई. को प्रुशिया ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। प्रुशिया की शक्तिशाली सेना का प्रतिरोध ऑस्ट्रिया नहीं कर सका । एक के बाद एक जर्मन राज्यों को प्रुशिया ने अपने अधिकार में ले लिया । जुलाई 1866 ई. को सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हुआ । प्रुशिया की सेना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना तक पहुँच गयी ।

ऑस्ट्रिया के बाद बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ युद्ध करने का मन बनाया । उस समय जर्मनी के आलसेस और लोरेन इलाके फ्रांस के अधीन थे । नेपोलियद बोनापार्ट के आक्रमण के बाद फ्रांस और जर्मनी के रिश्ते में कुछ खटास भर गयी थी । फ्रांस में प्रुशिया के खिलाफ प्रतिशोध लेने की भावना धीरे - धीरे बढ़ने लगी । 15 जुलाई 1870 को फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने प्रुशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की । फ्रांस के आक्रमण से पहले प्रुशिया ने अपनी संगठित विशाल सेना लेकर फ्रांस पर हमला बोल दिया। 1870 ई. में फ्रांस और प्रुशिया की सेना सीडान में आमने - सामने हुई । इसे सीडान युद्ध कहते हैं । इस युद्ध में फ्रांस को मुँह की खानी पड़ी। प्रुशिया की सेना ने फ्रांस की राजधानी पर अपना कब्जा बना लिया । फिर फ्रांस और प्रुशिया के बीच समझौता हुआ । इसकी शर्तों के मुताबिक फ्रांस अधिकृत आलसेस और लोरेन ये दोनों इलाके प्रुशिया को दे दिये गये । इसी तरह प्रुशिया की अगवाई में बिस्मार्क जर्मन राज्यों को एकीकृत करने में समर्थ हुए । जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क जर्मनी के चान्सेलर बने और बर्लिन इसकी राजधानी ।

आपके लिए काम :

यूरोप का मानचित्र देखकर जर्मनी से सटे हुए देशों की सूची तैयार कीजिए।

इटली का एकीकरण :

यूरोप महादेश के दक्षिण में इटली की अवस्थिति है । यह एक उपद्वीप है । इसके उत्तर में आलप्स पर्वतमाला है । अठारवीं सदी के अंत तक आते आते इटली अपनी राजनीतिक एकता खो चुकी थी और छोटे - छोटे राज्यों में बंट गयी थी । ये राज्य हमेशा आपस में लड़ाई करते रहते थे । ऑस्ट्रिया और स्पेन इटली पर अपना दबदबा बनाये हुए थे । किसी एक समय नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरी इटली को अपने अधिकार में ले लिया था । साथ ही उसे ऑस्ट्रिया और स्पेन के वर्चस्व से नजात दिलायी थी । उन्होंने इटली को फ्रांस के अधीन बनाकर दृढ़ शासन दिया और इटली में राष्ट्रीय एकता की स्थापना की। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद वियना केंग्रेस द्वारा इटली फिर एक बार टुकड़े में बंट गयी । उत्तर इटाली के लोंबार्डी , वेनशया और केंद्रीय इटली के टस्कॉनी , पार्मा तथा मडेना आदि राज्य ऑस्ट्रिया के अधीन रहे । दक्षिण इटली के मध्य में रोम की अवस्थिति थी। रोम तथा उसके आसपास के इलाके पर पोप का शासन था । सिर्फ पिडमंट सार्डीनिया इटली

राजवंश के अधीन था । इस राजवंश के राजा विक्टर इमानुएल प्रथम इटली के शासक थे ।

पोप नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो । ऑस्ट्रिया भी इटलियों के बीच एकता तथा राष्ट्रीयता का भावबोध उद्रेक करने में बाधक बना हुआ था । इसी समय कुछ उदारवादी लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इटलियों के मन में मुक्ति तथा एकता की भावना पैदा की । इटली में एकता और राष्ट्रीयतावाद का उन्मेष करने हेतु कार्बोनरी नाम से एक क्रांतिकारी संगठन का जन्म हुआ । इसके सदस्यों ने इटली के एकीकरण के लिए विद्रोह किया । उन्होंने इटलियों के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना जगाये थे। पर ऑस्ट्रिया ने इस विद्रोह का दमन किया। 1830 ई. में पार्मा और मडेना आदि केंद्रय इटाली के राज्यों में विद्रोह शुरू हुआ । अब की बार ऑस्ट्रिया ने बड़ी कठोरता से इस विद्रोह का दमन किया।

ऑस्ट्रिया का वर्चस्व खत्म कर इटली भाषा - भाषी राज्यों को एकत्र करके एक केंद्रीय शासन - सत्ता की स्थापना करने की कोशिश हुई। इटली के राष्ट्रवादी चिंतकों के नेतृत्व में यह कार्य शुरू हुआ। इटली के एकीकरण के सपने को सफल बनाने तीन राष्ट्रवादी नेता आगे आये, वे हैं - मोजिनी , कावूर और गैरीबॉल्डी ।

(ज्यूसेपे मोजिनी)

ज्यूसेपे मोजिनी का जन्म 1805 ई. में इटली के जेनवा में हुआ था । वे पहले "कार्बोनिरी " संस्था के सदस्य थे । लेकिन उसके हिंसात्मक कार्य से नाखुश होकर उन्होंने एक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की । नाम दिया " युवक - इटली"। 1831 ई. में उन्होंने इसकी स्थापना की । इसके माध्यम से उन्होंने युवाओं को नागरिकों के मन में मुक्ति और एकता का भाव जगाने का आदेश दिया। इस "युवक - इटली" संगठन के पताके में लिखा था "एकता और मुक्ति "। इन युवाओं के द्वारा जनक्रांति के जरिए एकता की स्थापना करना उनका प्रमुख उद्देश्य था । मेजिनी के नेतृत्व में विद्रोहियों ने रोम में पोप शासन का अंत किया और वहाँ लोकतंत्र की प्रतिष्ठा की । उनके 'युवक इटली' ने सीसिली में भी विद्रोह किया था लेकिन उसे कुचल दिया गया । मेजिनी के इस राष्ट्रवादी कार्य के लिए उन्हें देश निकाला का दंड मिला । इटली के एकीकरण में उन्हें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली पर इटली के नागरिकों के मन में एकता का भाव जाग्रत करने में वे सफल रहे ।

क्या आपको पता है ?

कार्बोनारी संगठन के सदस्य कोयला आदि जलाये उसकी चारों और बैठकर किसी विषय पर चर्चा करते थे । उसके अनुसार काम करते थे । दहकता अंगारा उनके दल का प्रतीक था ।

राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित होकर यूरोप में जनक्रांति हुई । इसका असर इटली पर पड़ा । इटली के कई राज्यों में विद्रोह हुआ । सार्डीनिया के राजा चार्ल्स अलबर ऑस्ट्रिया के खिलाफ बार - बार युद्ध करके परास्त होते रहे । इसलिए उन्होंने राजगद्दी छोड़ धी । उनके बाद उनके बेटे विक्टर इमानुएल द्वितीय सार्डीनिया के राजा हुए । उन्होंने कुशल राजनीतिज्ञ काउंट कावूर को अपने प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दी। प्रधानमंत्री कावूर एक महान राष्ट्रभक्त उदारवादी नेता तथा दक्ष प्रशासक थे । किसी विदेशी राष्ट्र की सहायता के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं है , इसी बात को वे भलीभाँति समझते थे । उनका विश्वास था कि पिडमंट सार्डीनिया के नेतृत्व में यह कार्य संभव हो सकता है ।

(काउंट कावूर)

इसी बीच 1854 ई. में फ्रांस नेरूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की । यह युद्ध " क्रीमिया का युद्ध " के नाम से जाना जाता है । इस युद्ध में पिडमंट सार्डीनिया फ्रांस और इंग्लैंड के पक्ष में रहा । "क्रीमिया का युद्ध " में फ्रांस और इंग्लैंड विजयी हुए । "क्रीमिया का युद्ध " के बाद पेरिस में कुछ शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि में शामिल होकर कावूर ने पूरे यूरोप के सामने इटली के एकीकरण की जानकारी दी । ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपना मत रखकर उन्होंने यूरोपीय राष्ट्रों का समर्थन हासिल किया । "क्रीमिया का युद्ध " में सार्डीनिया ने फ्रांस की मदद की भी इसलिए इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस आगे आया । 1859 ई. में फिर एक बार ऑस्ट्रिया ने सार्डीनिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की । इस बार फ्रांस की मदद से पिडमंट - सार्डीनिया ने युद्ध में ऑस्ट्रिया की सेना को धूल चटा दी । इसके बाद साडीर्निया ने लोंबार्डी, पार्मो, मडेना, टॉस्कानी और केंद्रीय इटाली में राज्यों को एक के बाद एक अपने अधिकार में लिया और उन्हें अपने राज्य में मिला दिया।

दक्षिण इटली के नेप्ल्स और सीसिली में इटली के एकीकरण और मुक्ति के लिए जनजागरण और विद्रोह हुआ । महान क्रांतिककारी गैरीबॉल्डी ने इसका नेतृत्व किया । मेजिनी के शिष्य गैरीबॉल्डी ने "लालकुर्ती दल" बनाकर सीसिली पर आक्रमण किया ।

(गैरीबॉल्डी)

एक हजार लालकुर्ती दल को साथ लेकर उन्होंने सीसिली पर अधिकार कर लिया । उसके बाद नेप्ल्स पहुँचे । मुक्ति सेना के आक्रमण से नेप्ल्स के राजा राज्य छोड़कर भाग खड़े हुए । बड़ी सहजता से गैरीबॉल्डी नेप्ल्स पर अधिकार बनाने में सक्षम हुए । सीसिली और नेप्ल्स को अपने अधिकार में लेने के बाद वे रोम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे । उसी समय उनकी मुलाकात विक्टर इमानुएल के साथ हुई । गैरीबॉल्डी ने अद्भुत त्याग और राष्ट्रप्रेम का परिचय देते हुए सीसिली और नेप्लस की सत्ता विक्टर इमानुएल को सौंप दी । वे उच्च पद और पुस्कार को अस्वीकार करते हुए अपने गाँव लौट गये । इसलिए इटली के इतिहास में गैरीबॉल्डी " त्यागीपुत्र" के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

क्या आपको पता है ?

गैरीबॉल्डी ने विक्टर इमानुएल द्वितीय से मुलाकात करते हुए कहा " मैं इटली के सुयोग्य राजा का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ । " इसके बाद गैरीबॉल्डी ने सीसिली और नेप्ल्स की शासन सत्ता विक्टर इमानुएल के हाथों सौंप दी । और सिर्फ एक अनाज से भरा थैला लेकर अपनी खेती करने काप्रेरा द्वीप में लौट गये ।

1866 ई. में ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के बीच युद्ध हुआ। इसमें विक्टर इमानुएल ने प्रुशिया का समर्थन किया । यह युद्ध सेडवा में हुआ था । इसमें ऑस्ट्रिया को हार का मुँह देखना पड़ा और उसने संधि पर हस्ताक्षर किया । इस संधि के मुताबिक ऑस्ट्रिया ने इटली को वेनसिया राज्य छोड़ा। 1870 ई. में फिर एक बार ऑस्ट्रिया और प्रुशिया के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रुशिया से इमानुएल ने तटस्थ रहने का वादा किया था । इस युद्ध में फ्रांस परास्त हुआ । रोम में जो फ्रांसीसी सेना थी उन्हें वहाँ से हटा लेने के लिए फ्रांस पर दवाब बनाया गया। इसी मौके का फायदा उठाकर विक्टर इमानुएल ने रोम पर अपना कब्जा बना लिया । रोम को इटली की राजधानी घोषित किया गया। इसी तरह इटली के एकीकरण की कोशिश सफल हुई ।

आपके लिए काम :

यूरोप का मानचित्र देख कर बताइए कि इटली की चारों - ओर क्या - क्या हैं ?

हमने क्या सीखा ?

- अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और उसका प्रभाव
- फ्रांसीसी राष्ट्रक्रांति और उसका परिणाम
- इटली और जर्मनी का एकीकरण
- रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू आदि दार्शनिकों की आदर्शवादी विचारधारा

प्रश्नावली

1. सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग पचहत्तर शब्दों में लिखिए ।

(क) अमेरिका के उपनिवेशों की शासन - पद्धति कैसी थी ?

(ख) स्टैंप कानून से क्या तात्पर्य है ? उपनिवेश की जनता ने जब इसका विरोध किया तब विकल्प के रूप में क्या व्यवस्था अपनायी गयी ?

(ग) फ्रांस के सामाजिक विभाजन पर एक टिप्पणी लिखिए ।

(घ) फ्रांस की राष्ट्रक्रांति ने कैसे पूरे विश्व को प्रभावित किया था ?

(ङ) जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी ?

(च) इटली के एकीकरण में काउंट कावूर की कोशिशों का उल्लेख कीजिए ।

(छ) गैरीबॉल्डी को इटली का त्यागी पुत्र क्यों कहा गया ?

(ज) मेजिनी कौन हैं ? इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने क्या - क्या प्रयत्न किये थे ?

2. सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग बीस शब्दों में लिखिए ।

(क) इंग्लैंड के पिलग्रीम फादरस क्यों अमेरिका के प्रति आकर्षित हुए ?

(ख) ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने किस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए स्टैंप कानून को लागू किया था ?

(ग) फ्रांसीसी समाज में किन्हें सुविधा वंचित वर्ग कहा जाता था ? उन्हें किन - किन सुविधाओं से वंचित होना पड़ता था ?

(घ) किसने 'स्पीरिट ऑफ द पुस्तक' की रचना की थी ? इस पुस्तक में क्या उल्लेख है ?

(ङ) फ्रांस के विद्रोहियों ने क्यों बास्तील दुर्ग पर आक्रमण किया ?

(च) प्रुशिया के राजा विलियम प्रथम के किस कार्य का विरोध प्रतिनिधि सभा ने किया था ? इसे लेकर कैसी परिस्थिति बनी ?

(छ) बिस्मार्क ने कैसे श्लेसविग और हॉलस्टीन को अपने अधिकार में लिया ?

(ज) कब और किन्हें लेकर 'युवक - इटली' दल का गठन हुआ था ?

(झ) चार्ल्स अलबर्ट किस राज्य के शासक थे ? किस घटना के चलते उन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी ?

(ञ) किसने 'लालकुर्ती दल' की स्थापना की थी ? इस दल ने कौन - सा इलाका अपने अधिकार में कर लिया था ?

3. कोष्ठक में से सही उत्तर छाँट कर रिक्त स्थान भरिए ।

(क) 1620 ई. में _____ इंग्लैंड के राजा थे ।

(एलिजाबेथ प्रथम , जेम्स प्रथम , विक्टोरिया, विलियम)

(ख) अमेरिकी उपनिवेशों में अंग्रेजों ने _____ सामग्री पर आयात शुल्क लगाया था ।

(कपास , तंबाखू , चाय , रंग)

(ग) " मैं ही राष्ट्र हूँ । " यह कथन _____ का है ।

(लूई तेरहवां , लूई चौदहवां , लूई पंद्रहवां , लूई सोहलवां)

(घ) _____ ने सोशियल कंट्राक्ट लिखा था ।

(मॉन्टेस्क्यू , वाल्टेयर , नेपोलियन , रूसो)

(ङ) विलियम प्रथम _____ के राजा थे ।

(ऑस्ट्रिया , प्रुशिया , मडेना , हॉलस्टीन)

(च) वाटरलू युद्ध में _____ परास्त हुए ।

(नेपोलियन , लॉर्ड कर्नवालिस , जेम्स द्वितीय , लूई सोहलवां)

(छ) क्रीमिया का युद्ध _____ ई. में हुआ था ।

(1851 , 1854 , 1859 , 1823)

(ज) _____ ने युवक - इटली दल का गठन किया था ।

(मेजिनी , कावूर , गैरीबॉल्डी , इमानुएल)

4. रेखांकित भाग को बिना बदले त्रुटियाँ सुधारिए ।

(क) अमेरिका के पार्लियामेंट में स्टैंप कानून पारित हुआ था ।

(ख) सेडोवा का युद्ध 1865 ई. में प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था ।

(ग) कार्बोनरी नाम का संगठन इटली में अलगाववाद लेकर आया ।

(घ) मेजिन विक्टर इमानुएल द्वितीय के प्रधानमंत्री थे ।

(ङ) 1861 ई. में प्रुशिया के राजा के रूप में बिस्मार्क ने राजगद्दी सँभाली ।

5. " क " स्तंभ के साथ " ख " स्तंभ का मिलान करो ।

" क "	**" ख "**
तंबाखू	दलीलों की बिक्री - खरीदी
स्टैंप कानून	तानाशाही राजतंत्र और सामाजिक विषमता का विरोध
उच्च वर्ग की जनता	फ्रांस की पराजय
स्पीरिट ऑफ द लज	अमेरिका की उपजाऊ भूमि
सीडान का युद्ध	धर्मयाजक और संभ्रांत

•

राजनीति विज्ञान

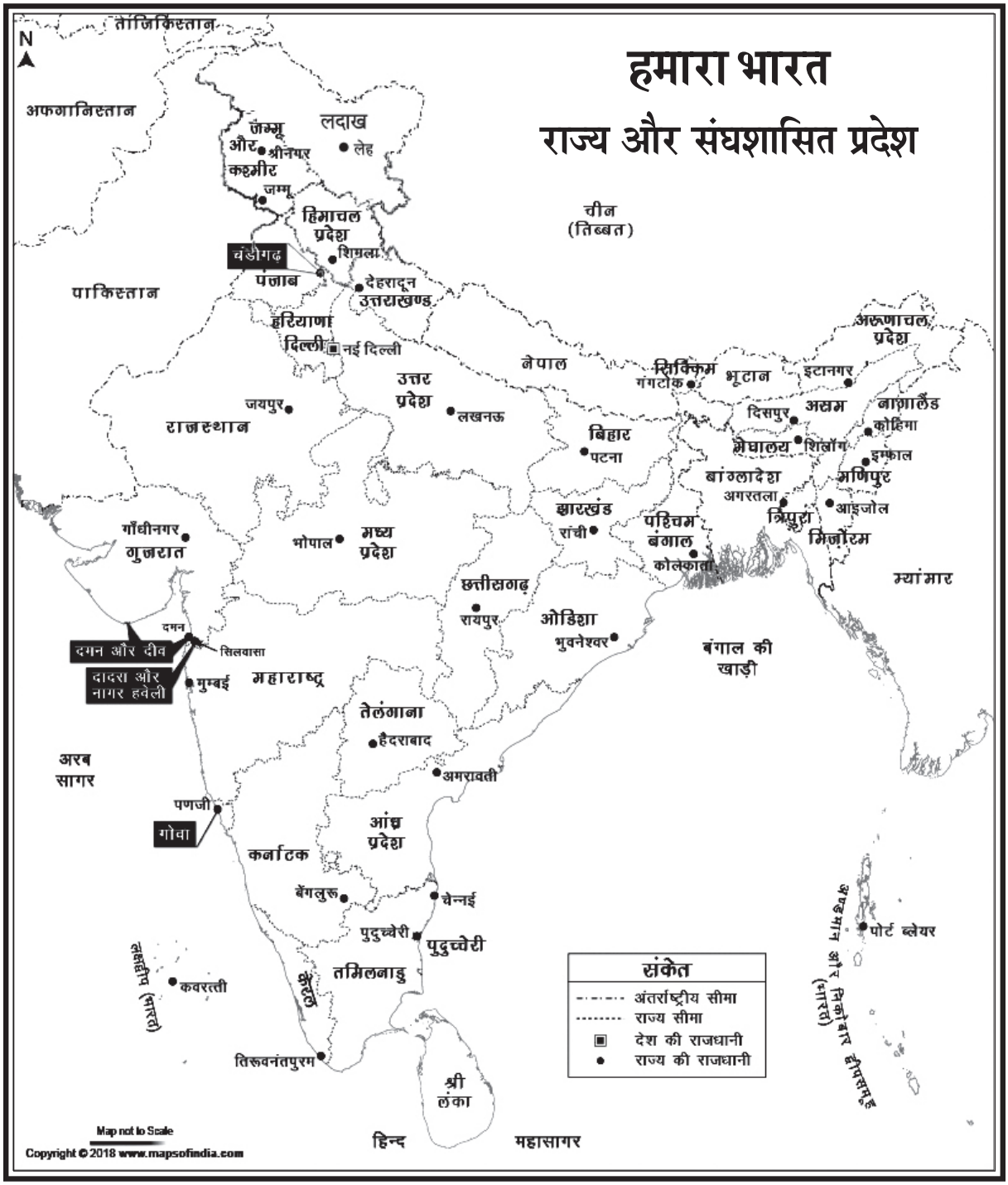

हमारा भारत
राज्य और संघशासित प्रदेश
N
ताजिकिस्तान
अफगानिस्तान
पाकिस्तान
चीन (तिब्बत)
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर
जम्मू
लदाख
लेह
हिमाचल प्रदेश
शिमला
चंडीगढ़
पंजाब
देहरादून
उत्तराखण्ड
हरियाणा
दिल्ली
नई दिल्ली
राजस्थान
जयपुर
उत्तर प्रदेश
लखनऊ
नेपाल
सिक्किम
गंगटोक
भूटान
अरूणाचल प्रदेश
इटानगर
असम
दिसपुर
नागालैंड
कोहिमा
मेघालय
शिलांग
मणिपुर
इम्फाल
बांग्लादेश
त्रिपुरा
अगरतला
मिजोरम
आइजोल
बिहार
पटना
झारखंड
रांची
पश्चिम बंगाल
कोलकाता
म्यांमार
गुजरात
गाँधीनगर
मध्य प्रदेश
भोपाल
छत्तीसगढ़
रायपुर
ओडिशा
भुवनेश्वर
दमन
दमन और दीव
सिलवासा
दादरा और नागर हवेली
महाराष्ट्र
मुम्बई
तेलंगाना
हैदराबाद
अमरावती
बंगाल की खाड़ी
अरब सागर
गोवा
पणजी
कर्नाटक
बेंगलुरू
आंध्र प्रदेश
चेन्नई
पुदुच्चेरी
पुदुच्चेरी
तमिलनाडु
केरल
तिरूवनंतपुरम
लक्षद्वीप (भारत)
कवरत्ती
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (भारत)
पोर्ट ब्लेयर
श्री लंका
हिन्द महासागर
संकेत
अंतर्राष्ट्रीय सीमा
राज्य सीमा
देश की राजधानी
राज्य की राजधानी
Map not to Scale
Copyright © 2018 www.mapsofindia.com

प्रथम अध्याय

केंद्र सरकार
केंद्र की कार्यपालिका

भारत एक संघीय राष्ट्र है , पर संविधान में भारत का चित्रण राज्यों के संघ (Union of States) के रूप में हुआ है । यहाँ द्वैत शासन की व्यवस्था है । भारत में कुल उनतीस राज्य और सात संघ शासित प्रदेश हैं। यहाँ केंद्र और राज्य स्तर पर प्रत्येक की अपनी-अपनी सरकार है, प्रत्येक सरकार के तीन - तीन अंग हैं, वे हैं : कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका । केंद्र की कार्यपालिका भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को लेकर बनती है । राष्ट्रपति नाम के वास्ते केंद्र की कार्यपालिका के प्रमुख हैं । वे पूरे देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं ।

क्या आपको पता है ?
भारतीय संघीय व्यवस्था में तेलंगाना भारत का उनतीसवां राज्य है ।

राष्ट्रपति : राष्ट्रपति परोक्ष रूप से चुने जाते हैं । वे देश के सर्वोच्च सांविधानिक राष्ट्र मुख्य हैं और " सम्मानस्पद प्रथम नागरिक " भी । वे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रहते हैं ।

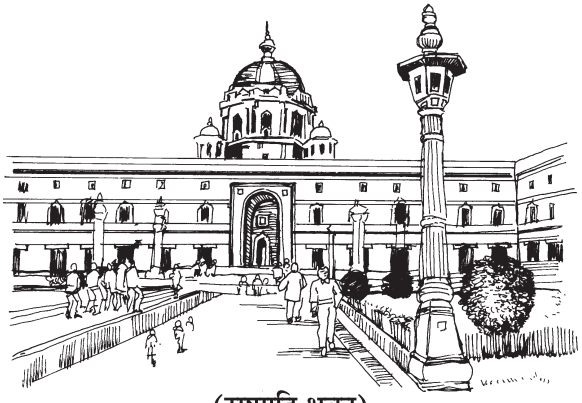

(राष्ट्रपति भवन)

संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका की सारी क्षमता राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है । लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते । प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर वे सभी कार्य करते हैं। राष्ट्रपति नाम के वास्ते कार्यपालिका हैं । वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ही है ।

राष्ट्रपति का चुनाव : भारत के राष्ट्रपति लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुने जाते हैं । संसद के दोनों सदन तथा दिल्ली , पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभा के चुने हुए सदस्यों को लेकर बनी " चुनाव मंडली " राष्ट्रपति को चुनती है । आनुपातिक पतिनिधित्व और एकक हस्तांतरीय गोपनीय पसंदीदा मतदान पद्धति के जरिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं । राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को निश्चित संख्या में वोट (कोटा) मिलना जरूरी है , अर्थात् चुनाव में मिलने वाले सभी सिद्धमत (Valid Vote) के कम से कम 50 फीसदी से एक अधिक वोट (50% +1)उसके पक्ष में होना चाहिए ।

हर पाँच साल में एक बार या फिर आवश्यकता पड़ने पर पाँच साल की अवधि पूरी होने से पहले नये राष्ट्रपति चुने जाते हैं।

राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की अहर्ताएँ

(१) वे भारत के नागरिक हों ।
(२) उनकी उम्र कम से कम 35 साल की हो ।
(३) लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए उनकी आवश्यक अहर्ताएँ हों ।
(४) यदि कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के अधीन काम कर रही किसी संस्था में लाभदायक पद पर आसीन है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकता ।

राष्ट्रपति का कार्यकाल :

राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच साल का है । यदि कोई राष्ट्रपति अपनी इच्छा जाहिर करें तो वे पुन: उसके लिए चुनाव लड़ सकते हैं । लेकिन हमारे पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई दूसरे अब तक दुबारा राष्ट्रपति के रूप में नहीं चुने गये हैं । पाँच साल की अपनी अवधि पूरी होने से पहले राष्ट्रपति अपनी इच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं । वे अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को ही भेजेंगे ।

राष्ट्रपति की अपनी निश्चित कार्यावधि पूरी होने से पहले यदि वे इस्तीफा देते हैं या उनकी मृत्यु होती है या फिर महाभियोग के कारण उन्हें अपने पद से बहिष्कार किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं । इन 6 महीने के अन्दर नये राष्ट्रपति चुन कर आ जाते हैं । इसी अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और अन्य तमाम सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रपति का बहिष्कार या महाभियोग :

संविधान के उल्लंघन के मामले में आरोपी होने पर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आता है । इसी महाभियोग के द्वारा उन्हें अपने पद से बहिष्कार किया जाता है । महाभियोग के अलावा किसी दूसरे कारण अथवा उपायों से उन्हें बहिष्कार नहीं किया जा सकता । "महाभियोग " एक अर्ध - न्यायिक जटिल प्रक्रिया है । महाभियोग लाने से पहले संसद के किसी भी सदन की कुल संख्या के एक - चौथाई सदस्य 14 दिन पहले लिखित नोटिस देकर उसी सदन में महाभियोग लाते हैं । उसके बाद यदि इस प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों में से दो - तिहाई सदस्यों का समर्थन हासिल होता है तो उसकी जाँच के लिए उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है । फिर जब दूसरा सदन उस पर जाँच करने लगता है तब यदि राष्ट्रपति चाहे तो वे स्वयं यहाँ आकर या अपना प्रतिनिधि भेज कर अपना पक्ष रख सकते हैं । जाँच के बाद यदि इस सदन के कुल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य महाभियोग का समर्थन करते हैं , तब राष्ट्रपति को अपने पद से बहिष्कार होना पड़ता है । भारत में अब तक किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं आया है ।

राष्ट्रपति की शपथ :

चुने हुए राष्ट्रपति संविधान की विधि-व्यवस्था का पालन तथा उसकी सुरक्षा के लिए ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं । भारत के प्रधान न्यायाधीश उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं । शपथ के बाद वे कार्यभार सँभालते हैं ।

राष्ट्रपति की क्षमता :

हमारे संविधान ने केंद्र सरकार की सभी कार्यपालिका क्षमता राष्ट्रपति के हाथों सौंप दी है । राष्ट्रपति केंद्र के "मुख्य कार्यपालक " हैं । लेकिन वास्तव में वे शासन प्रमुख नहीं हैं ; वे केवल " सांविधानिक राष्ट्रमुख्य " हैं ।

राष्ट्रपति अपनी सारीक्ष मताओं का इस्तेमाल केवल प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं । राज्यपाल की भाँति राष्ट्रपति की कोई ऐच्छिक क्षमता नहीं है ।

राष्ट्रपति की कार्यपालिका क्षमता केवल नीति निर्धारण और व्यवस्थापिका द्वारा कानून का सही क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है। उनकी क्षमता व्यापक है । व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को दी गयी क्षमता के अलावा अन्य सभी प्रशासनिक क्षमताएँ राष्ट्रपति की कार्यपालिका क्षमता के अंतर्गत आती हैं ।

संविधान में स्वीकृत राष्ट्रपति की विविध क्षमताएँ इस प्रकार हैं-

१ . प्रशासनिक क्षमता :

भारत के राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका के वास्तविक मुख्य नहीं हैं। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से वे किसी भी प्रशासनिक क्षमता का उपयोग नहीं करते । विभिन्न प्रशासनिक विभाग के प्रमुख के रूप में मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गयी है । सभी प्रशासनिक कार्य उनकी निगरानी में होते हैं । किंतु केंद्र सरकार के सभी प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं ।

केंद्र सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारी मूलत: राष्ट्रपति के अधीन उनके अवर पदाधिकारी के रूप में कार्य संपादन करते हैं ।

राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख पदाधिकारियों को नियुक्ति देते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं । सांविधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा बहिष्कार राष्ट्रपति ही करते हैं । ये सारी क्षमताएँ उनकी प्रशासनिक क्षमता के अंतर्गत ही आती हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित सांविधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, वे हैं (१) प्रधानमंत्री (२) मंत्री परिषद के दूसरे सदस्य (३) महाधिवक्ता (Attorney General), (४) मुख्य लेखा नियंता और भारत के महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) (५) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा दूसरे न्यायाधीश, (६) राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीश (७) राज्यपाल (८) संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य (९) वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य (१०) मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो चुनाव आयुक्त (११) सरकारी भाषा (Official Language) आयोग के अध्यक्ष और सदस्य , (१२) अनुसूचित जाति , जनजाति, पिछड़ेवर्ग और संख्या लघु आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य । इन पदाधिकारियों की नियुक्ति करते समय कभी - कभी राष्ट्रपति कुछ नियुक्तियों में मंत्री परिषद के अलावा दूसरों से भी सलाह लेते हैं । उदाहरण के लिए सर्वाच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश तथा दूसरे न्यायाधीशों की सलाह लेते हैं ।

प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद के दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति :

प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । आम चुनाव के बाद लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन, जिसे बहुमत हासिल हो, राष्ट्रपति उस दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं । किंतु जब " त्रिशंकु संसद " की स्थिति उत्पन्न होती है यानी किसी एक राजनीतिक दल को जब बहुमत प्राप्त नहीं होता तब कुछ दल गठबंधन बनाये सरकार बनाने की कोशिश करते हैं । उस समय अलग - अलग व्यक्ति अपने पास बहुमत होने की बात कहते हैं और राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री के रूप में अपना दावा पेश करते हैं। ऐसी ऊहापोह की स्थिति में प्रधानमंत्री चुनने में राष्ट्रपति की भूमिका अहम होती है । इस समय राष्ट्रपति अपनी बुद्धि , विवेक , विचारबोध , राजनीतिक निपुणता , अनुभव और दूरदृष्टि का सहारा लेते हैं । जब उन्हें यह विश्वास होने लगता है कि अमुक व्यक्ति एक दृढ़ और स्थायी सरकार बनाने में समर्थ हैं , तब वे उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं । और निश्चित समयावधि के भीतर अपनी सरकार के पक्ष में बहुमत सिद्ध करने का निर्देश देते हैं । वास्तविकता तो यह है कि लोकसभा की मर्जी के मुताबिक मंत्री परिषद शासन करती है । प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति उनकी सलाह पर मंत्री परिषद के दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं । उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं । संसद में बहुमत खोने पर प्रधानमंत्री इस्तीफा देने के लिए बाध्य हैं । यदि प्रधानमंत्री स्वत: इस्तीफा नहीं देते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें बरख्वास्त कर सकते हैं।

सांविधानिक विधि - व्यवस्था का पालन करते हुए राष्ट्रपति इन पदाधिकारियों का बहिष्कार करते हैं । जैसे (क) महाधिवक्ता (ख) राज्यपाल (ग) संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष और दूसरे सदस्य (घ) सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीश (ङ) प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्र मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री ।

२. सामरिक क्षमता :

हमारे संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति देश की रक्षावाहिनी के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष (Supreme Commander) हैं । वे जल, थल और आकाश वाहिनी के मुख्य सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं । उनके नाम पर युद्ध का ऐलान होता है और शांति के समझौते भी होते हैं । लेकिन राष्ट्रपति की ये तमाम क्षमताएँ संसद के कानून द्वारा नियंत्रित होती हैं।

३. कूटनीतिक क्षमता : राष्ट्रपति की कूटनीतिक क्षमता विदेश नीति से जुड़ी हुई है । विदेशों में हमारे राष्ट्र और नागरिकों का स्वार्थ जैसे सुरक्षित रहे , इसके लिए राष्ट्रपति विविध कूटनीतिक प्रतिनिधियों , जैसे - राष्ट्रदूत व उच्चायुक्त आदि की नियुक्ति अलग - अलग देशों में करते हैं। दूसरे राष्ट्र के कूटनीतिक प्रतिनिधि भी सबसे पहले राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं । उन्हें अपना परिचय प्रदान करते हैं ।

कई बार राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्रों का दौरा करते हैं । इससे वे विभिन्न राष्ट्रों के साथ अच्छा कूटनीतिक संबंध बनाते हैं। विदेश नीति के संबंध में भारत का क्या रवैया है , इसकी सूचना देते हैं ।

४. व्यवस्थापक क्षमता : राष्ट्रपति संसद के महत्त्वपूर्ण अंग हैं । राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को लेकर संसद का गठन हुआ है । राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाते हैं और अगले अधिवेशन आहूत होने तक दोनों सदन के अधिवेशन को " प्रोरोग " रख सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर वे लोकसभा को भंग कर सकते हैं । किसी भी आम विरोधक (बिल) पर यदि दोनों सदनों में सहमति नहीं बनती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उसका समाधान करते हैं । हर आम चुनाव के बाद और हर साल के प्रारंभ में संसद का जो पहला अधिवेशन होता है उसमें राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में अपना अभिभाषण रखते हैं । वे अपने अभिभाषण में संसद का अधिवेशन बुलाने का कारण भी बताते हैं । राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में सरकार की भिन्न-भिन्न नीतियों तथा आने वाले दिनों में सरकार के द्वारा किये जाने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में उल्लेख करते हैं । इसके अलावा राष्ट्रपति राष्ट्रीय, सांविधानिक या आम जनता के स्वार्थ से जुड़े महत्त्वपूर्ण विषय के बारे में अपनी वार्त्ता (Message) संसद के दोनों सदनों को भेजते हैं ।

राष्ट्रपति की सम्मति के बिना कोई भी विधेयक कानून (Act) नहीं बन सकता । एक विधेयक नियमानुसार संसद के दोनों सदनों में पारित होने पर उसे राष्ट्रपति की सम्मति (Assent)

आपके लिए काम :
दूरदर्शन पर देख कर या अखबार से पढ़कर राष्ट्रपति के अभिभाषण का सार लिखिए ।

के लिए उनके पास भेजा जाता है । उस समय राष्ट्रपति इन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का सहारा लेते हैं ।

(१) वे विधेयक (बिल) पर अपनी "सम्मति " दे सकते हैं। उनकी सम्मति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है ।

(२) वित्त संबंधी विधेयक या वित्त बिल के अलावा किसी दूसरे आम विधेयक को राष्ट्रपति (अपनी वार्ता देकर) संसद के दोनों सदनों में उस पर पुनर्विचार करने के लिए भेज सकते हैं ।

(३) ऐसी स्थिति में यदि वह विधेयक संसद के दोनों सदनों में बिना किसी संशोधन के दुबारा पारित हो जाता है, और फिर उसे राष्ट्रपति की सम्मति के लिए उनके पास भेजा जाता है तब वे उसे अपनी सम्मति देने के लिए बाध्य हैं ।

किसी भी वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेजते । इसका कारण है लोकसभा में वित्त विधेयक पेश होने से पहले राष्ट्रपति की प्रारंभिक अनुमति लेती पड़ती है। इसलिए राष्ट्रपति वित्त विधेयक को सम्मति देने के लिए बाध्य हैं । उसी प्रकार कुछ दूसरे विधेयक (बिल) जैसे - किसी नये राज्य की स्थापना या राज्य की सीमा का परिवर्तन, किसी राज्य का नाम परिवर्तन, मौलिक अधिकार संबंधी विधेयक (बिल) आदि संसद में पेश होने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है । संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को सम्मति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है।

जिस समय संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है और यदि किसी विशेष परिस्थिति का मुकाबला करने फौरन कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश (ऑर्डिनॉन्स) लागू करते हैं । यह एक अस्थायी कानून है । इसे आपातकालीन या कार्यपालिका कानून भी कहा जाता है । हाँ, यह अध्यादेश अगर संसद के अगले अधिवेशन के शुरू होने के छह हफ्ते के अंदर-अंदर संसद में पारित नहीं हो जाता, तो यह स्वत: बेकार हो जाता है । 6 हफ्ते की समयावधि समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति यदि चाहें तो इसे वापस ले सकते हैं या फिर दुबारा इसे लागू कर सकते हैं । छह हफ्ते के भीतर यदि यह अध्यादेश संसद में पारित हो जाता है, तो इसे पूर्ण या स्थायी कानून की मान्यता मिलती है ।

केंद्र सरकार के गठन में राष्ट्रपति की सक्रिय भागीदारी होती है । यदि उन्हें लगने लगता है कि लोकसभा में आंग्लो भारतीय (Anglo Indian) संप्रदाय का सही प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, तो वे उसी संप्रदाय के किन्हीं दो लोगों का चयन लोकसभा के सांसद के रूप में करते हैं । उसी तरह कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा आदि के क्षेत्र में सफलता हासिल करनेवाले 12 लोगों का चयन राष्ट्रपति राज्यसभा के सांसद के रूप में करते हैं ।

राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक पर भी राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका क्षमता लागू होती है । राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृत कुछ विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखते हैं ।

५. वित्तीय क्षमता : संविधान की विधि-व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति केंद्र वित्तमंत्री के जरिए देश का वार्षिक "आय व्यय का हिसाब" या "बजट" संसद में पेश करवाते हैं । कोई भी वित्तीय बिल या वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं हो सकता । भारत के मुख्य लेखा नियंता और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditior General) के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में पेश करवाते हैं । वे "वित्त आयोग" की नियुक्ति करते हैं और उनके द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट को संसद में पेश करवाते हैं । इसके अलावा देश की आर्थिक दुर्गति के समय राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा करते हैं ।

६. न्यायिक क्षमता : राष्ट्रपति न्याय और दया के आधार हैं। मृत्यु की सजा पाने वाले किसी आरोपी को वे क्षमा कर सकते हैं । इसके अलावा दूसरे अपराधियों की सजा की मात्रा को राष्ट्रपति कुछ नरम कर सकते हैं, स्थगित रख सकते हैं और घटा भी सकते हैं । आवश्यकता पड़ने पर जनता के स्वार्थ से जुड़े महत्त्वपूर्ण कानूनी सवालों और सांविधानिक विश्लेषण के बारे में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह (Advice) ले सकते हैं । पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश भी वे ही देते हैं । संसद की स्वीकृति के बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का बहिष्कार राष्ट्रपति के आदेश से ही होता है ।

७. विविध क्षमता : राष्ट्रपति केंद्र कार्यपालिका के मुख्य हैं। इसलिए उन्हें विविध क्षमता दी गयी है । इसे एक तरह की "बची हुई क्षमता " (Residuary Power) कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी ।

(क) संघ सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तय करना, राज्यपाल की कार्यवली, सर्वाच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों को कार्यन्वयन करने की पद्धति , अनुसूचित जाति और जनजाति निर्धारण करने की प्रक्रिया आदि विविध विषयों के बारे में राष्ट्रपति आवश्यक नीति सुनिश्चित करते हैं ।

(ख) राष्ट्रपति वित्त आयोग , सरकारी भाषा आयोग , अनुसूचित इलाके के विकास की देखरेख के लिए नियुक्त आयोग, आंत:राज्य परिषद आदि का गठन करते हैं ।

(ग) संघ शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति की कुछ विशेष क्षमता और दायित्व है ।

(घ) अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अनुसूचित इलाके के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रपति कई तरह के उत्तरदायित्व का निर्वाहन करते हैं।

(ङ) राष्ट्रपति देश के आलंकारिक मुख्य हैं । इसी हिसाब से प्रतिवर्ष २ ६ जनवरी को गणराज्य दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित सामरिक और बेसामरिक पैरिड का अभिवादन राष्ट्रपति ग्रहण करते हैं । साथ ही राष्ट्रध्वज भी फहराते हैं ।

८ . आपातकालीन क्षमता : आगे बतायी गयी क्षमताओं के अलावा आपातकाल का मुकाबला करने संविधान ने राष्ट्रपति को विशेष रूप से तीन क्षमताएँ दी हैं । हमारे संविधान में तीन प्रकार के आपातकालों का उल्लेख है; वे हैं;

(क) राष्ट्रीय आपातकाल : जब राष्ट्रपति को यह लगने लगता है कि पूरे भारत या इसके कुछ इलाके की सुरक्षा युद्ध, बाहरी आक्रमण या देश में पनपे सशस्त्र विद्रोह से बिगड़ती जा रही है या बिगड़ने की संभावना है, तब राष्ट्रपति पूरे देश में या देश के कुछ इलाकों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। केंद्र मंत्री परिषद की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं । इस घोषणानामे की घोषणा होने के एक महीने के अंदर इसे संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा कम से कम 2/3 मत से एक बार स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रीय आपातकाल का यह घोषणानामा महीने तक बरकरार रहता है । इसी तरह हर 6 महीने के अंतर में इस घोषणानामें को बार - बार स्वीकृति मिलने पर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति अनंतकाल तक बनी रह सकती है ।

आपातकाल का प्रभाव आम तौर पर पर दो क्षेत्रों पर विशेष रूप से दिखाई पड़ता है ।

(१) राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारत में प्रचलित संघीय व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है । केंद्र सरकार की क्षमता व्यापक हो जाती है; जैसे -

(क) राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं , उसके बारे में राज्यों के लिए संसद कानून पारित कर सकता है ।

(ख) राष्ट्रपति राज्य सरकारों को उनकी प्रशासनिक क्षमता के इस्तेमाल करने के बारे में आवश्यकीय आदेश दे सकेंगे ।

(ग) राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक संबंधों में सुधार ला सकेंगे ।

(२) राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही संविधान की धारा 19 में नागरिकों को दिया गया " स्वतंत्रता का अधिकार " अपने आप ही निरस्त हो जाता है । इसके अलावा राष्ट्रपति एक स्वतंत्र घोषणानामे के जरिए संविधान की धारा 32 में दिये गये " सांविधानिक प्रतिकार का अधिकार " या मौलिक अधिकार की सुरक्षा का अधिकार को रद्द कर सकते हैं । इससे नागरिक अपने मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते ।

(ख) किसी राज्य की सांविधानिक शासन व्यवस्था की विफलता या अचलावस्था संबंधी आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) : हमारे संविधान ने केंद्र और राज्यों में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है । यदि किसी समय राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट या किसी दूसरे सूत्रों से जानकारी मिलने पर राष्ट्रपति को यह अहसास होने लगता है कि राज्य की शासन व्यवस्था संविधान की विधि - व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रही है । सांविधानिक शासन व्यवस्था चरमरा गयी है ।

ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार उस राज्य में आपातकाल के लागू होने की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे आपातकाल को " राज्य का आपातकाल " (State Emergency) या राष्ट्रपति शासन (President's Rule) भी कह सकते हैं । जिस राज्य में इस आपातकाल की घोषणा की जाती है , उस राज्य की शासन व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है । इससे होता यह कि

(१) उस राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है । उस राज्य के लिए संसद ही कानून बनाता है । यहाँ तक कि उस राज्य का बजट या आय - व्यय का लेखाजोखा भी संसद द्वारा ही स्वीकृत होता है ।

(२) राज्य की मंत्री परिषद को बरख्वास्त कर दिया जाता है । राज्य की कार्यपालिका क्षमता राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेते हैं । राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्यापालिका के वास्तविक मुख्य बनकर कार्य करते हैं । आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल को प्रशासनिक मदद पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार " सलाहकार " नियुक्त करती है । इसी तरह आपातकाल का यह घोषणानामा 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में स्वीकृत होना जरूरी है । एक बार स्वीकृत होने पर यह 6 महीने तक बरकरार रहता है । इसी तरह संसद से बार बार स्वीकृति मिलने पर यह आपातकाल सर्वाधिक तीन साल बरकरार रह सकता है । यहाँ यह सूचित किया जा सकता है कि राष्ट्रपति अपनी इस क्षमता का आवश्यकता पड़ने पर बड़ी सावधानी से प्रयोग करेंगे । न्यायालय यदि इस घोषणानामे को रद्द कर देता है तो पहले की प्रशासनिक स्थिति बरकरार रहेगी।

(ग) वित्तीय आपातकाल : जब राष्ट्रपति को यह लगने लगता है कि भारत की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और उसमें स्थिरता नहीं बन पा रही है , तब ऐसी स्थिति में वे संविधान के अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं । इसी समय :-

(१) केंद्र सरकार राज्य सरकारों को विभिन्न आर्थिक अनुशासन पालन करने का निर्देश देती है ।

(२) राज्य सरकार के अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं, उनका वेतन कम करने के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं ।

(३) राज्य सरकारों के सभी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करके रखा जाता है ।

(४) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ - साथ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का वेतन कम करने के लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं ।

वित्तीय आपातकाल का घोषणानामा 2 महीने के अंदर संसद द्वारा स्वीकृत होना जरूरी है । हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है ।

आपके लिए काम : संविधान के लागू होने से आज तक जिन - जिन लोगों ने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार सँभाला है, उनकी सूची तैयार कीजिए।

राष्ट्रपति की भूमिका और गरिमा :

हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था लागू है । हमारे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका हैं । राष्ट्रपति नाम मात्र को कार्यपालिका और सांविधानिक शासन प्रमुख हैं । यह सच है कि केंद्र सरकार की सभी कार्यपालिका क्षमता संविधान ने उन्हें दी है ; लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति इनमें से किसी भी क्षमता का प्रयोग नहीं कर सकते । वे जनता के द्वारा परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और उनका कार्यकाल भी निश्चित है । केवल महाभियोग के द्वारा उन्हें बहिष्कार किया जा सकता है । हमारे संविधान ने स्थायीत्व की अपेक्षा उत्तरदायित्व को अधिक महत्त्व दिया है । इसलिए संसद के जरिए सीधे - सीधे जनता के पास जवाबदेही रहने वाले प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद राष्ट्रपति की तुलना में अधिक प्रभावशाली है क्षमताशाली हैं । दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रपति इंग्लैंड की रानी की भाँति

केवल आलंकारिक राष्ट्रमुख्य नहीं हैं। हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है । इसलिए आजकल अधिकांश समय " त्रिशंकु संसद " और " मिलीजुली सरकार " की नौबत आती है । ऐसी असामान्य स्थिति में राष्ट्रपति को महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी पड़ती है । सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के मित्र, प्रोत्साहक और मार्गदर्शक रूप में कार्य करते हैं । वे देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। वे भारत की नीति और आदर्श के वार्तावह हैं । देश की सुरक्षा, प्रशासनिक स्थिरता व स्वच्छता तथा संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रपति पर है । परोक्ष रूप से वे देश की जनता के पास जवाबदेह हैं , इसमें कोई दो राय नहीं ।

उपराष्ट्रपति :

हमारे संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद बनाया गया है और उसे स्वीकृति मिली है ।

अहर्ताएँ :

उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की निम्नलिखित अहर्ताओं का होना आवश्यक है ।

(१) वे भारत के नागरिक हो ।

(२) उनकी उम्र कम से कम 35 साल की हो ।

(३) राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उनकी सारी योग्यताएँ हों।

(४) वे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर न हों।

(५) वे संसद या राज्य विधान मंडल के सदस्य न हों । यदि हों, तो उपराष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेने से पहले उन्हें उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा ।

चुनाव : संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों को लेकर जो निर्वाचक मंडली है , उसके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरीय गोपनीय मतदान पद्धति के जरिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ।

कार्यकाल : उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं । कार्यकाल की समाप्ति होने से पहले वे इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें उनके पद से बहिष्कार किया जा सककता है । जब राज्यसभा के संख्याधिक सदस्य उपराष्ट्रपति को बहिष्कार करने का प्रस्ताव लाएँगे और उस प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकृति मिल जाएगी, तब उपराष्ट्रपति का बहिष्कार किया जा सकता है ।

कार्यावली :

उपराष्ट्रपति सांविधानिक पदाधिकारी हैं; पर संविधान ने उनके हाथ में कोई महत्त्वपूर्ण क्षमता या जिम्मेदारी नहीं सौंपी है । वे सिर्फ दो ही सांविधानिक कर्त्तव्यों का निर्वाहन करते हैं ।

(१) जब राष्ट्रपति की मृत्यु, उनके इस्तीफे , बहिष्कार तथा अन्य किसी कारण से, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव रद्द हो जाने पर उनका पद रिक्त हो जाता है, तब उपराष्ट्रपति सबसे ज्यादा 6 महीने तक या उसी समयावधि में नये राष्ट्रपति की नियुक्ति होने तक अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का कार्यभार सँभालते हैं । इसी अवधि में वे राष्ट्रपति को मिलनेवाली तमाम सुविधाओं का उपभोग करते हैं । हाँ, राष्ट्रपति यदि अस्वस्थ रहते हैं या अनुपस्थित रहते हैं अथवा किसी दूसरे कारण से अपना कार्य निष्पादन करने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं, तब उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य सँभालते हैं ।

(२) आम तौर पर उपराष्ट्रपति अपने पदाधिकार के बल पर राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं । लोकसभा के अध्यक्ष की भाँति वे राज्यसभा के अधिवेशन का संचालन करते हैं ।

राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति भी कुछ आलंकारिक कार्य संपादन करते हैं । वे विदेश का दौरा करते हैं और वहाँ सरकार की नीतियों और आदर्शों को उपस्थापित करते हैं । समय - समय पर वे विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होते हैं ।

आपके लिए काम :

अब तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार सँभाल चुके व्यक्तियों की सूची बनाइए ।

केंद्र मंत्रिपरिषद (Union Council of Ministers):

हमारे देश में " संसदीय सरकार " या " मंत्रिमंडलीय सरकार " (Cabinet Government) कार्य कर रही है । केंद्र सरकार की सभी कार्यपालिका क्षमता संविधान ने राष्ट्रपति के हाथों सौंप दी है, किन्तु इन तमाम क्षमताओं का उपयोग वास्तव में मंत्रिमंडल या मंत्रीपरिषद ही (Council of Ministers) करती है । संविधान के अनुच्छेद 74 (1) में इसका उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उनके कार्य संपादन में सहायता करने तथा सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल रहेगी ।

मंत्रिपरिषद का गठन :

प्रधानमंत्री केंद्र मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं । हर आम चुनाव के बाद लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाले किसी राजनैतिक दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं । प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं । मंत्रि परिषद के सदस्य संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होकर मंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं, तो उन्हें 6 महीने के अंदर किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुनकर आना पड़ेगा, नहीं तो वे मंत्री पद गवाएँगे । प्रधानमंत्री पंत्रियों के बीच विभाग का आवंटन करते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर उसमें फेर-बदल भी करते हैं । प्रधानमंत्री मंत्रियों की संख्या, मंत्रि-परिषद के आकार और स्वरूप के बारे में निर्णय लेते हैं । अभी सांप्रतिक व्यवस्था के अनुसार केंद्र मंत्रि -परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 15 फीसदी ही होगी, इससे अधिक नहीं । मंत्रि-परिषद का गठन करते समय प्रधानमंत्री देश के विभिन्न राज्य, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व पर ध्यान देते हैं । उसी तरह गठबंधन की सरकार में सभी दलों के सदस्यों की संख्या मंत्रिपद के महत्त्व और पूर्व अनुभव पर भी विचार किया जाता है ।

मंत्रिपरिषद का वर्गीकरण :

मंत्रिपरिषद में साधारणत: चार प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे : (क) कैबिनेट मंत्री (ख) राष्ट्रमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), (ग) राष्ट्रमंत्री, (घ) उपमंत्री ।

आपके लिए काम :

केंद्र मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के नामों की सूची तैयार करो और उनके विभागों का नाम लिखिए ।

सामान्यत: कैबिनेट मंत्री का दर्जा वयोवृद्ध, वरिष्ठ, अभिज्ञ तथा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव संपन्न व्यक्तियों को दिया जाता है । उन्हें कैबिनेट के महत्त्वपूर्ण विभाग सौंपे जाते हैं । उन मंत्रियों को लेकर कैबिनेट (Cabinet) का गठन होता है । विभिन्न महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अधिकांश समय में इस कैबिनेट की बैठक में सारी नीतियाँ तय की जाती हैं । कैबिनेट की बैठक में केवल कैबिनेट दर्जे के मंत्री ही शामिल होते हैं । इसके साथ स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य करने वाले राष्ट्रमंत्री भी विशेष रूप से आमंत्रित होकर इस बैठक में शामिल होते हैं ।

राष्ट्रमंत्री के दो वर्ग हैं । कुछ राष्ट्रमंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ एक या एकाधिक विभाग की जिम्मेदारी सँभालते हैं । दूसरे कुछ राष्ट्रमंत्री महत्त्वपूर्ण विभागों में कैबिनेट दर्जे के मंत्रियों की मदद करते हैं ।

उपमंत्रियों की नियुक्ति कैबिनेट और राष्ट्रमंत्रियों की सहायता के लिए की जाती है ।

इन तीनों वर्ग के मंत्रियों के अलावा संसदीय सचिवों (Parliamentary Secretary) की नियुक्ति भी आवश्यकता पड़ने पर की जाती है । इन संसदीय " सचिवों की नियुक्ति " प्रधानमंत्री करते हैं ।

मंत्रिपरिषद का कार्यकाल और जिम्मेदारी :

हमारे संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद के निचले सदन या लोकसभा के पास व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जवाबदेह है ।

"सामूहिक जिम्मेदारी " का मतलब किसी एक मंत्री की गलती के लिए पूरी मंत्रिपरिषद को जिम्मेदार ठहराना है। इसलिए मंत्रिपरिषद का अस्तित्व और विलय हमेशा ही सामूहिक रूप से होता है । मंत्रिपरिषद के सारे मंत्री सहमति के आधार पर कार्य करते हैं । यदि कोई मंत्री मंत्रीपरिषद के निर्णय से अपनी सहमति नहीं जताते, तो वे मंत्रिपरिषद से अपना इस्तीफा दे देते हैं ।

जब तक लोकसभा का विश्वास मत मंत्रीपरिषद के पास है, तब तक वह क्षमता में रह सकती है ।

"अविश्वास प्रस्ताव " का अनुमोदन कर अथवा वित्त विधेयक का अनुमोदन न करके लोकसभा मंत्रीपरिषद के खिलाफ अपना अविश्वास प्रकट कर सकती है । मंत्रि परिषद के सदस्य संसद के पास सामूहिक रूप से जवाबदेह हैं; साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से भी। सांविधानिक विधि - व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति की मरजी से (During the pleasure of President) मंत्री अपने अपदे पद पर बने हुए रहते हैं , यह बात सही है ; पर किसी भी समय प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उनके पद से बहिष्कार कर सकते हैं।

मंत्रि - परिषद के कार्य :

मंत्रि - परिषद के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

१. नीतियाँ बनाना : मंत्री परिषद देश के शासन तथा हमारे विदेश संबंध को लेकर कई नीतियाँ बनाती है ।

२. निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन : मंत्रि - परिषद केवल नीतियाँ नहीं बनाती , अपितु कैसे बनी हुई नीतियों का सही समय में सही रूप से क्रियान्वयन हो , उसके बारे में भी निर्णय लेती है ।

३. कानून लागू करना : कानून बनाना संसद का कार्य है । फिर भी कानून की रूपरेखा , विषय आदि का निर्णय वास्तव में मंत्रिपरिषद ही करती है ।

४. वित्त संबंधी : देश के आय - व्यय के विभिन्न जरिये का निर्धारण और बजट (आय - व्यय का हिसाब) की प्रस्तुति आदि का मंत्रिपरिषद अनुमोदन करती है ।

५. राष्ट्रपति को सलाह देना : देश का शासन करना और राष्ट्रपति को उनके कार्य संपादन में समुचित सलाह देना मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य है ।

६. आंतर्विभागीय समन्वय : सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना और सामूहिक रूप से विविध योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करना मंत्रीपरिषद की असली जिम्मेदारी है ।

भूमिका : संसदीय सरकार में मंत्रीपरिषद की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । पर बदलते परिवेश में संसद और मंत्री परिषद की क्षमता तथा गरिमा धीरे-धीरे सिकुड़ती जा रही है।

दूसरी तरफ गठबंधन की सरकार में शामिल दलों के परस्पर विरोधी क्रियाकलापों के चलते मंत्रीपरिषद एक सुदृढ़ तथा समन्वित दल के रूप में अपना कार्य नहीं कर पा रही है । इसके चलते गठबंधन की सरकार स्थिर नहीं हो पा रही है ।

प्रधानमंत्री :

संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । केंद्र मंत्रीपरिषद के अध्यक्ष के रूप में वास्तव में प्रधानमंत्री केंद्र कार्यपालिका के प्रमुख है । संविधान के अनुसार सारी कार्यपालिका क्षमता राष्ट्रपति के पास है फिर भी, प्रधानमंत्री की सलाह के बिना राष्ट्रपति अपनी किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं करते । इसलिए हमारे देश की राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री सबसे प्रभावशाली हैं ।

कार्यावली :

भारतीय सांविधानिक, प्रशासनिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री बहुविध भूमिका का निर्वाहन करते हैं ।

(१)प्रधानमंत्री केंद्र मंत्रीपरिषद के प्रमुख हैं :- प्रत्येक आम चुनाव के बाद बहुमत हासिल करनेवाले दल या

गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में सरकार बनाने के लिए आमंत्रण करते हैं । इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति होती है । प्रधानमंत्री मंत्रियों का वर्ग निर्धारण करते हैं और उनमें विभाग का आवंटन करते हैं । वे मंत्री - परिषद की बैठक बुलाते हैं । इसकी कार्यसूची बनाते हैं । इसमें अध्यक्षता भी करते हैं । वे मंत्रियों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं । उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व को बनाये रखते हैं । प्रत्येक मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व को मानने के लिए बाध्य है , नहीं तो मंत्रीपरिषद से इस्तीफा देने के सिवाय उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वे मंत्रीपरिषद की सृष्टि , स्थिति और विलय के कारण हैं । वे चाहें तो मंत्रियों का विभाग परिवर्तन कर सकते हैं या मंत्रियों का बहिष्कार कर सकते हैं । उनकी मृत्यु या इस्तीफे से केंद्र मंत्रीपरिषद का विलय होता है । लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को पदच्युत होना पड़ता है ।

(२) प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु हैं - प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार हैं । वे राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय के बारे में बताते हैं । राष्ट्रपति द्वारा भेजी गयी वार्ता को वे मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा के लिए उपस्थापित करते हैं । प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद, देश की शासन व्यवस्था और विदेश नीति के बारे में अवगत कराते हैं । विदेश दौरे से लौटने पर वे राष्ट्रपति से सौजन्यमूलक मुलाकात करते हुए दौरे की जानकारी देते हैं । उस पर चर्चा करते हैं ।

(३) प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और संसद के बीच सेतु हैं :- मंत्रिपरिषद और संसद के बीच प्रधानमंत्री समन्वय बनाये रखते हैं । संसद में पेश होनेवाले विधेयक या " बिल " के बारे में वे मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा करते हैं । संसद में सदस्यों के सवालों का जवाब रखते हैं । मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत सरकार की नीतियाँ प्रधानमंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती हैं । मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं ।

(४) प्रधानमंत्री राष्ट्र के नेता हैं :- प्रधानमंत्री संसद तथा पूरे देश के नेता हैं । वे भारत की अंदरुनी शासन व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में नीतियाँ तय करते हैं । उन नीतियों को संदद में पारित कराते हैं । प्रधानमंत्री विदेश जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में भारत की क्या विदेश नीति है, इसकी पुष्टि करते हैं । विदेश नीति पर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हैं ।

(५) प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ दल के नेता हैं :- प्रधानमंत्री शासक दल के सर्वोच्च नेता हैं । इसलिए सत्ता पक्ष की नीति तथा कार्य निर्णय में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है । गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री गठबंधन का नेतृत्व करते हैं ।

(६) प्रधानमंत्री देश की जनता के नेता हैं :- प्रधानमंत्री अपने देश के जननायक हैं । भारत का हर नागरिक प्रधानमंत्री से दृढ़ नेतृत्व, दक्ष शासन, कर्त्तव्य निष्ठा और देश के सामग्रिक विकाश के लिए दृढ़ संकल्प की अपेक्षा रखता है ।

(७) प्रधानमंत्री की बहुविध भूमिका : अपने पद की गरिमा के आधार पर प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं । इसके अलावा वे कई संस्थाओं, कमिटियों, आयोग और विश्वविद्यालयों के साथ जुड़े रहते हैं । स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लालकिले पर राष्ट्र-ध्वज फहराते हैं । इसके साथ देश की जनता के उद्देश्य में अपना अभिभाषण रखते हैं ।

प्रधानमंत्री की भूमिका :

संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमत्री की मुख्य कार्यावलियाँ बतायी गयी हैं । प्रधानमंत्री सरकार के प्रशासनिक प्रमुख हैं । उनकी क्षमता व्यापक है । वे मंत्रिपरिषद के प्राण हैं। देश शासन के दिग्दर्शक हैं । वे राष्ट्र के नीति - निर्धारक भी हैं । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्रि देश के मार्गदर्शक हैं।

प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, उनकी बुद्धिमता, कूटनीतिक विलक्षणता, राजनीतिक प्रत्युत्पन्नमतिता और सर्वोपरि उनके दल का उन्हें समर्थन उनके सफल नेतृत्व में चार चाँद लगा देता है ।

देश का राजनीतिक वातावरण, सांविधानिक पदमर्यादा , राजनीतिक समीकरण, राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री का मधुर संबंध और भावगत आदान - प्रदान प्रधानमंत्री के पद को और अधिक संपुष्ट बनाता है । गठबंधन की सरकार की सफलता में प्रधानमंत्री का बलिष्ठ नेतृत्व प्रशंसनीय है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री भारत का नेतृत्व करते हैं ।

केंद्र की व्यवस्थापिका :

केंद्र की व्यवस्थापिका सभा को " संसद " या " पार्लियामेंट " कहा जाता है । राष्ट्रपति , लोकसभा और राज्यसभा को लेकर संसद कर गठन हुआ है । इस द्वि - सदनीय संसद के निचले सदन को "लोकसभा " और ऊँचे सदन को " राज्यसभा " कहते हैं । लोकसभा लोगों की सभा है । जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गये जन प्रतिनिधियों को लेकर इसका गठन हुआ है । राज्यसभा संघीय व्यवस्था पर आधारित है । राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है । राज्य के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों से इसका गठन हुआ है । लोकसभा और राज्यसभा के गठन और कार्यावली की चर्चा आगे की जा रही है ।

लोकसभा :

गठन : देश के नागरिकों के द्वारा सार्वजनीन साबालक मतदान के जरिए प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लेकर लोकसभा का गठन हुआ है । मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्य के लिए लोकसभा के पास जवाबदेह है । भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा आम जनता की सार्वभौमिक क्षमता की प्रतीक है ।

सांविधानिक व्यवस्था के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या सर्वाधिक 552 हो सकती है । इनमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से और सर्वाधिक 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से चुने जाएँगे । इसके अलावा दो आंग्लो भारतीयों का चयन राष्ट्रपति कर सकते हैं । फिलहाल लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है । इनमें से विभिन्न राज्यों से 530 सदस्य और संघ शासित प्रदेशों से 13 सदस्य साबालक मतदान के जरिए चुने गये हैं । राष्ट्रपति ने दो आंग्लो भारतीयों

भारत का पार्लियामेंट भवन या संसद

का चयन किया है । लोकसभा जनता का प्रतनिधित्व करती है। इसलिए राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सदस्यों की संख्या तय की गयी है । ओड़िशा से लोकसभा में 21 सदस्य हैं । लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है ।

योग्यता :

लोकसभा के सदस्य होने के लिए एक उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है :

(१) वे भारत के नागरिक हों ।
(२) उनकी उम्र कम से कम 25 साल की हो ।
(३) वे दिवालिया और मानसिक रोगी न हों ।
(४) वे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायी पद पर न हों ।
(५) संसद द्वारा लागू किये गये कानून में दर्शायी गयी दूसरी अहर्ताएँ उनकी हों ।

कार्यकाल :

भारत के प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिक आम चुनाव में अपना मतदान कर लोकसभा के उम्मीदवार को चुनते हैं ।

लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है । 5 साल पूरे होने पर औपचारिक रूप से लोकसभा भंग कर दी जाती है । पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय आपातकाल का कानून लागू करके लोकसभा एक ही बार अपना कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा सकती है । लेकिन आपातकाल हटते ही सदन की वृद्धि की गयी समयावधि 6 महीने से अधिक नहीं होगी । लोकसभा का पहला अधिवेशन जब होता है , उसी दिन से उसकी समयावधि 5 साल तक की होती है ।

लोकसभा का अधिवेशन :

राष्ट्रपति लोकसभा का अधिवेशन आहूत करते हैं । इसे अनिश्चित काल तक " प्रोरोग " रख सकते हैं और इसे भंग भी कर सकते हैं । राष्ट्रपति की यह सांविधानिक जिम्मेदारी है कि वे इस तरह लोकसभा का अधिवेशन आहूत करें जिससे एक अधिवेशन के आखिरी दिन और अगले अधिवेशन के पहले दिन के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर न हो । लोकसभा का अधिवेशन कम से कम साल में दो बार होता है । आम तौर पर साल में तीन सत्र बुलाये जाते हैं, जैसे - बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र ।

कोरम : जिन अल्पसंख्यक सदस्यों की उपस्थिति से सभा कार्य का आरंभ होता निहायत जरूरी है, उसे " कोरम " कहते हैं । लोकसभा का "कोरम " सदन के कुल सदस्यों का एक - दशांश है , अर्थात् 55 । कोरम की पूर्ति न हो पाने की स्थिति में सभाकार्य बंद करना पड़ता है । कोई भी सदस्य यदि सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक सदन के कार्य में अनुपस्थित रहें , तो उन्हें अपनी सदस्यता गवानी पड़ेगी।

वेतन और भत्ता :

लोकसभा के सदस्यों को निश्चित मासिक वेतन के साथ - साथ दूसरे भत्ते भी प्रदान किये जाते हैं ।

लोकसभा के अध्यक्ष :

लोकसभा के अध्यक्ष को "वाचस्पति " कहते हैं । लोकसभा की पहली बैठक में लोकसभा के सदस्य अपनों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं । आम तौर पर सत्ता पक्ष का कोई न कोई सदस्य अध्यक्ष बनता है । लेकिन अध्यक्ष चुने जाने के बाद वे दल के अनुगत बनकर नहीं बल्कि निष्पक्ष रूप से काम करते हैं ।

लोकसभा के अध्यक्ष के नाते वे लोकसभा के सत्र का संचालन करते हैं । वे सदन में अनुशासन बनाये रखते हैं । वे सदन की नीतियों की व्याख्या करते हैं । सदस्यों को उनका अधिकार और सुविधा मिले इसका ध्यान रखते हैं । अनुशासनहीनता के लिए वे सदस्यों को सदन से बहिष्कार या निलंबन कर सकते हैं । एक विधेयक (बिल) वित्त संबंधी विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय वे करते हैं । पर कभीकभी- ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है जब एक विधेयक के पक्ष और विपक्ष में समान - समान मत प्राप्त होते हैं ,तब अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट (Casting Vote) देकर विधेयका का भाग्य निर्णय करते हैं । सदन के कार्य में यदि बाधा उत्पन्न होती है, तब वे सदन के कार्य को स्थगित रखते हैं ।

लोकसभा के सदस्यों के द्वारा एक उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वे सदन के कार्य का संचालन करते हैं । परंपरा के अनुसार विपक्ष का एक सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं ।

राज्यसभा और इसका गठन :

राज्यसभा संसद का ऊँच सदन या दूसरा सदन है । यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है । किंतु इस सदन में सभी राज्यों से समान संख्या से प्रतिनिधि नहीं है । लोकसभा की भाँति राज्यसभा में में भी अलग - अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था है । हमारे ओड़िशा से राज्यसभा में 10 सदस्य हैं । राज्यसभा के सर्वाधिक सदस्यों की संख्या 250 है । इनमें से सर्वाधिक 238 सदस्य परोक्ष रूप से अलग - अलग राज्य और संघशासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं । राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का चयन किया जाता है , इनमें कला, विज्ञान , साहित्य और समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करनेवाले ही शामिल होते हैं । (फिलहाल अभी राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है ।)

राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकत्र हस्तांतरीय वोट के जरिए चुने जाते हैं ।

अहर्ताएँ :

राज्यसभा का सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति की निम्नलिखित अहर्ताओं का होना आवश्यक है ।

(१) वे भारत के नागरिक हों ।

(२) उनकी उम्र कम से कम 30 साल की हो ।

(३) वे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायी पद पर न हों ।

(४) वे दिवालिया या मानसिक रोगी न हों ।

(५) संसद द्वारा पारित कानून में दर्शायी गयी दूसरी अहर्ताएँ उनकी हों।

कार्यकाल :

राज्यसभा एक स्थायी सभा है । इसका विलय नहीं होता । पर राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं या उनका चयन होता है। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य हर दो साल के अंतर में सेवामुक्त होते हैं । इसलिए हर दो साल में राज्यसभा के लिए चुनाव होता है, और इस प्रकार फिर एक - तिहाई सदस्य चुनकर आते हैं ।

राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुलाते हैं। दोनों सदनों का सत्र एक ही समय में या अलग - अलग समय में भी बुलाया जा सकता है । जरूरत पड़ने पर दोनों सदनों का सम्मिलित सत्र बुलाये जाते हैं ।

अध्यक्ष :

अपने पदाधिकार के कारण भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष पद अलंकृत करते हैं । वे लोकसभा के अध्यक्ष की भाँति राज्यसभा में अनुशासन बनाये रखते हैं । सदन का कार्य संचालन करते हैं । सदन की नीतियों की व्याख्या करते हैं । सदस्यों के अधिकार और सुविधाओं का ध्यान रखते हैं । लोकसभा के अध्यक्ष की तरह वे अलग - अलग कार्य संपादन करते हैं ।

लोकसभा के उपाध्यक्ष के तर्ज पर राज्यसभा में भी उपाध्यक्ष हैं । वे राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन का कार्य संचालन करते हैं ।

संसद की क्षमता और कार्य :

(१) **कानून बनाने की क्षमता** : सांविधानिक व्यवस्था के अनुसार केंद्र सूची और संयुक्त सूची के अंतर्गत सभी विषयों पर संसद कानून बनाता है । इसके अलावा यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है , तब उस राज्य के लिए भी संसद आवश्यक कानून बनाता है । आम विधेयक और वित्त विधेयक संसद के दोनों सदनों में एक निश्चित प्रक्रिया के तहत स्वीकृत होकर राष्ट्रपति के पास सम्मति के लिए भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति की सम्मति मिलने पर वे कानून बन जाते हैं । आम विधेयक के क्षेत्र में संसद के दोनों सदनों की क्षमता बराबर है । सिर्फ वित्त विधेयक को लेकर लोकसभा की क्षमता राज्यसभा से अधिक है । किसी आम विधेयक को लेकर यदि संसद के दोनों सदन सहमत नहीं होते , तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का सम्मिलित सत्र बुलाते हैं और उपजी समस्या का समाधान करते हैं । सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं । राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश और आपातकालीन घोषणानामे को भी संसद की स्वीकृति मिली हुई होती है ।

(२) **कार्यपालिका को नियंत्रण करने की क्षमता**: हमारी संसदीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के पास सामूहिक रूप से जवाबदेह है । सरकार के विभिन्न कार्यकलाप और नीतियों के बारे में संसद में चर्चा की जाती है और सांसद प्रश्नकाल में हिस्सा लेकर मंत्रियों से अलग - अलग विषयों पर सवाल करते हैं और जवाब भी पाते हैं । मंत्रि, सांसदों के द्वारा पूछे गये सभी सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य हैं । इसके अलावा मुल्तबी प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और बजट पर चर्चा के जरिए सांसद मंत्रिपरिषद पर अपना नियंत्रण जाहिर करते हैं । मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष दल अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं ।

यदि यह अविश्वास प्रस्ताव संख्याधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त कर लेता है, तब मंत्रिपरिषद इस्तीफा देने के लिए बाध्य है ।

क्या आपको पता है ?
राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता ।

(३) **वित्तीय नियंत्रण क्षमता** : संसद की स्वीकृति के बिना सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती या शुल्क वसूल नहीं कर सकती । इसलिए मंत्रिपरिषद सालाना बजट और अतिरिक्त बजट के जरिए अलग-अलग योजनाओं के लिए पैसा खर्च करने के लिए संसद की अनुमति लेती है । इस समय विरोधी तीन तरह " काट प्रस्ताव " (Cut Motion) लाकर मंत्रीपरिषद पर अपना नियंत्रण साबित करते हैं । अगर संसद में बजट पारित नही पाता तो मंत्रिपरिषद अपना अस्तित्व खो देती है । उसी तरह अगर "काट प्रस्ताव" संसद में पारित हो जाता है तब मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है ।

(४) **चुनाव संबंधी क्षमता** : राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं । लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं । उसी तरह राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के उपाध्यक्ष चुनते हैं ।

(५) **न्यायिक क्षमता** : संसद के दोनों सदनों के सदस्य संविधान के उल्लंघन अथवा संविधान के खिलाफ काम करने के कारण महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति को अपने पद से बहिष्कार करते हैं । उपराष्ट्रपति के बहिष्कार के लिए पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है । फिर राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा उसे स्वीकृति प्रदान करती है । इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ संसद में बहिष्कार प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति उन्हें अपने पद से बहिष्कृत करते हैं ।

(६) **संविधान संशोधन क्षमता** : हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन की सारी प्रक्रिया संसद द्वारा की जा सकती है । इस संबंध में संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है । संविधान संशोधन संबंधी विधेयक आवश्यक सदस्यों के समर्थन से दोनों सदनों में अलग - अलग पारित होने के बाद राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति देते हैं । उसके बाद उसका कार्यान्वयन होता है ।

(७) **विविध क्षमता** : संसद में देश की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर गंभीर बहस होती है । ये बहसें मंत्रिपरिषद को सचेतन कराती हैं। इसके साथ - साथ जनमत को सजग तथा सक्रिय बनाती हैं । लोक आय - व्यय कमिटी (Public Accounts Committee) अटकलें कमिटी (Estimates Committe) और महालेखाकार (CAG) की रिपोर्टों पर विस्तृत आलोचना करते हुए सांसद सरकार के अलग - अलग विभागों की त्रुटियों को दर्शाते हैं । इन त्रुटियों को कैसे दूर किया जाए इसका निर्णय सरकार लेती है ।

संसद में कानून बनाने की पद्धति :

संसद में जो प्रस्तावित कानून लाया जाता है उसे विधेयक (बिल) कहते हैं विधेयकों या बिलों को मुख्यत: दो भागों में विभक्त किया जाता है । जैसे (क) आम विधेयक (Non - Money Bill) (ख) वित्त संबंधी विधेयक (Money Bill) ।

आम विधेयक या बिल :

आम विधेयक या बिल संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है । प्रत्येक विधेयक संसद में पेश होने के बाद तीन बार उसका वाचन (Three Readings) होता है , उसके बाद उसे स्वीकृति मिलती है । पहले वाचन में केवल विधेयक के उद्देश्य एवं उसके शीर्षक का पाठ होता है । दूसरे वाचन के समय विधेयक पर संसद में तरह - तरह चर्चाएँ होती हैं । आवश्यकता पड़ने पर विधेयक को जाँच कमिटि (सिलेक्ट कमिटि) के पास भेजा जाता है या लोकमत क्या है जानने के लिए आम जनता के बीच इसे भेज दिया जाता है । तीसरे वाचन के समय विधेयक पर मतदान या वोट होता है। संख्याधिक सदस्यों का समर्थन हासिल होने पर विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है । उस सदन में भी विधेयक को तीन वाचन प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ना पड़ता है । दोनों सदनों में विधेयक को स्वीकृति मिलने पर उसे राष्ट्रपति के पास सम्मति के लिए भेजा जाता है।

राष्ट्रपति की सम्मति मिलने पर विधेयक कानून (Act) बन जाता है । आम विधेयक की स्वीकृति को लेकर यदि संसद के दोनों सदनों में मतांतर दिखाई पड़ता है तो राष्ट्रपति उसके समाधान के लिए संसद का सम्मिलित सत्र बुलाते हैं । राष्ट्रपति के पास " सम्मति " के लिए भेजे गये " आम विधेयक " को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं । यदि विधेयक को संसद में दूसरी बार स्वीकृति मिलती है तो राष्ट्रपति अपनी सम्मति देने के लिए बाध्य हैं । आम विधेयक के अनुमोदन के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों की क्षमता बराबर है ।

वित्त संबंधी विधेयक (Money Bill) :

हर वित्त संबंधी विधेयक या वित्त विधेयक सबसे पहले केवल लोकसभा में पेश किया जाता है । वित्त विधेयक पेश होने से पहले राष्ट्रपति की प्रारंभिक अनुमति निहायत जरूरी है । एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं उसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं । वित्त विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दिये प्रमाण पत्र के साथ उसे राज्यसभा की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर - अंदर इस विधेयक को स्वीकृति देकर लोकसभा को नहीं भेजती, तो यह स्वत: स्वीकृत हो गया है, ऐसा मान लिया जाता है । वित्त विधेयक दोनों सदनों में स्वीकृत होने के बाद उसे राष्ट्रपति की सम्मति के लिए भेजा जाता है । वित्त विधेयक को पहले से राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली हुई होती है । उसके बाद उसे सदन में पेश किया जाता है । इसलिए राष्ट्रपति वित्त विधेयक को तुरंत अपनी सम्मति प्रदान करते हैं ।

राज्यसभा वित्त विधेयक को नामंजूर या संशोधन नहीं कर सकती ।

न्यायपालिका :

भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) :

सर्वोच्च न्यायालय संघीय राष्ट्र का एक महत्त्वपूर्ण अंग है । केंद्र और राज्यों के बीच दिखाई देने वाली समस्याओं का समाधान करना तथा संविधान की व्याख्या करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य है । हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रिम कोर्ट) राजधानी दिल्ली में है । भारत के स्वाधीन, निष्पक्ष तथा त्रि - स्तरीय न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड की तरह है । इसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय की अवस्थिति है । हर राज्य में एक - एक उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) है । जिला और उपखंड स्तर पर निचली अदालतों की अपनी - अपनी महजूदगी है ।

गठन :

26 जनवरी 1950 ई. को हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) का जन्म हुआ । इससे पहले इसका नाम संघीय न्यायालय (Federal Court) था । फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों को मिलाकर कुल 32 न्यायाधीश हैं ।

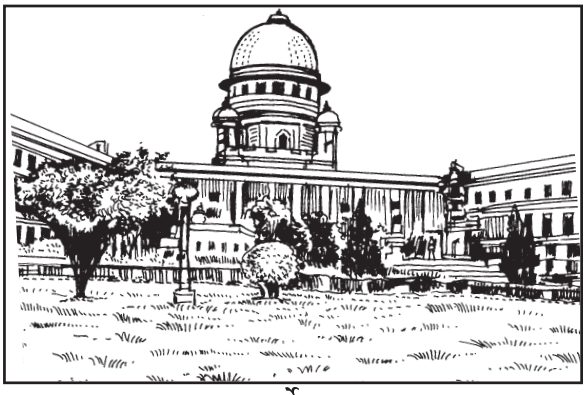

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं । अब वरिष्ठता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होते हैं ।

अहर्ताएँ :

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति की अग्रलिखित अहर्ताओं का होना आवश्यक है ।

(१) वे भारत के नागरिक हों । और

(२) एक या एकाधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 5 साल का हो; अथवा एक या एकाधिक उच्च न्यायालयों में उन्होंने लगातार 10 साल के लिए अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो; अथवा राष्ट्रपति के अनुसार वे एक विशिष्ट कानून विशारद (Jurist) हों ।

कार्यकाल और बहिष्कार :

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र में सेवामुक्त होते हैं । शारीरिक असमर्थता या असदाचरण के चलते संसद के अनुमोदन पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को अपने पद से बहिष्कार करते हैं । न्यायाधीशों की बहिष्कार प्रक्रिया अत्यंत जटिल है । किसी न्यायाधीश का बहिष्कार प्रस्ताव संसद में जब पेश किया जाएगा तब प्रत्येक सदन के अर्धाधिक सदस्यों का समर्थन उसे मिलना आवश्यक है । इसके साथ उपस्थित दो - तिहाई सदस्यों के समर्थन से यह प्रस्ताव स्वीकृत होने पर ही राष्ट्रपति न्यायाधीश को बहिष्कार कर सकते हैं । न्यायाधीश अपनी इच्छा से राष्ट्रपति के पास त्यागपत्र लिखकर अपने पद से सेवामुक्त हो सकते हैं ।

सेवामुक्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते । न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता कानून द्वारा तय किया जाता है ।

क्षेत्राधिकार और कार्यावली :

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को तीन भागों में विभक्त किया गया है , जैसे -

(१) मौलिक क्षेत्राधिकार

(२) आवेदनमूलक क्षेत्राधिकार और

(३) उपदेशमूलक क्षेत्राधिकार

(१) मौलिक क्षेत्राधिकार : सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है । इसलिए केंद्र तथा राज्यों के बीच या एक या एकाधिक राज्यों के बीच किसी मुद्दे को लेकर जो विवाद दिखाई पड़ते हैं , उसका न्यायिक समाधान सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है । उसकी यह क्षमता मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है । केंद्र तथा राज्यों के बीच दिखाई देने वाले विवाद इस प्रकार के होते हैं, जैसे -

(क) केंद्र सरकार बनाम एक या एकाधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद, या

(ख) केंद्र सरकार और एक या एकाधिक राज्य सरकारों बनाम एक या एकाधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद, या

(ग) राज्य बनाम राज्य के बीच विवाद :

सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहद मौलिक अधिकार क्षुण्ण होने की स्थिति में नागरिक सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं । सर्वोच्च न्यायालय अपने पाँच न्यायिक आदेश या परमादेश (रिट्) के जरिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी ये " रीट" क्षमता मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। वे परमादेश हैं :

(क) हावियस कॉर्पस

(ख) मांडामस

(ग) प्रोहिवेसन

(घ) सर्सिओरारी और

(ङ) कौवारांटो

(२) आवेदनमूलक क्षेत्राधिकार:

सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय , सामरिक न्यायालय तथा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय की राय के खिलाफ आवेदन किया जाता है । इस आवेदन के क्षेत्राधिकार तीन प्रकार के हैं, जैसे - (क) सांविधानिक (ख) दीवानी (ग) फौजदारी

(क) सांविधानिक आवेदन : जब किसी मुकद्दमे की राय के साथ संविधान की व्याख्या जुड़ी हुई होती है, ऐसा मानकर उच्च न्यायालय प्रमाण-पत्र देता है, तब उच्च न्यायालय की राय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है । क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्याकार हैं ।

(ख) दीवानी आवेदन : किसी दीवानी मामले में यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र देते हैं कि मामले के साथ जुड़े हुए अहम कानूनी सवलों की व्याख्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पर बहस जरूरी है, तो उस मामले में उच्च न्यायालय की राय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है ।

(ग) फौजदारी आवेदन :

फौजदारी मामले में भी उच्च न्यायालय की राय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है ; यदि

(१) निचली अदालत द्वारा दोष मुक्त कोई व्यक्ति यदि उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाते हैं और उन्हें मृत्युदंड की सजा होती है; अथवा

(२) उच्च न्यायालय यदि अपनी ओर से किसी मामले को निचली अदालत से अपने पास ले लेते हैं । उस मामले का विचार करके दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं; अथवा

(३) उच्च न्यायालय यदि प्रमाण पत्र देते हैं कि इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है ।

(घ) स्वतंत्र आवेदन क्षमता :

इसके अलावा केवल सामरिक अदालत को छोड़कर अन्य किसी भी अदालत की राय के खिलाफ आवेदन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपनी तरफ से स्वतंत्र अनुमति प्रदान करते हैं । यह अनुमति तब दी जाती है जब सर्वोच्च न्यायालय को लगने लगता है कि किसी मामले में आवेदनकारी को सही न्याय नहीं मिला है ।

(३) उपदेशमूलक क्षेत्राधिकार :

राष्ट्रपति किसी कानूनी सवाल या जनता के स्वार्थ से जुड़ी समस्याओं पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेते हैं । भिन्न - भिन्न दृष्यिकोण से विचार करके सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपना मत देते हैं । लेकिन राष्ट्रपति उनके मत या सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं ।

राय के पुनर्विचार की क्षमता :

आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय अपनी द्वारा दी हुई राय का पुनर्विचार करते हैं । यदि किसी समय दी हुई राय में कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं, जिसका पता बाद में चलता है , तब सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय का पुनर्विचार करते हैं ।

सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता :

सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता इस तरह निरूपित की गयी है ।

(क) न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा स्वतंत्र पद्धति के जरिए नियुक्त होते हैं ।

(ख) उनके बहिष्कार की पद्धति भी स्वतंत्र है ।

(ग) न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता कानून द्वारा निर्धारित होता है ।

(घ) न्यायाधीशों के सेवामुक्त होने की उम्र भी संविधान द्वारा तय की गयी है ।

अभिलेख अदालत :

सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख अदालत (Court of Records) है । इस न्यायालय की राय या हुक्मनामे को देश की अन्य सभी अदालतें मानने के लिए बाध्य हैं । सर्वोच्च न्यायालय की राय निचली अदालतों में सबूत के तौर पर पेश की जाती है ।

दूसरी बात है , सर्वोच्च न्यायालय " अदालत की अवमानना " अपराध के लिए आरोपी को सजा सुनाते हैं ।

न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) :

सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक हैं । इसलिए संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित कानून अथवा कार्यपालिका का हुक्मनामा यदि संविधान की किसी विधि - व्यवस्था का उल्लंघन करता है , तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून और हुक्कनामे को गैर सांविधनिक बतलाकर उसे रद्द कर देते हैं । इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है ।

जनहित याचिका (P.I.L.) :

पहले जिस व्यक्ति का अधिकार क्षुण्ण होता था वही व्यक्ति ही केवल न्यायालय में मामला दायर कर पाता था । लेकिन फिलहाल आम जनता का स्वार्थ बाधित होने पर कोई भी जागरूक व्यक्ति तथा स्वैच्छिक संस्थाएँ अदालत का सहारा ले सकती हैं। यहाँ तक कि अखबार या मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित खबरों को विचार के लिए ग्रहण करके सर्वोच्च न्यायालय सरकार को समुचित निर्देश देते हैं । इसी व्यवस्था के चलते कई जगहों पर पतित, दलित, निष्प्रेसित, शोषितों की समस्या एवं आम आदमी की समस्याओं का न्यायिक

समाधान हो पा रहा है । जब कभी किसी क्षेत्र में संसद तथा कार्यपालिका अपने - अपने उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य का सही ढंग से संपादन नहीं कर रही है, तब उस क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय उन्हें आवश्यकीय न्यायिक निर्देश देते हैं । इसे "न्यायिक तत्परता" (Judicial Activism) कहते हैं । इससे संसद और कार्यपालिका दोनों अपनी - अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वाह करती हैं ।

हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच दिखाई पड़नेवाले विवादों का समाधान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक हैं ; अंतिम व्याख्याकार हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकार के रक्षक हैं । इन सबके बाद सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका महत्त्वपूर्ण है । लोकतंत्र के सहायक के रूप में न्यायपालिका को स्वीकृति मिली है । भारत जैसे संघीय राष्ट्र में सर्वोच्च न्यायालय की सक्रिय भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है ।

❖❖❖

हमने क्या सीखा ?

- मुगल संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित है ।
- राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च सांविधानिक प्रमुख हैं ।
- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति सभी सांविधानिक जिम्मेदारी निभाते हैं ।
- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हमारे देश की वास्तविक कार्यपालिका हैं ।
- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनकी सलाह से दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तथा उनमें विभागों का आवंटन करते हैं ।
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के पास जवाबदेह है ।
- संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को लेकर बनी है ।
- लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या सर्वाधिक 552 हो सकती है ।
- इनमें से 530 सांसद विभिन्न राज्यों से, सर्वाधिक 29 सांसद विभिन्न संघ शासित प्रदेशों से साबालक वोट के द्वारा चुनकर आते हैं । राष्ट्रपति 2 आंग्लो भारतीयों का चयन करते हैं । फिलहाल लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है ।
- राज्यसभा के सर्वाधिक सदस्यों की संख्या 250 है । इनमें से सर्वाधिक 238 सांसद विभिन्न राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों से परोक्ष रूप से चुनकर आते हैं । राष्ट्रपति 12 सदस्यों का चयन करते हैं । अभी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है।
- संसद केंद्र की तालिका, संयुक्त तालिका और कुछ क्षेत्र में राज्यों की तालिका के अंतर्गत आनेवाले विषयों पर कानून बनाती है।
- भारत में सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रिम कोर्ट एक निष्पेक्ष न्यायपालिका है। यह संघीय सर्वोच्च न्यायालय है । मुख्य न्यायाधीश के साथ कुल 32 न्यायाधीशों को लेकर इसका गठन हुआ है ।
- इसके तीन प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं (क) मौलिक क्षेत्राधिकार (ख) आवेदनमूलक क्षेत्राधिकार (ग) उपदेशमूलक क्षेत्राधिकार
- संविधान के संरक्षक के रूप में यह न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की क्षमता का उपभोग करता है ।

जानने की बातें

- **लाभदायक पद** :- यदि एक व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री होंगे, तो वे लाभदायक पद पर हैं। ऐसा नहीं माना जाएगा ।
- **महाभियोग** :- जिस प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति का बहिष्कार किया जाता है, उसे महाभियोग कहते हैं ।
- **संविधान** :- संविधान देश की सर्वोच्च कानून संहिता है । इसमें देश तथा सरकार का गठन, विभिन्न संस्थान और कार्यकर्त्ताओं की स्थिति, प्रकृति, क्षमता और कार्यावली का वर्णन हुआ है ।
- **प्रोरोग** :- राष्ट्रपति संसद के सत्र को अगले सत्र तक जो मुलतवी या स्थगित रखते हैं , उसे प्रोरोग कहा जाता है ।
- **संयुक्त सत्र** :- राज्यसभा और लोकसभा की सम्मिलित बैठक को संसद का संयुक्त सत्र कहा जाता है । लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं ।
- **आपातकाल** :- भारत में संघीय शासन व्यवस्था प्रचलित है । आपातकाल में प्रचलित सांविधानिक शासन व्यवस्था को रद्द कर दिया जाता है । नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा राज्यों की स्वतंत्रता को संकुचित कर लिया जाता है । इसके साथ केंद्र सरकार की क्षमता व्यापक होने लगती है । केंद्र मंत्रिपरिषद की सलाह पर केवल राष्ट्रपति हमारे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं । देश की सुरक्षा खतरे में होने पर या खतरे की आशंका होने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं । इसके अलावा अन्य दो प्रकार के आपातकाल, जैसे राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं ।
- **त्रिशंकु संसद** :- जब लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत हासिल नहीं होता है , तब "त्रिशंकु संसद" की स्थिति दिखाई देती है ।
- **अविश्वास प्रस्ताव** :- केंद्र मंत्रीपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के पास जवाबदेह है । इसलिए जब विरोधी दल सरकार के काम को लेकर असंतुष्ट होते हैं, तब वे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। यदि अविश्वास प्रस्ताव बहुमत द्वारा पारित होता है तब सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है ।
- **सामूहिक जिम्मेदारी** :- मंत्रिपरिषद के सभी कार्य के लिए सभी मंत्री जवाबदेह हैं । कोई भी मंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय के खिलाफ जाकर मंत्रिपरिषद में अपना स्थान नहीं बना सकते । उसी तरह प्रत्येक मंत्री के कार्य के लिए पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह है । संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के पास जिम्मेदार है ।
- **योजना आयोग** :- हमारे देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग आदि सभी प्रकार की प्रगति के लिए कई योजनाओं की प्रस्तुति करने केंद्र में एक आयोग है । उसे योजना आयोग कहते हैं । प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं ।
- **कॉट प्रस्ताव** :- बजट आलोचना के समय विरोधी "कॉट प्रस्ताव" (Cut Motion) लाते हैं । इसके जरिए विभिन्न विभाग का व्यय ह्रास करने के लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है । "कॉट प्रस्ताव" स्वीकृत होने की स्थिति में यह प्रमाणित हो जाता है कि सरकार

लोकसभा में अपना बहुमत खो चुकी है । फिर सरकार भंग हो जाती है । आम तौर पर तीन तरह के कॉट प्रस्ताव हैं ।

- **प्रश्नकाल** :- प्रतिदिन संसद सत्र के पहले एक घंटे (साधारण रूप से पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक) में प्रश्नकाल (Question Hour) का आयोजन होता है । इसी समय सांसद मंत्रियों से विभिन्न विषयों पर सवाल और कुछ अतिरिक्त सवाल भी पूछते हैं । मंत्री इनके जवाब देते हैं ।
- **बजट** :- सरकार के वार्षिक आय - व्यय के हिसाब को "बजट " कहा जाता है । प्रत्येक आर्थिक वर्ष के आरंभ से पहले केंद्रीय वित्तमंत्री के द्वारा इसे लोकसभा में पेश किया जाता है । इसके बाद संसद इसका अनुमोदन करती है । बजट में दिये गये विभिन्न विभागों के व्यय का हिसाब संसद में स्वीकृत होने पर सरकार इसका व्यय कर सकती है ।
- **शून्यकाल (Zero Hour)** :- संसद के प्रबंधन के लिए जो नियमावली हैं उसमें शून्यकाल (Zero Hour) के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है । यह एक संसदीय परंपरा है । आम तौर पर शून्यकाल (Zero Hour) का आरंभ प्रश्नकाल के बाद ही होता है । यह दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक या भोजनावकाश तक चालू रहता है । इसलिए इसे शून्यकाल (Zero Hour) कहा जाता है । कभी - कभी 10 बजकर 15 मिनट तक शून्यकाल समाप्त हो जाता है । दूसरी बात है कि इस शून्यकाल में सदन के निर्धारित कार्यक्रम को बंद रखकर आम जनता के स्वार्थ की दृष्टि से जो विषय अत्यंत जरूरी है उन पर सदन के कोई भी सदस्य कुछ भी सवाल पूछते हैं । कई बार एकाधिक सदस्य एक साथ कुछ कहते हुए भी दीख पड़ते हैं । सदन के प्रबंधन के लिए जो आम नियम बने हुए हैं, शून्यकाल में इसका पालन कोई भी सदस्य नहीं करता ।
- **संघीय राष्ट्र** :- जिस राष्ट्र में एक केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारें होती हैं । लिखित संविधान के आधार पर उनमें क्षमता का आवंटन किया जाता है, उस राष्ट्र को संघीय राष्ट्र कहा जाता है । अमेरिका विश्व का प्रथम संघीय राष्ट्र है ।
- **नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका** :- जिन राष्ट्रप्रमुखों के पास संविधान की सभी कार्यपालिका क्षमता है, पर मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना वे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते, उन्हें नाममात्र कार्यपालिका कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत के राष्ट्रपति, इंग्लैंड की रानी ।
- जिन राष्ट्रों के शासन प्रमुख वास्तव में सभी कार्यपालिका क्षमताओं का उपभोग करते हैं और जिनके आदेश पर सभी कार्य संपादित होते हैं, वे वास्तविक कार्यपालिका कहलाते हैं ; जैसे - भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद।
- **सामान्यत**:- संसदीय सरकार में ऊर्ध्वलिखित दो प्रकार की कार्यपालिकाएँ होती हैं ।
- राष्ट्रपति के सरकारी आवास का नाम "राष्ट्रपति भवन" है ।

प्रश्नावली

1. सभी प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में लिखिए ।

(क) राष्ट्रपति कैसे बहिष्कृत होते हैं ?

(ख) राष्ट्रपति की प्रशासनिक क्षमता के बारे में बताइए ।

(ग) राष्ट्रपति की आपातकालीन क्षमता क्या है ?

(घ) उपराष्ट्रपति के क्या काम हैं ?

(ङ) प्रधानमंत्री के कार्यों का वर्णन कीजिए ।

(च) केंद्रीय मंत्रिपरिषद के क्या काम हैं ?

(छ) लोकसभा के गठन और उसकी कार्यावली का वर्णन कीजिए ।

(ज) राज्यसभा के गठन और उसकी कार्यावली का वर्णन कीजिए ।

(झ) संसद में आम विधेयक कैसे स्वीकृत होता है ?

(ञ) लोकसभा के अध्यक्ष की क्या क्षमता है और क्या काम है ?

(ट) सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताइए ।

2. निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर एक - एक वाक्यों में लिखिए ।

(क) भारत के सांविधानिक राष्ट्रमुख्य कौन हैं ?

(ख) राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए किन लोगों का चयन करते हैं ?

(ग) लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों का चयन करते हैं और वे किस समुदाय के होते हैं ?

(घ) किन- किन कारणों से राष्ट्रपति का बहिष्कार किया जा सकता है ?

(ङ) राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का चयन करते हैं ?

(च) लोकसभा के सर्वाधिक सदस्यों की संख्या कितनी है ?

(छ) लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं ?

(ज) राज्यसभा के सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए ।

(झ) राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का है ?

(ञ) केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में कौन अध्यक्षता करते हैं ?

(ट) " त्रिशंकु संसद " क्या है ?

(ठ) राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी करते हैं ?

(ड) " कोरम " कहने से आप क्या समझते हैं ?

(ढ) केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है ?

(ण) संसद के संयुक्त सत्र में कौन अध्यक्षता करते हैं ?

(त) राज्यसभा के सदस्य कितने सालों के लिए चुनकर जाते हैं ?

(थ) वित्त विधेयक संसद के किस सदन में पेश होता है ?

(द) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं ?

(ध) भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं ?

(न) कौन - सी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है ?

(प) सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन नियुक्ति देते हैं ?

(फ) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में सेवामुक्त होते हैं ?

(ब) कौन - सी स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है ?

(भ) कौन - सी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार सँभालते हैं ?

(म) राष्ट्रपति किस समुदाय के कितने लोगों का चयन लोकसभा के लिए करते हैं ?

(य) राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं ?

(र) किन निश्चित कारणों से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का बहिष्कार किया जाता है ?

(ल) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैसे और किसके द्वारा बहिष्कृत होते हैं ?

(व) कॉट प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कौन - सी स्थिति पैदा होती है ?

(श) केंद्र सरकार के वार्षिक आय - व्यय का हिसाब (बजट) संसद में कौन पेश करते हैं ?

(ष) संविधान संशोधन संबंधी कानून किसके द्वारा स्वीकृत होता है ?

(स) लोकसभा सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की उम्र क्या होनी चाहिए।

(ह) अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में किसके खिलाफ पेश किया जाता है ?

(क्ष) कौन और कब संसद में प्रोरोग की घोषणा करते हैं ?

(श्र) कौन - सी स्थिति में संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है ?

(त्र) योजना आयोग का परिवर्तित नाम क्या है ?

3. कोष्ठक में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए ।

(क) _____ हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं ।

(ज्ञानी जैल सिंह , अब्दुल कलाम , सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण , डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद)

(ख) केंद्र मंत्रिपरिषद के मुख्य को _____ कहा जाता है ।

(प्रधानमंत्री , राष्ट्रपति , लोकसभा के अध्यक्ष , मुख्यमंत्री)

(ग) _____ ई. में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय का जन्म हुआ था ।

(1926 , 1950 , 1903 , 1909)

(घ) उपराष्ट्रपति _____ माह के लिए अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में कार्य का निष्पादन करते हैं ।

(3, 4, 5, 6)

(ङ) _____ एक अस्थायी सभा है।

(लोकसभा , राज्यसभा , विधानसभा , इनमें से कोई नहीं)

•

द्वितीय अध्याय

राज्य सरकार

कार्यपालिका

प्रस्तावना :

हमारे संविधान में वर्णित संघीय शासन व्यवस्था के अनुसार केंद्र में केन्द्रसरकार और और प्रत्येक राज्य में एक - एक राज्य सरकार है । भारत के कुल राज्यों में से केवल जम्मू - कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में एक प्रकार की शासन व्यवस्था लागू है । केवल जम्मू - कश्मीर के राज्य शासन के लिए स्वतंत्र व्यवस्था अपनायी गयी है । हमारे संविधान के 370 अनुच्छेद में यह स्वतंत्र व्यवस्था है।

सामान्यत: केंद्र और राज्य सरकारों के शासन का ढाँचा एक जैसा है । केंद्र सरकार की तरह प्रत्येक राज्य में एक संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है । केंद्र सरकार की भाँति हर राज्य सरकार की कार्यपालिका , व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है । राज्यपाल हर राज्य के सांविधानिक शासन प्रमुख हैं । राज्य विधानसभा के पास जवाबदेह रहनेवाली राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर वे अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं । हाँ, कुछ क्षेत्र में राज्यपाल की अपनी स्वैच्छिक क्षमता है, जिसे संविधान ने स्वीकृति दी है । उसी स्थिति में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं।

राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लेकर राज्य सरकार की कार्यपालिका बनी है । राज्य का अमलातंत्र किसी राज्य की कार्यपालिका का एक प्रमुख हिस्सा है । उसी तरह राज्य की व्यवस्थापिका राज्यपाल तथा एक या द्वि - सदनीय विधानमंडल को लेकर बनती है । यहाँ यह बताया जा सकता है कि भारत के 29 राज्यों में से केवल 7 राज्यों (जैसै - बिहार, महाराष्ट्र, कर्णाटक, उत्तरप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना) में दोनों विधानसभा और विधान परिषद हैं । शेष राज्यों तथा दोनों संघ शासित प्रदेशों, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में केवल विधानसभा है ।

राज्यपाल :

राज्यपाल राज्य के सांविधानिक शासन प्रमुख हैं । उनके नाम पर राज्य का शासन चलता है ।

क्या आपको पता है ?

ओड़िशा की द्रैपदी मुर्मू (अभी जो झारखंड की राज्यपाल हैं) भारत की प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल हैं ।

नियुक्ति और कार्यकाल :

सांविधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक - एक राज्यपाल की नियुक्ति की गयी है । आवश्यकता पड़ने पर एक ही राज्यपाल एकाधिक राज्यों का दायित्व निर्वाहन करते हैं । राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा पाँच साल के लिए नियुक्त होते हैं । वे चुनकर नहीं आते । राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं या राष्ट्रपति उन्हें बहिष्कार कर सकते हैं । एक व्यक्ति की नियुक्ति कई बार राज्यपाल के रूप में हो सकती है, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं है । राज्यपाल के पाँच साल का कार्यकाल पूरे होने के बाद यदि नये राज्यपाल की नियुक्ति न हुई, तो ऐसी स्थिति में नये राज्यपाल का कार्यभार सँभालने तक वे अपने दायित्व का संपादन करते हैं । राष्ट्रपति की मर्जी पर राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं ।

क्या आपको पता है ?

परंपरा के अनुसार किसी राज्य के अधिवासी की नियुक्ति उसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नहीं होती।

किसी समय यदि किसी राज्य के राज्यपाल अवकाश पर गये या किसी दूसरे कारणों से राज्यपाल का पद रिक्त

रहा, तो पड़ोस राज्य के राज्यपाल या उसी राज्य के उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अस्थायी राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं । नव नियुक्त राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं । शपथ के जरिए राज्यपाल संविधान तथा कानून की सुरक्षा करने के साथ-साथ उसी राज्य की जनता की सेवा और सामूहिक भलाई के लिए अपने आपको जुड़े रखने की प्रतिज्ञा करते हैं ।

योग्यताएँ :

राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए संविधान द्वारा तय की गयी योग्यताएँ हैं -

(१) वे भारत के नागरिक हों ।

(२) उनकी उम्र 35 साल से अधिक हो ।

(३) वे किसी लाभदायक पद पर न हों ।

(४) वे संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य न हों । यदि हों, तो राज्यपाल के पद पर नियुक्त होकर शपथ लेते ही फौरन संसद या विधानमंडल की उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है ।

राज्यपाल की क्षमता:

(१) कार्यपालिका क्षमता: संविधान ने राज्य सरकार की सभी कार्यपालिका क्षमता राज्यपाल के हाथों सौंप दी है । राज्यपाल केवल सांविधानिक शासन प्रमुख हैं, इसलिए ये तमाम क्षमता उनके नाम पर मंत्रिपरिषद के द्वारा संपादित होती हैं।

राज्यपाल की कार्यपालिका क्षमता के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करने की क्षमता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। राज्य में चुनाव का नतीजा आने पर नयी विधानसभा के गठन के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद के दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं । विधानसभा में बहुमत पाने वाले दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं । यदि किसी एक राजनीतिक दल विधानसभा में आवश्यकीय बहुमत हासिल नहीं कर पाता और गठबंधन की सरकार बनती है , तो राज्यपाल उस गठबंधन के सर्व स्वीकृत नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं । यदि किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता अथवा गठबंधन के नेता के समर्थन में विधानसभा के अर्धाधिक सदस्यों का निश्चत समर्थन नहीं होता, एकाधिक नेता राज्यपाल के पास अपने साथ बहुमत होने का दावा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वैच्छिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उन्हें एक निश्चित समयावधि के भीतर विधानसभा में बहुमत साबित करने की सलाह देते हैं । सभी कोशिशों के बाद यदि राज्य में स्थिर सरकार नहीं बन पाती, तो उस समय राज्यपाल उसी राज्य में "राष्ट्रपति शासन" लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देते हैं ।

राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ सलाह मशवीरा करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) एवं राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं । इसके अलावा राज्यपाल राज्य के विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं । अपनी पद मर्यादा के कारण राज्यपाल राज्य के सभी विश्व - विद्यालय के कुलाधिपति (Chancellor) हैं । कुलाधिपति के रूप में वे सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों की नियुक्ति करते हैं । ये तमाम नियुक्तियाँ देते समय राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह लेकर काम करते हैं।

जिन राज्यों में द्वि-सदनीय विधानमंडल है वहाँ राज्यपाल कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा और समवाय के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करनेवाले लोगों में से कुछेकों का चयन राज्य विधान परिषद के लिए करते हैं । हाँ, इनकी संख्या राज्य विधानपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या पर निर्भर है । राज्यपाल इस क्षेत्र में एक - छटाई सदस्यों का चयन राज्य विधान परिषद के लिए करते हैं ।

राज्यपाल को यदि ऐसा लगता है कि राज्य विधानसभा में आंग्लो - इंडियन समुदाय का सही प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो वे उस समुदाय के एक व्यक्ति का चयन विधानसभा के लिए करते हैं ।

राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब राज्य के शासन प्रबंधन में राज्यपाल की सहायता करने एक स्वतंत्र सलाहकार नियुक्त होते हैं । राज्य प्रशासन संबंधी सभी तथ्यों तथा निर्णयों के बारे में राज्यपाल को बतलाना मुख्यमंत्री का सांविधानिक जिम्मेदारी है । राज्यपाल मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये सारे निर्णय और मंत्रिपरिषद में हुई चर्चाओं के बारे में मुख्यमंत्री से जानकारी हासिल करते हैं ।

व्यवस्थापिका क्षमता :

राज्यपाल राज्य विधानमंडल के बेजोड़ अंग हैं। राज्य विधानमंडल से तात्पर्य राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ही है । पर सभी राज्यों में विधानपरिषद नहीं है । राज्यपाल विधानमंडल के एक या दोनों सदनों का सत्र बुलाते हैं । सत्र की समाप्ति या प्रोरोग (Prorogue) की घोषणा भी करते हैं । आवश्यकता पड़ने पर वे विधानसभा का भंग भी करते हैं । लेकिन इन सारी क्षमताओं का इस्तेमाल वे मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं । विधानपरिषद एक स्थायी सदन है और इसका विलय नहीं होता ।

आम चुनाव के बाद नयी बनी विधानसभा के पहले सत्र तथा हर साल के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल विधानसभा में अपना "लिखित अभिभाषण" पढ़ते हैं । इसमें सरकार की नीति और कार्यशैली की सूचना मिलती है । जरूरत पड़ने पर राज्यपाल विधानसभा को प्रशासन संबंधी वार्त्ता (Message) भेजते हैं । प्रत्येक विधेयक या बिल विधानसभा या विधानमंडल के दोनों सदनों में एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृत होने के बाद राज्यपाल की "सम्मति" (assent) के लिए उसे उनके पास भेजा जाता है । राज्यपाल की सम्मति मिलने के बाद " विधेयक " कानून (Act) में तबदील होता है । हर वित्त विधेयक (वित्त बिल) को राज्यपाल सम्मति देने के लिए बाध्य हैं । क्योंकि विधानसभा में वित्त विधेयक पेश होने से पहले राज्यपाल की अनुमति ली जाती है । इसके अलावा दूसरे आम विधेयक या बिलों को जब राज्यपाल के पास उनकी 'सम्मति' के लिए भेजा जाता है , तब वे इन विकल्पों में से किसी एक का चयन करते हैं ।

(१) वे इस पर अपनी सम्मति देते हैं, जिससे 'विधेयक' कानून बन जाता है ।

(२) उस विधेयक पर दुबारा विचार - आलोचना करने के लिए वे उसे विधानमंडल या विधानसभा के पास अपनी 'वार्ता' सहित वापस कर सकते हैं ।

(३) राष्ट्रपति के फैसले के लिए वे उस विधेयक या बिल को संरक्षित रख सकते हैं ।

दुबारा विचार - आलोचना के लिए विधानमंडल या विधानसभा के पास वापस आये आम विधेयक या बिल पर जब विधानसभा में चर्चा - परिचर्चा होती है और फिर उसे राज्यपाल की सम्मति के लिए भेज दिया जाता है , तब उसे स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल मना नहीं करते ।

जिस समय विधानमंडल या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है , तब यदि किसी आपात कालीन परिस्थिति का मुकाबला करने कोई नये कानून की जरूरत होती है, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल अध्यादेश (ऑर्डिनॉन्स) लागू करते हैं । अध्यादेश एक कामचलाऊ (Executive), अस्थायी या स्वल्पावधिपरक कानून है। विधानमंडल के अगले सत्र शुरू होने के ६ हफ्ते के अंदर विधानमंडल द्वारा अध्यादेश का स्वीकृत होना आवश्यक है, नहीं तो यह अपने आप रद्द हो जाता है । इसके अलावा किसी भी समय राज्यपाल अपनी मर्जी से अध्यादेश वापस ले सकते हैं । अध्यादेश संबंधी विषय पर विधानमंडल में स्थायी कानून बन जाने की स्थिति में अध्यादेश अपने आप खारिज हो जाता है ।

वित्तीय क्षमता : - राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक (वित्त बिल) विधानसभा में पेश नहीं किया जाता । हर वित्त वर्ष के आरंभ होने से पहले राज्यपाल वित्तमंत्री के द्वारा विधानसभा में राज्य के सलाना आय - व्यय का विवरण या 'बजट' पेश कराते हैं । इसके अलावा वित्तमंत्री के जरिए राज्यपाल 'अतिरिक्त बजट' को भी विधानसभा में पेश कराते हैं ।

न्यायिक क्षमता :- जिला स्तर के न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राज्यपाल की न्यायिक क्षमता के दायरे में आता है । राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से विचार - विमर्श करते हैं । राज्यपाल राज्य में लागू कानून के बल पर सजा पाने वाले गुनहगारों की सजा को 'कम' या 'माफ' कर सकते हैं या फिर सजा को 'रोक' भी सकते हैं ।

विविध क्षमता :-

(१) राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपना कार्य करते हैं । इसलिए हर पंद्रह दिन में राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में वे राष्ट्रपति को 'पाक्षिक रिपोर्ट' प्रदान करते हैं ।

(२) संविधान की विधि - व्यवस्था के अनुसार यदि किसी राज्य की शासन - व्यवस्था काम नहीं करती , तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं ।

(३) राज्य के विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के रूप में वे उसकी अध्यक्षता करते हैं और अपना दीक्षांत अभिभाषण भी रखते हैं । विश्वविद्यालयों के सही प्रबंधन के लिए वे आवश्यक निर्देशाबली भी जारी करते हैं ।

(४) राज्यपाल राज्य की रेडक्रॉस संस्था के प्रमुख हैं ।

(५) विविध सभा, सम्मेलन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते हैं ।

(६) गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राज्यपाल राज्यस्तरीय पैरेड का अभिवादन ग्रहण करते हैं ।

(७) राज्य की विभिन्न समस्याओं का समाधान के लिए वे समय - समय पर मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श भी करते हैं ।

(८) वे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं ।

(९) राष्ट्रपति द्वारा आहूत राज्यपालों के वार्षिक सम्मेलनों में सरीख होकर चर्चा - परिचर्चा में भाग भी लेते हैं ।

स्वैच्छिक क्षमता :-

संविधान की विधि - व्यवस्था के अनुसार जिस क्षमता का उपयोग करते समय राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से काम नहीं करते वरन्, अपनी बुद्धि और विवेक से काम करते हैं, वह राज्यपाल की स्वैच्छिक क्षमता कहलाती है। राज्यपाल कहाँ और किस क्षेत्र में अपनी स्वैच्छिक क्षमता का उपयोग करें, उसका निर्णय वे स्वयं करते हैं । राज्यपाल की स्वैच्छिक क्षमता के बारे में कोई भी सवाल - न्यायालयों में नहीं उठाया जा सकता । इस क्षमता के दायरे के संबंध में संविधान में किसी भी तरह की विस्तृत चर्चा नहीं हुई है । इस संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम माना जाता है।

राज्यपाल की भूमिका –

प्रमुख रूप से राज्यपाल की भूमिका दो तरह की है । एक वे राज्य प्रशासन के सांविधानिक शासन प्रमुख हैं । राज्य के सांविधानिक शासन प्रमुख की भूमिका में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए राज्यपाल संसदीय लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं ।

दूसरी तरफ राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। राज्यपाल राज्य और केंद्र के बीच सेतु हैं । वे हमेशा केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन के बारे में सूचित करते रहते हैं । राष्ट्रीय एकता और अखंडता बरकरार रखने तथा केंद्र और राज्य के बीच मधुर संबंध बनाने में राज्यपाल सहायक होते हैं । इसी भूमिका में काम करते समय राज्यपाल किसी की सलाह नहीं लेते , अपितु अपनी इच्छा से काम करते हैं । राज्यपाल का पद गरिमापूर्ण और संविधान स्वीकृत है । बावजूद इसके अपनी कार्यशैली, सांविधानिक जिम्मेदारी, राजनीतिक तथा प्रशासनिक समझदारी और सर्वोपरि प्रभावी व्यक्तित्व राज्यपाल के पद को और अधिक महिमामंडित करता है । अपनी दोहरी भूमिका (dual role) में राज्यपाल का निर्विवादीय होना आवश्यक है ।

मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री

मंत्रिपरिषद:

केंद्र सरकार की भाँति प्रत्येक राज्य में एक - एक मंत्रिपरिषद होती है । राज्य में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं । संविधान ने राज्य प्रशासन की सारी क्षमता राज्यपाल के हाथों दे दी है । फिर भी संसदीय लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार असल में वे अपनी तमाम क्षमताओं का उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं ।

मंत्रिपरिषद का गठन :

प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव खत्म होने के बाद विधानसभा में बहुमत हासिल करने वाले दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं । मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं । विधानमंडल का सदस्य न होने वाले किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में स्थान दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ६ महीने के अंदर विधानमंडल की विधान परिषद या विधानसभा में चुनकर आना पड़ेगा, नहीं तो वे अपना मंत्री पद खो बैठेंगे । मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा या विधानमंडल के कुल सदस्यों की संख्या की १५ फीसदी से अधिक नहीं हो सकती । किसी विशेष स्थिति में यदि किसी एक दल या गठबंधन को विधानसभा में बहुमत हासिल नहीं होता, तो उस समय राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति मुख्यमंत्री के रूप में करते हैं, जिन्हें एक निश्चित समयावधि के भीतर विधानसभा में अपने साथ बहुमत होने का प्रमाण देना पड़ता है ।

राज्य मंत्रिपरिषद में आम तौर पर तीन तरह के मंत्री होते हैं , जैसे (क) कैबिनेट मंत्री (२) राष्ट्रमंत्री (३) उपमंत्री। वरिष्ठ, अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्तियों की नियुक्ति कैबिनेट मंत्री के रूप में होती है। वे सरकार के एक या एकाधिक विभाग का दायित्व सँभालते हैं । इन कैबिनेट मंत्रियों को लेकर 'कैबिनेट' बनती है । यह सरकार की सर्वोच्च क्षमतासंपन्न संस्था है । कैबिनेट मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । कैबिनेट मंत्रियों के बाद राष्ट्रमंत्री आते हैं। आम तौर पर कैबिनेट मंत्रियों की मदद करने उनकी नियुक्ति की जाती है । कभी - कभी राष्ट्रमंत्रियों को एक - एक विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है । राष्ट्रमंत्रियों के बाद बारी आती है उपमंत्रियों की । उपमंत्री कैबिनेट मंत्री तथा राष्ट्रमंत्री को उनके काम में सहायता करते हैं । कैबिनेट की बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं । जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र रूप से बुलावा पाकर राष्ट्रमंत्री भी उस बैठक में शामिल होते हैं ।

कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा बुलायी जाती है। मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हैं और उसकी कार्यसूची तैयार करते हैं ।

कैबिनेट की बैठक में लिये जाने वाले शासन संबंधी सभी निर्णय 'सहमति' से होते हैं । कैबिनेट बैठक की तारीख , समय और स्थान मुख्यमंत्री तय करते ।

आपके लिए काम :

आप अपने राज्य की मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की सूची तैयार कीजिए ।

अपने सभी काम के लिए मंत्रिपरिषद राज्यविधानसभा के पास सामूहिक रूप से जवाबदेह है । विधानसभा में बहुमत की आस्था या विश्वास बने रहने तक मंत्रिपरिषद बनी हुई होती है । जिस समय मंत्रिपरिषद विधानसभा में आधे से ज्यादा सदस्यों की आस्था खो बैठती है, उसी समय मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है ।

मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं । मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने पर राज्य मंत्रिपरिषद का विलय होता है । मुख्यमंत्री मंत्रियों में विभाग का आवंटन और परिवर्तन करते हैं । मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री अपने अपने पद से इस्तफा देते हैं । जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री मंत्रियों को बहिष्कार करने के लिए राज्यपाल से निवेदन करते हैं । मुख्यमंत्री की शिफारिस पर राज्यपाल मंत्रियों के इस्तफा - पत्र स्वीकार करते हैं ।

कार्यावली :-

असल में राज्य मंत्रिमंडल राज्य प्रशासन का सर्वोच्च नीति निर्धारक है । नीति निर्धारण करने के साथ - साथ तमाम नीतियाँ कैसी लागू हों, उसके बारे में अमल करना, उस दिशा में सही कार्रेवाई करना मंत्रिपरिषद का काम है । मंत्रिपरिषद ये सभी काम बखूबी पूरी करती है । मंत्री अपने-अपने विभाग में काम करने वाले अधिकारियों के जरिए सरकारी नीतियों को लोकसेवा के लिए क्रियान्वित करते हैं ।

आपके लिए काम :-

आजादी के बाद ओड़िशा के पहले मुख्यमंत्री का नाम लिखिए ।

राज्य मंत्रीमंडल की बैठक में वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत 'बजट' पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है और उसका अनुमोदन किया जाता है । मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा की जाने वाली विविध समस्याओं का समाधान के लिए अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही लेते हैं ।

राज्य के बहुविध विकास के लिए विविध योजनाओं को प्रस्तुत करना और उसका सफल कार्यन्वयन कर जनता का कल्याण करना मंत्रिपरिषद का प्रमुख और महत्त्वपूर्ण कार्य है । मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये जाने वाले 'सामूहिक निर्णय' को सभी मंत्री मानने के लिए बाध्य हैं । अगर कोई मंत्री अपना अलग मत रख कर सामूहिक निर्णय का हिस्सा नहीं बनते, तो वे मंत्रिपरिषद से इस्तफा दे डालते हैं ।

मुख्यमंत्री :-

राज्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रीमंडल राज्य का शासन कार्य सभाँलते हैं । मुख्यमंत्री विधानसभा के नेता हैं । सर्वोपरि वे राज्य की जनताओं के भी नेता हैं।

नियुक्ति और कार्यकाल :

आम चुनाव के बाद विधानसभा में बहुमत हासिल करने वाले दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं । कभी - कभी विधानसभा का सदस्य न होने वाले व्यक्ति को भी विधानसभा में बहुमत हासिल करने वाले दल का नेता चुन लिया जाता है और वह मुख्यमंत्री बन जाता है । लेकिन ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ६ महीने के अंदर विधानसभा में चुन कर आना होता है, नहीं तो उसे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ता है ।

विधानसभा में मुख्यमंत्री के साथ - साथ मंत्रिपरिषद पर बहुमत का विश्वास मत होने तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं । वे किसी भी समय राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप कर पद मुक्त हो सकते हैं । इसके अलावा

राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद को बरख्वास्त कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने पर मंत्रिपरिषद का विलय होता है।

कार्यावली:

मुख्यमंत्री की कार्यावली बहुविध और व्यापक है ।

(१) मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद:- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सृजन, पालन और विलय के आधार तत्त्व हैं । मुख्यमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्ति दी जाती है। मुख्यमंत्री की मर्जी से मंत्रियों का वर्ग और उनका विभाग तय होता है । मुख्यमंत्री चाहने पर किसी भी मंत्री का विभाग बदल सकते हैं । किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने का आदेश दे सकते हैं । मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल इस्तीफा देने वाले मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करते हैं । वे विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं और मंत्रियों के बीच उपजने वाले विवादों का समाधान करते हैं । मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष हैं । वे मंत्री - मंडल की बैठक बुलाते हैं; उसकी कार्यसूची तय करते हैं और उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं । वे विविध गंभीर मुद्दों पर मंत्रियों से चर्चा करते हैं और मंत्रीमंडल में लिये गये निर्णय के बारे में राज्यपाल को अवगत कराते हैं ।

(२) मुख्यमंत्री और राज्यपाल :- मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संयोगकारी सेतु हैं । मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल अपना कार्य संपादन करते हैं । दूसरी तरफ राज्यपाल की ओर से आये हुए सुझाव पर मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करते हैं। राज्य की शासन-व्यवस्था के बारे में मुख्यमंत्री हमेशा राज्यपाल को जानकारी देते रहते हैं।

(३) मुख्यमंत्री और विधानसभा :- मुख्यमंत्री विधानसभा के नेता हैं । विधानसभा के नेता के रूप में मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्यों के अलग - अलग सवालों का जवाब रखते हैं । विधानसभा में वे सरकार की नयी- नीतियों और योजनाओं का ऐलान करते हैं । विधानसभा की कार्यसूची तय करते समय विधानसभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करते हैं । जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, वहाँ मुख्यमंत्री दूसरे सदन यानी (विधान परिषद) के साथ तालमेल बिठाये रखते हैं । विधानसभा में मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष और दूसरे दल के नेताओं के साथ विचार-विमर्श भी करते हैं ।

(४) मुख्यमंत्री और सत्ता रूढ़ दल : मुख्यमंत्री अपने दल और सत्तारूढ़ दल के नेता हैं । कभी-कभी मुख्यमंत्री अपने दल के अध्यक्ष भी होते हैं । वे सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के साथ विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा - परिचर्चा करते हैं, साथ ही अपने दल में समन्वय बनाये रखते हैं।

(५) मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन :- मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व और अनुभव से राज्य प्रशासन बहुत हद तक सफल और प्रभावी होता है । मुख्यमंत्री राज्य सरकार के वास्तविक शासन प्रमुख हैं । इसलिए विभिन्न नीतियाँ बनाने का नेतृत्व वे ही लेते हैं और ईमानदारी से कैसे उन नीतियों का कार्यान्वयन हो, उस पर भी पैनी नजर रखते हैं । राज्य में प्राकृतिक विपदा आने पर या आपातकालीन परिस्थिति उपजने पर मुख्यमंत्री प्रशासन को तत्पर कर उस समस्या का सामना करते हैं और उसका समाधान भी । वे राज्य के अलग - अलग इलाके का परिदर्शन कर आम जनता की सुविधा - असुविधा, सुख - दुख को महसूस करते हैं और उसका निदान भी करते हैं । जरूरत होने पर वे राज्य की समस्याओं के बारे में प्रधानमंत्री तथा केन्द्र सरकार के साथ विचार - विमर्श करते हैं और उनके समाधान के लिए कोशिश किया करते हैं ।

(६) मुख्यमंत्री और राज्य की आम जनता: - मुख्यमंत्री राज्य के सर्वोच्च शासनकर्ता और लोकप्रिय नेता हैं। इस दृष्टि से राज्य तथा राज्य की जनता की भलाई की बात केंद्र सरकार के सामने सही ढंग से रखना मुख्यमंत्री का प्रमुख काम है । राज्य के लिए केंद्रीय अनुदान की व्यवस्था

करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं को लागू करना और लोगों का चौतरफा विकास करना मुख्यमंत्री का एक दूसरा प्रमुख काम है ।

मुख्यमंत्री नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद , राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होकर राज्य के सामूहिक स्वार्थ की बात केंद्र सरकार के सामने रखते हैं ।

मुख्यमंत्री की भूमिका :

मुख्यमंत्री राज्य सरकार के शासन प्रमुख हैं । वे मंत्रिपरिषद की मदद से राज्य - शासन के लिए कई नीतियाँ, कई तरह के कानून बनाते हैं । फिर हर विभाग के अधिकारियों के जरिए उन्हें क्रियान्वित करते हैं । मुख्यमंत्री विभागों की कार्यावली की समीक्षा करते हैं ।

मुख्यमंत्री एक साथ मंत्रिपरिषद के प्रमुख, राज्यपाल के प्रमुख सलाहकार, राज्य विधानसभा के नेता और सर्वोपरि एक जननायक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वाहन करते हैं ।

मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होकर आम जनता से मुखातिब होते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं । स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर आयोजित पैरेड में सरीख होकर झंडारोहण करते हैं और पैरेड का अभिवादन स्वीकार करते हैं । निम्नलिखित परिस्थितियों पर मुख्यमंत्री की सफलता निर्भर करती है, जैसे (क) मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व (ख) मुख्यमंत्री के प्रति शर्त रहित दलीय समर्थन (ग) मुख्यमंत्री की नियुक्ति - प्रक्रिया (घ) केंद्र और राज्य के बीच रहनेवाला राजनैतिक समीकरण (ङ) राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री की भूमिका ।

राज्य विधानमंडल (State Legislature) :-

भारत के हर राज्य में एक - एक विधानमंडल है। यह एक सदनवाला या द्विसदनवाला होता है । विधानमंडल के निचले सदन को विधानसभा और ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है । राज्यपाल विधानमंडल के अभिन्न अंग हैं । बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। बाकी राज्यों में सिर्फ निचला सदन या विधानसभा है। संघशासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानसभा है ।

विधानसभा का गठन और कार्यकाल :-

संविधान की विधि - व्यवस्था के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक या ६० से कम नहीं हो सकती । लेकिन जनसंख्या की कमी के कारण सिक्किम विधानसभा की कुल सीटें ३२ हैं । गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोराम की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या ४० है ।

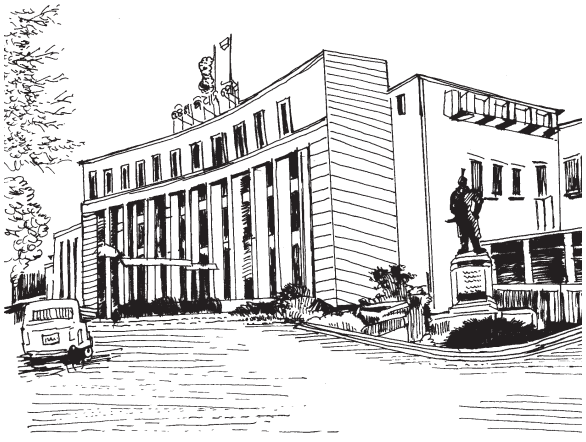

चित्र : ओड़िशा विधानसभा

ओड़िशा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या १४७ है । उनमें से २२ सीटें अनुसूचित जनजाति और ३४ सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं । बाकी ९१ सीटें साधारणवर्ग के उम्मीदवारों के लिए हैं । राज्य के मतदाताओं के जरिए विधानसभा के सदस्य साबालिक वोट दान के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं । १८ साल या उससे अधिक उम्र के सभी साबालिक नागरिक 'मतदाता' (वोटर) के रूप में अपने 'मतदान अधिकार'का इस्तेमाल

करते हुए चुनाव के जरिए अपने - अपने विधानसभा क्षेत्र से किसी एक को 'विधायक' (M.L.A.) के रूप से चुनते हैं । आम तौर पर हर पाँच साल के अंतराल में विधानसभा के गठन के लिए चुनाव किया जाता है ।

आपके लिए काम :

आपके जिले में रहे सभी विधानसभा क्षेत्र और उनके विधायकों की सूची तैयार कीजिए ।

विधानसभा का कार्यकाल ५ साल का है । राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने की स्थिति में संसद में पारित कानून के अनुसार इसका कार्यकाल और एक साल बढ़ाया जा सकता है । मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल पाँच साल पूरे होने से पहले भी विधानसभा को भंग कर देते हैं ।

विधानसभा के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताएँ :-

विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिए ।

(१) वे भारत के नागरिक हों ।

(२) उनकी उम्र २५ साल से कम न हो ।

(३) संसद द्वारा पारित चुनाव कानून द्वार तय की गयी शेष सारी योग्यताएँ उनके पास हों ।

किसी लाभदायी पद पर होने से या दिवालिया अथवा पागल होने पर कोई भी व्यक्ति विधानसभा के सदस्य के लिए अयोग्य घोषित कर दिये जाते हैं ।

अधिवेशन :

मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा का अधिवेशन बुलाते हैं । संविधान के अनुसार विधानसभा के दोनों अधिवेशनों के बीच ६ महीने से अधिक समय का अंतराल नहीं हो सकता । इसलिए हर साल अनिवार्य रूप से कम से कम विधानसभा के दो अधिवेशन बुलाये जाते हैं । असल में हर साल विधानसभा के तीन सत्र बुलाये जाते हैं ; जैसे - बजट सत्र , मनसून सत्र और शीतकालीन सत्र ।

कोरम :

विधानसभा के प्रतिदिन के अधिवेशन का कार्य चालू रखने के लिए संविधान के अनुसार विधानसभा के कुल सदस्यों के कम से कम एक दशमांश सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है । इस सर्वनिम्न आवश्यक आँकड़े को 'कोरम' कहा जाता है ।

विधानसभा के अध्यक्ष :

लोकसभा की भाँति विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं । विधानसभा के प्रथम अधिवेशन में विधानसभा के सदस्य उनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं । आम तौर पर अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से और उपाध्यक्ष विपक्ष दल से चुने जाते हैं ।

विधानसभा को कायदे - कानून से चलाना और विधानसभा के अधिवेशन में अनुशासन बनाये रखना अध्यक्ष का प्रमुख काम है । अनुशासनहीन आचरण के लिए अध्यक्ष सदस्यों को सदन से बहिष्कृत (Expulsion) या निलंबित कर देते हैं । अध्यक्ष की अनुमति से विधानसभा के सदस्य सदन में अपनी बात रखते हैं । अध्यक्ष विधानसभा की कार्यसूची तय करते हैं । वे विधानसभा के कार्यप्रणाली संबंधी नियमों का विश्लेषण करते हैं , उसकी व्याख्या करते हैं । इस क्षेत्र में उनका निर्णय (Ruling) अंतिम माना जाता है । सदस्यों के अधिकार और मर्यादा की रक्षा करना अध्यक्ष का प्रमुख कर्तव्य है । अध्यक्ष सदन के निर्विवादीय और निष्पक्ष चेहरे हैं । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में अधिवेशन का काम चालू रखने के लिए एक 'अध्यक्ष मंडली' है ।

विधानसभा में पेश होने से पहले अध्यक्ष विविध प्रस्तावों की वैधता और सांविधानिकता का निर्णय करते हैं ।

विधानसभा का अधिवेशन चलते समय यदि अनुशासनहीनता की स्थिति उपजती है या नियमानुसार अधिवेशन का काम चल नहीं पाता, तो ऐसे में अध्यक्ष सदन को मुलतबी (adjourn) रखते हैं ।

कोई भी विधेयक (बिल) , वित्त विधेयक या (वित्त बिल) है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करते हैं । इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम माना जाता है ।

अध्यक्ष अपने दल के अनुगत्य से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से अधिवेशन का काम संचालन करते हैं । वे सामान्यत: किसी विधेयक (बिल) के सपक्ष या विपक्ष में अपना वोट नहीं देते । लेकिन जब किसी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में समान वोट मिलते हैं; तब अध्यक्ष अपने 'निर्णायक वोट' के जरिये उस विधेयक का भाग्य तय करते हैं । अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं और बहिष्कृत भी किये जाते हैं । वे इस्तीफा देकर अपने - अपने पद से मुक्त भी हो सकते हैं ।

विधानसभा की कार्यावली :-

१.कानून बनाने का काम :

कानून बनाना विधानसभा का प्रमुख काम है । राज्य सूची और संयुक्त सूची में रहनेवाले विषयों पर विधानसभा कानून बनाती है । कोई भी आम विधेयक (बिल) विधानसभा में तय की गयी पद्धति में स्वीकृत होने पर राज्यपाल की 'सम्मति' के लिए भेजा जाता है । राज्यपाल की 'सम्मति' मिलने पर वह कानून बन जाता है ।

२. वित्त संबंधी नियंत्रण क्षमता :

विधानसभा के अनुमोदन के बिना सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती । वित्तमंत्री सालाना आय - व्यय की अटकलें या बजट विधानसभा में पेश करते हैं । बजट पर चर्चा समाप्त होने के बाद विभिन्न विभाग के मंत्री अपने - अपने विभाग का खर्च - प्रस्ताव विधानसभा में पेश करते हैं । विधानसभा में खर्च - प्रस्ताव स्वीकृत होने पर सरकार पैसा खर्च करती है । इस प्रकार वित्त संबंधी नियंत्रण के जरिए विधानसभा मंत्रीमंडल को नियंत्रण करती है । विधानसभा के अनुमोदन के बिना सरकार शुल्क वसूल नहीं कर सकती । वित्त संबंधी विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश होता है ।

३. कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की क्षमता:-

लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गये प्रतिनिधियों को लेकर विधानसभा का गठन होता है । इसलिए विधानसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद पर कई तरह के नियंत्रण रखते हैं । मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के पास जवाबदेह है । विधानसभा के सदस्य प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के जरिए , मुलतबी और ध्यान आकर्षक प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रीमंडल को नियंत्रित करते हैं । इसके अलावा बजट पर चर्चा के समय विधायक मंत्रियों से उनके विभाग के बारे में कई तरह के सवाल पूछते हैं । अलग - अलग 'कटौती प्रस्ताव' के जरिए विधानसभा मंत्रीमंडल पर अपना नियंत्रण जाहिर करती है । इसके अलावा बजट पर चर्चा के समय और खर्च प्रस्ताव पारित होते वक्त विधायक मंत्रियों से उनके विभाग के प्रबंधन को लेकर कई तरह के सवाल करते हैं । विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है ।

४. वितर्क और आलोचनामूलक क्षमता :-

राज्य का सर्वांगीण विकास के लिए विधानसभा में विधानसभा के सदस्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि , उद्योग, व्यापार आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा - आलोचना करते हैं । इससे सरकार की कई तरह की कमियाँ - खामियाँ सामने आती हैं और सरकार की आलोचना होती है ।

५. संविधान संशोधन संबंधी क्षमता :

संविधान के कुछ अनुच्छेदों के संशोधन के लिए पेश किये गये विधेयकों को आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन (Ratification) आवश्यक है ।

६. **चुनाव संबंधी क्षमता :-**

(क) विधानसभा के प्रथम अधिवेशन में विधानसभा के सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं ।

(ख) हर दो वर्ष के अंतराल में राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य अपने - अपने राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं ।

(ग) राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं । विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव विधान परिषद के सदस्य करते हैं ।

७. **विविध क्षमता :-**

राज्य लोकसेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्टें विधानसभा के पटल पर सदस्यों की जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाती हैं ।

विधानसभा में कानून बनाने की प्रक्रिया :-

कोई भी कानून बनाने के लिए आया हुआ प्रस्ताव पहले विधेयक या 'बिल' के रूप में सरकार की ओर से संबंधित विभाग के मंत्री के द्वारा सदन की अनुमति के साथ विधानसभा में पेश किया जाता है । विधेयक या 'बिल' मुख्यत: दो तरह के हैं ; जैसे (क) आम विधेयक या बिल (२) वित्त संबंधी विधेयक या 'वित्त बिल'। सामान्यत: वित्त बिल वित्त संबंधी विषयों पर और आम विधेयक शेष सारे विषयों पर कानून बनाने के लिए सदन में पेश किये जाते हैं । प्रत्येक विधेयक या 'बिल' विधानसभा में पहले पाठ, दूसरे पाठ और तीसरे पाठ के जरिए आगे बढ़ता है । तीसरे पाठ तक पहुँचने के बाद विधेयक पारित होने के लिए सदन के सदस्यों की राय पूछी जाती है । विधेयक या 'बिल' को बहुमत हासिल होने पर उसे राज्यपाल की 'सम्मति' के लिए उनके पास भेजा जाता है । राज्यपाल की 'सम्मति' मिलने पर विधेयक कानून का रूप ले लेता है ।

विधान परिषद

विधान परिषद :- विधान परिषद राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है । यह एक स्थायी सदन है । कभी इसका विलय नहीं होता । विधान परिषद के सदस्य ६ साल के लिए चुने जाते हैं और हर २ वर्ष के अंतराल में इसके एक तिहाई - सदस्य इसकी सदस्यता से मुक्त होते हैं।

आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है । उन राज्यों में केवल विधानसभा है। ओड़िशा में विधान परिषद नहीं है , सिर्फ विधानसभा है ।

गठन :-

परोक्ष रूप से चुने गये कुछ सदस्य और कुछ मनोनीत सदस्यों को लेकर विधान परिषद का गठन होता है । किसी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या ४० से कम नहीं हो सकती या फिर उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती ।

इस तरह विधान परिषद के पाँच - षष्ठांश सदस्य चुने जाते हैं और एक एक - षष्ठांश सदस्य मनोनीत होते हैं।

१. सदन के एक तिहाई सदस्य म्युनिसिपालिटी, जिला बोर्ड आदि स्थानीय निकाय के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं ।

२. सदन के एक - द्वादशांश सदस्य राज्य में कम से कम ३ साल तक रहने वाले स्नातकों को लेकर गठित चुनाव मंडली के द्वारा चुने जाते हैं ।

३. सदन के एक - द्वादशांश सदस्य माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम तीन साल तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर गठित चुनाव मंडली के द्वारा चुने जाते हैं ।

४. सदन के एक - तृतीयांश सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं ।

५. सदन के बचे एक षष्ठांश सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करते हैं । साहित्य, विज्ञान , कला, समवाय आंदोलन और समाजसेवा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को ही राज्यपाल इसके लिए मनोनीत करते हैं ।

अहर्ताएँ :

राज्य विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति के पास निम्नलिखित अहर्ताएँ होनी चाहिए ।

१. वे भारत के नागरिक हों ।

२. उनकी उम्र कम से कम ३० साल की हो ।

३. संसद द्वारा पारित कानून में तय की गयी अन्य सारी अहर्ताएँ उनके पास हो ।

राज्य विधान परिषद का अधिवेशन कार्य संचालन करने एक चुने हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं । यदि विधानमंडल में दो सदन की व्यवस्था हो , तो ऐसे में दोनों विधानसभा और विधान परिषद में विधेयक (बिल) पारित होने पर ही राज्यपाल की 'सम्मति' के लिए भेजा जाता है । राज्य विधानसभा की क्षमता राज्य विधान परिषद से अधिक है ।

राज्य की न्यायपालिका

देश के सर्वोच्च न्यायालय , राज्य के उच्च न्यायालय और जिलास्तर की अदालतों को लेकर एक तीन - स्तरीय न्यायपालिका प्रणाली हमारे देश में काम कर रही है । उच्च न्यायालय और जिलास्तर की अदालतों को लेकर राज्य की न्यायपालिका का गठन हुआ है ।

उच्च न्यायालय :

संविधान के अनुच्छेद २१४ के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होने का प्रावधान है । लेकिन दो या उससे अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने की क्षमता संसद के पास है ।

ओड़िशा का उच्च न्यायालय कटक में है । इसकी स्थापना १९४८ ई. में हुई थी । इससे पहले बिहार और ओड़िशा के लिए बिहार के पटना में एक उच्च न्यायालय था ।

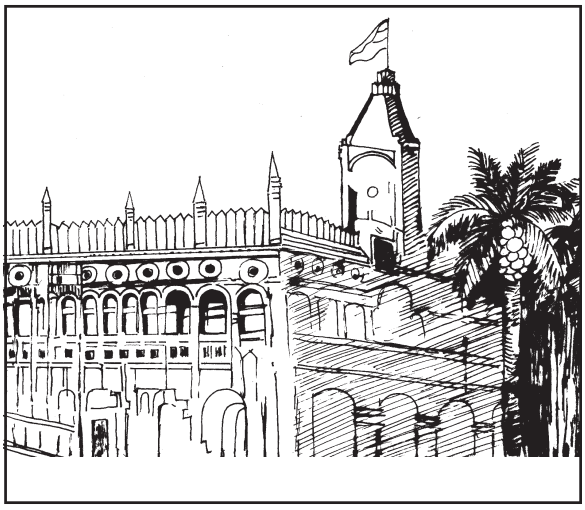

चित्र : ओड़िशा का उच्च न्यायालय

गठन :

एक मुख्य न्यायाधीश और कई अन्य न्यायाधीशों को लेकर उच्च न्यायालय का गठन होता है । भारत के राष्ट्रपति उन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं । राज्यपाल उन नव नियुक्त न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं ।

आपके लिए काम :

ओड़िशा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के नामों की सूची बनाइए ।

फिलहाल देश में मौजूदा उच्च न्यायालयों की सूची तैयार करो ।

न्यायाधीशों की अहर्ताएँ :-

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति के पास निम्नलिखित अहर्ताओं का होना आवश्यक है ।

१. वे भारत के नागरिक हों ।

२. किसी एक या एकाधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम दस साल तक एडवोकेट या अधिवक्ता के रूप में काम करने का अनुभव उनके पास हो ; या

भारत के किसी भी स्थान पर कम से कम दस साल तक विचार - विभाग के पद पर काम करने का तर्जुबा हो ।

क्या आपको पता है ?

ओड़िशा के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों को मिलाकर कुल २७ न्यायाधीश रह सकते हैं ।

कार्यकाल:

एक बार नियुक्ति पाने पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ६२ साल की उम्र तक काम करते हैं और ६२ साल की उम्र में अपने पद से सेवा मुक्त होते हैं । राष्ट्रपति को लिखित रूप से संबोधित करते हुए न्यायाधीश अपनी मर्जी से अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं । उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है । सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बरख्वास्त की प्रक्रिया वस्तुत: एक जैसी है । आवश्यक दो - तिहाई सदस्यों का समर्थन पाकर संसद के दोनों सदनों में बहिष्कार प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश को बहिष्कृत किया जाता है ।

राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार:

१. मौलिक क्षेत्राधिकार:

उच्च न्यायालय में जिन विषयों पर सीधे - सीधे मुकदमा दायर किया जा सकता है , वे सारे विषय मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं । किसी नागरिक का मौलिक अधिकार हनन होने पर वह सीधा जाकर उच्च न्यायालय में 'रिट' (परमादेश) आवेदन कर सकता है । अनुच्छेद २२६ के अनुसार संसद, विधानसभा आदि के चुनाव संबंधी मुकदमे उच्च न्यायालय में दायर किये जाते हैं। न्यायालय की अवमानना, शादी, तलाक आदि मुकदमे भी उच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं ।

२. आवेदनमूलक क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction) :

आवेदनमूलक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की एक महत्त्वपूर्ण क्षमता है । विभिन्न देवानी और फौजदारी मामले में जिलास्तर के न्यायाधीशों (जिला सेसन जज/दौरा जज) के द्वारा दी गयी राय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अर्जी लगायी जाती है, हाँ यदि इन मुकदमे में कानून पर विमर्श करने की जरूरत होती है, तभी ऐसा होता है ।

३. पर्यवेक्षणपरक क्षेत्राधिकार :

राज्य में जिला स्तर पर रहने वाली सभी निचली अदालतें न्यायालय द्वारा नियंत्रित होती हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिला स्तर की निचली अदालत का दौरा करते हैं और जरूरत होने पर आवश्यकीय निर्देश भी देते हैं । उच्च न्यायालय निचली अदालतों के कार्य - निर्वाहन की प्रक्रिया तय करता है। निचली अदालत में विचाराधीन किसी भी मुकदमे को वहाँ से वापस लाकर उस पर विचार करने और राय सुनाने की क्षमता उच्च न्यायालय के पास है । इसके अलावा उच्च न्यायालय में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी संबंधी शर्तें उच्च न्यायालय द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। जिला जजों की नियुक्ति और पदोन्नति के समय राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के साथ सलाह मशबिरा करते हैं ।

निचली अदालतें :-

राज्य सरकार पर उच्च न्यायालय की भाँति जिला और सवडिविजन या उपखंड के स्तर पर दो प्रकार की अदालतें काम करती हैं, वे हैं -

(क) देवानी अदालत और

(ख) फौजदारी अदालत

(क) देवानी अदालत :

जगह - जमीन और शेष सभी स्थावर एवं अस्थावर संपत्ति संबंधी मुकदमे जिस अदालत में फैसले किये जाते हैं, उसे देवानी अदालत कहते हैं । जिला स्तर के जज और सेसन्स (Sessions) कोर्ट जिला की सर्वोच्च देवानी और फौजदारी अदालत हैं। इसलिए जिला जज को जिला दौरा जज भी कहा जाता है । देवानी मुकदमे पर सुनवाई करने के लिए जिला स्तरपर जिला जज, अतिरिक्त जिला जज की अदालतें और सबडिविजन या उपखंड के स्तर पर सब जज एवं मुंशफ की अदालतें हैं ।

(ख) फौजदारी अदालत :

जिन अदालतों में चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या आदि अपराध की सुनवाई की जाती है, उन्हें फौजदारी अदालत कहा जाता है । इन मुकदमे की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर जिला दौरा जज, अतिरिक्त जिला दौरा जज एवं सबडिविजन या उपखंड के स्तर पर सबडिविजनाल जुडिसियल मजिस्ट्रेट और प्रथम तथा द्वितीय वर्ग के क्षमता प्राप्त मजिस्टेटों की अदालतें हैं ।

लोक अदालत :

अदालत के बाहर न्यायाधीश विभिन्न इलाके का दौरा कर वहाँ 'लोक अदालत' का संचालन करते हुए उसके जरिए आपसी समझौते के आधार पर मुकदमे का फैसला करते हैं। उस पर अपनी राय सुनाते हैं। असल में यही व्यवस्था 'लोक अदालत' कहलाती है। इससे गाँव की गरीब जनता को बेकार में पैसा खर्च करके बारबार अदालत की दौड़ - धूप करनी नहीं पड़ती।

केंद्र राज्य का संबंध :

भारतीय संघीय विधि - व्यवस्था में दोनों केन्द्र राज्यों की स्वतंत्र स्थिति संविधान द्वारा स्वीकृत और स्थिर है । दोनों सरकारों के बीच समन्वय और सहयोग बनाने तथा उन्हें अपने - अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए संविधान में कुछ निश्चित व्यवस्था की गयी है । भारत में केंद्र - राज्य के संबंध तीन प्रकार के हैं -

१. व्यवस्थापिका संबंध
२. प्रशासनिक संबंध और
३. वित्तपरक संबंध

१. व्यवस्थापिका संबंध :

संसद और राज्य के विधानमंडल किन - किन विषयों पर कानून बना सकते हैं , वे सभी संविधान के द्वारा सुनिश्चित किये जा चुके हैं । संविधान में तीन प्रकार की सूचियाँ हैं, जैसे- (क) केन्द्र की सूची (ख) राज्य की सूची और (ग) संयुक्त सूची ।

सामान्यत: केन्द्र की सूची में आने वाले विषय जैसे रक्षा, रेल, डाक आदि विभाग के बारे में संसद कानून बनाती है। राज्य की सूची में आने वाले विषय जैसे - (कृषि, वन) आदि के बारे में राज्य के विधानमंडल कानून बनाता है । संयुक्त सूची में आनेवाले विषय जैसे (शादी, तलाक) आदि पर संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं । यदि संयुक्त सूची में आने वाले विषयों को लेकर संसद और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाये गये कानून में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तब संसद द्वारा बनाया गया कानून बरकरार रहता है ।

कुछ विशेष परिस्थिति में संसद चाहे तो राज्यों के लिए कानून बना सकती है , जैसे :-

(क) जब धारा ३५२ के अनुसार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है ।
(ख) जब धारा ३५६ के अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है ।
(ग) जब राज्यसभा में दो - तिहाई सदस्यों के समर्थन से पारित एक प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय हित की दृष्टि से संसद राज्य सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने की आवश्यकता अनुभव करती है।
(घ) जब दो या उससे अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि संसद द्वारा उनके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है ।
(ङ) जब किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए राज्य सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है ।

२. प्रशासनिक संबंध :- जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, उन पर उनका आवश्यक प्रशासनिक नियंत्रण रहता है । इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की प्रशासनिक क्षमता के क्षेत्र अलग - अलग हैं । दोनों सरकारें अपने - अपने कार्य क्षेत्रों में लगभग स्वतंत्र और स्वशासी हैं ।

लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संघीय समन्वय बनाये रखने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों पर विभिन्न प्रशासनिक नियंत्रण लागू करती है ।

(क) प्रशासनिक क्षेत्र में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है कि राज्य सरकारों को अपनी प्रशासनिक क्षमता का प्रयोग करते समय केंद्र सरकार द्वारा लागू कानून की अवहेलना नहीं करनी चाहिए ।

(ख) राष्ट्रीय तथा रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य के बीच आवाजाही की व्यवस्था, रेल तथा जल पथ का निर्माण एवं उसके रखरखाव के लिए राष्ट्रपति राज्य सरकार को निर्देश देते हैं ।

(ग) राज्य - राज्य के बीच विवादों का समाधान और उनमें समन्वय बनाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है।

(घ) पूरे देश में प्रशासनिक एकता और समन्वय बरकरार रखने के लिए कुछ आयोगों की स्थापना करने का प्रावधान संविधान में है, जैसे - संघ लोकसेवा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वित्त आयोग आदि ।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के जरिए केंद्र का प्रशासन और राज्य का प्रशासन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ।

(च) राज्यपाल सम्मेलन, मुख्यमंत्री सम्मेलन और विधानसभा के अध्यक्ष सम्मेलन के जरिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को विभिन्न निर्देश देकर पूरे देश में एक समन्वित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की है ।

३. वित्तीय संबंध :

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंध संविधान स्वीकृत है । सामान्यत: दक्षता, साधन और योग्यता के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संसाधनों का आवंटन किया जाता है ।

आम तौर पर केंद्र सूची में आने वाले विषयों पर वसूले जाने वाले 'शुल्क' या 'टैक्स' केंद्र सरकार लेती है । राज्य सूची में आने वाले विषयों पर वसूले जाने वाले 'शुल्क' राज्य सरकार की तिजोरी में जाता है। पर केंद्र सरकार अपने संसाधन का कुछ हिस्सा राज्य सरकारों के बीच आवंटित करती है ।

(क) कुछ 'शुल्क' या 'टैक्स'केंद्र सरकार लागू करती है, पर उसे वसूलने और खर्च करने का काम राज्य सरकारों का है, जैसे स्टैंप ड्यूटी या स्टैंप टैक्स।

(ख) कुछ 'शुल्क' या 'टैक्स' केंद्र सरकार लागू करती है और वसूल भी करती है, पर वसूल किये जाने वाले अर्थ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आवंटित किये जाते हैं, जैसे - आयकर।

(ग) केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सालाना अनुदान या 'ग्रैंटस-इन-एड' 'Grants - in Aid' और 'समतुल अनुदान' (मैंचिंग ग्रैंट) प्रदान करती है।

(घ) केंद्र सरकार गरीब राज्यों को स्वतंत्र ग्रैंट या अनुदान प्रदान करती है ।

(ङ) अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास के लिए केंद्र सरकार राज्यों को स्वतंत्र सहायता प्रदान करती है ।

(च) राज्यों में होने वाली विभिन्न योजना और परियोजनाओं के काम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार स्वतंत्र वित्तीय अनुदान प्रदान करती है ।

(छ) संविधान के अनुच्छेद २८० के अनुसार राष्ट्रपति हर पाँच साल में एक- एक वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं । वित्त आयोग केंद्र और राज्यों की बीच संसाधन आवंटन संबंधी नीतियों को सुनिश्चित करता है ।

भारत में केंद्र और राज्य के संबंध का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार की तुलना में अधिक क्षमता है । व्यवस्थापिका प्रशासनिक और वित्तीय संबंधी क्षेत्र में केंद्र सरकार राज्य सरकार पर अपना दबदबा जाहिर करती है । यही कारण है कि भारत को 'अर्ध संघ राष्ट्र' या 'केंद्रीभूत संघ राष्ट्र' (Centralized Federation) कहा जाता है ।

हमने क्या सीखा ?

१. राज्यपाल राज्य के सांविधानिक शासन प्रमुख हैं ।

२. राज्य विधान परिषद के पास मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद जवाबदेह हैं । राज्यपाल उनकी सलाह से अपना उत्तरदायित्व निर्वाहन करते हैं ।

३. कुछ क्षेत्रों में उनकी स्वैच्छिक क्षमता भी है, जिसका प्रयोग वे अपनी मर्जी से करते हैं । ऐसे क्षेत्र में वे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं ।

४. राज्यपाल राज्य प्रशासन के सांविधानिक प्रमुख हैं । केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में वे अपनी भूमिका निभाते हैं ।

५. विधानसभा में बहुमत हासिल करने वाले दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं । उनकी सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और उनमें विभागों का आवंटन करते हैं ।

६. राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के पास जवाबदेह है । विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होने पर मंत्रिपरिषद इस्तीफा प्रदान करती है ।

७. मुख्यमंत्री की कार्यावली बहुबिध और बहुआयामी है ।

८. राज्य विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को लेकर बनता है । भारत के ७ राज्यों में विधान परिषद है ।

९. विधानमंडल राज्य सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाता है । संयुक्त सूची में आने वाले विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है ।

१०. विधानमंडल के दोनों सदनों में से निचली सदन विधानसभा और ऊपरी सदन विधान परिषद कहलाता है । विधानसभा, विधान परिषद से अधिक क्षमताशाली है ।

११. संविधान के अनुच्छेद २१४ के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है । आवश्यकतानुसार एकाधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है । प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और कई अन्य न्यायाधीशों को लेकर हुआ है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ६२ साल की उम्र में सेवामुक्त होते हैं ।

१२. ओड़िशा के उच्च न्यायालय की स्थापना १९४८ ई. में हुई थी । इसमें मुख्य न्यायाधीशों को मिलाकर कुल २७ न्यायाधीशों के रहने का प्रावधान है। ओड़िशा का उच्च न्यायालय कटक में है।

१३. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं ।

१४. उच्च न्यायालय अपने मौलिक क्षेत्राधिकार और आवेदनमूलक क्षमता का उपभोग करता है ।

१५. उच्च न्यायालय निचली अदालतों के क्रिया कलापों पर कड़ी निगरानी रखता है ।

१६. भारत एक संघ राष्ट्र है । केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बनाये रखने के लिए केन्द्र और राज्य के संबंध को तीन भागों में बाँटा गया है । १. व्यवस्थापिका, २. प्रशासनिक, ३. वित्तीय ।

१७. संसद केन्द्र सूची, संयुक्त सूची और निश्चित क्षेत्र में राज्य सूची में शामिल होने वाले विषयों पर कानून बनाती है ।

१८. राज्य विधान मंडल राज्य सूची और संयुक्त सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाता है ।

१९. प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य सरकारें केंद्र सरकार का निर्देश मानने के लिए बाध्य हैं ।

२०. वित्तीय क्षेत्र में केंद्र सरकार राज्यों को कई तरह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है । वित्त आयोग की शिफारिश पर संसाधनों का आवंटन करती है ।

जानने की बातें

- **राज्य कार्यपालिका** : भारत के प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार है । राज्यपाल और मंत्रिपरिषद को लेकर राज्य कार्यपालिका का गठन हुआ है ।
- **संघशासित प्रदेश** : भारत में मौजूदा सात संघशासित प्रदेश हैं । इन संघशासित प्रदेशों पर केन्द्र सरकार का विशेष नियंत्रण रहता है । दिल्ली , पुडुचेरी और अंडमान तथा निकोबर द्वीप समूहों को छोड़कर शेष चार संघशासित प्रदेशों में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी (एडमीन स्टेटर) वहाँ के शासन प्रमुख हैं । उप राज्यपाल दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान तथा निकोबर द्वीप समूहों के शासन प्रमुख हैं , उन्हें लेफ्टनेंट गवर्नर भी कहा जाता है ।
- **राज्यपाल की ऐच्छिक क्षमता** : राज्यपाल मंत्रि परिषद की सलाह के बिना जिन क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उनकी ऐच्छिक क्षमता कहा जाता है । संविधान ने राज्यपाल को यह क्षमता दी है । उदाहरण के लिए (१) विधानसभा में यदि किसी दल या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता, तब मुख्यमंत्री का चयन करना। (२) राष्ट्रपति को पाक्षिक रिपोर्ट प्रदान करना ।
- **दीक्षांत समारोह** :- प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी तथा शोधार्थियों को उपाधि (Degree) या प्रमाण - पत्र प्रदान करने के लिए हर साल एक समारोह का आयोजन किया जाता है, इसे दीक्षांत समारोह (Convocation) कहते हैं ।
- **मुलतबी** : कुछ समय के लिए सभा का कार्य स्थगित रखना मुलतबी है ।
- **वित्त आयोग** : केंद्र और राज्यों के बीच संसाधन या वित्त आवंटन एवं विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान की राशि सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति हर ५ साल के अंतराल में एक आयोग नियुक्त करते हैं। उसे वित्त आयोग कहा जाता है ।

प्रश्नावली

1. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर १०० शब्दों में लिखिए ।

(क) राज्यपाल की व्यवस्थापिका क्षमता क्या है ?

(ख) मुख्यमंत्री की कार्यावली पर प्रकाश डालिए ।

(ग) विधानसभा का गठन कैसे होता है ?

(घ) उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर चर्चा कीजिए ।

(ङ) मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है ?

2. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ४० शब्दों में लिखिए ।

(क) राज्यपाल की ऐच्छिक क्षमता लिखिए ।

(ख) विधानसभा के कानून बनाने की क्षमता पर प्रकाश डालिए ।

(ग) उच्च न्यायालय के आवेदनमूलक क्षेत्राधिकार पर चर्चा कीजिए ।

(घ) विधानसभा के अध्यक्ष कब अपना निर्णायक वोट देते हैं ?

(ङ) निचली अदालतों से क्या तात्पर्य है ?

(च) फौजदारी मुकद्दमा क्या है ?

(छ) देवानी मुकद्दमा किसे कहते हैं ?

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक - एक वाक्य में दीजिए ।

(क) राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं ?

(ख) राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों तक है ?

(ग) कौन मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं ?

(घ) राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कौन अध्यक्षता करते हैं ?

(ङ) विधानसभा में कौन अध्यक्षता करते हैं ?

(च) ओड़िशा का उच्च न्यायालय कहाँ है ?

(छ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने साल की उम्र में सेवामुक्त होते हैं ?

4. नीचे दिये गये विकल्पों में से सही विकल्प छाँट कर लिखिए ।

(क) जम्मू - कश्मीर राज्य के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में एक स्वतंत्र प्रावधान है ?

(क) ३७० (ख) ३७४ (ग) ३७८ (घ) ३७२

(ख) भारत के कितने राज्यों में द्वि - सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है ?

(क) ४ (ख) ५ (ग) ६ (घ) ८

(ग) राज्यपाल कितने दिनों के अंतराल में राज्य शासन संबंधी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं ?

(क) १५ दिन (ख) २० दिन (ग) ३० दिन (घ) ६ महीने

(घ) राज्य सरकार का कौन - सा विभाग बजट तैयार करता है ?

(क) शिक्षा विभाग (ख) वित्त विभाग (ग) स्वास्थ्य विभाग (घ) गृह विभाग

(ङ) राज्य विधानसभा की कितनी सीटें सामान्य वर्ग के लिए रखी गयी है ?

(क) ९० (ख) ९१ (ग) ९४ (घ) ९५

•

तृतीय अध्याय

जिला प्रशासन

प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को कुछ जिलों में बाँटा गया है । अभी ओड़िशा के जिलों की संख्या ३०

ओड़िशा का मानचित्र

है । जिलाधीश जिले के प्रशासनिक प्रमुख हैं । भारत में १७७२ ई. में वारेन हेस्टिंग्स ने इस जिलाधीश पद का सृजन किया था । ब्रिटिश राज में जिलाधीश के मुख्यत: दो ही कार्य थे । एक 'कलेक्टर' के रूप में भू - राजस्व वसूलना और दूसारा 'मजिस्ट्रेट' के रूप में मुकद्दमे की सुनवाई करना । आजादी के बाद जिलाधीशों की क्षमता व्यापक और बहुआयामी होने लगी । भारत एक जनमंगल राष्ट्र है। इसलिए देश के विकास और लोगों के दुख-दर्द, असुविधा और समस्याओं को दूर करने वाले कार्यक्रम में जिलाधीश की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती चली गयी । इसके साथ - साथ इनका कार्यक्षेत्र भी बढ़ने लगा ।

जिले की उन्नति और विकास के साथ जिलाधीश का अटूट संबंध है । जिलाधीश को छोड़ जिले के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती ।

जिलाधीश का कार्यालय (कलेक्टर) जिले के सदर मकाम में होता है । जिलाधीश जिले प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी हैं ।

प्रशासनिक सुविधा के लिए हर जिले को कुछ उपखंडों (सबडिविजन) में और हर उपखंड को कुछ तहसीलों में विभक्त किया गया है । सैंकड़ों गाँव को लेकर एक तहसील का गठन होता है । जिला मुख्यालय में जिलाधीश को उनके काम में प्रशासनिक सहायता देने एक या एकाधिक अतिरिक्त जिलाधीश और दूसरे जिला स्तर के अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर काम करते हैं । जिले के हर उपखंड में एक 'उपखंड अधिकारी' (सब कलेक्टर) और तहसील में एक 'तहसीलदार' कार्य करते हैं । सब कलेक्टर मुख्यत: भू-राजस्व और जमीन जायदाद संबंधी दायित्व का निर्वाहन करते हैं ।

जिलाधीश के पद पर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस) के अधिकारी नियुक्त होते हैं । ओड़िशा के कुछ जिलों में राज्य स्तर के वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को भी जिलाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है ।

जिलाधीश की कार्यावली :-

जिलाधीश के कार्य मुख्यत: चार प्रकार के हैं, जैसे -

१. भू -राजस्व वसूलना और जमीन जायदाद संबंधी कार्य
२. विधि और व्यवस्था को सुरक्षा देने का कार्य
३. विकास संबंधी कार्य
४. विविध कार्य

१. भू - राजस्व वसूलना और जमीन जायदाद संबंधी कार्य :

भू - राजस्व वसूलना जिलाधीश की प्रमुख जिम्मेदारी है । उपखंड अधिकारी और तहसीलदार की प्रत्यक्ष निगरानी में जिले में भू - राजस्व वसूल करने और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी जिलाधीश की है । इसके अलावा जमीन - जायदाद संबंधी कागजात के रखरखाव, भू - संस्कार कार्यक्रम का उचित प्रबंधन, कृषि का विकास तथा किसान की सुरक्षा, भूमि - अधिग्रहण (Land Acquistion) आदि कार्य की देखरेख की जिम्मेदारी भी जिलाधीश की है । सूखा, बाढ़ आदि के कारण फसल नष्ट होने पर जिलाधीश उचित कार्रवाई करते हैं । किसान को उसके नुकसान की भरपाई हो, इस दिशा में वे सही कदम उठाते हैं । जमीन - जायदाद से जुड़े कुछ मामले की सुनवाई भी जिलाधीश करते हैं ।

२. विधि और व्यवस्था को सुरक्षा देने का कार्य:

जिले में विधि और व्यवस्था की सुरक्षा करना जिलाधीश का उत्तरदायित्व है। जिला आरक्षी अधीक्षक (पुलिस सुपरिटेंडेंड) और उनके अधीन काम करने वाली पुलिस वाहिनी की सहायता से जिलाधीश जिले में विधि - व्यवस्था बनाये रखते हैं । जिलाधीश खुद एक 'कार्यपालिका मजिस्ट्रेट' (Executive Magistrate) हैं। विधि व्यवस्था भंग होने की शंका उत्पन्न होने पर जिलाधीश फौरन वहाँ पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर काबू पाते हैं । भारतीय पुलिस कानून ने इस क्षेत्र में जिलाधीश को कुछ स्वतंत्र क्षमता प्रदान की है । जिले में स्थित जिलास्तर के कारागृह और उप - कारागृह के वे दौरा करते हैं और उनके प्रबंधन का जायजा लेते हैं । इसके अलावा जिलाधीश हर महीने जिले में होने वाले अपराध का विवरण या रिपोर्ट सरकार के पास नियमित रूप से भेजा करते हैं ।

३. विकास संबंधी कार्य:

आजादी के बाद जिलाधीश के विकास संबंधी कार्य का क्षेत्र विस्तृत होने लगा है । आम जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, सड़क, बिजली, कर्म नियुक्ति आदि विभिन्न विकास संबंधी कार्य जिलाधीश की अगुआई में पूरे किये जाते हैं । इन सभी कार्यक्रमों का प्रशासनिक नियंत्रण जिलाधीश के पास है । विभिन्न विकासमूलक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को जिलाधीश निर्देश देते हैं ।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) के 'मुख्य कार्य निर्वाही अधिकारी' के रूप में जिलाधीश पूरे जिले में सभी विकासमूलक कार्य को गति प्रदान करते हैं । जिलाधीश के आदेशानुसार प्रखंड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ) विविध प्रकार के विकासमूलक कार्यक्रमों को ब्लैक या प्रखंड स्तर पर कार्यान्वित करते हैं । केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जिला स्तर पर स्वीकृत सभी विकासमूलक कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिलाधीश की है ।

४. विविध कार्य :

जिलाधीश की दूसरी कार्यावली कुछ इस प्रकार की है, जो नीचे दी जा रही है -

(क) अपने जिले में आने वाले लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के लिए जिलाधीश रिटार्निंग अफसर के रूप में कार्य करते हैं और चुनाव कार्य की देखरेक करते हैं। जिला चुनाव अधिकारी इस काम में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं ।

(ख) जिलाधीश जिला स्तर के मुख्य जन गणना अधिकारी हैं ।

(ग) जिलाधीश जिला स्तर के मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी हैं ।

(घ) जिलाधीश जिले के शहरी और ग्रामीण इलाके में रहने वाली स्वायत्त शासन संस्थाओं की प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी करते हैं । जरूरत होने पर अपनी रिपोर्ट के जरिए वे राज्य सरकार को सभी विषयों की जानकारी देते हैं । नगर परिषद भंग होने पर जिलाधीश नगर परिषद के प्रबंधन का दायित्व सँभालते हैं ।

(ङ) जिलाधीश आम जनता और सरकार के बीच संबंध बनाये रखने का काम करते हैं ।

(च) जन संपर्क तथा सूचना व प्रसारण के क्षेत्र में जिलाधीश की भूमिका महत्त्वपूर्ण है ।

(छ) प्राकृतिक आपदा के समय जिलाधीश की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है । उस समय आपातकालीन राहत (रिलिफ) कार्य जिलाधीश की प्रत्येक्ष निगरानी में पूरा होता है ।

(ज) आवश्यकतानुसार जिलाधीश विभिन्न सभा समिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले - महोत्सव आदि में मौजूद रहते हैं ।

(झ) जिले में अत्यावश्यक वस्तुओं की 'उपलब्धता' और आम जनता में उनके सहज आवंटन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी जिलाधीश का है ।

(ञ) नागरिक रक्षा (Civil Defence) कार्यक्रम भी जिलाधीश के अधीन है ।

(ट) विभिन्न उद्योग की स्थापना से जिले में उपजने वाली पर्यावरण, विस्थापन और पुनर्वास आदि समस्याओं के आशु समाधान की जिम्मेदारी मुख्य रूप से जिलाधीश की है ।

(ठ) सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्व -रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत निर्माण योजना, बीजू के.बी.के. योजना, गोपबंधु ग्रामीण योजना, मधुबाबू पेंशन योजना आदि केंद्र और राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व जिलाधीश का है ।

जिलाधीश की भूमिका :

जिलाधीश की विभिन्न क्षमता और कार्यावली की चर्चा से इस बात की पुष्टि होती है कि जिलाधीश राज्य सरकार की 'आँख, कान और नाक' के समान हैं । वे केवल जिला स्तर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं, अपितु वे भी आम जनता के एक 'विश्वसनीय सेवा - प्रदानकारी पदाधिकारी' (Service Provider) हैं । जिलाधीश वस्तुत: एक कार्यव्यस्त पदाधिकारी हैं । अपने व्यक्तित्व, समयानुवर्तिता, कर्म तत्परता, कार्य दक्षता, अध्यवसाय, जन-संलग्नता तथा जन - सहयोग और अपने सेवा - मनोभाव के लिए जिलाधीश सफलता के शिखर तक पहुँच सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं ।

आपके लिए काम :

१. आप अपने इलाके में एक हफ्ते तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं । इसलिए जिलाधीश की अनुमति के लिए उनके पास एक दरख्वास्त लिखिए ।

२. अपने जिले के जिलाधीश का नाम लिखिए ।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण :-

(District Rural Development Agency) (DRDA)

स्व रोजगार और मजदूरी रोजगार के जरिए गरीबी हटाना ग्रामीण विकास व्यवस्था का मूलमंत्र है । विविध गरीबी हटाओ योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम के पर्यवेक्षण करने के लिए हर जिले में जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्थापना की गयी है । १ अप्रैल १९८० ई. से हर जिले में एक - एक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण काम करता आ रहा है ।

वर्तमान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एक स्वशासी संस्था है । इसकी अपनी कार्यकारिणी या प्रबंधन समिति है । भारतीय समिति पंजीकरण अधिनियम , १९६० (Indian societies Registration Act, 1960) के अनुसार ये सारी संस्थाएँ पंजीकृत हैं । पहले जिले के जिलाधीश इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में काम करते थे । लेकिन १९९३ में होने वाले ७३वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष अब इस संस्था की कार्यकारिणी (Governing Body) के अध्यक्ष हैं । और जिलाधीश अब इसके मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी (Chief Executive Officer) के रूप में काम कर रहे हैं ।

गठन :

जिला परिषद के अध्यक्ष इस जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अध्यक्ष हैं । इसकी कार्यकारिणी के दूसरे सदस्य हैं :-

(क) उस जिले के सभी सांसद और विधायक।

(ख) जिले के सभी पंचायत समिति के एक तिहाई अध्यक्ष, जिनके कार्यकाल अपने नाम के वर्णानुक्रमानुसार हर साल बदलते रहते हैं । इनमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के सदस्य बनते हैं ।

(ग) अन्य सदस्यों में जिलाधीश, समवाय केंद्र बैंक के मुख्य अधिकारी , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष, रिजर्व बैंक के जिला स्तर के प्रतिनिधि, जिले के अनुसूचित जाति और जनजाति विकास अधिकारी, ग्रामीण महिलाओं की एक प्रतिनिधि, जिला स्तर के महिला और बाल विकास अधिकारी, गैर सरकारी संस्थाओं (N.G.O.) के दो प्रतिनिधि, खादी और ग्रामोद्योग संस्था के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक (प्रोजेक्ट डायरेक्टर) इसकी कार्यकारिणी के सदस्य सचिव (Member Secretary) के रूप में कार्य करते हैं ।

इस संस्था के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य हैं :

(१) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्द्धारित ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रखंड विकास अधिकारी की सहायता से आदेशित नियमानुसार लागू करना।

(२) विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं, पंचायतिराज संस्थाओं, समवाय बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, विभिन्न नगर निकायों के साथ सहयोग तथा समन्वय बनाकर अलग - अलग वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपकृत करने के लिए बनायी गयी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करना ।

(३) जिला स्तर पर विभिन्न 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रमों का सफलता के साथ लागू करना और इसके लिए विभिन्न सरकारी और गैर - सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय बनाने मध्यस्थता (Liasioning) करना ।

(४) सरकारी निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया में ग्रामीण गरीब जनता को भागीदार बनाने में सहायक होना ।

(५) सुनिश्चित जाति और वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण और विकास के लिए स्थिर की गयी ग्रामीण विकास योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करना और उसकी समीक्षा करना।

(६) विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रस्तुत करना, नीति सुनिश्चित करना और उसके क्रियान्वयन की दिशा में वित्तीय पारदर्शिता बनाये रखने के साथ - साथ इस काम से जुड़े कर्मचारियों की कार्य तत्परता की जाँच करना।

(७) जिला स्तर पर लागू होने वाली सभी ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति (Progress) की समीक्षा करना और निश्चित वर्ग के लोग कैसे इससे उपकृत हो रहे हैं , इसका विश्लेषण करना।

संस्था के कार्यालय प्रबंधन की व्यवस्था : (Office Management)

हर जिला स्तर के ग्रामीण विकास अभिकरण की निम्नलिखित सात शाखाएँ या अनुभाग (Sections) हैं, वे हैं :-

(१) स्व-रोजगार अनुभाग (Self - Employment Section)

(२) मजदूर रोजगार अनुभाग (Wage Employment Section)

(३) महिला अनुभाग (Women Section)

(४) अभियांत्रिकी अनुभाग (Engineering Section)

(५) खाता अनुभाग (Accounts Section)

(६) जाँचना और परखना अनुभाग (Monitoring and Evaluation Section)

(७) सामान्य प्रशासन अनुभाग (General Administration Section)

उपर्युक्त प्रत्येक शाखा या अनुभाग के दायित्व में एक - एक 'सहकारी परियोजना निदेशक' (Assistant Project Director / Officer) हैं । वे परियोजना निदेशक के (Project Director) अधीन काम करते हैं और विविध विकासमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं । वे संस्था की कार्यकारिणी के पास जवाबदेह हैं ।

आपके लिए काम :

आपके अपने इलाके में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के जरिए कौन - कौन सी योजनाएँ लागू हो रही हैं, लिखिए ।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की भूमिका :

यह एक कार्य निर्वाही संस्था नहीं है । यह संस्था खुद किसी प्रकार की 'गरीबी हटाओ' योजनाओं को लागू नहीं करती । दूसरी तरफ विभिन्न गरीबी हटाओ योजनाओं को कैसे सही ढंग से लागू किया जा सके, उनमें समन्वय बना रहे, योजनाओं को लागू करने के लिए मिलने वाली वित्तीय राशि और अनुदान का कैसे सही उपयोग हो, उसमें अनुशासनात्मकता और पारदर्शिता बनी रहे, सर्वोपरि लोगों में विभिन्न विकासमूलक योजनाओं के बारे में कैसे जागृति उत्पन्न हो, आदि इन सभी की जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की है ।

आखिरकार , इतना कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए एक कुशल कार्य निर्वाही संस्था की आवश्यकता है । नेक उद्देश्य और काम के प्रति पूर्ण निष्ठा और प्रतिबद्धता के बिना कोई भी गरीबी हटाओ योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए विभिन्न ग्रामीण विकास तथा गरीबी योजनाओं की सफलता में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की भूमिका विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है ।

हमने कया सीखा ?

१. जिलाधीश जिले के शासन प्रमुख हैं ।
२. वे राज्य सरकार की आँख, कान और नाक के रूप में काम करते हैं ।
३. जिलाधीश भू - राजस्व की वसूली, जमीन - जायदाद संबंधी काम, विधि - व्यवस्था की सुरक्षा और विकासमूलक कार्य आदि करते हैं ।
४. विभिन्न गरीबी हटाओ योजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी करना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रमुख काम है ।

जानने की बातें

पुलिस कमिश्नरेट :

जिस जिले में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था है, वहाँ जिलाधीश पुलिस कमिश्नर की सहायता से विधि-व्यवस्था की सुरक्षा करते हैं ।

१. उपखंड : प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से एक जिले को कुछ हिस्से में विभक्त किया जाता है । इसे उपखंड (Sub - Division) कहा जाता है ।

२. भारतीय प्रशासनिक सेवा : आई.ए.एस. और आई.पी.एस. को भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाता है । पूरे भारत में इस सेवा के लिए एक ही संस्था चयन का काम करती है, वह है संघ लोक सेवा आयोग (U.P.S.C.) ।

३. आरक्षी अधिक्षक : जिले के पुलिस प्रमुख को आरक्षी अधीक्षक (Superintendent of Police) कहा जाता है ।

प्रश्नावली

1. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग १०० शब्दों में लिखिए ।

(क) जिलाधीश की कार्यवली का वर्णन कीजिए ।

(ख) जिलाधीश की भूमिका बताइए ।

(ग) विधि - व्यवस्था की रक्षा करने में जिलाधीश की क्या भूमिका है ? संक्षेप में लिखिए ।

(घ) प्राकृतिक आपदा के समय जिलाधीश कैसे लोगों की सहायता करते हैं ?

(ङ) जिलाधीश के विकासमूलक कार्य क्या - क्या हैं ?

2. प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए ।

(क) जिले के प्रशासनिक प्रमुख कौन हैं ?

(ख) जिलाधीश को क्यों राज्य सरकार की 'आँख, कान और नाक' कहा जाता है ?

(ग) किसकी सहायता से जिलाधीश जिले में विधि - व्यवस्था की सुरक्षा करते हैं ?

(घ) जिलाधीश को क्यों 'कलेक्टर' कहा जाता है ?

(ङ) 'कलेक्टर' (जिलाधीश) के पद का सृजन कब हुआ था ?

3. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ७५ शब्दों में लिखिए ।

(क) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का क्या काम है ?

(ख) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन कैसे होता है ?

(ग) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन क्यों किया गया ?

(घ) गाँव की गरीबी हटाने में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की क्या भूमिका है ?

(ङ) जिला परिषद और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के बीच क्या संबंध है ?

(च) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के मुख्य कार्य निर्वाही अधिकारी कौन हैं ?

(छ) प्रत्येक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कितने अनुभाग हैं ? उनके नाम लिखिए ।

(ज) जिला ग्रमीण विकास अभिकरण के सदस्य - सचिव कौन हैं ?

4. 'क' स्तंभ के साथ 'ख' स्तंभ का सही मिलान कीजिए ।

'क' स्तंभ	'ख' स्तंभ
जिलाधीश का पद	लोककल्याण का कार्य
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	आरक्षी अधीक्षक
राहत बंटन	वारेन हेस्टिंग्स
जिले की प्रमुख पुलिस अधिकारी	गरीबी हटाओ

❖❖❖

चतुर्थ अध्याय

भारत में राजनैतिक दल और प्रभावक समूह

राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। राजनीतिक दल के बिना लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं हो सकता । जनता के राजनीतिक पदाधिकार के परिप्रकाशन के लिए राजनीतिक दल ही सही माध्यम है ।

राजनीतिक दल की विशेषताएँ :

१. कुछ व्यक्ति संगठित रूप से एक दल का गठन करते हैं ।

२. वे कुछ निश्चित नीतियों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं ।

३. वे राष्ट्रीय स्वार्थ की पूर्ति को सर्वोपरि मानते हैं ।

४. चुनाव के माध्यम से वे सत्ता हासिल करना और उसे कायम रखने की कोशिश करते हैं ।

५. प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना संगठन, नियमावली, झंडा और संकेत आदि है ।

६. भारत के चुनाव आयोग राजनीतिक दल को स्वीकृति प्रदान करते हैं और जरूरत होने पर स्वीकृति वापस भी ले लेते हैं ।

राजनीतिक दल की नियमावली :

१. देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को आम जनता के सामने रखकर जनमत और राजनीतिक जागरण पैदा करना, साथ ही राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए लोगों को उत्साहित करना राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य हैं ।

२. राजनीतिक दल लोगों की न्यायोचित माँगों को इकट्ठे कर सही ढंग से समय आने पर सरकार के सामने रखते हैं ।

३. राजनीतिक दल आम नागरिकों में से अपना सदस्य चयन करते हैं और उन्हें दल की नीति , विचारधारा और आदर्श के बारे में प्रशिक्षण देने के साथ - साथ अगली पीढ़ी के लिए राजनेता तैयार करने में मदद करते हैं ।

४. सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं । चुनाव के समय वे सभा, रैली और प्रचार पत्र के जरिए आम जनता के सामने कई तरह के राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करते हैं ।

५. चुनाव में बहुमत हासिल करने पर राजनीतिक दल सरकार बनाता है और देश शासन की बागड़ोर सँभालता है । बहुमत न मिलने की स्थिति में वे विपक्ष दल के रूप में सरकार की कमियों व खामियों को उजागर कर सरकार की आलोचना करते हैं तथा सरकार को नियंत्रण भी करते हैं ।

६. राजनीतिक दल के सदस्य बाढ़, सूखा, चक्रवात , भूकंप आदि प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित जनता की सहायता भी करते हैं ।

दलीय व्यवस्था :

सामान्यत: तीन प्रकार की दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है , जैसे - (क) एकदलीय व्यवस्था (ख) द्वि - दलीय व्यवस्था और (ग) बहुदलीय व्यवस्था ।

- जिस देश में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है , उसे एकदलीय व्यवस्था कहते हैं । जैसे - चीन, रूस।
- जिस देश में दो प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं , उसे द्वि - दलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे - इंग्लैंड, अमेरिका।
- जिस देश में दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं , उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं । जैसे - भारत , फ्रांस । भारत में कई राजनीतिक दल हैं ; जैसे - काँग्रेस , भारतीय जनता पार्टी , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) समाजवादी दल, राष्ट्रीय जनता दल, अन्ना डी.एम. के., डी.एम.के, अकालीदल , शिवसेना आदि ।

राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल :

हमारे देश में राजनीतिक दलों को सामान्यत: दो भागों में विभक्त किया गया है ; जैसे (१) राष्ट्रीय दल (२) क्षेत्रीय दल ।

एक राजनीतिक दल को स्वीकृति प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग ने दल को मिलने वाले वोट के अनुपात और सीटों की संख्या को संज्ञान में लेकर विस्तृत नियमावली बनायी है ।

क्षेत्रीय दल :

(क) जिस राजनीतिक दल को किसी एक राज्य में अपने पूर्ववर्ती विधानसभा चुनाव में कुल वैध मत (Valid vote) के कम से कम छह फीसदी वोट मिला होगा और विधानसभा में उसने कम से कम दो सीटों पर विजय प्राप्त की होगी, उसे एक क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति मिलती है, या

(ख) जिस राजनीतिक दल ने राज्य की विधानसभा के लिए हो चुके पूर्ववर्ती आम चुनाव में विधानसभा की कुल सीटों की कम से कम तीन फीसदी या कम से कम तीन (इन दोनों में से जो ज्यादा है) सीटों पर विजय प्राप्त की होगी , उसे भी एक क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति मिलती है । बी.जे.डी., डी.एम.के., तेलुगुदेशम् आदि एक - एक क्षत्रीय दल हैं ।

राष्ट्रीय दल :

(क) जिस राजनैतिक दल को पूर्ववर्ती लोकसभा चुनाव या किसी भी चार राज्यों की विधानसभा चुनाव में प्रत्येक राज्य के कुल वैधमत(Valid Vote) के छह फीसदी वोट मिला होगा और लोकसभा में कम से कम चार सीटें मिली होगी, उसे एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में स्वीकृति मिलती है । या

(ख) जिस राजनीतिक दल के उम्मीदवारों ने लोकसभा के लिए हो चुके पूर्ववर्ती आम चुनाव में पूरे भारत के संसदीय क्षेत्रों में से कम से कम दो फीसदी सीटों पर विजय प्राप्त की होगी और वे सभी उम्मीदवार कम से कम तीन राज्यों से चुनकर लोकसभा में आये होंगे , उस दल को भी राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति मिलती है । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आदि राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं ।

राष्ट्रीय दल प्रमुख रूप से अखिल भारतीय समस्या और राष्ट्रीय स्वार्थ पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं । उनका कार्यक्रम वस्तुत: राष्ट्रीय स्तर का होता है । राष्ट्रीय दल का अपना संगठन भारत के प्रत्येक राज्यों में है । इसमें राष्ट्रीय संगठन राज्य को नियंत्रित करता है । इसी प्रकार राज्य संगठन जिला, उपखंड और प्रखंड (ब्लॉक) स्तर के संगठनों को नियंत्रित करता है । राष्ट्रीय दल प्रायत: प्रत्येक राज्य में चुनाव लड़ते हैं । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस , भारतीय जनता पार्टी , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आदि राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं ।

क्षेत्रीय दल सामान्य रूप से एक - एक राज्य तक सीमित हैं । राज्य स्तर की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही उनका गठन किया गया है। बी.जे.डी. , डी.एम.के., ए.आई.डी.एम.के , तेलुगुदेशम् आदि एक - एक क्षेत्रीय दल हैं ।

क्षेत्रीय दल अपने - अपने राज्य में चुनाव लड़ते हैं । अब की गठबंधन सरकार बनाने की प्रक्रिया में कभी-कभी क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार में भी सहयोगी के रूप में शामिल होते हैं ।

प्रभावक समूह :

केंद्र सरकार के पास अपनी माँग रखने के साथ - साथ ये क्षेत्रीय दल अधिक से अधिक राज्य - स्वतंत्रता की बात करते हैं ।

प्रभावक समूह:

(Pressure Group)

देश की राजनीतिक प्रक्रिया तथा प्रशासन में प्रभावक समूह की प्रमुख भूमिका है । ये समूह प्रत्यक्ष राजनीति या चुनावी राजनीति में शामिल न होकर अपने समूह की स्वार्थ - पूर्ति के लिए सरकार की नीति तथा प्रशासनिक व्यवस्था को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं । इसलिए प्रभावक समूह को भी स्वार्थन्वेषी समूह (Interest Group) कहा जाता है ।

परिभाषा : हारिस के मत में , 'जो प्रभावक समूह अपनी सुविधा हासिल करने के लिए सरकार के नीति निर्माताओं पर दवाब बनाते हैं , उन्हें प्रभावक समूह या प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है । '

टर्नर के अनुसार , 'जो गैर राजनीतिक संगठन सरकार की नीति को प्रभावित करते हैं , उन्हें प्रभावक समूह कहा जाता है । '

एकस्टिन ने प्रभावक समूह की एक सुंदर परिभाषा दी है । उनका कहना है कि 'एक प्रकार की विचारधारा, मूल्यबोध एवं स्वार्थ हासिल करने के लिए प्रयासरत , एक सुसंगठित सामाजिक समूह, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी सरकारी पद को ग्रहण न कर अपनी स्वार्थ - पूर्ति के लिए सरकार की नीति को प्रभावित करता है, उसे प्रभावक समूह कहते हैं । '

प्रभावक समूह के लक्षण नीचे दिये जा रहे हैं :-

१. यह समान विचारधारा और समान स्वार्थ हासिल करने के लिए कोशिश करने वाले व्यक्तियों का एक समूह है ।

२. किसी राजनीतिक दल के साथ प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई संबंध नहीं है ।

३. स्वार्थ - पूर्ति के लिए बनाया गया यह एक अस्थायी या स्थायी समूह है ।

४. ये प्रभावक समूह प्रत्यक्ष राजनीति में हिस्सा न लेकर पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं ।

प्रभावक समूह के वर्गीकरण :

सांगठनिक एवं कार्यशैली के आधार पर प्रभावक समूह को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है , जैसे -

१. संघीय समूह (Associational Group)

एक निश्चित कार्य में नियोजित व्यक्ति एकत्रित होकर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं । उन्हें संघीय समूह कहा जाता है । संघीय समूह के सदस्य एक निश्चित वृत्ति के होते हैं अर्थात् उनकी आजीविका के साधन एक जैसे हैं । इसलिए संघीय समूह को वृत्तिगत समूह भी कहते हैं । जैसे : व्यापारी संघ, मजदूर महासंघ ।

२. गैर - संघीय समूह :

(Non - Associational Groups)

ये सभी समूह रक्त संबंध , धर्मीय संबंध , कौलिक वृत्ति आदि संबंध के जरिए इकट्ठे होकर अपने कार्य या स्वार्थ - पूर्ति के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं । बौद्धभिक्षु समूह, यादव महासभा, सुनार समूह आदि इसके उदाहरण हैं ।

३. संस्थागत समूह :(Institutional Groups)

ये समूह विभिन्न संस्थान में काम करने वाले व्यक्तियों को लेकर बनते हैं । वे संस्थागत स्वार्थ - पूर्ति के जरिए अपने खुद की स्वार्थ - पूर्ति के लिए सरकार पर दवाब बनाते हैं । जैसे - नौकरशाही ।

४. सामाजिक मूल्यबोध विरोधी प्रभावक समूह : (Anomic Groups)

ये समूह किसी निश्चित सामाजिक मूल्यबोध में यकीन न करके हिंसा का मार्ग अपनाकर अपने स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं । उदाहरण के लिए उल्फा (Ulfa) जम्मू - कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) ।

उसी प्रकार प्रभावक समूह को उनके उद्देश्य के अनुसार दो वर्गों में विभाजित किया गया है । जैसे -

१. स्वार्थी समूह और २. लोकमंगलकारी समूह

जो समूह आम जनता के स्वार्थ को दरकिनार कर जिस किसी तरह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोशिश करते रहते हैं , उन्हें स्वार्थी समूह कहते हैं ।

जो समूह आम जनता की स्वार्थ - पूर्ति के लिए कोशिश करते हैं , उन्हें लोकमंगलकारी समूह कहा जाता है। उदाहरण के लिए झुग्गी झोपड़ी विकास संघ ।

कार्यकाल के अनुसार प्रभावक समूह को दो भागों में विभक्त किया गया है ; जैसे - दीर्घकालीन समूह और अल्प कालीन समूह । जो समूह अपने स्थायी स्वार्थ - पूर्ति के लिए संगठित होकर कार्य करते हैं , उन्हें दीर्घकालीन समूह कहते हैं । जैसे - भारतीय शिक्षक महासंघ ।

जो प्रभावक समूह अपने तात्क्षाणिक स्वार्थ हासिल करने के लिए इकट्ठे होते हैं और निश्चित स्वार्थ - पूर्ति के बाद उनका विलय होता है , उन्हें अल्पकालीन समूह कहते हैं । जैसे - 'महानदी बचाओ समिति' , 'नर्मदा बचाओ समिति' आदि ।

राजनीतिक दल और प्रभावक समूह में समानताएँ और असमानताएँ :

प्रभावक समूह और राजनीतिक दल दोनों अपने - अपने सदस्यों की स्वार्थ - पूर्ति के लिए काम करते हैं । राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक स्वार्थ - पूर्ति या सत्ता हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं , जबकि प्रभावक समूह अपनी गैर - राजनीतिक स्वार्थ - पूर्ति के लिए प्रयास किया करते हैं ।

(१) आकार की दृष्टि से राजनीतिक दल प्रभावक समूह से बड़े हैं । राजनीतिक दलों के सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है । राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं , जबकि प्रभावक समूह अपने स्वार्थ हासिल करने जरूरत होने वाले कार्यक्रमों तक अपने को सीमित रखते हैं ।

(२) राजनीतिक दलों का एक निश्चित इस्तहार होता है । विधि - व्यवस्था के अनुसार इसके सदस्यों को पंजीकृत किया जाता है और उन्हें सुनिश्चित किये गये नियम को मानने के लिए कहा जाता है । जो सदस्य नियम के खिलाफ काम करते हैं , उन्हें दल से बहिष्कृत कर दिया जाता है । राजनीतिक दलों का एक निश्चित दलीय झंडा, संविधान और संकेत होता है । दूसरी तरफ प्रभावक समूह के सदस्यों की संख्या सीमित है । उनकी कोई निश्चित चयन - प्रक्रिया या झंडा नहीं होता है । प्रभावक समूह कई बार पर्दे की ओट में रहकर कार्य करते हैं ।

(३) राजनीतिक दल चुनाव लड़कर हमेशा सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं । सरकार बनाना या सरकार का हिस्सेदार होना उनका प्रमुख उद्देश्य है । राजनीतिक दल पंजीकृत न होने पर उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलती ।

लेकिन प्रभावक समूह हमेशा राजनीति से दूर रहते हैं । वे चुनाव नहीं लड़ते । सत्ता से बाहर रहकर सरकारी नीतियों को प्रभावित करना उनका मुख्य उद्देश्य है ।

(४) एक व्यक्ति एक ही समय में केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है । लेकिन खुद के कई प्रकार के स्वार्थ साधने के लिए एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक प्रभावक समूह के सदस्य बन सकता है ।

भारत में काम करने वाले कुछ प्रमुख प्रभावक समूह हैं;

भारतीय मजदूर संघ , भारतीय शिक्षक महासंघ, ओड़िशा डॉक्टरी सेवा संघ , सरकारी कॉलेज शिक्षक संघ , निखिल उत्कल शिक्षक महासंघ आदि ।

अंत में इतना कह सकते हैं कि प्रभावक समूह की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । प्रभावक समूह अपने विभिन्न प्रकार के विरोध जैसे - हड़ताल , बंद , चक्का जाम आदि के जरिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करते हैं ।

हमने क्या सीखा ?

१. राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं।

२. एक ही विचारधारा के कुछ व्यक्ति एक निश्चित राष्ट्रीय स्वार्थ सम्मत नीति के रूपायन के लिए एकत्रित हो चुनाव के जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश करने पर एक राजनीतिक दल का जन्म होता है ।

३. प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना संगठन, नियमावली , झंडा और संकेत चिह्न आदि हैं।

४. राजनीतिक दल दो प्रकार के हैं : राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ।

५. चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

६. प्रभावक समूह एक दलगत समूह है । लेकिन ये अपनी निश्चित स्वार्थ - पूर्ति के लिए सरकार पर दवाब बनाते हैं और आन्दोलनात्मक मनोभाव जताते हैं ।

जानने की बातें

१. प्रभावक समूह चुनाव में हिस्सा नहीं लेता ।

२. भारत में निम्निलिखित प्रभावक समूह काम करते हैं
(क) भारतीय मजदूर संघ
(ख)भारतीय शिक्षक महासंघ
(ग) ओड़िशा डॉक्टरी सेवा संघ
(घ) सरकारी कॉलेज शिक्षक संघ
(ङ) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ।

प्रश्नावली

1. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ६० शब्दों में लिखिए ।

(क) राजनीतिक दल के लक्षण बताइए ।
(ख) लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका की चर्चा कीजिए ।
(ग) प्रभावक समूह के लक्षण लिखिए ।
(घ) प्रभावक समूह कितने प्रकार के हैं , संक्षेप में उनका उल्लेख कीजिए ।

2. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ३० शब्दों में लिखिए ।

(क) राजनीतिक दल किसे कहते हैं ?
(ख) राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं , सोदाहरण समझाइए ।
(ग) क्षेत्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं , सोदाहरण उत्तर दीजिए ।
(घ) प्रभावक समूह मुख्यत: कितने प्रकार के हैं ?

3. प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक - एक वाक्य में दीजिए ।

(क) किन्हीं दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए ।

(ख) प्रभावक समूह मुख्यत: कौन - सा मार्ग अपनाकर सरकार पर दवाब बनाते हैं ?

(ग) भारत में राजनीतिक दलों को कौन - सी संस्था स्वीकृति प्रदान करती है ?

4. रेखांकित पद को न बदलकर त्रुटियों को सुधारिए ।

(क) प्रभावक समूहों का एक - एक झंडा है ।

(ख) प्रभावक समूह चुनाव में हिस्सा लेते हैं ।

(ग) भारत में द्वि - दलीय व्यवस्था है ।

(घ) भारतीय मजदूर संघ एक क्षत्रीय राजनीतिक दल है ।

5. नीचे दिए गये विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए ।

(क) इंग्लैंड में कौन - सी दलीय व्यवस्था प्रचलन में है ?

एकदलीय , द्वि - दलीय , बहुदलीय , सर्वदलीय

(ख) हमारे देश में इनमें से कौन - सा दल एक राष्ट्रीय दल है ?

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस , बी.जे.डी., तृणमूल कांग्रेस , बी.जे.पी

(ग) इनमें से किस देश में एकदलीय व्यवस्था प्रचलित है ?

पाकिस्तान , चीन , अमेरिका , इंग्लैंड

❖❖❖

अधिक जानने की बातें

(१) भारत के प्रथम राष्ट्रपति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

(२) भारत के प्रथम उप - राष्ट्रपति - डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्

(३) भारत के प्रथम प्रधानमंत्री - पं. जवाहरलाल नेहरू

(४) भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति - श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल

(५) भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री - श्रीमती इंदिरा गांधी

(६) भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री - श्रीमती सुचेता कृपालिनी

(७) भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल - श्रीमती सरोजिनी नायडु

(८) सुप्रिमकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश - माननीय न्यायमूर्त्ति श्री एचे. एल. कानिया

(९) ओड़िशा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री - श्रीमती नंदिनी शतपथी

(१०) ओड़िशा के प्रथम राज्यपाल - सर जन अस्टिन हबाक

(११) लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष - श्रीयुत गणेश वासुदेव माभलंकर

(१२) देश का पहला आम चुनाव (लोकसभा) - १९५१-५२

(१३) प्रथम लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख - १३.०५.१९५२

(१४) प्रथम राज्यसभा का गठन - ०४.०४.१९५२

(१५) राज्यसभा की प्रथम बैठक - १३.०५.१९५२

(१६) वर्तमान में लोकसभा में ओड़िशा के सदस्यों की संख्या - २१

(१७) वर्तमान में राज्यसभा में ओड़िशा के सदस्यों की संख्या - १०

(१८) केवल (संघशासित प्रदेश) दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था है ।

(१९) गोवा, मणिपुर , मेघालय , नागालैंड , त्रिपुरा , मिजोराम , हरियाणा , अरुणाचल प्रदेश के लिए कोई स्वतंत्र उच्च न्यायालय नहीं है ।

(२०) लोकसभा की अध्यक्ष मंडली लोकसभा - अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत होती है ।

(२१) कोई भी सांसद एक ही समय में दोनों लोकसभा और राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं रह सकते ।

(२२) संसद के दैनिक अधिवेशन के पहले १ घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है । इस समय संसद में प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होता है ।

(२३) केवल दो ही संघशासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के लिए राष्ट्रपति के द्वारा उप - राज्यपाल नियुक्त होते हैं ।

(२४) स्वतंत्र ओड़िशा प्रदेश का गठन हुआ था - १ अप्रैल , १९३६ई.

(२५) सन् २००० में झारखंड , उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के लिए नये हाइकोर्ट की स्थापना हुई, जिससे हाईकोर्ट की संख्या १८ से २१ तक पहुँची ।